दशम माला, खंड 46, अंक 20

शुक्रवार, 22 दिसम्बर, 1995
1 पौष, 1917 (शक)

लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
No. 55
Date 3.10.96

पन्द्रहवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

दिनांक 22-12-95 के लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
3	19	खड़ी हुई	खड़ी हो गई
54	1	(च)	(घ)
103	20	(ङ)	(घ)
222	नीचे से 9	"विवरण-II का लोप किया जाए	
266	नीचे से 7	योजनीगत	योजनागत
266	नीचे से 6	3827	3927
287	9	(ग) से (घ)	(क) से (घ)
369	3	भाग (ख) के पश्चात् "(ग)" उन कर्मचारियों की (संख्या) कितनी है जिन्हें पुनः (शिक्षित?) करके पुनर्नियोजित कर दिया गया है,	
383	14	(घ)	(ङ)
401	नीचे से 3	अर्धक्रम	अर्धक्रम
414	नीचे से 13	"किया जा चुका है।" के पश्चात "(ग)" जोड़ें।	
423	पंक्ति 15 के पश्चात "(ख)" यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जोड़ा जाए		
423	16	(ख)	(ग)
423	नीचे से 1	(ग)	(ख)
475	15	(ख)	(क)
490	नीचे से 5	"जहां" के पूर्व "(क) से (ग)" जोड़ा जाए	
493	15	का	के
498	23	और	और
569	नीचे से 6	समझने	समझिए

विषय–सूची

दशम माला, खंड 46, पन्द्रहवां सत्र, 1995/1917 (शक)

अंक 20 शुक्रवार, 22 दिसंबर, 1995/1 पौष, 1917 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		**1–6**
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		**6–491**
तारांकित प्रश्न संख्या :	361 से 380 (21.12.95)	6–36
	381 से 400 (22.12.95)	37–60
अतारांकित प्रश्न संख्या :	3766 से 3972 (21.12.95)	60–295
	3973 से 4202 (22.12.95)	492–542
सभा पटल पर रखे गये पत्र		**492–542**
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति		**542**
कार्यवाही सारांश – सभा पटल पर रखे गये		542
लोक लेखा समिति		**543**
एक सौ बारहवां और एक सौ तेरहवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		543
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		**543**
छियालीसवां और सैंतालीसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश – प्रस्तुत		543
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		**543**
पचपनवां और सत्तावनवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		543
रेल अभिसमय समिति		**544**
ग्यारहवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		544
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति		**544**
दसवां, ग्यारहवां और बारहवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		545
याचिका समिति		**545**
पच्चीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत		545
याचिका समिति		**545**
उनचासवीं और छयासठवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश – सभा पटल पर रखे गये		545

विषय	कॉलम
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	**545**
इक्कीसवां, बाईसवां और तेइसवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत	545
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति	**545**
इक्कीसवां और बाईसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — प्रस्तुत	545
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	**545**
पैंतीसवां, छत्तीसवां और सैंतीसवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत	545
कृषि संबंधी स्थायी समिति	**546**
इक्तीसवां, तैंतीसवां, पैंतीसवां तथा छत्तीसवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत	546
संचार संबंधी स्थायी समिति	**546**
छब्बीसवां ओर सत्ताइसवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश — प्रस्तुत	546
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	**547**
सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां, उनतीसवां, तीसवां, इकत्तीसवां, बत्तीसवां, तैंतीसवां, चौंतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश — प्रस्तुत	547
विदेशी मामलों संबंधी स्थायी समिति	**548**
दसवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत	548
वित्त संबंधी स्थायी समिति	**548**
उन्नीसवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत	548
रेल संबंधी स्थायी समिति	**548**
सत्रहवां तथा अट्ठारहवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत	548
शहरी तथा ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति	**549**
बीसवां और इक्कीसवां प्रतिवेदन — प्रस्तुत	549
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	**549**
चौंतीसवां प्रतिवेदन — सभा पटल पर रखा गया	549
याचिका	**549–550**
दिल्ली किराया अधिनियम, 1995 को लागू करने हेतु सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किये जाने के संबंध में याचिका — प्रस्तुत	549

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	**550–567**
मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के प्रचालन हेतु निजी कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करने के बारे में–सभा पटल पर रखा गया	550
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक–पारित	**568**
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	568
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
खंड 2, 3 और 1	569
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1995–96	**569–571**
विनियोग (रेल) संख्यांक–4 विधेयक, 1995–96 – पारित	**571–573**
खंड 2, 3 और 1	572–573
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) विधेयक	**573–577**
विदाई उल्लेख	**577–580**
राष्ट्र गीत	**580**

लोक सभा

शुक्रवार, 22 दिसंबर, 1995/1 पौष, 1917 (शक)

लोक सभा 11.05 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने तीन भूतपूर्व सहयोगियों श्री ए.ए. रहीम, श्रीमती सुशीला गणेश मावलंकर और श्रीमती विजय राजे के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री ए.ए. रहीम ने 1980–84 के दौरान सातवीं लोक सभा में केरल की चिरायिकिल संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने 1982–84 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिमंडल में विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला।

इससे पहले श्री रहीम 1954 के दौरान तत्कालीन कोचिन राज्य की त्रावणकोर सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री रहे। वे 1954 से 1979 तक लगातार छः बार केरल विधान सभा के सदस्य रहे। इस अवधि के दौरान उन्होंने विभिन्न समितियों में सदस्य की हैसियत से कार्य किया।

एक योग्य संसदविद् तथा राजनीतिक क्षेत्र में लंबा अनुभव रखने वाले श्री रहीम मद्रास स्थित आई.आई.टी. की संचालन परिषद तथा कोचिन विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य थे।

श्री रहीम शिक्षा, उद्योग, सांस्कृतिक, खेलकूद तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते थे तथा उन्होंने कई शैक्षणिक, सामाजिक तथा खेलकूद संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे "प्रभातम" प्रत्रिका के प्रबन्ध सम्पादक भी रहे।

श्री रहीम का निधन 31 अगस्त, 1995 को 75 वर्ष की आयु में क्विलोन में हुआ।

श्रीमती सुशीला गणेश मावलंकर ने 1956–57 के दौरान पहली लोक सभा में अहमदाबाद संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती मावलंकर एक वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लिया तथा वे जेल गईं।

मिलनसार स्वभाव की धनी श्रीमती मावलंकर, इस सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय श्री जी.वी. मावलंकर की पत्नी थीं। उन्होंने विश्व का भ्रमण किया था तथा वे कई सामाजिक, सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी हुई थीं। वे कुछ वर्ष तक अहमदाबाद में भगिनी समाज की अध्यक्ष भी रहीं। श्रीमती मावलंकर कर्त्तव्यपरायण महिला थी और उन्होंने गरीब तथा जरूरतमंद लोगों का हमेशा ध्यान रखा।

श्रीमती मावलंकर का निधन 11 दिसम्बर, 1995 को 92 वर्ष की आयु में अहमदाबाद में हुआ।

श्रीमती विजया राजे ने 1957–70 के दौरान दूसरी, तीसरी और चौथी लोक सभा में बिहार के चतरा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पूर्व वे 1952–57 के दौरान राज्य सभा की भी सदस्या रहीं।

श्रीमती विजया राजे एक जानी–मानी परोपकारी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थीं। उन्होंने मां और बच्चे के कल्याण तथा ग्रामीण लोगों के उत्थान से संबंधित कार्यक्रमों में सक्रिय भाग लिया। वे मध्य प्रदेश में रेडक्रास सोसायटी, धार, की अध्यक्ष भी रहीं।

उन्होंने विश्व का व्यापक भ्रमण किया। वे सभा की कार्यवाही में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं।

श्रीमती विजया राजे का निधन 19 दिसम्बर, 1995 को 76 वर्ष की आयु में सतारा (महाराष्ट्र) में हुआ।

हम इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ हैं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण मौन खड़े रहेंगे।

11.09 म.पू.

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, श्री रहीम का निधन 31 अगस्त को हुआ था। यही बात आपने पढ़ी है और यह दिसम्बर का अंत चल रहा है। क्या निधन–सम्बन्धी उल्लेख में इतना समय लगता है।

अध्यक्ष महोदय : परम्परा यही रही है कि जब तक किसी सदस्य की मृत्यु की अभिपुष्टि नहीं हो जाती तब तक हम ऐसा नहीं करते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उनकी मृत्यु की अभिपुष्टि होने में तीन–चार महीने लग गये हैं ? मुझे यह बात समझ नहीं आई।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : अध्यक्ष महोदय, हमने श्री रहीम की मृत्यु की सूचना महासचिव महोदय को एक माह पूर्व दी थी।

अध्यक्ष महोदय : हम अपने पूर्व सहयोगियों का किसी प्रकार अनादर

नहीं करना चाहते। लेकिन कई बार जब इस प्रकार के मामलों में हम जल्दी करते हैं, तो गलती हो जाती है। अतः, हम इसके बारे में थोड़ी अधिक सावधानी रखते हैं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : हमें निःशक्त व्यक्ति विधेयक अवश्य पारित करना चाहिये। क्या यह विधेयक आज पारित किया जायेगा अथवा नहीं ? **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

राम नाईक (मुम्बई–उत्तर) : अध्यक्ष जी जिसके कारण सारी रुकावट आई है वह रुकावट दूर करने की दृष्टि से प्रधान मंत्री कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ? ...**(व्यवधान)** प्रधान मंत्री को यहां आकर कुछ कहना चाहिए। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, यह विधेयक सभा में विचाराधीन है। मैं आपके माध्यम से सभा से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक को आज ही पारित किया जाये आज का दिन इस सत्र का अंतिम दिन है। **(व्यवधान)**

11.13 म.पू.

इस समय, कुमारी ममता बनर्जी सभा पटल के निकट आकर खड़ी हुईं।...(व्यवधान)

11.14 म.पू.

इस समय, कुमारी ममता बनर्जी अपने स्थान पर वापस चली गईं। ...(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : हमने आज अखबारों में पढ़ा तो खुशी हुई कि कम से कम कुछ हो रहा है। कम से कम यह लोग समझ गये हैं कि कितने महत्वपूर्ण मामले हैं। ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महादेय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिये।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेश कुमार (गया) : अध्यक्ष महोदय, यह आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है, आप जे.पी.सी. बना दीजिए। ...**(व्यवधान)***

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये।

...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्यगण कुमारी ममता बनर्जी की भावनाओं का सम्मान करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबसे पहले, आप अपने स्थानों पर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : इस विधेयक को पारित करने के लिए सभा के संपूर्ण सभा सहमत है। ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह किसी एक सदस्य का ही विचार नहीं है। सारी सभा यही चाहती है। कल हम इस विधेयक को पारित करने के लिए सहमत थे; और आज वह सभा में शोर मचा रही हैं। वह जानती हैं कि इसके लिए सभी सहमत हो गये हैं।*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : हमें अपनी भावना व्यक्त करने के लिए क्या वैल में आना पड़ेगा?...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप पहले पूरा सुन तो लें।

[अनुवाद]

कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिये। क्या मैं आपको सारी बात बता सकता हूं ? इसके पश्चात् आप स्वयं फैसला कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया बैठ जाइये। आप यहां विद्यमान महिला सदस्या से शिष्टतापूर्वक बर्ताव करना चाहिए। कृपया पहले अपने स्थान ग्रहण कीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप मेरी बात सुने बगैर ही निष्कर्ष निकालेंगे तो आपसे गलितयां होने की संभावना है।

...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : इस सभा के सभी सदस्य इसके लिए चिंतित हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : इस प्रश्न का सम्बन्ध संपूर्ण सभा से है ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, आप पर भी टिप्पणियां की जायेंगी। कृपया बैठ जाइये।

अब, आपको यह मालूम होना चाहिये कि माननीय सदस्यगण उदारतापूर्वक इस विधेयक को पारित करने के लिए सहमत हो गये हैं। क्या आप इससे प्रसन्न हैं ? लेकिन साथ ही, मैं आपको बता सकता हूं कि जब से यह विधेयक पेश हुआ है, तभी से यह सदस्या यही कह रही हैं कि यह विधेयक पारित किया जाना चाहिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर सहमति हुई है कि 2 बजे यह विधेयक, कुछ अन्य विधेयक तथा अन्य कार्य लिया जायेगा। मैं यह अवश्य कहूंगा कि माननीय सदस्यों ने हमेशा ही सभी सत्रों में और हर समय...

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सहयोग दिया है। **...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी हां, सहयोग दिया है। पासवान जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मैं यह कहने जा रहा हूं कि पासवान जी बहुत ही सहयोग देते हैं। मैं यह बात ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बल्कि यह सच है।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : क्या कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो सहयोग नहीं कर रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आपको मेरी बात सुनना चाहिये। आप मुझसे टिप्पणी करवाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं ? मैं यही बात आपके लिए भी कहने जा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप किसी ऐसे सदस्य की प्रशंसा कर रहे हैं, जो सभा पटल के निकट आये थे।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, सोमनाथ जी। जब से यह विधेयक स्वीकृत हुआ है, तब से वह सदस्या इस बात पर जोर दे रही हैं और मैं यह बताने जा रहा हूं कि कल आप इस बात पर सहमत हो गये थे कि इसे पारित किया जाये। हमें अपने सहयोगियों के साथ उदारता से पेश आना चाहिये।

अब सभा स्थगित की जानी चाहिए। अब हम 2.00 म.प. पर समवेत होंगे और निर्धारित कार्य पूरा करेंगे। आपकी सहमति से ही यह निर्धारित होगा कि कौन से कार्य किये जायें। यह सभा पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है। सभी कार्य सहमति के आधार पर ही किये जा रहे हैं।

अब सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम की स्वीकृति हेतु लंबित परियोजनाएं

*361. **श्री रामनिहोर राय :**
डा. बसंत पवार :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम की कितनी परियोजनाएं, सरकार के पास स्वीकृति हेतु कब से लंबित हैं;

(ख) इन नई परियोजनाओं के लिए आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु भारतीय तेल निगम द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इन नई परियोजनाओं को संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) आई ओ सी की निम्नलिखित परियोजनाएं निवेश अनुमोदनों के लिए प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं :–

क्र. संख्या	परियोजना का नाम	किस तिथि से लंबित है
1	2	3
1.	गुजरात रिफाइनरी में 3.00 एम एम टी पी ए क्षमता वाली क्रूड आसवन इकाई की स्थापना और एफ पी यू/एफ सी सी यू की जीर्णोद्धार तथा कच्चे तेल की पाइपलाइन के सलाया–वीरमगाम–कोयाली भाग का आवर्धन।	10.2.92
2.	मथुरा रिफाइनरी में मौचिंग सेकन्ड्री संसाधन सुविधाएं	27.06.95
3.	हल्दिया और मथुरा में डीजल हाइड्रो–डीसल्फराइजेशन परियोजना	29.06.95
4.	पानीपत में डीजल हाइड्रो–डीसल्फराइजेशन परियोजना	18.08.95

1	2	3
5.	गुजरात में डीजल हाइड्रो–डीसल्फ्राइजेशन परियोजना	11.10.95
6.	हल्दिया से बरौनी तक कच्चे तेल की नई पाइपलाइन	17.03.94
7.	पानीपत रिफाइनरी का विस्तार और पानीपत रिफाइनरी को कच्चे तेल का परिवहन	05.10.95
8.	वाडीनार–कांडला उत्पाद पाइपलाइन	01.12.95

(ख) पूंजीगत व्यय के लिए धनराशि की आवश्यकता के मुख्य भाग को आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाएगा तथा शेष को बॉडों/जी डी आर/इक्विटी निर्गम और ऋणों से पूरा किया जाएगा।

(ग) और (घ) वर्तमान समय में यह परियोजनाएं आई ओ सी द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

विदेशी टेलीविजन चैनलों का दूरदर्शन पर प्रभाव

*362. **कुमारी उमा भारती** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन की लोकप्रियता और समाज पर, विशेषकर युवाओं पर जी.टी.वी., स्टार टी.वी., एम.टी.वी. और एल.टी.वी. जैसे विदेशी टेलीविजन चैनलों का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा दूरदर्शन को और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) हालांकि, विदेशी उपग्रह चैनलों के कार्यक्रमों से दूरदर्शन की लोकप्रियता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है तथापि, सामान्यतया समाज पर तथा विशेषकर युवकों पर पड़ने वाले इन कार्यक्रमों के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में कई क्षेत्रों में चिन्ता व्यक्त की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) टेलीविजन के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए नियुक्त एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

(घ) दूरदर्शन द्वारा अपने दर्शकों के व्यापक जन समूह की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और उनकी रुचि को बनाए रखने के लिए किए गए प्रमुख उपायों में 11 क्षेत्रीय भाषाओं में क्षेत्रीय भाषा उपग्रह सेवा, एक मूवी चैनल–मूवी क्लब, डी.डी.–3 चैनल की शुरूआत करना तथा डी.डी.–। एवं डी.डी.–2 चैनल दोनों के स्थलीय प्रसारण मे उत्तरोतर वृद्धि करना शामिल हैं।

कोयले का मूल्य

*363 **श्री नवल किशोर राय :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी) ने हाल ही में सभी ग्रेडों के कोयले के मूल्यों को पूर्णतः नियंत्रण मुक्त करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा कोयला क्षेत्र के बारे में की गई अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी.आई.सी.पी) से ऐसी कोई रिपोर्ट अथवा ऐसी सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

आतंकवादियों की गिरफ्तारी

*364 **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो महीनों में कश्मीर और अन्य पूर्वी क्षेत्रों नें राज्यवार कितने आतंकवादी पकड़े गये हैं;

(ख) गिरफ्तार आतंकवादियों में से कितने आतंकवादी पुलिस हिरासत से भाग निकले; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (एस.बी. चव्हाण) : (क) अक्तूबर और नवम्बर, 1995 के दौरान जम्मू और कश्मीर में 356 आतंकवादी पकड़े गए थे। पिछले 2 महीनों (11.10.95 से 13.12.1995 तक) के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की कुल संख्या 308 है। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

असम	65
मणिपुर	175
नागालैंड	52
त्रिपुरा	7
मेघालय	3
पश्चिम बंगला	6

(ख) 14.11.1995 को जम्मू और कश्मीर में, बारामुल्ला में जे.आई.सी. से 5 उग्रवादी बच कर भाग निकले थे। उनमें से दो को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया है।

(ग) बारामुल्ला में हुई घटना के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक (आपरेशन्स) बारामुल्ला और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक उप कमांडेंट द्वारा संयुक्त रूप से जांच भी शुरू की गयी है। इसी बीच, प्रारम्भिक जांच के आधार पर जे.आई.सी. बारामुल्ला के एस.एच.ओ. और गार्ड कमान्डर सहित चार व्यक्ति निलम्बित किए गए हैं। जिस ट्रक में उग्रवादी बचकर भाग निकले थे, उसके चालक को भी हिरासत में लिया गया है। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सतर्कता और सुरक्षा प्रबन्धों को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए गए हैं। बच कर भाग निकले शेष आतंकवादियों को पकड़ने के लिए भरसक कोशिश जारी है।

लम्बित परियोजनाएं

*365 **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वीकृत कोयला उत्पादन परियोजनाओं की संख्या क्या है जिन्हें वापस ले लिया गया अथवा जिन पर अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान स्वीकृत की गई कोल इंडिया लि. की 47 कोयला उत्पादन परियोजनाओं को निम्न कारणों से वापस ले लिया गया था/परियोजनाओं को शुरू नहीं किया गया था–जैसे भूमि अधिग्रहण तथा पुनर्वास की समस्याएं, प्रतिकूल भू–खनन संबंधी परिस्थितियां, कोयले की निकासी किए जाने संबंधी आधारभूत ढांचे की सुविधाओं की कमी होना, पर्यावरणीय तथा सुरक्षा संबंधी पहलू, निधियों की अनुपलब्धता और अलाभकारिता का होना।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अभी तक 16 परियोजनाओं का क्रियान्वयन संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।

कंप्यूटरों में देवनागरी लिपि का प्रयोग

*366 **श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा विभाग ने कम्प्यूटरों में देवनागरी लिपि के प्रयोग के संबंध में अध्ययन और कार्य शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) हिन्दी कम्प्यूटर कब तक आसानी से उपलब्ध हो जाने की संभावना है; और

(घ) इन्हें लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख) कम्प्यूटरों पर देवनागरी में शब्द/डाटा संसाधन सुविधा प्रदान करवाने के लिए राजभाषा विभाग सक्रिय रहा है। परिणामस्वरूप "जिस्ट" तकनीक तथा अन्य कई प्रकार के कम्प्यूटर साफ्टवेयर अब उपलब्ध हो चुके हैं। केन्द्रीय सरकार तथा उसके उपक्रमों आदि के कार्यालयों में इन सुविधाओं का प्रयोग भी बढ़ रहा है।

(ग) और (घ) इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा परिचालित भारतीय भाषाओं के तकनीकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निजी कम्प्यूटर पर हिन्दी वातावरण के विकास के लिए एक परियोजना शुरू की जा रही है। परियोजना की अवधि दो वर्ष है। अन्य सभी कार्रवाइयां परियोजना की सफलता पर निर्भर करेंगी।

[अनुवाद]

एक परिवार एक रोजगार योजना

*367. **श्री एन. डेनिस : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने "एक परिवार एक रोजगार योजना" लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस कार्यक्रम को शेष राज्यों में भी लागू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, हरियाणा और गोवा की सरकारों ने "एक परिवार एक रोजगार" नामक एक योजना शुरू की है। जून, 1992 में शुरू की गई हरियाणा योजना का उद्देश्य आठवीं योजना अवधि के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ऐसे पांच लाख व्यक्तियों के वास्ते रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और जो रोजगार

कार्यालयों में पंजीकृत हैं तथा जिनके परिवार में कोई सदस्य किसी प्रकार के रोजगार में नहीं हैं। गोवा में, रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को "एक परिवार में एक रोजगार" योजना के अन्तर्गत आवेदन और तैनाती में प्राथमिकता प्राप्त होती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारतीय प्रसारण सेवा का कार्य-निष्पादन

*368. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों के श्रोताओं/दर्शकों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय प्रसारण सेवा के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं जो उक्त संगठन से सीधे संबंध हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, सरकार भारतीय प्रसारण कार्यक्रम और इंजीनियरिंग सेवा के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण (विदेश प्रशिक्षण सहित), सेमिनारों और कार्यशालाओं के लिए सतत आधार पर कार्यवाही कर रही है जिससे कि उनके कार्य निष्पादन में सुधार हो सके।

[अनुवाद]

डाक सामग्री की कमी

*369. **श्री अन्ना जोशी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-टिकटों, पोस्टकार्डों और अंतर्देशीय पत्रों की आमतौर पर कमी रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उपर्युक्त प्रत्येक डाक सामग्री के उत्पादन तथा उनकी उत्पादन-लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अंतर्देशीय पत्र का आकार छोटा करने के लिए उसका नया डिजाइन तैयार किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) डाक-सामग्री का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जबकि डाक-टिकटों, पोस्ट-कार्डों और अंतर्देशीय पत्रों की सामान्यता कोई कमी नहीं है, फिर भी कुछ विशेष स्थानों में इनकी कमी ध्यान में आई है।

(ख) इन मदों की यदा-कदा कमी प्रतिभूति मुद्रणालयों द्वारा सप्लाई में विलम्ब अथवा सर्किल स्टैम्प डिपो और इन मदों का वितरण करने के कार्य से जुड़े अन्य कार्यालयों द्वारा वितरण में विलम्ब के कारण होती है।

(ग) 30 नवम्बर, 95 तक मुद्रित और सप्लाई की गई स्टेशनरी मदों का ब्यौरा, मदों की लागत और 30.11.95 को विभिन्न सर्किल स्टैम्प डिपो में डाक-टिकटों के स्टॉक की स्थिति क्रमशः संलग्न विवरण-I, II, और III में दी गई है।

(घ) और (ङ) अंतर्देशीय पत्र-कार्डों को नए सिरे से डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें सार्टिंग मशीनों द्वारा छांटे जाने के अनुरूप बनाया जा सके। ये सार्टिंग मशीनें बम्बई और मद्रास में कार्य कर रही हैं। इस समय, पुराने और नए दोनों डिजाइनों के अंतर्देशीय पत्र-कार्ड सरकुलेशन में हैं।

(च) डाक लेखन सामग्री के उत्पादन में वृद्धि के लिए दो प्राइवेट सिक्यूरिटी प्रिंटर्स के कंट्रैक्ट किया गया है।

विवरण-I

डाक लेखन-सामग्री मदों के लिए उत्पादन लक्ष्य 1995-96 और 30.11.1995 तक वास्तविक आपूर्ति

(संख्या करोड़ में)

	आईएसपी		एसपीपी		एमएसपी		सीएसपी		कुल	
	लक्ष्य 1995-96	31.11.95 तक आपूर्ति	लक्ष्य 1995-96	30.11.95 तक आपूर्ति	लक्ष्य 1995-96	30.11.95 तक आपूर्ति	लक्ष्य 1995-96	30.11.95 तक आपूर्ति	लक्ष्य 1995-96	30.11.95 तक आपूर्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पोस्टकार्ड	55.40	31.52	37.90	20.30	27.75	6.41	25.25	3.73	146.31	61.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अंतर्देशीय पत्र कार्ड	44.91	19.74	35.81	18.22	32.97	9.45	21.56	8.70	135.25	56.11
लिफाफे	19.49	12.37	9.41	5.81	6.80	1.18	11.04	4.06	46.74	23.42
एरोग्राम	3.60	1.94			2.02	0.05	0.30	0.0016	5.92	1.99
रजिस्ट्री लिफाफे	0.89	0.97			0.32	0.04	0.84	0.18	2.05	1.19

संकेत सूची

आईएसपी भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक

एसपीपी सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद

एमएसपी मद्रास प्रतिभूति मुद्रणालय, मद्रास

सीएसपी : कलकत्ता प्रातिभूति मुद्रणालय, कानपुर

विवरण-II

सप्लाई की गई डाक लेखन-सामग्री की दरों को दर्शाने वाला विवरण

प्रति हजार

मुद्रणालय/दर निर्धारण वर्ष	एकल पोस्टकार्ड		अंतर्देशीय पत्र कार्ड	लिफाफे	एरोग्राम	रजिस्ट्री लिफाफे
1	2	3	4	5	6	7
*आईएसपी/90–91	141.00	–	235	206	439	910.00
*एसपीपी/91–92	130.20	–	135.50	167.00	–	–
एमएसपी/94–95	179.00	–	341.00	373.00	440.00	846.00
सीएसपी/94–95	178.50	–	342.00	375.00	442.00	851.00

*वर्ष 1990–91 के बाद के वर्षों के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रणालय और 1991–92 के बाद के वर्षों के लिए सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद की फाइनल दरें वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके संशोधनाधीन हैं।

संकेत सूची :

आईएसपी भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक

एसपीपी प्रतिभूति प्रिंटिंग प्रैस, हैदराबाद

एमएसपी मद्रास प्रतिभूति मुद्रणालय

सीएसपी कलकत्ता प्रतिभूति मुद्रणालय

एसपीसी एकल पोस्टकार्ड

आरपीसी जवाबी पोस्टकार्ड

आईएलसी अंतर्देशीय पत्र कार्ड

विवरण-III

एम. आर = मासिक अ.वश्यकता

एस एच = स्टॉक में उपलब्ध

(संख्या लाख शीट में)

30.11.95 तक डाक-टिकटों के स्टॉक की स्थिति

क्र. सं.	केन्द्रीय डाक-टिकट डिपो का नाम	10 पैसे		15 पैसे		20 पैसे		25 पैसे		30 पैसे		35 पैसे	
		एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच
1.	जम्मू	0.2	.01	.05	–	.06	–	.03	.03	–	.07	–	.08
2.	लुधियाना	5	–	10	32	–	–	–	–	6	1.8	–	–
3.	दिल्ली	.02	.48	.07	.02	–	–	–	–	.03	1.47	–	–
4.	जयपुर	.02	7.60	.10	.52	.001	.11	–	–	–	–	–	–
5.	कानपुर	4.5	271.4	7	51	2	68	–	–	2	.68	5	60
6.	लखनऊ	.01	2.2	.15	1.7	–	–	–	–	–	–	–	—
7.	अहमदाबाद	.05	.61	.22	.13	–	–	.05	–	–	–	.006	.72
8.	भोपाल	.01	.51	.08	1.57	–	.17	–	–	–	–	–	.22
9.	बम्बई	.02	5.87	.09	1.44	.028	–	–	–	01		.02	1.20
10.	नासिक	.01	1.8	.08	.34	.01	.26	.026	.5	.018	–	.002	2.1
11.	पटना	.16	1.54	.15	.55	.05	.14	.1	.002	.08	.83	.001	1.34
12.	भुवनेश्वर	.014	.67	.04	.21	–	–	–	–	–	–	–	–
13.	कलकत्ता	.04	.88	.042	.13	.042	.23	.13	2.14	.088	.75	–	.07
14.	गुवाहाटी	0.004	0.81	0.01	0.26	0.004	0.89	0.006	2.07	0.004	2.31	–	0.31
15.	हैदराबाद	0.04	0.41	0.05	0.41	0.04	0.33	0.08	2.33	0.12	0.31	0.006	0.33
16.	मद्रास	–	0.40	–	0.27	–	–	–	0.15	–	0.66	–	0.40
17.	तिरूचिरापल्ली	0.06	1.10	0.06	0.41	–	–	0.10	0.002	0.14	–	–	0.06
18.	बेंगलूर	0.10	0.49	0.20	–	–	–	–	–	–	–	–	—
19.	एर्नाकुलम	0.02	0.76	0.10	0.91	0.04	0.48	0.10	0.002	0.03	–	0.03	1.26

20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 35 पैसे की डाक टिकटों की छपाई रोक दी गई है।

एम आर = मासिक आवश्यकता

एस एच = स्टॉक में उपलब्ध

30.11.95 तक डाक-टिकटों के स्टॉक की स्थिति

(संख्या लाख शीट में)

क्र. सं.	केन्द्रीय डाक-टिकट डिपो का नाम	40 पैसे		50 पैसे		60 पैसे		75 पैसे		100 पैसे		200 पैसे	
		एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	जम्मू	–	.24	.01	.07	–	.006	–	.03	.05	.42	.02	.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	लुधियाना	–	–	2	18.8	–	–	6	–	100	46.2	30	6
3.	दिल्ली	–	.15	.30	.11	–	.08	.02	.70	1.70	.55	.21	.58
4.	जयपुर	–	–.09	.09	–	–	–	.04	.90	.60	1.14	.091	1.0
5.	कानपुर	1	78	22	–	–	–	1	35	80	.20	17.5	.09
6.	लखनऊ	–	.03	.30	1.4	–	–	–	.01	.80	.53	.30	1.34
7.	अहमदाबाद	.04	1.1	.17	.40	–	–	.02	.01	.84	52	.18	.018
8.	भोपाल	–	.06	.08	.8	–	–	–	.43	.67	.5	.16	.4
9.	बम्बई	–	–	1.36	–	0.3	.12	.01	–	1.27	2.46	.49	.72
10.	नासिक	.0002	0.1	.06	.72	.03	–	.0002	.3	.58	.52	.14	.37
11.	पटना	.27	.08	.40	.08	.2	.003	.30	1.29	.1	.03	.2	1.00
12.	भुवनेश्वर	–	–	10	.34	–	–	.02	.14	.2	2.18	.07	.28
13.	कलकत्ता	.014	.19	.16	1.32	–	–	–	.14	.83	1.84	.66	2.43
14.	गुवाहाटी	–	0.24	0.05	0.38	.002	1.31	–	.65	.19	.89	.05	.20
15.	हैदराबाद	.004	.1	.12	3.45	–	–	.02	.70	.91	1.16	.23	7.32
16.	मद्रास	–	.16	.00675	.60	.01	.69	–	–	.22	2.15	.06	1.47
17.	तिरूचिरापल्ली	–	.01	.06	.51	.14	–	.07	.07	.60	1.51	.22	2.76
18.	बेंगलूर	–	–	.10	1.49	–	–	.05	.71	1.50	.68	.30	.546
19.	एर्नाकुलम्	.05	1.87	.05	.93	–	–	.10	.06	.10	.61	.50	.51

40 पैसे और 60 पैसे की डाक–टिकटों की छपाई रोक दी गई है।

एम आर = मासिक आवश्यकता
एस एच = स्टॉक में उपलब्ध

30.11.95 तक डाक–टिकटों के स्टॉक की स्थिति (संख्या लाख शीट में)

क्र. सं.	केन्द्रीय डाक–टिकट डिपो का नाम	500 पैसे		1000 पैसे		2000 पैसे		5000 पैसे	
		एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच	एमआर	एसएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	जम्मू	.03	.19	.01	.04	–	–	.001	.008
2.	लुधियाना	3	.51	.07	.47	.02	.04	.001	.1
3.	दिल्ली	.15	.50	.05	.12	.005	.02	.005	.005
4.	जयपुर	.15	.60	.28	.2	–	.12	–	.008
5.	कानपुर	2.0	8.4	1.50	4.2	.50	.70	.20	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	लखनऊ	1.30	2.03	.04	.67	.02	.3	.004	.36
7.	अहमदाबाद	.14	.36	.03	.16	.006	.13	.002	.04
8.	भोपाल	.16	.48	.01	.26	.001	.1	.0006	.01
9.	बंबई	.31	1.88	.18	.81	.052	1.82	.018	.02
10.	नासिक	.11	.31	.02	.2	–	.11	–	.05
11.	पटना	.18	.30	.02	.17	.01	.008	.001	.02
12.	भुवनेश्वर	.06	.59	.02	.28	.01	.29	.0002	.09
13.	कलकत्ता	.33	1.03	.18	.58	.016	.25	.008	.07
14.	गुवाहाटी	0.05	0.20	0.01	0.01	0.018	0.005	0.11	0.005
15.	हैदराबाद	0.20	7.45	0.06	0.22	0.008	0.28	0.002	0.03
16.	मद्रास	0.02	0.57	0.0035	0.45	–	–	–	–
17.	तिरूचिरापल्ली	0.13	0.30	0.04	0.06	0.0024	0.00876	0.00070	0.01
18.	बेंगलूर	0.25	1.18	0.10	0.47	0.02	0.34	0.02	0.11
19.	एर्नाकुलम	0.50	4.01	0.20	1.55	0.01	0.60	0.01	0.16

तेल और प्राकृतिक गैस निगम का ड्रिलिंग कार्यक्रम

*370. **श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का चालू वर्ष के दौरान बड़े पैमाने पर तेल की खोज शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने 6,000 करोड़ रुपये के तेल खोज कार्यक्रम के एक भाग के रूप में बाम्बे हाई के चार गहरे कुंओं की ड्रिलिंग करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा आरम्भ किए गए उक्त कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां। चालू वर्ष के दौरान ओ एन जी सी की 93019 स्टैण्डर्ड लाइन किलोमीटर के बराबर भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन करने तथा 238 अन्वेषी कूपों का वेधन करने की योजना है।

(ख) और (ग) ओ एन जी सी ने चालू योजना अवधि के दौरान अन्वेषी वेधन के संबंध में 1000 मीटर से कम जल गहराई वाले प्रौद्योगिकीय रूप से परीक्षणीय गहरे जल क्षेत्रों में चार स्थानों की पहचान की है। यह स्थान/संभावना वाले क्षेत्र कच्छ, केरल–कोंकण, कावेरी तथा कृष्णा–गोदावरी बेसिनों के गहरे जल क्षेत्रों में फैले हैं।

विशेष रोजगार योजना

*371. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 10,000 लोगों को रोजगार प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य–वार/संघ राज्य–वार किन–किन जिलों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के अंतर्गत भूकम्प प्रभावित और बाढ़ प्रभावित जिलों को भी लगाया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के विशेष रोजगार कार्यक्रम के तहत 70 जिलों में 10,000 रोज़गार के अवसर प्रति जिले के हिसाब से सृजित करने का प्रस्ताव है।

(ख) अभिनिर्धारित जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस कार्यक्रम की परिकल्पना बाढ़ अथवा भूकम्प सहायता उपायों के रूप में नहीं, बल्कि देश के चुनिन्दा पिछड़े जिलों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इन जिलों के चयन के प्रमुख मानदण्ड ये हैं : (i) उपयुक्त कार्यान्वयन एजेन्सी का अस्तित्व, जिसका कार्यक्रम के कार्यान्वयन में रिकार्ड तथा अनुभव काफी अच्छा रहा हो, (ii) विस्तार के लिए गुंजाइश तथा उद्योगों के तहत उत्पादों की मांग सम्भाव्यता; (iii) आय के स्तर की स्वीकार्यता जो के.वी.आई. कार्यकलापों द्वारा सुनिश्चित होगी; और (iv) जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी.आर.डी.ए.) तथा बैंकों से सहयोग की संभावना और जिले में के.वी.आई. उद्योगों को आरंभ करने की आवश्यकता।

(ङ) के.वी.आई.सी., राज्य सरकारों, के.वी.आई.सी. के पास सीधे ही पंजीकृत रजिस्टर्ड सोसाइटियों, सहकारिताओं और खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्डों (के.वी.आई.बी.) के पास पंजीकृत सोसाइटियों तथा गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि की सहायता से इन जिलों में विशेष रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। लाभभोगियों तथा कार्यान्वयन कर रही सहकारी समितियों/गैर–सरकारी संगठनों का अभिनिर्धारण और चयन जिला स्तर पर परियोजना मानिटरिंग समिति द्वारा किया जाएगा। आई.आर.डी.पी. लाभभोगियों को वरीयता दी जाएगी। कार्यक्रम में 1,000 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है, जिसमें से एक तिहाई बजटीय सहायता के रूप में होगा और इसे तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा।

विवरण

खादी तथा ग्रामोद्योगों के लिए विषेश रोजगार कार्यक्रम के तहत कवरैज हेतु 70 चुनिन्दा जिलों की सूची

I. आन्ध्र प्रदेश

1. कुरनूल
2. अदिलाबाद
3. मेहबूब नगर
4. फ्राकसाम
5. करीम नगर
6. पूर्वी गोदावरी
7. श्रीकाकुलम

II. अरुणाचल प्रदेश

8. चांगलांग

III. असम

9. मोरीगांव
10. लखीमपुर

IV. बिहार

11. सहरसा
12. गोड्डा
13. मधुबनी
14. गया

V. गुजरात

15. बनासकंग
16. पंचमहल
17. कच्छ

VI. हिमाचल प्रदेश

18. चम्बा
19. कुल्लु तथा मण्डी

VII. हरियाणा

20. रेवाड़ी–अम्बाला

VIII. जम्मू व कश्मीर

21. अनन्तनाग
22. जम्मू

IX. कर्नाटक

23. कोलार
24. रायचुर
25. धारवाद
26. चित्रादुर्ग

X. केरल

27. एलेप्पी
28. पत्तनमतिट्टा
29 त्रूशूर
30. कोजीकोड

XI. मध्य प्रदेश

31. सेरगुजा
32. भिण्ड
33. गुना
34. रायपुर
35. झबुआ
36. बेटल

XII. महाराष्ट्र

37. चन्द्रपुर
38. यवतमल
39. बीड
40. नानडेड

XIII. मणिपुर

41. इम्फाल

XIV. मेघालय

42. पूर्वी गारो हिल्स, पश्चिम गारो हिल्स तथा दक्षिण गारो हिल्स

XV. मिजोरम

43. लंगेय तथा ऐजवाल

XVI. नागालैंड

44. दिमापुर तथा कोहिमा

XVII. उड़ीसा

45. कालाहंडी
46. फुलबानी–कोरापुट
47. धानकनाल–केन्द्रापाडा

XVIII. पंजाब

48. होशियारपुर

XIX. राजस्थान

49. दौंसा
50. टौंक
51. उदयपुर
52. जयपुर

XX. त्रिपुरा

53. त्रिपुरा (पश्चिम)

XXI. तमिलनाडु

54. रामनाथपुरम
55. तिरूनेलवेली
56. धर्मपुरी
57. नॉर्थ ऑरकोट
58. साउथ ऑरकोट

XXII. उत्तर प्रदेश

59. मऊ
60. अल्मोड़ा व पिथौरागढ़
61. चमौली व उत्तरकाशी
62. मथुरा
63. शाहजहांपुर
64. झांसी
65. जौनपुर

XXIII. पश्चिम बंगाल

66. बीरभूम
67. नार्थ 24 परगाना तथा साउथ 24 परगाना
68. मालडा
69. नारिया

XXIV. सिक्किम

70. सिक्किम

आकाशवाणी केन्द्रों का आधुनिकीकरण

*372. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की देश में आकाशवाणी केन्द्रों के आधुनिकीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ अब तक राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इन केन्द्रों का पूर्ण आधुनिकीकरण कब तक कर लिये जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संलग्न विवरण में दर्शाए अनुसार।

(घ) आधारभूत सुविधाओं/संसाधनों की उपलब्धता तथा पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए 31 मार्च, 1997 तक इन स्कीमों के आधुनिकीकरण का कार्य पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्कीमों की संख्या	आठवीं योजना का परिव्यय (लाख रुपयों में)
1	2	3
आंध्र प्रदेश	4*	584.25

1	2	3
अरूणाचल प्रदेश	6*	61.56
असम	3*	291.35
बिहार	3*	1013.10
गोवा	2*	90.20
गुजरात	1	298.68
हिमाचल प्रदेश	1*	38.90
जम्मू और कश्मीर	2*	110.19
कर्नाटक	2*	410.49
केरल	5*	1193.64
मध्य प्रदेश	5*	707.38
महाराष्ट्र	7*	878.12
मेघालय	1*	5.82
नागालैंड	1	373.03
मिजोरम	1	193.65
उड़ीसा	2*	411.13
पंजाब	1	401.65
राजस्थान	4*	474.72
सिक्किम	1	60.01
तमिलनाडु	7*	1063.94
त्रिपुरा	1*	147.18
उत्तर प्रदेश	9*	4483.88
पश्चिम बंगाल	6*	1204.32
चंडीगढ़	1*	111.15
दिल्ली	6	10283.82
पांडिचेरी	1	305.85

*इन स्कीमों में वे स्कीमें भी शामिल हैं जिनको पहले शुरू किया जा चुका है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवायें

*373. **श्री जनार्दन मिश्र :**
श्री शिवशरण वर्मा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं के उपभोक्ताओं के लिए हाल ही में रियायतों संबंधी पैकेज की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या औचित्य है;

(ग) क्या इसी प्रकार की रियायतें शहरी क्षेत्रों के टेलीफोन उपभोक्ताओं को भी उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) रियायतें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित निवेश वहां से मिलने वाले राजस्व से काफी अधिक है, तथापि, विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के अलावा, ग्रामीण जनता को दूरसंचार सुविधाओं का लाभ पहुंचाने तथा उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में टैरिफ कम रखा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वित्तीय दबाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के समान रियायतें नगरीय उपभोक्ताओं को नहीं दी जा सकती हैं।

विवरण

1. 22 नवम्बर, 1995 को घोषित ग्रामीण दूरसंचार पैकेज के घटक इस प्रकार हैं :–

(क) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क कॉलें, प्रति बिल चक्र (बिलिंग साइकिल) 150 से बढ़ाकर 250 करना।

(ख) 10,000 लाइनों तक को एक्सचेंज प्रणालियों से सेवित ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, पंजीकरण शुल्क 2000 रु. से घटाकर 1000 रु. करना।

(ग) सभी ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए टेलीफोन किराया घटाकर 100 रु. करना।

(घ) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए इस समय संस्थापना प्रभारों के बतौर निर्धारित 300 रु. की राशि को, 31.3.98 तक जारी रखा जाएगा।

(ङ) ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए, निःशुल्क कॉल सीमा के बाद, पहली 200 स्थानीय, एस टी डी और आई एस डी के कॉल प्रभारों में 25% तक की कमी।

(च) पंचायत पी सी ओ फ्रेंचाइजियों को सकल कारोबार पर संदेय कमीशन को 20% से बढ़ाकर 50% करना, जिसमें डाक विभाग द्वारा चलाई गई पंचायत संचार सेवा योजना के फ्रेंचाइजियों को प्रदान किए जाने वाले टेलीफोन भी शामिल हैं।

(छ) **एस टी डी /आई एस डी/पी सी ओ फ्रेंचाइजियों को कमीशन :**

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में सकल कारोबार पर कमीशन में प्रति माह 25% तक वृद्धि।

(ii) मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों/आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के गैर–ग्रामीण क्षेत्रों में, पी सी ओ फ्रेंचाइजियों के कमीशन में, प्रतिमाह 50,000 रु. तक के सकल कारोबार पर 20% तक और इसके बाद में 15% तक वृद्धि।

(iii) देश के शेष भाग में एस टी डी पी सी ओ फ्रेंचाइजियों को प्रति माह कमीशन सकल कारोबार पर निम्नलिखित दर पर, दिया जाएगा। 20,000 रु. तक 16%, 20,000 रु. और 50,000 रु. के बीच 15% और 50,000 रु. से अधिक 12% ।

(ज) नीचे दी गई तीन शर्तों में से एक शर्त पूरी होने पर, देश के ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों में 30 किमी. तक और अन्य क्षेत्रों में 20 किमी. तक ग्रुप डायलिंग सुविधा प्रदान करना :–

(i) जिस एक्सचेंज से काल की जाए और जिस एक्सचेंज को काल की जाए, दोनों एक ही कम दूरी प्रभारण (एस डी सी ए) में स्थित हों,

(ii) जिस एक्सचेंज से काल की जाए और जिस एक्सचेंज को काल की जाए, दोनों एक ही कम दूरी प्रभारण क्षेत्र के अंतर्गत न आते हों, तो सदृश कम दूरी–प्रभारण क्षेत्र, यथास्थिति, एक दूसरे से 30/20 किमी. की दूरी पर स्थित हों।

(iii) जिस एक्सचेंज से काल की जाए और जिस एक्सचेंज को काल की जाए, दोनों समीपवर्ती कम–दूरी–प्रभारण–क्षेत्रों में स्थित होने पर भी, उनकी सीमा एक ही हो।

2. रियायती दरें 1.1.1996 से लागू होंगी। इस पैकेज का वित्तीय प्रभाव प्रति वर्ष लगभग 200 करोड़ रु. होगा।

महान विभूतियों के जीवन पर आधारित धारावाहिक

*374. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री सत्यदेव सिंह :

क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश के युवाओं का मार्गदर्शन करने वाले महान विभूतियों के जीवन और कृत्यों पर आधारित धारावाहिकों का प्रसारण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे धारावाहिकों का प्रसारण कब से आरंभ किए जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) से (ग) दूरदर्शन कई वर्षों से ऐसे धारावाहिकों का प्रसारण करता आ रहा है और भविष्य में भी ऐसे धारावाहिकों को प्रसारित करता रहेगा। कुछ धारावाहिकों के नाम डा.बी.आर. अम्बेडकर, सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, मिर्जा गालिब, दि ग्रेट मराठा (पहले ही प्रसारित), झांसी की रानी, अकबर दी ग्रेट (प्रसारित किया जा रहा है), आचार्य बिनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक, राजीव गांधी (निर्माणाधीन) इस प्रकार हैं।

अनुसंधान और विकास कार्य

*375. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री वृशिण पटेल :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए कोई धनराशि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आबंटित वार्षिक धनराशि कितनी–कितनी है;

(ग) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में इस राशि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में भावी योजनाएं क्या हैं;

(ङ) इस निगम के कुल कारोबार की तुलना में इस प्रयोजनार्थ निर्धारित राशि की प्रतिशतता क्या है; और

(च) इस प्रयोजन हेतु निर्धारित धन राशि में वृद्धि करने के लिए निगम द्वारा क्या योजना तैयार की गई है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित धनराशि की मात्रा निम्नानुसार है :–

1992–93	–	15.80 करोड़ रुपए
1993–94	–	18.59 करोड़ रुपए
1994–95	–	15.26 करोड़ रुपए

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने वर्ष 1995–96 से 1999–2000 के दौरान अपनी अनुसंधान और विकास गतिविधियों पर 338.40 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है।

(ङ) अनुसंधान और विकास के लिए धनराशि का आबंटन कारपोरेशन के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में न करके आरम्भ की जाने वाली योजनाओं के आधार पर किया जाता है।

(च) आई.ओ.सी. ने अनुसंधान और विकास केन्द्र ने शोधन क्षेत्र और स्नेहक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई सुविधाओं की स्थापना के लिए योजनाएं बनाई हैं, ताकि अनुसंधान और विकास प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके।

[अनुवाद]

जल भंडारण क्षमता

*376. **श्री अमर पाल सिंह :**
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल संरक्षण हेतु अतिरिक्त जल भंडारण क्षमता सृजित करने के कार्य पर प्रतिवर्ष औसतन कितनी धनराशि खर्च की जा रही है;

(ख) देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में और इस समय जल भंडारण क्षमता कितनी है; और

(ग) इस दिशा में भारी निवेश के बावजूद देश में कम जल भंडारण क्षमता के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) वर्ष 1951–52 में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारंभ से बृहद और मझौली सिंचाई परियोजनाओं पर भंडारण बनाने की लागत सहित वर्ष 1993–94 तक 38296.73 करोड़ रुपए व्यय हुए। योजना पूर्व अवधि में देश में कुल सक्रिय भंडारण क्षमता 13.70 घन कि.मी. है। पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ष 1989 तक लगभग 166 घन कि.मी. की कुल सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित की गई थी। 77 घन कि.मी. की अतिरिक्त सक्रिय भंडारण क्षमता सृजित करने के लिए बांध पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। इसके अलावा, विचाराधीन वृहद और मध्यम योजनाओं के जरिए लगभग 130 घन कि.मी. भंडारण बढ़ाए जाने की संभावना है।

भंडारण जलाशयों का निर्माण बहुत जटिल क्रिया है जो स्थलाकृतिक, भौगोलिक और अन्य पर्यावरणी विशिष्टताओं से निर्धारित होती है। इसलिए इनकी तैयारी (जेस्टेशन) की अवधि सापेक्षतः लंबी होती है और ये पूंजी प्रधान हैं। इसके अलावा, अंतर्राज्यीय मुद्दों, पर्यावरणी मुद्दों, पुनर्स्थापना और पुनर्वास मुद्दों आदि जैसे विभिन्न कारणों से इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। इन सब कारणों से देश में जल भंडारण क्षमता कम है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

*377. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम ने ऋण वितरण हेतु क्या प्रणाली निर्धारित की है;

(ख) इस निगम के गठन के पश्चात् उक्त प्रणाली के अन्तर्गत कितनी परियोजनाओं हेतु ऋण दिया गया है;

(ग) क्या उक्त प्रणाली से हटकर भी ऋण प्रदान किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम गरीबी की रेखा से दोगुना नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मुख्यतः चार प्रकार के ऋण, अर्थात् बीज पूंजी सहायता, आवधि ऋण, चलती पूंजी ऋण और ब्रिज ऋण, प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह कौशल उद्यमी विकास कार्यक्रमों के लिए भी अनुदान प्रदान करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा ऋण संवितरण करने के लिए निर्धारित पद्धति के सम्बन्ध में एक विवरण, विवरण–I के रूप में संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम फरवरी, 1989 में अपनी स्थापना से नवम्बर, 1995 तक 334.31 करोड़ रुपए के अपने हिस्से सहित 637.66 करोड़ रुपए की कुल लागत की 867 योजनाओं को सहायता दी है। ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम चार मामलों में निर्धारित पैटर्न से हटा है। इन मामलों के ब्यौरे, जहां वे विचलन हुए और इस विचलन के कारणों सहित विवरण–III के रूप में संलग्न हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा विभिन्न प्रकार के ऋणों के संवितरण के लिए निर्धारित सहायता पैटर्न निम्नानुसार है :–

1. **बीज पूंजी सहायता :** बीज पूंजी सहायता उन उद्यमियों को दी जाती है जो अपने इक्विटी के शेयर या इक्विटी में असमानता को पूरा नहीं कर पाते हैं। इक्विटी के 80 प्रतिशत तक या 30 लाख रु. जो भी न्यूनतम हो, प्रतिशत प्रतिवर्ष सेवा प्रभार के साथ सहायता दी जाती है। उपयुक्त गोरोटोरियम के साथ प्रथम संवितरण की तिथि से राशि वापस करने की अवधि सात वर्ष है। इस अवधि की समाप्ति के बाद भुगतान न किया गया भाग 3 वर्षों में भुगतान योग्य दीर्घावधि ऋण में बदल दिया जाता है। बीज पूंजी सहायता के लिए विचार की गई परियोजनाएं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित

जनजाति वित्त एवं विकास निगम से कोई अन्य वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होगी।

2. **आवधिक ऋण** : केवल 30 लाख रुपए तक के लागत की परियोजनाओं के लिए आवधिक ऋण सहायता पर विचार किया जाता है। परियोजना लागत का अधिकतम 85 प्रतिशत तक आवधिक ऋण प्रदान किया जाता है। कुल परियोजना लागत पर निर्भर करते हुए प्रोमोटरों का अंशदान परियोजना लागत का 5 से 8 प्रतिशत तक है। ब्याज दर 6 से 8.5 प्रतिशत के बीच अलग–अलग रहती है। धनराशि वापस करने की अवधि 10 वर्ष है।

3. **चलती पूंजी ऋण** : 3 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं/यूनिटों के लिए समस्त चलती–पूंजी को परियोजना लागत के भाग के रूप में लिया जा सकता है। 3 लाख रुपए से अधिक तथा 30 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं/एककों के लिए अकेले चलती पूंजी मार्जिन को ही परियोजना लागत के भाग के रूप में समझा जाता है। चलती पूंजी ऋण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज आकर्षित करते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम 8 प्रतिशत प्राप्त करता है तथा राशि वापस करने की अवधि 3 वर्ष है।

4. **ब्रिज ऋण** : स्वीकृत निवेश को निवेश आर्थिक सहायता के प्रति या 30 लाख रुपए तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कोई अन्य मान्यता प्राप्त एजेन्सियों द्वारा किसी अन्य स्रोत से स्वीकृत निधियों के प्रति ऋण प्रदान किए जा सकते हैं लेकिन परियोजना की कार्यान्वयन अवधि के भीतर वितरण योग्य नहीं होते हैं।

विवरण-II

30.11.95 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार संचयी स्वीकृतियां और संवितरण के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	योजना संख्या	योजनाओं की लागत	एनएसएफडीसी का हिस्सा	लाभग्राहियों की संख्या			संवितरित धनराशि
					अनु.जा.	अ.ज.जा.	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	असम	52	1186.66	597.88	4094	665	4759	489.56
2.	आन्ध्र प्रदेश	20	9443.50	5013.01	76918	2692	79510	3321.91
3.	अरूणाचल प्रदेश	3	7.13	3.80	0	8	6	2.65
4.	अंडमान और निकोबार	1	23.21	13.45	0	18	18	0.00
5.	बिहार	24	2782.60	1644.53	5187	2065	7252	819.52
6.	चंडीगढ़	18	503.51	323.79	404	0	404	169.01
7.	दिल्ली	32	1969.79	1038.12	1470	30	1600	580.06
8.	गुजरात	36	2851.71	1699.78	3108	1005	4113	1159.11
9.	गोवा	21	106.22	62.92	68	0	68	30.60
10.	हरियाणा	12	1193.40	743.40	1210	0	1210.20	533.29
11.	हिमाचल प्रदेश	27	1132.33	624.82	471	187	658	557.56
12.	जम्मू एंड कश्मीर	14	793.05	489.30	492	118	610	318.80
13.	कर्नाटक	43	5089.40	1800.09	9786	2454	12250	1061.37
14.	केरल	33	2776.77	1564.28	3051	843	3894	1086.32
15.	मिजोरम	55	598.09	353.96	0	1202	1202	325.42
16.	मणिपुर	34	423.49	223.47	8	490	498	164.69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.	मध्य प्रदेश	42	6863.00	3354.54	7086	8302	15386	2853.23
18.	महाराष्ट्र	106	6197.41	3644.84	6540	1112	7652	2485.13
19.	मेघालय	3	21.01	11.91	0	25	25	0.00
20.	नागालैंड	74	567.61	274.57	1	691	692	236.60
21.	उड़ीसा	22	1903.50	1072.31	1907	2544	4451	256.80
22.	पंजाब	19	2905.31	1764.32	2504	0	2504	1293.31
23.	पांडेचेरी	9	77.95	49.92	114	0	114	29.36
24.	राजस्थान	58	1558.55	906.23	3325	362	3687	230.58
25.	त्रिपुरा	27	382.61	209.44	227	272	499	141.54
26.	तमिलनाडु	16	5256.42	1464.32	13203	0	13203	650.22
27.	उत्तर प्रदेश	14	4495.86	2771.27	17234	2290	195242	326.49
28.	पश्चिम बंगाल	52	2652.08	1610.61	4166	1137	5335	687.61
	कुल :	867	63766.17	33431.40	162608	28522	191128	21814.15

*योजनाओं के पूरा होने पर

**913.75 लाख रु. की राशि वापस कर दी गई है।

विवरण-III

सहायता की तत्कालीन वित्तीय पैटर्न के 4 मामलों के संबंध में विचलन हुए थे। मिजोरम में 2 मामलों में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने अपनी आवधिक ऋण सहायता 75% से अधिक प्रदान की। यह मुख्यत: इस कारण से हुआ कि मिजोरम की माध्यम एजेंसी खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड अपना अंशदान का हिस्सा लाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए मिजोरम के आदिवासियों के विकास के हित में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने अपना हिस्सा बढ़ा दिया है इस विचलन के कारण राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम का हिस्सा इन दो यूनिटों में बढ़कर 1.28 लाख रुपए की सीमा तक पहुंच गया है।

तमिलनाडु में 82.60 लाख रुपए की लागत के एक वस्त्र यूनिट के लिए, प्रोमोटर ने राज्य वित्त निगम तथा अन्य स्रोतों से 62.60 लाख रुपए सहबद्ध किए और परियोजना पूरी करने में 20 लाख रुपए की कमी थी। उन्होंने 15.00 लाख रुपए के आवधिक ऋण और 5.00 लाख रुपए की बीज पूंजी सहायता का अनुरोध किया। चूंकि प्रोमोटर गरीबी की रेखा आय–समूह के ऊपर लगता था, और परियोजना के लिए काफी धनराशि एकत्र कर ली गई थी, इसलिए उसे सहायता देने के लिए उसके अनुरोध पर विचार किया गया। तथापि, आवधिक ऋण भाग के लिए, प्रोत्साहक द्वारा प्रस्ताव पर सहमत होने के बाद 17% की ब्याज दर निर्धारित की गई।

चौथे मामले में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने 17.12.1992 को नागालैंड राज्य में नागालैंड औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से 126.04 लाख रुपए की कुल परियोजना लागत के लिए एक सहकारी समिति को वाणिज्यिक परिसर के निर्माण में अपने 24 लाख रुपए के हिस्से की सहायता की। इस समिति में 25 आदिवासी सदस्य हैं जिनमें से दो सदस्य दोगुना गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जिन्होंने लगभग 93.04 लाख रुपए का अंशदान किया था। यह, परिसर निधियों के अभाव में पूरा नहीं किया जा सका और इसलिए इस निगम ने प्रस्ताव पर सहायता दी क्योंकि गरीबी की रेखा से दोगुना आय से नीचे वाले 23 अन्य सदस्य, गरीबी रेखा आय के दोगुना से ऊपर वाले दो सदस्यों द्वारा 93.04 लाख रुपए के अंशदान के अतिरिक्त, निगम द्वारा स्वीकृत किए गए 24 लाख रुपए का लाभ उठाएंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम ने आधारभूत लाभग्राहियों से 17% की दर से ब्याज लगाया।

[अनुवाद]

कच्चे तेल पर रायल्टी दर

*378. **श्री प्रबीन डेका : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

*(क) कच्चे तेल की रायल्टी की दर में पिछली बार कब संशोधन किया गया था;

(ख) क्या कुछ राज्य सरकारों ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की रायल्टी दर में वृद्धि की मांग की है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है; और

(ङ) इन मदों की रायल्टी दर निर्धारित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ङ) कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस पर रायल्टी, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियमावली, 1959 के प्रावधानों द्वारा शासित होती है।

2. 01.04.90 से 31.03.93 तक की अवधि के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी की दर फरवरी, 1993 में संशोधित करके 481 रुपये प्रति मीट्रिक टन कर दी गई थी।

3. चूंकि असम सहित राज्य सरकारें 01.04.93 से रायल्टी की दर में और वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध करती रही हैं इसलिए 528 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से "लेखागत" भुगतान कच्चे तेल पर रायल्टी की बढ़ी हुई दर के लिए इस शर्त पर किए जा रहे हैं कि रायल्टी की अंतिम रूप से निर्धारित दर की अधिसूचना और यथा समय कच्चे तेल के मूल्य के निर्धारण पर इनका समायोजन किया जाएगा। प्राकृतिक गैस पर रायल्टी का भुगतान कूप स्थल पर प्राकृतिक गैस के बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से किया जाता है।

4. तीन वर्षीय ब्लाक, 1993–96 के लिए कच्चे तेल पर रायल्टी की दर में संशोधन इस ब्लाक के लिए तेल उत्पादक कंपनियों के उत्पादन की वास्तविक भारित लागत आदि के लेखा परीक्षित आंकड़ों के उपलब्ध होने पर किया जाएगा।

सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए धनराशि

*379. **श्री बी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **योजना और कार्यक्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु संस्कृति विभाग को पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त धनराशि आवंटित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न स्मारकों आदि के संरक्षण हेतु विशेष धनराशि आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) योजना आयोग द्वारा योजना निधियों का आवंटन, प्रत्येक वर्ष संबंधित विभाग/मंत्रालय के साथ वार्षिक योजना के संबंध में चर्चा के समय, पिछले वर्ष की व्यय पद्धति, चालू वर्ष के दौरान प्रत्याशित व्यय के कार्यक्रम तथा समग्र संसाधन स्थिति इत्यादि के आधार पर किया जाता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए आवंटनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष 1992–93 के दौरान	–	7000.00 लाख रुपये
वर्ष 1993–94 के दौरान	–	9500.00 लाख रुपये
वर्ष 1994–95 के दौरान	–	11500.00 लाख रुपये

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस संबंध में कोई अलग प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, स्मारकों के पुरातत्वीय संरक्षण, परिरक्षण तथा अनुरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा एक नियमित स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। जिसके लिए विधियां प्रदान की जाती हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक सेवाओं के लिए धनराशि

*380. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादुल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजना का क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है।

(ग) क्या सरकार का इस उद्देश्य के लिए डाक बचत बैंक निधि का उपयोग करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) जी हां। अधिक कार्यकुशल और उत्तरदायी काउंटर सेवा के जरिए, ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई मूल्य वर्धित सेवाओं की शुरूआत करके तथा ग्रामीण इलाकों में मूलभूत डाक सेवाएं प्रदान करके उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने के उद्देश्य से डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण और विस्तार के कार्यक्रम वार्षिक योजनाओं के अधीन क्रियान्वित किए जा रहे हैं। आधुनिकीकरण के कार्यक्रम में जिन अन्य कार्यकलापों को शामिल किया गया है, वे हैं मेल प्रोसेसिंग, डाकघर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा और सामग्री प्रबंधन।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के प्रयोजन से, आठवीं योजना के

लिए विभाग के 325 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से आधुनिकीकरण के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए 132.53 करोड़ रुपये और डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए 23.65 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

सेवाओं के स्तर को उन्नत बनाने के लिए डाकघर बचत बैंक की धनराशि के अंश का उपयोग करने के प्रस्ताव के ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

एयर इंडिया का पुनर्गठन

*381. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का एयर इंडिया का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1994 के अमल में आ जाने से, दिनांक 1 मार्च, 1994 से एयर इंडिया का ढांचा बदल कर उसे एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बना दिया गया है। इसके फलस्वरूप एयर इंडिया पूंजी बाजार से धन जुटाने, अपनी सेवाओं का विस्तार करने और नए स्थलों के लिए सेवाएं शुरू करने में समर्थ हुई है। कम्पनी अपनी छवि और समयबद्ध-निष्पादन में सुधार लाने तथा अपने उत्पाद का स्तर बढ़ाने के लिए भी कदम उठा रही है।

निजी विमान कम्पनियों पर बकाया धनराशि

*382. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन निजी विमान कम्पनियों को देश के विभिन्न भागों में परिचालन हेतु लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) इन निजी विमान कम्पनियों से विमानपत्तनों का उपयोग करने हेतु कितनी धनराशि वसूल की जाती है;

(ग) इन निजी विमान कम्पनियों पर गत दो वर्षों से कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) निम्नलिखित छः निजी एयरलाइनों को देश में अनुसूचित हवाई सेवाएं प्रचालित करने की अनुमति दी गई है :-

(1) मैसर्स जेट एयरवेज (ए) प्रा.लि.

(2) मैसर्स मोदीलुफ्थ

(3) मैसर्स ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस

(4) मैसर्स अर्चना एयरवेज लि.

(5) मैसर्स एन.ई.पी.सी. एयरलाइंस

(6) मैसर्स दमानिया एयरवेज

इसके अतिरिक्त, हवाई टैक्सी प्रचालक गैर-अनुसूचित सेवाएं भी प्रचालित करता है :-

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित प्रभार वसूल कता है :-

(1) अवतरण, पार्किंग और आवास प्रभार

(2) मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार

(3) टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार

(4) हवाई अड्डा के भीतर (अनुरक्षण के लिए) इन एयरलाइनों को दिये गये स्थान के लिए पट्टा किराया।

(5) टर्मिनल भवन में काउंटर स्थान के लिए किराया। एक्स-रे सामान जांच प्रणाली इत्यादि के प्रयोग के लिए शुल्क।

(ग) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, निजी एयरलाइनों (हवाई टैक्सी प्रचालकों सहित) द्वारा 1138.03 लाख रुपए की राशि देय थी। 31.3.1994 को देय राशि 348.26 लाख रुपए थी।

(घ) बकाया राशियों को प्रतिभूति जमा में से, जहां उपलब्ध होती हो, समायोजित किया जाता है और जब देय राशि प्रतिभूति जमा की राशि से अधिक हो जाती है, देनदारी की बेबाकी के लिए संबंधित एयरलाइनों को अनुस्मारक और नोटिस भेजे जाते हैं। देय राशियों की उगाही के लिए, जहां कहीं आवश्यक होता है, कानूनी कार्रवाही भी की जाती है।

[अनुवाद]

कॉफी बोर्ड को घाटा

*383. **श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या कॉफी बोर्ड की भारी प्रशासनिक व्यय के कारण विशेषतः विगत तीन वर्षों से बहुत अधिक घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निर्यातोन्मुखी एकक

*384. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 और 1995–96 के दौरान शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों की स्थापना के लिए प्राप्त और मंजूर किये गये प्रस्तावों की संख्या कितनी है; और

(ख) ऐसे एककों की संख्या कितनी है जिन्हें अवसंरचनात्मक और अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) निर्यातोन्मुख एक्कों की स्थापना के लिए प्राप्त हुए और स्वीकृत किए गए प्रस्तावों की संख्या नीचे दी गई है :–

वर्ष	प्राप्त प्रस्तावों की कुल संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या
1994–95	776	564
1995–96 (अप्रैल–नवम्बर, 95)	583	482

(ख) यद्यपि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क विभाग नियमों के अनुसार निर्यातोन्मुख एककों को बन्धक की सुविधा दे रहा है, तथापि, ई.ओ.यू., योजना के अन्तर्गत, भारत सरकार का एकक–वार अवस्थापना के प्रावधान का इरादा नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय नौवहन ऋण और निवेश निगम में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की भागीदारी

*385. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** :
प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय नौवहन ऋण और निवेश निगम में भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की कितनी भागीदारी है;

(ख) क्या आई.सी.आई.सी.आई. ने एम.सी.आई.सी.आई. ने अपना भागीदारी 13.4% से बढ़ाकर अधिक करने की कोशिश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम लि. (आई सी आई सी आई) ने सूचित किया है कि भारतीय नौवहन ऋण एवं निवेश निगम (एस सी आई सी आई) में उसकी वर्तमान शेयरधारिता कम्पनी की चुकता पूंजी का 13.4% है।

(ख) और (ग) आई सी आई सी आई ने सूचित किया है कि एस सी आई सी आई द्वारा किए गए आंशिक परिवर्तनीय नोटों के हाल के अधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) में उसके अंशदान के परिणामस्वरूप, एस सी आई सी आई लि. में आई सी आई सी आई की शेयरधारिता वर्तमान में 13.4% से बढ़कर 15 मार्च, 1996 को (पहले परिवर्तन के बाद) 17% हो जाएगी और पुनः 15 दिसम्बर, 1996 को (दूसरे परिवर्तन के बाद) 20% हो जाएगी। आई सी आई सी आई ने आगे सूचित किया है कि एस सी आई सी आई लि. के अधिकार निर्गम (राइट्स इश्यू) में उसका अतिरिक्त आंशिक परिवर्तनीय नोटों का अंशदान आई सी आई सी आई के एस सी आई सी आई लि. का मुख्य प्रवर्तक होने, पूंजी बाजार की विद्यमान परिस्थितियों और एस सी आई सी आई लि. में आई सी आई सी आई के निवेश की दीर्घावधिक संभावनाओं के संबंध में उसके वाणिज्यिक विवेक जैसे पहलुओं पर आधारित था।

[हिन्दी]

ऋण-वसूली पद्धति

*386. **श्री छेदी पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऋण–वसूली पद्धति के सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्यों का बैंक–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 मार्च, 1995 को समाप्त हुये वर्ष के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सम्बन्ध में बैंकों के कार्य–निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनके कार्य–निष्पादन की समीक्षा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के पुनः पूंजीकरण के सन्दर्भ में इन बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत अपने "निष्पादन दायित्वों एवं वचनबद्धताओं", में स्वयं अपने लिए कुछ निष्पादन लक्ष्य निर्धारित किए हैं। अनुपयोज्य आस्तियों (एन पी ए) में कमी करना एक महत्वपूर्ण निष्पादन पैरामीटर है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1994–95 के दौरान, 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल अग्रिम राशियों की तुलना में अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत 25.8 प्रतिशत से गिरकर

20 प्रतिशत हो गया है। दिनांक 31.3.1994 तथा 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार, अनुपयोज्य आस्तियों के स्तरों की स्थिति तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी गई कुल अग्रिम राशियों की तुलना में उनका अनुपात संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) अनुपयोज्य आस्तियों के स्तर में कमी तथा अन्य निष्पादन पैरामीटर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तय किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा निष्पादन दायित्वों और वचनबद्धताओं के अनुपालन की आवधिक रूप से निगरानी करता है और पिछली बार ऐसी पुनरीक्षा अगस्त–सितम्बर, 1995 में की गई थी।

विवरण

अनिष्पादित अग्रिम और कुल अग्रिमों की तुलना में उनका प्रतिशत

करोड़ रुपये में

बैंक का नाम	वास्तविक लक्ष्य		
	31.3.94	31.3.95	31.3.95
1 2	3	4	5
1. इलाहाबाद बैंक	1025.03	845.00	1235.11
	(24.7%)	(10.2%)	(26.9%)
2. आंध्रा बैंक	373.54	357.00	377.65
	(16.7%)	(14%)	(14.3%)
*3. बैंक आफ बड़ौदा	1913.13	1800.00	2029.98
	(16.5%)	(13.5%)	(15.1%)
*4. बैंक आफ इंडिया	2428.00	2350.00	2317.00
	(28.7%)	(23.7%)	(22.2%)
5. बैंक आफ महाराष्ट्र	347.67	725.00	734.59
	(36.2%)	(27.4%)	(25.7%)
*6. केनरा बैंक	1542.55	1518.00	1382.00
	(17.5%)	(15%)	(12.1%)
7. सैंट्रल बैंक	2443.00	2153.00	2155.00
	(35.3%)	(27.6%)	(25%)
**8. कार्पोरेशन बैंक	104.00	94.00	101.16
	(7.3%)	(5.5%)	(4.9%)
9. देना बैंक	564.00	505.00	557.00
	(22.8%)	(18.1%)	(17.3%)
*10. इंडियन बैंक	1698.00	1498.00	1790.00
	(28%)	(23%)	(26%)
*11. इंडियन ओवरसीज बैंक	881.00	788.00	752.00
	(21.8%)	(15.2%)	(13.1%)
**12. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	221.00 (8%)	185.00 (6%)	146.00 (4.1%)
13. पंजाब नेशनल बैंक	1421.03	1450.00	2033.00
	(15%)	(13%)	(17%)
14. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	637.28	577228	619.50
	(31.6%)	(24.5%)	(22.1%)
*15. सिंडिकेट बैंक	1308.00	1108.00	1342.30
	(32.4%)	(25%)	(30.1%)
16. यूनियन बैंक	693.49	188.0	695.95
	(12.9%)	(7.5%)	(9.4)
17. यूनाइटेड बैंक	1152.00	977.00	1310.00
	(35.1%)	(28.8%)	(36.9%)
*18. यूको बैंक	1445.00	1145.00	1174.00
	(36.4%)	(27.6%)	(28%)
**19. विजया बैंक	532.88	330.00	316.00
	(26.9%)	(16.7%)	(13.2%)

*आंकड़े घरेलू कारोबार से संबंधित हैं ।

**ऋण घाटों के प्रावधानों को अग्रिमों के साथ–साथ एन पी ए एस से भी घटा दिया गया है।

[अनुवाद]

बैंक-बोर्डों में वित्तीय संस्थानों के नामित प्रतिनिधि

*387. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रबन्धन समितियों/निदेशक बोर्डों का विस्तार करने और इन बैंकों के बोर्डों में वित्तीय संस्थाओं के नामित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निदेशक मंडल

का गठन उन्हें नियंत्रित करने वाले संगत संविधियों के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में, 1994 में यथा संशोधित बैंककारी कम्पनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम, 1970 और 1980, में भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और किसी केन्द्रीय अधिनियम के द्वारा या के अन्तर्गत स्थापित या गठित या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित अन्य संस्था जो, केन्द्र सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित समादत्त शेयर पूंजी के 51 प्रतिशत से कम न रखती, हो में से दो निदेशकों से अनाधिक निदेशकों का नामांकन करने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में अधिक से अधिक व्यावसायिक व्यक्तियों को शामिल करके उनके निदेशक मंडलों के संघटन को व्यापक आधार प्रदान किया जाए।

समय–समय पर यथासंशोधित, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980, में निर्धारित मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रबन्ध समितियां गठित की जानी होती हैं। इस समय प्रबंध समिति में 7 निदेशक होते हैं, जिनमें से एक लोक वित्तीय संस्था का नामित व्यक्ति हो सकता है। ऐसा नामांकन बोर्ड द्वारा क्रमावर्तन के आधार पर किया जाना होता है।

[हिन्दी]

परिधान संबंधी कोटा नीति

*388. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री रवि राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिधान उद्योग के लिए हाल ही में किसी नई कोटा नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कोटा नीति कब से लागू किये जाने की संभावना है और इसे कितनी अवधि तक लागू रखे जाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार ने 1.1.1996 से 31.12.1998 की अवधि के लिए परिधानों के लिए निर्यात हकदारी नीति को पुनः तैयार करने का निर्णय लिया है ताकि इसको सुव्यवस्थित किया जा सके, इसे और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके तथा उद्योग के तकनीकी उन्नयन में नए निवेश को प्रोत्साहन दिया जा सके। वार्षिक स्तर को 80 : 20 के अनुपात में, पूर्व निष्पादन हकदारी पद्धति तथा पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) पद्धति में विभाजित किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ पद्धति, ऐसे निर्यातकों, को अपने एककों के आधुनिकीकरण के लिए 50 लाख रु. से अधिक निवेश करेंगे, के लिए एवं पृथक स्थान उपलब्ध होगा।

विदेशी ऋण

*389. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न परियोजनाओं के लिए वर्ष 1994–95 के दौरान विश्व बैंक/अन्य विदेशी एजेंसियों से प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ऋणों पर प्रतिवर्ष कुल कितना ब्याज दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने इन ऋणों की अदायगी के लिए कोई योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो इन ऋणों की अदायगी कब तक कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) वर्ष 1994–95 के दौरान विश्व बैंक/अन्य विदेशी एजेंसियों से प्राप्त किए गए सकल विदेशी ऋणों का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	दाता	सकल विदेशी ऋणों की प्राप्तियां (संशोधित अनुमान) (सरकारी खाते में)
बहुपक्षीय		
1.	आई.बी.आर.डी.	1639.44
2.	आई.डी.ए.	3427.97
3.	आई.एफ.ए.डी.	24.63
4.	ए.डी.बी.	1319.12
5.	ओ.पी.ई.सी.	7.83
	जोड़ :	6418.99
द्विपक्षीय		
7.	आस्ट्रेलिया	9.30
8.	बेल्जियम	1.45
9.	जर्मन संघीय गणराज्य	340.78
10.	फ्रांस	34.79
11.	जापान	2438.63
12.	कुवैती निधि	4.59
13.	साऊदी निधि	21.90
14.	स्वीडन	101.85
15.	स्विटजरलैंड	53.94
	जोड़ :	3007.23
	सकल जोड़ :	9426.22

(ख) सरकारी खाते में वर्ष 1995–96 (ब.अ.) के लिए अनुमानित ब्याज अदायगियां 4325 करोड़ रुपए हैं।

(ग) और (घ) अदायगी के लिए देय सभी ऋण परिशोधन अदायगियों का भुगतान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान तत्संबंधी वर्षों के केन्द्रीय बजट में किए गए तदनुरूपी प्रावधानों में से किया जाता है। इन ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि साधारणतया प्रारंभिक छूट की अवधि, जो रुोतानुसार भिन्न–भिन्न होती है, के पश्चात् शुरू होती है। वर्ष 1994–95 में सम्पन्न हुए हाल ही के ऋणों की वापसी अदायगी प्रत्येक ऋण की परिपक्वता अवधि के वर्षों के आधार पर की जाएगी, ऐसी सबसे लम्बी अवधि सन् 2038 तक की है।

खेतिहर मजदूरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं

*390. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेतिहर मजदूरों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजनाओं के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ग) इन योजनाओं की उपलब्धियां क्या रहीं और इनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए ?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ग) ग्रामीण श्रमिकों जिनमें खेतिहर मजदूर भी शामिल हैं, को आर्थिक और सामाजिक दशाओं में सुधार करने के लिए चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं में से निम्न हैं :–

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

इस योजना के अंतर्गत, आय बढ़ाने वाली परिसम्पत्तियां अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए विविधि प्रकार की मिश्रित आर्थिक सहायता और भिन्न–भिन्न दरों पर आविधिक ऋण शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या नीचे दी गई है :–

वर्ष	सहायता प्राप्त परिवार
1992–93	20,68,773
1993–94	25,34,925
1994–95	21,82,018

वर्ष 1995–96 के लिए इस योजना के अंतर्गत निधियों के आबंटन 1,09,721.16 लाख रुपए हैं जिसमें 54,950 लाख रुपए केन्द्रीय अंश शामिल है। आठवीं योजना के लिए कुल योजनागत आबंटन 3350 करोड़ रुपये है।

(ii) जवाहर रोजगार योजना

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवसों में)
1992–93	– 7,821
1993–94	– 9,523
1994–95	– 7,554

इस योजना को देश के उन 120 पिछड़े जिलों में तेल किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प–रोजगार की अधिकता है। 1994–95 के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना (आई जे आर वाई) के अंतर्गत अतिरिक्त 2,063.48 लाख श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया गया था। वर्ष 1995–96 के लिए जे आर वाई और आई जे आर वाई के अधीन क्रमशः 4,045 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। जे.आर.वाई. के लिए आठवीं योजना परिव्यय 18,400 करोड़ रुपए है।

(iii) रोजगार आश्वासन योजना (ई.ए.एस.)

2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पहचान किए गए पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि मौसम में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार संबंधी शारीरिक कार्य मुहय्या करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। इस योजना के अंतर्गत 1995–96 के लिए 973.01 करोड़ रुपए की निधियां आबंटित की गई हैं। वर्ष 1993–94, 1994–95 के दौरान इस योजना के अधीन क्रमशः 495 और 2740 लाख श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया गया है।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास (डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.)

इस योजना को निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए वर्ष 1982–83 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत उन महिलाओं के कौशल और प्रतिभा के अनुरूप आय उत्पादक क्रियाकलापों को सामूहिक रूप से शुरू करना था। यह योजना ट्राइसेम और आई आर डी.पी के सहयोग से चलाई गई है। वर्ष 1995–96 के लिए इस योजना के अधीन आबंटित की गई निधियां 65 करोड़ रुपए है और आठवीं योजना को कुल परिव्यय 150 करोड़ रुपए है। इस योजना के अधीन लाभान्वित की गई महिलाओं की संख्या निम्नानुसार है :–

वर्ष	लाभान्वित महिलाएं
1992–93	1,28,744
1993–94	2,68,525
1994–95	5,92,026

(v) स्वः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

इस योजना का उद्देश्य स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का कौशल उन्नयन करना है। आठवीं योजना के लिए इस योजना के लिए 300 करोड़ आवंटित किए गए हैं।

(vi) समूह बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा सीमा के अंतर्गत लाने के लिए जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभानुभोगियों के लिए 1988 में बीमा योजना जैसी विभिन्न बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। श्रम मंत्रालय ने 1992–93 में बीड़ी कर्मकारों के लिए एक समूह बीमा योजना शुरू की है। विभिन्न राज्य सरकारें भिन्न–भिन्न अर्हकारी मानदण्डों और पेंशन दरों के आधार पर वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही हैं।

[अनुवाद]

बकाया उत्पाद शुल्क

*391. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व विभाग के समक्ष ऐसे कितने निर्णयाधीन मामले हैं जिनमें उत्पादन शुल्क की विवादित राशि 50 करोड़ रु. अथवा इससे अधिक है;

(ख) कुल कितनी धनराशि विवादित है और प्रत्येक मामला कब से लम्बित पड़ा है;

(ग) इन मामलों पर निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख)

क्रम सं.	आयुक्तालय	पार्टी का नाम	कारण बताओ नोटिस की तारीख जिसमें वह तारीख बताई गई है जब से मामला अनिर्णित पड़ा है	शुल्क की राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	कलकत्ता–II	आई.सी.सी. लिमिटेड	25.01.94	81.49
2.	मुम्बई–II	महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड	27.04.93	52.02
3.	सूरत	ओ.एन.जी.सी. हाजिरा	25.04.94	389.84
4.	सूरत	ओ.एन.जी.सी. हाजिरा	09.01.95	61.72
5.	रायपुर	सान्ता सीमेन्ट वर्क्स/बिरला वर्क्स	29.05.92	87.30
6.	शिल्लांग	हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि.	22.03.95	65.63
7.	पुणे	टेल्को, पिम्परी	20.09.95	68.02
8.	–	आई.टी.सी. लि. और उनके बाहरी कंटरेक्ट विनिर्माता	27.03.87	803.78
9.	–	आई.टी.सी. लि., मुम्बई	10/11.08.83	57.23
10.	—	आई.टी.सी. लि. बंगलौर	25.09.87	143.22
11.	—	एन.टी.सी/मडेल	01/02.10.86	97.56
				1908.49

(ग) और (घ) सामान्यतया, मामलों के न्याय–निर्णयन में निम्नलिखित के कारण विलम्ब होता है :

(i) पार्टियों द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनके मौखिक बयान को पूरा करने और गवाहों से पूछताछ और जिरह करने में देर लगाना;

(ii) न्यायालयों द्वारा दिये गये, स्थगन आदेश;

(iii) न्याय–निर्णयन कार्यवाहियों को प्रारम्भ करने में आधार बनने वाली लेखा परीक्षा आपत्तियों का निपटारा करने में देर लगना; और

(iv) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा कभी–कभी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में लगाया जाने वाला समय।

न्यायनिर्णयन हेतु लम्बित पड़े मामलों के निपटान में प्रगति और विलम्ब के कारणों, यदि कोई हों, की वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, मामलों को शीघ्रता से अंतिम रूप देने की दृष्टि से, अधिकांश आयुक्तालयों में न्याय निर्णयन, अपीलों और अदालती मामलों की विशेष रूप से देख–रेख करने के लिए अलग से आयुक्तों को तैनात किया गया है। एक जैसे विषयों से संबंधित मामलों के न्यायनिर्णयन के लिए सर्वमान्य (कामन) न्यायनिर्णायकों की भी नियुक्ति की जाती है और स्थगन आदेशों को रद्द कराने तथा रिट याचिकाओं के शीघ्र निपटान और साथ ही लेखा परीक्षा आपत्तियों को शीघ्रता से निपटाने के लिए नियमित रूप से विशेष प्रयास किये जाते हैं ताकि सम्बद्ध मामलों का न्यायनिर्णयन शीघ्रता से हो सके।

[हिन्दी]

बीमा व्यापार

*392. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) व्यापार की दृष्टि से भारतीय बीमा क्षेत्र की स्थिति क्या है;

(ख) भारत में प्रति व्यक्ति सकल प्रीमियम कितना है;

(ग) देश कि कितने प्रतिशत व्यक्तियों को बीमा सुरक्षा प्राप्त है; और

(घ) सरकार द्वारा बीमा को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और बीमाकर्ताओं पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) वर्ष 1994–95 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम की कुल प्रीमियम आय 11,527.80 करोड़ रुपए थी। भारतीय साधारण बीमा निगम तथा इसकी चार सहायक कम्पनियों द्वारा इसी अवधि के दौरान भारत में किए गए कारोबार से प्राप्त कुल सकल प्रीमियम आय 4959 करोड़ रुपए थी।

(ख) भारत में प्रतिव्यक्ति सकल प्रीमियम आय बीमा योग्य जनसंख्या के लिए जीवन बीमा कारोबार के मामले में 530 रुपए तथा साधारण बीमा कारोबार के मामले में 62.28 रुपए है।

(ग) जीवन बीमा कारोबार के मामले में व्यक्तिगत बीमे के माध्यम से बीमा का कवरेज, 1981 की जनगणना के आधार पर लगभग 24 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, समूह एवं सेवा निवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत और भूमिहीन श्रमिकों एवं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हितभोगियों को कवच प्रदान करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 2.42 करोड़ है। साधारण बीमा कारोबार के मामले में, देश में जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत भाग साधारण बीमा योजनाओं का कवर प्राप्त कर रहा है।

(घ) भारतीय जीवन बीमा निगम ने अभी हाल ही में निम्नलिखित नए कवच आरम्भ किए हैं :–

(1) **आशा दीप-II** : व्यक्तियों के लिए 21 नवम्बर, 1995 से आरम्भ की गई आशा दीप–II योजना पालिसीधारक को कैंसर, अंगघात, गुर्दे बेकार हो जाना तथा हृदय धमनी रोग, जिसमें बाई–पास सर्जरी अपेक्षित हो, जैसी 4 मुख्य बीमारियों में से किसी एक से ग्रस्त होने पर हितलाभ प्रदान करती है।

(2) **ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना** : देश में इस योजना को 15 अगस्त, 1995 से आरम्भ किया गया था। यह योजना प्रवेश के समय 60 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियर पर (20–40 वर्ष के आयु वर्ग में) अथवा 70 रुपए के भुगतान पर (40–50 वर्ष के आयु वर्ग में) प्रवेश के समय आयु वर्ग के आधार पर, इसके सदस्यों को 5000 रुपए का जीवन कवच प्रदान करती है। इसमें प्रवेश की आयु 20–50 वर्ष है और समाप्ति की आयु 60 वर्ष है। इस योजना का कार्यान्वयन पंचायतों के माध्यम से किया जाना है। साधारण बीमा उद्योग ने साधारण बीमा कारोबार को और आगे बढ़ाने के लिए हाल ही में निम्नलिखित नए कवच प्रारंभ किए हैं :–

(i) **बड़ी परियोजनाओं के लिए बीमा लाभों की अग्रिम हानि** : इस पालिसी में मूलभूत स्थापना "पूर्ण जोखिम पालिसी" के अन्तर्गत शामिल निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए लाभों की हानि और स्थायी प्रभारों को कवर किया जाता है। यह पालिसी भारत में आने वाली बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को जारी की जाती है।

(ii) **समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना** : यह योजना जीवन बीमा निगम और साधारण

बीमा निगम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है जिसमें क्रमशः जीवन कवच और व्यक्तिगत दुर्घटना कवच प्रदान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम 5000 रुपये का जीवन कवच प्रदान करेगा और साधारण बीमा निगम लाभभोगी को दुर्घटना के कारण मृत्यु/अंग भंग होने पर 25,000 रुपये का कवच प्रदान करेगा। यह जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित वर्तमान योजना का विस्तार है जिसके अन्तर्गत 23 व्यावसायिक समूहों से संबंधित लगभग 40 लाख लोगों को जीवन बीमा और मृत्यु के लिए कवच प्रदान किए जाते हैं। यह योजना जीवन बीमा निगम द्वारा ही प्रशासित की जाती रहेगी, ओर यह साधारण बीमा निगम से दुर्घटना, पुनर्बीमा कवच प्राप्त करेगी।

(iii) **कृषक पैकेज बीमा पालिसी :**

25 नवम्बर, 1995 से साधारण बीमा निगम की एक सहायक कम्पनी द्वारा पूरे देश में "कृषक पैकेज बीमा पालिसी" नामक नई पालिसी प्रारंभ की गई है। यह पालिसी व्यक्तिगत सम्पत्ति और घरेलू सामान के लिए विस्तृत कवच प्रदान करने के साथ ही एक व्यक्ति की ग्रामीण अथवा कुटीर उद्योग इकाइयों को अग्नि जोखिम और सम्बद्ध जोखिमों, लूटमारी, सेंधमारी, चोरी और मृत्यु से संबंधित विभिन्न व्यक्तिगत दुर्घटनाओं, स्थायी विकलांगता, स्थायी आंशिक विकलांगता और अस्थायी पूर्ण विकलांगता की जोखिमों के विरुद्ध कवच प्रदान करती है जिसमें मवेशियों, पशुधन और कुक्कुट-पालन को भी व्यापक कवच दिया जाता है।

भारत पर्यटन विकास निगम का कार्य-निष्पादन/लाभ

*393. **श्रीमती गिरिजा देवी :** क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितना शुद्ध लाभ अर्जित किया गया है और इस लाभार्जन में भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का कितना योगदान है।

(ख) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का कार्य-निष्पादन संतोषजनक रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन होटलों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम ने 43.17 करोड़ रुपये का निवल लाभ (कर से पहलें) कमाया। इसमें होटल प्रभाग का अंशदान 22.71 करोड़ रुपए था जो कुल लाभ का 52.6% है। होटल प्रभाग का 22.71 करोड़ रुपये का लाभ गत वर्ष के 8.29 करोड़ रुपए के लाभ से 173.9% अधिक है।

(ग) कार्य-निष्पादन में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है। इस दिशा में उठाए जा रहे कदमों में सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना, प्रगतिशील विपणन, होटलों का उन्नयन/सुधार और पुनः संरचना, परिचालन लागतों पर नियंत्रण, प्रशिक्षण देकर मानव संसाधन का विकास करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय व्यापारिक समूह का बनाया जाना

*394. **कुमारी उमा भारती :**
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व व्यापार व्यवस्था में तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा है और क्षेत्रीय व्यापारिक समूह बनाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो भारत के विदेश व्यापार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और विश्व बाजार में भारत की भागीदारी कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन व्यापार समूहों में से किसी एक समूह का सदस्य बनने के लिए अनुरोध किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में आये इन बदलावों, तथा गुणवत्ता और मानक अधिप्रमाणन से उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं से निपटने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (च) हालांकित गाट पर आधारित बहुपक्षीय प्रणाली अक्षुण्ण बनी हुई है, फिर भी विश्व के अलग-अलग हिस्सों में क्षेत्रीय व्यापारिक समूह भी उभर कर सामने आए हैं। गाट में परम मित्र राष्ट्र सिद्धान्त के अपवाद के रूप में मुक्त व्यापार समूहों तथा सीमा शुल्क यूनियनों को अनुमति दी है, बशर्ते कि वे कुछ मानदंड पूरे करते हों। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये व्यवस्थाएं, अन्य देशों के व्यापार में अवरोध डाले बिना, संबंधित देशों के बीच व्यापार को सुविधाजनक बनाएं। 1979 की समर्थकारी धारा में विकासशील देशों को अन्य बातों के साथ-साथ आपस में अधिमानी व्यापार व्यवस्थाओं में प्रवेश करने की अनुमति है।

अपना अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात बढ़ाने में भारत की क्षमता अधिकांशतः कीमतों की आधारिक प्रतिस्पर्धात्मकता, क्वालिटी तथा हमारे उत्पादों की सपुर्दगी के उन्नयन के प्रयासों पर निर्भर करेगी। इसलिए क्षेत्रीय व्यापारिक गुटों के गठन का भारत के विदेश व्यापार पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है। हमारे ये प्रयास रहे हैं कि गाट/डब्ल्यू टी ओ के अन्तर्गत बहुपक्षीय व्यापारिक प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए क्योंकि ऐसा विश्वास किया जाता है

कि गैर–विभेदकारी व्यापार विश्व व्यापार के उचित विस्तार के लिए सबसे बड़ी आशा देता है। सरकार भारतीय फर्मों को अपने उत्पादों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय क्वालिटी प्रमाणपत्र लेने के लिए प्रोत्साहित करती है।

अप्रैल, 1992 में हमने आशियान के साथ एक क्षेत्रीय वार्ता शुरू की ताकि दोनों पक्षों के बीच बहुपक्षीय ढांचे के अन्तर्गत व्यापार, पूंजी निवेश और पर्यटन संवर्धन हो सके। अभी हाल ही में भारत ने आर्थिक सहयोग पर ई ई सी के साथ एक संरक्षण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत जी एस टी पी (व्यापार अधिमानों की विश्व प्रणाली) बैंकाक करार तथा साप्टा का भी सदस्य है–ये सभी विकासशील देशों के बीच अधिमानी व्यापारिक व्यवस्थाएं हैं।

करों की बकाया राशि

*395. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री सन्तोष कुमार गंगवार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में करों की बकाया राशि बहुत अधिक बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की इस बकाया राशि के बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) मुख्य केन्द्रीय करों के बकाया निम्नानुसार हैं :–

(रु. करोड़ों में)

कर का नाम	बकाया राशि
1. आयकर (निगम कर सहित)	22,699 (1–4–1995 की स्थिति के अनुसार)
2. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2850.12 (अनंतिम) (31.10.95 की स्थिति के अनुसार)
3. सीमा शुल्क	134.77 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)

(ग) जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है धनराशि बकाया होने का कारण मुख्यतः न्यायालयों, अधिकरणों और अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष मुकदमे का लम्बित होना और वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने के दौरान जारी की गयी मांग का वर्ष के अन्त में देय न होना है।

(घ) बकाया भुगतान की वसूली के लिए कानून के अन्तर्गत परिकल्पित आवश्यक प्रशासनिक और विधि सम्मत उपाय किए जाते हैं। सम्बन्धित न्यायालयों से भी शीघ्र सुनवाई के लिए और स्थगन आदेशों को रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

निर्यात संवर्धन के संबंध में जसपाल समिति की रिपोर्ट

*396. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन के संबंध में गठित जसपाल समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में अल्प बुनियादी सुविधाओं के कारण कन्टेनर ढुलाई सेवा पर प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्रवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (घ) वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत समुद्र द्वारा निर्यात संवर्धन संबंधी स्थायी समिति (स्कोप–शिपिंग) ने कन्टेनरीकृत कार्गो के कार्यकुशल अन्तर्देशीय परिवहन के संबंध में उपायों का सुझाव देने के लिए श्री डी.एस. जसपाल, प्रबंध निदेशक, पंजाब राज्य भांडागार निगम के नेतृत्व में माह मई, 1994 में एक कृतिक बल का गठन किया था। समिति ने माह अक्तूबर, 1995 में एक प्रारूप रिपोर्ट तैयार की है जिस पर स्कोप–शिपिंग द्वारा अभी विचार नहीं किया गया है।

2. इस प्रारूप रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा कन्टेनरीकरण में क्षेत्रीय असन्तुलनों का उल्लेख किया गया है। पत्तनवार कन्टेनर यातायात का ब्यौरा संलग्न विवरण में प्रस्तुत किया गया है। इसमें यह अभिमत है कि कन्टेनरों की अन्तर्देशीय ढुलाई लागतें तथा पारगमन समय अधिक है और अन्तर्देशीय स्थानों में कन्टेनरों की उपलब्धता समिति होती है। ब्रेक–बल्क कार्गो आवागमन 10 मी.टन से कम के आय–भारों के लिए अपेक्षतया अधिक कारगर बताया जाता है।

3. इस रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं :–

1. कन्टेनरों का सड़क से आवागमन;
2. कन्टेनर हैण्डलिंग उपस्कर का शुल्क मुक्त आयात;
3. सभी प्रकार के कार्गो की फैक्ट्री में भराई;
4. कन्टेनरीकरण में कार्मिकों का प्रशिक्षण;

5. गैर–सरकारी एजेंसियों तथा शिपिंग लाइनों के सहयोग वाले कन्टेनर पत्तनों का उन्नत उपयोग तथा उन्नयन;

6. कन्टेनरीकरण संवर्धन के लिए विनियामक प्रणालियों से छूट।

4. सरकार हमेशा यह मिश्रित उपाय करती रही जिससे पत्तन एवं रेल सुविधा को सुदृढ़ बनाने, इनलैण्ड कन्टेनर डिपुओं तथा कन्टेनर भाड़ा केन्द्रों की स्थापना, बान्डेड ट्राकिंग को सुगम बनाने, जहां कही संभव हो, वहां फैक्ट्री पर भराई का सहारा लेकर गैर–सरकारी पहल शामिल करके आदि द्वारा कन्टेनरीकरण बढ़ाया जाए।

विवरण

भारतीय पत्नों पर हैण्डिल किया गया कन्टेनर व्यापार

	1993 (टीईयू)	(%) (टीईयू)	1994 (टीईयू)	(टीई–यू) (%)
पूर्व				
कलकत्ता	74,000		96,000	
हल्दिया	7,000		6,000	
योग :	81,000	(10.14%)	1,02,000	(9.69%)
दक्षिण				
मद्रास	1,27,000		1,62,000	
तूतीकोरन	35,000		48,000	
कोचीन	56,000		71,000	
योग :	2,18,000	(27.28%)	2,81,000	(26.71%)
पश्चिम				
बंबई	3,15,000		4,28,000	
जेएनपी	1,45,000		1,77,000	
काण्डला	28,000		51,000	
योग :	4,88,000	(61.08%)	6,56,000	(62.36%)
अन्य				
विशाखापत्तनम	9,000		9,000	
न्यू मंगलौर	2,000		2,000	
मारमुगाओ	1,000		2,000	
योग :	12,000	(1.5%)	13,000	(1.24%)
कुल योग :	99,000		10,52,000	

भारत द्वारा टीकों तथा रोग निदान संबंधी किटों का निर्यात

*397. **श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत द्वारा कुल कितनी मात्रा में टीकों तथा रोग निदान संबंधी किटों का निर्यात किया गया तथा उससे अर्जित हुई विदेशी मुद्रा का वर्षवार और देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान टीकों तथा रोग निदान किटों के प्रमुख बाजारों को किए गए इनके निर्यात का मूल्य नीचे दिया गया है :–

(लाख रु. में)

देश	1992–93	1993–94	1994–95
1	2	3	4
बंगलादेश	30.26	6.78	36.93
सीआईएस	553.66	1.65	–
डेनमार्क	60.95	–	0.93
इक्वेडार	–	–	200.22
फ्रांस	1.00	66.01	332.88
जर्मन संघीय गणराज्य	33.26	4.10	47.25
हांगकांग	32.41	162.44	49.49
आयरलैंड	–	19.78	37.22
जापान	0.09	17.10	106.95
केन्या	6.08	21.71	29.40
मलयेशिया	10.10	246.12	7.57
नेपाल	21.07	12.83	49.08
नीदरलैंड	1.71	40.49	–
नाइजीरिया	15.90	13.75	48.52
ओमान	48.84	3.46	1.43
पेरू	1.17	–	230.08
रूस	–	17.64	380.76
सिंगापुर	4.93	952.40	163.01
श्रीलंका	35.76	39.42	81.24
स्विटरज़रलैंड	40.27	14.60	19.68
सीरिया	28.33	53.99	8.57
युगान्डा	–	–	40.42
संयुक्त अरब अमीरात	1.49	88.39	17.19
ब्रिटेन	–	138.47	–
उक्रेन	76.92	16.62	514.86
यू.एस.ए.	8.38	0.65	91.99
वेनजुएला	5.88	18.95	44.22
यमन गणराज्य			
अन्य	78.43	107.72	242.52
योग :	1116.29	1928.89	2818.89

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस, कलकत्ता।

(ख) और (ग) इन वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं : नीति एवं क्रिया–विधियों का सरलीकरण और संगत निर्यात संवर्धन क्रिया–कलापों यथा–व्यापार शिष्टमंडलों के आदान–प्रदान, विदेशों में व्यापार मेलों में भागीदारी और सूचना के आदान–प्रदान और उसके प्रसार के लिए मूल रसायन, भेषज सामग्री एवं सौन्दर्य प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद् (कैमेक्सिल) को बाजार विकास सहायता उपलब्ध कराना। इन प्रयासों से इन मदों की अच्छी निर्यात–वृद्धि में सहायता मिली है। इससे इन मदों के निर्यात में वर्ष 1993–94 में 72.80% की तथा 1994–95 में 46.14% की वृद्धि हुई।

विदेशी ऋण

*398. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1995 से प्रत्येक महीने की पहली तारीख को विदेशी ऋण का रुपये में कुल मूल्य क्या है;

(ख) वर्ष 1994–95 तथा अप्रैल–सितम्बर, 1995 के दौरान विदेशी सहायता की अनुमानित सकल प्राप्तियां तथा ऋण सेवा भुगतान और देश में आने वाली कुल राशि (रुपयों में) का ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के लिए अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में बकाया विदेशी ऋण का अनुमानित अनुपात, निर्यात से अर्जित आय तथा व्यापार संतुलन का रुपयों में अलग–अलग ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ग) मार्च, 1995 के अन्त से आगे की अवधि के लिए सभी स्रोतों से उधार राशियों के संबंध में भारत के बकाया विदेशी ऋण के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष 1989–90 से 1994–95 की अवधि के लिए भारत के विदेशी ऋण और ऋण सेवा अदायगियों के विस्तृत ब्यौरे दिसम्बर, 1995 में भारत के विदेशी ऋण पर स्टेट्स रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख) वर्ष 1994–95 और अप्रैल–सितम्बर 1995 के दौरान विदेशी सहायता की समग्र प्राप्तियां संबंधित ऋण सेवा अदायगियां और निवल प्रवाह निम्नानुसार हैं :

(करोड़ रुपए)

		1994–95	अप्रैल–सितम्बर, 95*
1.	विदेशी सहायता का समग्र भुगतान	10881	2721
2.	मूल की वापसी	5791	3182
3.	निवल विदेशी सहायता (1–2)	5090	–461
4.	ब्याज अदायगी	4408	2413
5.	विदेशी सहायता के तहत कुल ऋण सेवा अदायगियां (2+4)	10199	5594
6.	विदेशी सहायता के तहत निवल संसाधन अन्तरण (1–5)	682	–2873

*अनन्तिम

आयात-निर्यात संबंधी अध्ययन

*399. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा कराये गये एक अध्ययन के अनुसार 1994–95 से हमारे देश का निर्यात स्थिर है;

(ख) क्या इसी अध्ययन के अनुसार 1994–95 में आयात 9.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने व्यापार संतुलन बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 1994–95 के दौरान देश में निर्यात वृद्धि अमरीकी डालर में 18.4% होने का अनुमान है। भारतीय औद्यागिक ऋण एवं निवेश निगम (आईसीआईसीआई) अध्ययन वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान निगम द्वारा वित्तपोषित 421 कंपनियों के नमूनों की निर्यात मात्रा से संबंधित है। इस अध्ययन के अनुसार, नमूना भेजने वाली कंपनियों की आयात की मात्रा वर्ष 1993–94 में 9.4% थी जो वर्ष 1994–95 में बढ़कर 10.1% हो गई अर्थात् केवल 0.7 प्रतिशत अंकों की मामूली वृद्धि हुई।

(ग) भुगतान संतुलन प्रबंध, व्यापार संतुलन जिसका प्रमुख संघटक है; का प्रमुख तत्व निर्यात संवर्धन है। निर्यात को बढ़ाने के उपाय व्यापारी वर्ग, उद्योग और अन्य संबंधित संस्थाओं के परामर्श से किए जाते हैं। सरकार नीति और क्रिया–विधियों को निर्यात के अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही है। निर्यात संवर्धन के लिए किए गए उपायों में इनका उल्लेख किया जा सकता है–निर्यात–आयात नीति और क्रिया विधियों को सरल बनाना, निर्यात–उत्पादन बढ़ाना, कार्यक्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाना, गुणवत्ता सुधार प्रौद्योगिकी उन्नयन पर बल देना, आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाना और निर्यात संवर्धन में राज्य सरकारों को सक्रिय में शामिल करना। चालू वर्ष में एक वार्षिक कार्य योजना तैयार की गई है जिसमें, अन्य बातों के साथ–साथ निर्यात संवर्धन के लिए वस्तु विशेष और देश–विशेष के लिए उपाय शामिल हैं। आयात आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। आयात विकासशील अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार किए जाते हैं और मुख्य रूप से अधिक परिमाण में मदें, पूंजीगत माल, कच्चा माल और संघटक और जनता के खपत की वस्तुएं जैसे दालें, खाद्य तेल आदि सम्मिलित हैं।

भारत-फ्रांस निवेश संरक्षण समझौता

*400. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और फ्रांस ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए तथा भारतीय उद्योगों के प्रमुख क्षेत्रों में फ्रांस अधिकाधिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक निवेश संरक्षण समझौता किया है;

(ख) क्या दोनों देश इस वर्ष के अन्त में मंत्री स्तरीय संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित करने पर सहमत हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो फ्रांस वर्ष 1995–96 के दौरान भारत में कुल कितना निवेश करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) फ्रांस किन–किन परियोजनाओं में निवेश करने के लिए सहमत हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी हां। भारत और फ्रांस ने निवेश संवर्धन और संरक्षण करार को अन्तिम रूप दे दिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अप्रैल, 1995 से अक्तूबर, 1995 तक की अवधि के लिए, फ्रांस से लगभग 102 करोड़ रुपए की कुल विदेशी इक्विटी सहित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहयोग के 16 मामलों का सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया था।

सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान

3766. **श्री राम नाईक** : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने 1994–95 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमानों को संशोधित करके 5.3 प्रतिशत से 6.3 प्रतिशत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित इसके क्या कारण हैं ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सांख्यिकीय विभाग) ने 1994–95 के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमानों को 5.3 प्रतिशत से 6.2 प्रतिशत में संशोधित किया है तथा इस संबंध में एक प्रेस नोट 8.11.1995 को जारी किया। समूचे वर्ष के कृषि उत्पादन के अद्यतन अनुमानों तथा औद्योगिक उत्पादन के सूचकांकों को, जो बाद में उपलब्ध हुए थे, को शामिल करते हुए अनुमानों को संशोधित किया गया। अर्थव्यवस्था के बृहद क्षेत्रों में अर्थात् "कृषि, वानिकी और मछली पकड़ना", "खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति तथा निर्माण" और "सेवा क्षेत्रों" की क्रमशः 4.8 प्रतिशत (पूर्ववर्ती 2.4 प्रतिशत) 7.4 प्रतिशत (पूर्ववर्ती 7.6 प्रतिशत) तथा 6.4 प्रतिशत (पूर्ववर्ती 5.7 प्रतिशत) नई वृद्धि दरें हैं।

[हिन्दी]

मैचों का दूरदर्शन पर प्रसारण

3767. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन द्वारा क्रिकेट के टैस्ट मैचों और एक दिवसीय मैचों का सीधा प्रसारण सिर्फ अंग्रेजी में ही किया जाता है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिंदी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में इन मैचों के प्रसारण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) जी, नहीं। ऐसे सभी खेलों की कवरेज जिनका निर्माण कार्य दूरदर्शन को सौंपा जाता है, में हिन्दी और अंग्रेजी की कमेन्टरी शामिल होती है। तथापि, उन मामलों में जहां, निर्माण/टी.वी. अधिकार बी.सी.सी. आई द्वारा विदेशी पार्टी को बेच दिए गए हैं, दूरदर्शन द्विभाषी कमेन्टरी सुनिश्चित करने में असमर्थ है।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से अपर्याप्त प्रसारण

3768. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के उत्तरी जिलों में होने वाली घटनाओं को त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन से प्रसारित संध्या समाचार कार्यक्रम में अपर्याप्त/पूरा स्थान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के सलाहकार बोर्ड की बैठक में ऐसी कोई शिकायत रखी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) दूरदर्शन केन्द्र त्रिवेन्द्रम द्वारा केरल के उत्तरी जिलों सहित केरल के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों/घटेनाओं को उनके समाचार महत्व तथा समाचार उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए पर्याप्त कवरेज प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम द्वारा की गई राज्य के उत्तरी जिलों में की व्यापक कवरेज के बारे में वास्तविक स्थिति केन्द्र से संबद्ध पी.ए.सी. के उस सदस्य को स्पष्ट कर दी गई थी जिन्होंने पी.ए.सी. की एक बैठक में इस मामले को उठाया था।

डाक और दूरसंचार सेवा

3769. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीदरलैंड के साथ डाक एवं दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत ने नीदरलैंड्स के साथ डाक व दूरसंचार सेवाएं पहले से ही स्थापित की हुई हैं। यह सेवाएं वैसी ही हैं जैसी कि भारत से विश्व के अन्य विकसित देशों के लिए हैं।

पेट्रोलियम डिपो में आग

3770. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी, उत्तर प्रदेश के पेट्रोलियम/तेल डिपो में आग लगने की अनेक घटनाएं हुई हैं और पिछली बार इस तरह की घटना मई, 1995 में हुई; और

(ख) यदि हां, तो जान–माल की ऐसी हानि को रोकने हेतु सरकार द्वारा डिपो को स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) झांसी में तेल डिपुओं में आग लगने की दो घटनायें हुई थीं। एक घटना अप्रैल, 1992 में इंडियन आयल कारपोरेशन के डिपों में हुई थी तथा दूसरी छोटी घटना मई, 1995 में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के डिपों में हुई थी।

(ख) अतिरिक्त उत्पाद टैंकेज कार्यक्रम के अधीन करारी में, जो कि झांसी में विद्यमान डिपुओं का एक परिवर्तित स्थान है, 10000 कि.ली. टैंकेज लगाया जा रहा है।

स्वतंत्रता सेनानियों को दूरभाष आबंटन

3771. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल राज्य–वार कितने स्वतंत्रता सेनानियों को दूरभाष सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) उनके कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(ग) लम्बित आवेदनों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) 15 दूरसंचार सर्किलों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। शेष सर्किलों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	सर्किल	इस समय टेलिफोन सुविधा प्राप्त स्वतंत्रता सेनानियों की सं.	लंबित आवेदन पत्रों की सं.	सभी लंबित मामलों का निपटान करने की संभावित तारीख
1.	अंडमान–निकोबार	3	शून्य	–
2.	असम	414	34	मार्च, 1996
3.	गुजरात	645	शून्य	–
4.	हरियाणा	499	30	मार्च, 1996
5.	हिमाचल प्रदेश	81	21	मार्च, 1996
6.	जम्मू–कश्मीर	77	46	मार्च, 1996 बशर्ते कि क्षेत्र व्यवहार्य हो।
7.	केरल	1787	95	मार्च, 1996
8.	मध्य प्रदेश	1171	4	दिसंबर, 1995 के अंत तक एक कनेक्शन प्रदान कर दिया जाएगा और तीन का निपटान पार्टी द्वारा दस्तावेजों के प्रस्तुत किए जाने पर किया जाएगा।
9.	उड़ीसा	397	1	15 जनवरी, 1996
10.	राजस्थान	576	16	मार्च, 1996
11.	तमिलनाडु	1864	271	मार्च, 1996
12.	पश्चिम बंगाल	246	5	दिसंबर, 1995
13.	एमटीएनएल, दिल्ली	648	36	अभिदाताओं द्वारा औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद एक माह के भीतर, बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता हो।
14.	एम टी एन एल, बंबई	687	1	–वही–
15.	मद्रास	654	20	लंबित आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन केबल पेयरों के उपलब्ध होने पर प्रदान किए जाएंगे।

[हिन्दी]

झरिया कोयला खान में अग्नि दुर्घटना

3772. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की झरिया कोयला खान में लगी आग पर अभी तक नियंत्रण नहीं हो पाया है तथा यह अन्य नई खानों की ओर तेजी से फैल रही है;

(ख) यदि हां, तो इससे अब तक कितने मूल्य का कोयला जलकर राख हो चुका है; और

(ग) आग बुझाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) कोयला खानों में आगों के लगने के कारण स्वतः ही ज्वलनशीलता की प्रकृति होने के कारण हैं, जोकि भारतीय कोयले में निहित हैं। झरिया के कोयला क्षेत्रों में आग की घटना पहली बार 1916 में देखने में आई थी। वर्ष 1972 में कोककर कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के समय 70 आगों को विनिर्दिष्ट किया गया था। उपर्युक्त आगों में से 7 आगों को बुझा लिया गया है।

झरिया कोयला क्षेत्र में आगों के कारण कोयले के भंडारों में हुई हानि का सही रूप में अनुमान लगाया जाना कठिन है। किन्तु, कोयला कंपनियों ने लगभग 5 वर्ष पूर्व इन आगों के कारण कोयले के भंडारों में लगभग 37 मि.टन की क्षति होने का अनुमान लगाया गया था। कोयले के भंडारों में हुई हानि की सांकेतिक कीमत लगभग 1700 करोड़ रु. होने का हिसाब लगाया गया है।

विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीकी सहायता परियोजना के अंतर्गत झरिया कोयला क्षेत्र की आगों संबंधी एक नैदानिक अध्ययन कार्य प्रगति पर है। इस अध्ययन में गहन रूप में अग्निशमन कार्यक्रम को विकसित किया जाना और झरिया कोयला क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को तैयार किया जाना शामिल है। इस अध्ययन के वर्ष 1996 के मध्य तक पूरा हो जाने की संभावना है।

फुटकर पेट्रोल केन्द्रों का आबंटन

3773. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कितने फुटकर पेट्रोल केन्द्र बारी से पहले आबंटित किये गये;

(ख) इस तरह के आबंटन के लिए क्या मानदंड तय हैं; और

(ग) उन लोगों के नाम क्या हैं जिन्हें पेट्रोल पम्प बिना बारी के आबंटित किए गए थे ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) पेट्रोलियम और उत्पादों की डीलरशिपें/डिस्ट्रीव्यूटरशिपें अनुकंपा आधार पर विवेकाधीन शक्तियों के तहत सरकार द्वारा आबंटित की जाती हैं। तदनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में निम्नलिखित लोगों को अनुकंपा आधार पर तीन खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें आबंटित की गई थीं :–

1. श्री डी.एन. तिवारी
2. श्री विश्वनाथ प्रसाद
3. श्री खगेन्द्र कुमार

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिकी एक्सचेंजों में बदलना

3774. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला–वार ब्यौरा क्या है जिन्हें अभी तक इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में नहीं बदला है;

(ख) इन एक्सचेंजों को परिवर्तित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) 1995–96 के दौरान किन–किन स्थानों पर नए इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने का विचार है तथा उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी; और

(घ) वर्तमान टेलीफोन प्रणाली में सुधार लाने हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ख) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार, इन एक्सचेंजों का निर्धारित कार्यकाल समाप्त होने पर इन्हें इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदले जाने की योजना है।

(ग) विवरण–II में दिए अनुसार।

(घ) वर्ष 1995–96 में इस कार्य के लिए लगभग 360 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

विवरण-I

अद्यतन स्थिति के अनुसार राजस्थान में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में नहीं बदला गया है उनके जिला-वार ब्यौरे

जिले का नाम	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
1	2
अजमेर	2
अलवर	1
बांसवाडा	1

1	2
बारां	1
बीकानेर	1
चित्तोड़गढ़	1
जयपुर	1
जोधपुर	1
कोटा	1
पाली	1
सीकर	1
उदयपुर	1
जोड़ :	13

विवरण-II

1995-96 के दौरान राजस्थान में प्रस्तावित, स्थापित किए जाने वाले नए इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान-वार ब्यौरे

स्थान का नाम	संस्थापित क्षमता (लाइनों की संख्या)
जयपुर	37000
उदयपुर	7000
कोटा	10000
जोधपुर	10000
अलवर	6500
पाली	10000
ब्यावर	7000
मदनगंज	2000

इसके अलावा राजस्थान में लगभग 100 स्थानों पर एम आई एल टी 64 पोर्ट (56 लाइन) सी–डॉट 128 पोर्ट (88 लाइन) जैसे कम क्षमता वाले छोटे एक्सचेंज भी संस्थापित किए जाने की योजना है।

बाढ़ नियंत्रण और भूमि कटाव

3775. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बाढ़ नियंत्रण और भूमि कटाव के बारे में कोई योजना स्वीकृति के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने दो बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी योजनाएं भेजी हैं यथा लोअर तापी बेसिन में 33.91 करोड़ रुपए की लागत वाली तापी तटबंध योजना और 100.24 करोड़ रुपए की लागत वाली सौराष्ट्र तटीय विकास योजना।

(ग) उपरोक्त दोनों योजनाओं को केन्द्र ने तकनीकी–आर्थिक रूप से स्वीकृति दे दी है। इन योजनाओं के लिए योजना आयोग को निवेश स्वीकृति लेने से पहले गुजरात सरकार को पर्यावरणीय व वन पहलुओं पर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

[अनुवाद]

त्रिवेन्द्रम जिले के पारास्सला खंड को समन्वित जनजाति विकास परियोजना में शामिल करना

3776. **श्री ए. चार्ल्स** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समन्वित जनजाति विकास परियोजना में केरल के त्रिवेन्द्रम जिले के पारास्सला खंड को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) इस समय सरकार का केरल के त्रिवेन्द्रम जिले में पारास्सला खण्ड को समेकित आदिवासी विकास परियोजना में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंज

3777. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में नये टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो जिला–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1995-96 के दौरान केरल में खोले गए/खोले जाने हेतु प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों का जिला-वार ब्यौरा

जिले का नाम	1995–96 के दौरान खोले जाने हेतु प्रस्तावित नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	1995–96 की अवधि में अब तक खोले गए टेलीफोन एक्सचेंज
अलेप्पी	2	2
कालीकट	3	1
कन्नानोर	4	–
एर्नाकुलम	7	3
इडुकी	4	–
कासरगोड	6	–
कोट्टायम	3	2
मालाप्पुरम	2	–
पथनमथिट्टा	1	1
पालघाट	4	2
क्वीलीन	5	2
त्रिचूर	5	4
त्रिवेन्द्रम	5	2
वाइनाड	2	–

वार्षिक योजना परिव्यय

3778. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 1994–95 और 1995–96 के लिए चालू योजनावधि के दौरान वार्षिक योजना परिव्यय का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मुख्य योजना शीर्षों और उपशीर्षों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों के लिए अनुमानित अर्धवार्षिक जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष का अनुमानित प्रति व्यक्ति परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पूरे देश के लिए तथा शेष समस्त राज्यों के लिए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) वार्षिक योजनाओं 1994–95 तथा 1995–96 के लिए मूल रूप में अनुमोदित परिव्ययों और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए विकास के प्रमुख शीर्षों तथा उप–शीर्षों में ब्यौरे राज्यवार क्रमशः संलग्न विवरण–I तथा विवरण–II में उपलब्ध कराए गए हैं।

(ग) और (घ) विशेष श्रेणी राज्यों तथा गैर विशेष श्रेणी राज्यों तथा समग्र देश के लिए वर्ष 1994–95 तथा 1995–96 के लिए अनुमानित औसत प्रति व्यक्ति परिव्यय निम्नानुसार है :

वार्षिक योजनाओं 1994-95 तथा 1995-96 के लिए अनुमानित औसत प्रति व्यक्ति परिव्यय

(रुपयों में)

		1994–95	1995–96
1.	विशेष श्रेणी राज्य	907	1075
2.	गैर–विशेष श्रेणी राज्य	412	480
3.	अखिल भारत औसत (संघ क्षेत्रों को मिलाकर)	455	530

विशेष ध्यान दें : 1994–95 के जनसंख्या अनुमान क्रमशः वार्षिक योजनाओं 1994–95 तथा 1995–96 के लिए उपयोग में लाए गए हैं।

विवरण-I

वार्षिक योजनाएं 1994-95 तथा 1995-96–विशेष श्रेणी राज्यों का मूल रूप में अनुमोदित परिव्यय

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	(वार्षिक योजना)	
		1994–95	1995–96
1.	अरूणाचल प्रदेश	335.00	471.00
2.	असम	1051.00	1418.32
3.	हिमाचल प्रदेश	650.00	750.00
4.	जम्मू व कश्मीर	950.00	1050.00
5.	मणिपुर	240.00	300.00
6.	मेघालय	281.00	306.52
7.	मिजोरम	207.66	227.00
8.	नागालैंड	220.00	240.00
9.	सिक्किम	135.00	192.00
10.	त्रिपुरा	310.00	350.00

विवरण-II

वार्षिक योजना 1994-95 मूल रूप में अनुमोदित परिव्यय-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (लाख रु.)

विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	अरूणाचल प्रदेश	असम	हिमाचल	जे.एंड.के.	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप										
कृषि उत्पादन	1475	5852	2409	3240	582	1087	640	552	405	1228
मृदा एवं जल संरक्षण	570	550	484	1127	250	702	370	335	180	258
पशु पालन	406	1185	718	1363	300	450	300	416	212	340
डेयरी विकास	164	315	184	128	45	50	52	52	27	100
मात्स्यिकी	150	765	170	227	180	114	55	156	27	300
वानिकी तथा वन्य जीवन	1200	2584	4169	1896	490	1100	675	470	315	360
रोपाई	0	12	0	0	50	0	0	0	0	0
खाद्य, भण्डार तथा वेयरहाऊसिंग	0	55	0	0	25	25	0	0	6	22
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	23	1200	852	740	70	30	15	38	27	18
कृषि वित्तीय संस्थाएं	0	25	20	66	345	1	0	0	0	2
अन्य कृषि कार्यक्रम										
(क) विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण	105	140	659	400	4	390	125	13	14	57
(ख) अन्य	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
सहयोग	200	1250	341	259	110	250	170	71	63	358
जोड़–(I)	4293	13933	10011	9446	2451	4199	2402	2110	1292	3226
II. ग्रामीण विकास										
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	332	1545	326	855	120	210	253	280	27	284
(आईआरडीपी) तथा संबद्ध कार्यक्रम	0	0	0	247	0	0	0	15	0	0
(ख) लेखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	63	50	130	53	25	100	10	40	20	19
(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)										
ग्रामीण रोजगार										
(क) एचआरईपी/जवाहर रोजगार योजना	100	1800	372	518	145	79	200	175	60	230
(जे.आर.वाई.)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम आदि की तरह)	185	360	0	0	0	0	0	0	20	617
भूमि सुधार	37	310	986	528	35	100	59	146	5	213
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सामुदायिक विकास तथा पंचायतों सहित)	508	1900	295	223	130	606	3059	1943	104	245
जोड़–II	1225	5965	2109	2424	455	1095	3581	2599	236	1608
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	310	0	3894	0	265	0	178	0	1980
IV. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण										
प्रमुख एवं मध्यम सिंचाई	100	2565	274	1871	3222	270	5	80	0	357
लघु सिंचाई	1420	3800	2326	1997	530	663	278	245	199	441
कमांड क्षेत्र विकास	42	350	83	210	133	50	5	20	5	2
बाढ़ नियंत्रण समुद्र (कटाव रोधी आदि सहित)	250	1980	132	1007	361	100	0	25	12	200
जोड़–III	1812	8695	2815	5085	4246	1083	288	370	216	1000
V ऊर्जा										
विद्युत	5500	19169	13654	28118	4342	4450	3909	2341	2250	3550
गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	90	50	87	50	36	85	40	24	25	62
जोड़–V	5590	19219	13741	28168	4378	4535	3949	2365	2275	3612
VI. उद्योग एवं खनिज										
ग्राम तथा लघु उद्योग	430	2900	992	2411	681	280	835	339	160	1344
उद्योग (बी एंड एस आई के अलावा)	158	3650	698	2741	609	17	85	410	250	558
खनन	34	300	50	298	27	63	50	158	20	1
जोड़–(VI)	622	6850	1740	5450	1317	1460	970	430	430	1903
VII. परिवहन										
पत्तन तथा प्रकाश ग्रह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
नगर विमानन	474	0	120	0	0	0	0	0	0	0
सड़क तथा पुल	8254	6200	6485	6518	2712	5300	2175	2410	1440	2034
सड़क परिवहन	417	750	262	770	141	250	195	295	180	307
अर्न्देशीय जल परिवहन	0	1000	3	537	0	0	10	0	0	0
अन्य परिवहन सेवाएं	35	50	35	94	843	118	12	44	0	9
जोड़–(VII)	9180	8000	6905	7919	3696	5668	2392	2749	1620	2350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII. संचार	0	0	95	0	0	0	0	0	0	20
IX. वैज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण										
वैज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रा. सहित)	14	145	40	37	82	110	38	27	34	48
पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण	7	80	41	210	22	50	5	34	21	
जोड़–(IX)	21	225	81	247	104	160	43	32	68	69
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं										
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	45	284	126	736	66	85	30	73	30	5514
पर्यटन	150	500	775	2161	60	350	50	132	99	44
सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	75	100	28	191	40	24	17	56	21	30
नागरिक आपूर्ति	77	80	645	141	34	31	42	79	45	10
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
(i) जिला आयोजना/जिला परिषदें	300	1505	3676	0	175	250	995	3000	0	4
(ii) माप–तोल	20	25	10	18	4	14	10	20	0	7
(iii) अन्य	5	140	58	0	246	50	18	28	0	4
जोड़–X	672	2634	5318	3247	625	804	1162	3388	195	5613
XI. सामाजिक सेवाएं										
शिक्षा										
सामान्य शिक्षा	4287	20171	6747	7649	1357	2575	981	893	1025	2750
तकनीकी शिक्षा	0	1281	1137	491	89	56	75	110	25	15
खेल तथा युवा सेवाएं	106	500	203	310	370	325	110	373	30	106
कला एवं संस्कृति	247	818	115	142	130	150	65	88	63	15
उप जोड़ (शिक्षा)	4660	22770	8202	8592	1946	3106	1231	1464	1143	2886
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	773	4520	2875	3876	485	1079	720	1053	1338	900
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	1964	4900	7168	6454	1590	1831	1270	1143	596	1005
आवास (पुलिस आवास सहित)	1375	915	800	880	380	400	540	1453	90	800
शहरी विकास (राज्य पूंजीगत परियोजनाओं सहित)	59	1260	460	6253	249	877	1474	442	92	1482
सूचना एवं प्रचार	78	200	142	51	40	75	75	114	45	127
अनु.जा., अनु.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	829	469	2356	183	7	0	0	54	1020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
श्रम एवं रोजगार										
(i) श्रम तथा श्रमिक कल्याण	111	1986	93	1266	71	118	30	111	5	78
(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	0	0	0	104	0	0	77	0	0
समाज कल्याण	58	160	657	241	67	85	80	63	22	105
पोषाहार	120	770	400	347	165	238	115	154	170	730
अन्य सामाजिक सेवाएं	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
जोड़---(XI)	9178	38310	21266	28316	6080	7816	5535	6074	355	9133
XII. सामान्य सेवाएं										
कारागार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
लेखन सामग्री एवं छपाई	62	35	94	64	24	60	30	49	33	15
सार्वजनिक कार्य	609	685	625	689	610	750	390	1124	279	469
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
(i) प्रशिक्षण	16	200	50	51	14	55	24	55	0	0
(ii) अन्य	220	39	150	0	0	150	0	0	3301	2
जोड़–(XII)	907	959	919	804	648	1015	444	1228	3613	486
कुल जोड़	33500	105100	65000	95000	24000	28100	20766	22000	13500	31000

वार्षिक योजना 1995-96, मूल रूप में अनुमोदित परिव्यय विशेष श्रेणी राज्य

(लाख रु.)

विकास के प्रमुख शीर्ष/लघु शीर्ष	अरूणाचल प्रदेश	असम	हिमाचल	जे.एंड.के.	मणिपुर	मेघालय	मिजोरम	नागालैंड	सिक्किम	त्रिपुरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप										
फसल उत्पादन	1669	6730	2120	3098	810	1102	665	547	716	1980
मृदा एवं जल संरक्षण	728	605	580	1836	300	650	335	335	207	270
पशु पालन	651	1720	864	1569	400	600	270	418	370	568
डेयरी विकास	51	325	184	137	45	76	30	50	31	32
मात्स्यिकी	170	1086	200	260	240	135	80	156	41	500
वानिकी तथा वन्य जीवन	1376	2890	4699	2181	588	800	600	471	402	600
रोपाई	0	14	0	0	80	0	0	0	0	175
खाद्य, भण्डार तथा वेयरहाऊसिंग	0	55	0	627	25	30	0	8	26	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	29	1500	992	667	45	28	15	44	61	25
कृषि वित्तीय संस्थाएं	0	25	25	60	0	1	0	0	0	5
अन्य कृषि कार्यक्रम										
(क) विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण	76	140	750	225	5	115	25	10	16	41
(ख) अन्य	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
सहयोग	220	1510	350	351	125	275	170	71	72	495
जोड़–(I)	4970	16600	10769	11011	2663	3812	2190	2110	1942	4758
II. ग्रामीण विकास										
ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम										
(क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) तथा संबद्ध कार्यक्रम	538	2535	330	428	140	300	253	265	131	500
(ख) सूखा प्रषण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	0	0	112	315	0	0	0	15	0	0
(ग) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आईआरईपी)	70	50	145	53	27	100	10	40	28	15
ग्रामीण रोजगार										
(क) एसआरईपी/जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई)	100	2520	495	1588	150	100	600	140	319	450
(ख) अन्य कार्यक्रम (रोजगार गारंटी स्कीम की तरह)	595	1465	0	0	750	0	0	1200	273	1200
भूमि सुधार										
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	59	510	1130	539	40	100	2552	146	5	370
(सामुदायिक विकास तथा पंचायतों सहित)	576	2520	320	321	190	1230	320	1608	220	1020
जोड़–(II)	1938	9600	2532	3244	1297	1830	3735	3414	976	3555
III. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0	357	0	4173	0	328	123	178	0	2200
IV. सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण										
प्रमुख मध्यम सिंचाई	50	2600	306	2039	3873	300	7	80	0	563
लघु सिंचाई	1616	4100	2570	2160	700	680	240	255	231	465
कमांड क्षेत्र विकास	46	528	100	256	151	70	5	15	10	2
बाढ़ नियंत्रण (समुद्र कटाव रोधी आदि सहित)	312	2376	200	1238	528	823	0	20	26	220
जोड़–(IV)	2024	9604	3176	5693	5252	1873	252	370	267	1250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
V. ऊर्जा										
विद्युत	7700	20295	13879	30657	4450	3565	2960	2141	2588	4800
गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत	98	73	207	72	50	100	40	24	49	79
जोड़–(V)	7798	20368	14086	30729	4500	3665	3000	2165	2637	4879
VI. उद्योग एवं खनिज										
ग्राम तथा लघु उद्योग	533	3460	1015	3563	863	305	850	362	234	911
उद्योग (वी एंड एस आई के अलावा)	433	4188	950	2580	48	920	77	387	1438	810
खनन	40	400	50	304	155	174	64	158	23	4
जोड़–(VI)	1006	8048	2015	6447	1066	1399	991	907	1695	1725
VII. परिवहन										
पत्तन तथा प्रकाश ग्रह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जहाजरानी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नगर विमानन	466	0	95	0	0	0	1000	0	0	0
सड़क तथा पुल	9431	10102	7068	6581	4125	6900	2200	2710	1656	2925
सड़क परिवहन	469	1100	391	650	100	250	124	295	207	510
अन्तर्देशीय जल परिवहन	0	1050	5	201	0	0	10	0	0	0
अन्य परिवहन सेवाएं	34	58	37	438	103	95	13	44	0	55
जोड़–(VII)	10400	12310	7596	7870	4328	7245	3347	3049	1863	3490
VIII. संचार	0	0	100	0	0	0	0	0	0	37
IX. विज्ञान, प्रोद्योगिकी एवं पर्यावरण										
वैज्ञानिक अनुसंधान (वि.एवं प्रो. सहित)	18	356	55	40	90	70	38	27	65	76
पारिस्थितिकी विमानन एवं पर्यावरण	8	118	67	222	30	50	2	5	39	30
जोड़–(IX)	26	474	122	262	120	120	40	32	104	106
X. सामान्य आर्थिक सेवाएं										
सचिवालय आर्थिक सेवाएं	75	337	169	793	37	90	50	73	35	821
पर्यटन	200	750	776	2105	80	400	50	132	154	180
सर्वेक्षण तथ्य सांख्यिकी	98	219	34	235	43	30	37	56	26	25
नागरिक आपूर्ति	109	135	849	0	58	40	60	79	52	17
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं										
(i) जिला आयोजना/जिला परिषदें	390	2760	4971	0	200	300	1176	3000	0	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(ii) माप–तोल	32	30	15	21	8	19	12	20	0	10
(iii) अन्य	5	245	58	132	32	100	20	108	0	0
जोड़–(X)	909	4476	6872	3286	458	976	1405	3468	267	1062
XI. सामाजिक सेवाएं										
शिक्षा										
सामान्य शिक्षा	4805	29805	8630	8900	1736	2883	1070	978	1873	4055
तकनीकी शिक्षा	0	1473	1200	440	120	60	80	110	59	38
खेल तथा युवा सेवाएं	285	859	235	331	925	425	105	503	69	214
कला एवं संस्कृति	244	1548	140	194	174	165	70	88	102	30
उप जोड़ (शिक्षा)	5334	33685	10205	9865	2955	3533	1325	1679	2103	4337
चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	1069	6550	3479	4964	678	1331	787	2023	1258	1200
जल आपूर्ति तथा स्वच्छता	2208	6922	8223	7753	2350	1925	1270	1143	747	1585
आवास (पुलिस आवास सहित)	1721	1350	1896	745	537	340	542	1453	274	987
शहरी विकास (राज्य पूंजी परियोजनाओं सहित)	197	4000	656	4598	677	665	1415	542	226	541
सूचना एंव प्रचार	82	261	160	67	55	90	80	114	52	210
अनु.जा., अनु.ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	1275	383	306	270	7	0	0	112	1600
श्रम एवं रोजगार										
(i) श्रम तथा श्रमिक कल्याण	126	661	105	1922	115	127	40	111	15	155
(ii) विशेष रोजगार कार्यक्रम	0	1500	0	0	1050	0	0	77	0	0
समाज कल्याण	84	320	691	431	90	95	80	63	46	208
पोषाहार	270	1645	425	600	200	238	135	154	207	715
अन्य सामाजिक सेवाएं	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़– (XI)	11175	58169	26223	31251	8977	8351	5674	7359	5040	11538
XII. सामान्य सेवाएं										
कारागार	0	0	0	0	30		70	0		25
लेखन सामग्री एवं छपाई	74	40	103	88	35	50	45	49	38	20
सार्वजनिक कार्य	872	53	820	845	758	850	300	844	371	300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अन्य प्रशासनिक सेवाएं										
(i) प्रशिक्षण	46	300	55	101	16	50	28	55	0	0
(ii) अन्य	5862	1433	531	0	500	100	1500	0	4000	- 55
जोड़–(XII)	6854	1826	1509	1034	1339	1050	1943	9483	4409	400
कुल जोड़	47100	141832	75000	105000	30000	30652	22700	24000	19200	35000

चंडीगढ़ में टेलीफोन कनेक्शन

3779. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या **संचार मंत्री** 12 दिसम्बर, 1994 के अतरांकित प्रश्न संख्या 631 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतीक्षा सूची के लोगों को सरकार द्वारा सितम्बर, 1995 तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने के आश्वासन के अनुसार, टेलीफोन कनेक्शन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) चंडीगढ़ में अप्रैल, 1994 से आज तक कितने नए टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) कितने टेलीफोन वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं;

(घ) 2 दिसम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में इस समय कितने लोग हैं; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची के लोगों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) उपस्कर प्राप्त होने में विलम्ब के कारण।

(ख) चंडीगढ़, संघ शासित राज्य में अप्रैल, 94 से 14.12.95 तक जारी नए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 17,297 है।

(ग) 14.12.95 की स्थिति के अनुसार, संघ शासित राज्य में कार्यरत टेलीफोनों की संख्या 49,788 है।

(घ) 2.12.95 की स्थिति के अनुसार, प्रतीक्षा सूची में 12,746 आवेदक दर्ज हैं।

(ङ) 1995–96 के दौरान, चण्डीगढ़ में 20,000 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बशर्ते कि उपस्कर तथा अन्य संसाधन समय पर उपलब्ध हों। इससे, इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज अधिकांश आवेदकों को मार्च, 1996 तक कनेक्शन मिल जाने की संभावना है।

तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में, चंडीगढ़ सहित सम्पूर्ण देश में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना है।

भारतीय जन संचार संस्थानों द्वारा खोली गई शाखाएं

3780. **श्री एमेश चेन्नितला** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जन संचार संस्थानों द्वारा हाल ही में कितनी शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या इन शाखाओं में भिन्न–भिन्न पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विभिन्न शाखाओं हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) भारतीय जनसंचार संस्थान (आई.आई.एम.सी) ने धेनकनाल (उड़ीसा), कोट्टायम (केरल) तथा हाल ही में झाबुआ (म.प्र.) में अपनी शाखाएं खोली हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान ने दीमापुर (नागालैण्ड) में एक और शाखा खोलने का निर्णय लिया है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय जनसंचार संस्थान, धेनकनाल एक पूर्ण शैक्षिक वर्षीय पत्रकारिता स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का नियमित रूप से आयोजन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस शाखा ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं :–

(i) दूरदर्शन के प्रकाश सहायकों के लिए वीडियोग्राफी में त्रैमासिक पाठ्यक्रम; और

(ii) क्षेत्रीय प्रचार सहायकों के लिए छः सप्ताह का एक पायलट पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।

(घ) भारतीय जनसंचार संस्थान की शाखाओं के लिए चालू वर्ष हेतु स्वीकृत बजट अनुदान निम्नानुसार है :–

(लाख रु. में)

भारतीय जनसंचार संस्थान, धेनकनाल	120.00 रु.
भारतीय जनसंचार संस्थान, कोट्टायम	100.00 रु.

निधियों का दुरुपयोग

3781. **श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1994 के दौरान आकाशवाणी के नागपुर केन्द्र में धनराशि का दुर्विनियोग हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) आकाशवाणी, नागपुर में अक्तूबर, दिसम्बर, 1994 के दौरान कतिपय वस्तुओं की खरीद के बारे में कुछ अनियमितता देखी गई थीं।

(ग) और (घ) प्राथमिक जांच के आधार पर एक अधिकारी को पहले ही आरोप-पत्र दिया जा चुका है।

(ङ) दोषी अधिकारियों, यदि कोई हो, के विरुद्ध कार्रवाही विभागीय जांच के पूरा होने के बाद की जाएगी।

[हिन्दी]

निजी केबल आपरेटरों का पंजीकरण

3782. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक कुल पंजीकृत केबल आपरेटरों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) सरकार द्वारा केबल आपरेटरों के कार्य की निगरानी रखने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने केबल आपरेटरों के विरुद्ध अपना उत्तरदायित्व ठीक से न निभाये जाने के कारण कार्यवाही की गई है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कोई पृथक तंत्र गठित नहीं किया गया है।

(ग) सरकार के पास इस बारे में कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

राज्यों को हथियार

3783 **श्री पी.के. थुंगन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने राज्यों में प्रभावकारी कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए हथियार और अधिक अर्द्धसैनिक बलों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रज़ी) : (क) जी हां, श्री मान्।

(ख) 1995-96 के दौरान, असम, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक मणिपुर, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने हथियारों एवं गोलीबारूद की सामान्य वार्षिक मांग के अलावा अतिरिक्त मात्रा की मांग की है। आन्ध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और दमण एवं दीव से केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की मांगें भी प्राप्त हुई हैं। तथापि, ये मांगें अनन्य रूप से केवल कानून एवं व्यवस्था ड्यूटियों के लिए नहीं थीं।

(ग) जहां तक हथियारों एवं गोलीबारूद का संबंध है तो समग्र उपलब्धता सीमाओं के अंदर, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र की मांग की यथासंभव पूर्ति करने का प्रयास, सरकार का हमेशा रहता है, ऐसा करते समय संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में व्याप्त कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है।

केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की अल्पकालिक मांगों को पूरा करने के अलावा असम एवं उत्तर प्रदेश को अतिरिक्त केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल भी उपलब्ध कराये गए थे। तथापि, केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की अनुपलब्धता और अन्यत्र प्रतिबद्धताओं के कारण, त्रिपुरा एवं आन्ध्र प्रदेश को अतिरिक्त बल उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सका।

गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यालय/इकाई

3784. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालयों और इकाइयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 1990 से 1995 के दौरान प्रत्येक वर्ष में इनमें से प्रत्येक इकाई ने क्या-क्या कार्यक्रम प्रस्तुत किये; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान, वर्ष-वार इन इकाइयों में खर्च की गई वार्षिक धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) गुजरात में आकाशवाणी केन्द्र :

1. आहवा
2. अहमदाबाद

3. अहमदाबाद वाणिज्यिक प्रसारण सेवा

4. भुज

5. गोधरा स्थानीय रेडियो केन्द्र

6. राजकोट

7. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, अहमदाबाद

8. सूरत

9. वडोदरा वाणिज्यिक प्रसारण सेवा

दूरदर्शन केन्द्र

1. अहमदाबाद

2. राजकोट

(ख) और (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्वरित डाक सेवा शुल्क में वृद्धि

3785. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में त्वरित डाक सेवाओं की दर में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन संशोधित दरों और निजी कूरियर सेवाओं की वर्तमान दरों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है और संशोधित दर के क्या फायदे हैं;

(घ) त्वरित डाक सेवा की दर मे जो वृद्धि की गयी है उससे त्वरित डाक सेवा के ग्राहक और भी हतोत्साहित नहीं होंगे और स्पीड पोस्ट सेवा अलोकप्रिय नहीं होगी,

(ङ) यदि हां, तो क्या त्वरित डाक सेवा दर में हाल में की गई वृद्धि से लोग और हतोत्साहित नहीं होंगे तथा त्वरित डाक सेवा को यह अलोकप्रिय नहीं बनायेगा; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा त्वरित डाक सेवा को और भी लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ताकि त्वरित डाक सेवा और भी स्वीकार्य और लोकप्रिय हो सके, खासकर गांवों में ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे सलग्न विवरण I मे दिए गए हैं। प्रचालन लागत और सेवा को उन्नत बनाने के लिए अतिरिक्त धनराशि जुटाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह वृद्धि की गई।

(ग) तुलनात्मक ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(घ) स्पीड पोस्ट का उपयोग करने के लाभ ये हैं कि (i) इसका सबसे बड़ा नेटवर्क है (ii) यह किफायती है (iii) यह सरकारी गारंटी देता है जो कानूनी दृष्टि से स्वीकार्य होती है। वास्तव में, 1986 में शुरू की गई स्पीड पोस्ट सेवा में पिछले 9 वर्षों के दौरान लगभग 1100 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ङ) ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अनेक नई स्कीमें शुरू की गई हैं। ये हैं ब्लाक कस्टमर्स को 10 प्रतिशत तक छूट देना, वितरण में विलम्ब के मामले में स्पीड पोस्ट शुल्क की दोगुनी राशि लौटाना तथा स्पीड पोस्ट मद के गुम हो जाने के मामले में क्षतिपूर्ति के रूप में 200 रु. अदा करना। इसके अलावा, स्पीड पोस्ट सेवा के फायदों का प्रचार–प्रसार करने तथा इसे अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

(च) स्पीड पोस्ट को अधिक स्वीकार्य और लोकप्रिय बनाने के लिए हाल में विभिन्न स्कीमें शुरू की गई हैं। ये हैं–ब्लक कस्टमर्स को छूट, आकस्मिक रिफंड स्कीम तथा स्पीड पोस्ट नेटवर्क का विस्तार करने के लिए "स्पीड पोस्ट लिंक अप स्कीम" की शुरूआत। जहां तक, ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, यदि कोई पार्टी दैनिक बुकिंग की बेसिक न्यूनतम संख्या को पूरा करती है, तो स्पीड पोस्ट की एक "संविदात्मक सेवा" के बतौर शुरूआत की जा सकती है।

विवरण-I

	पिछली दरें (रु.)	संशोधित दरें (रु.) (1.12.95 से प्रभावी)
1	2	3
50 ग्राम तक		
200 कि.मी. के भीतर	10.00	स्लैब समाप्त कर दिया गया है
200 ग्राम तक		
200 कि.मी. के भीतर	20.00	स्लैब समाप्त कर दिया गया है
500 कि.मी. के भीतर	20.00	30.00
500 कि.मी. से अधिक	30.00	45.00
स्थानीय	–	15.00
201 ग्राम से 500 ग्राम तक		
200 कि.मी. के भीतर	30.00	स्लैब समाप्त कर दिया गया है
500 कि.मी. के भीतर	30.00	40.00

1	2	3
500 कि.मी. से अधिक	40.00	55.00
स्थानीय	–	20.00
प्रत्येक अतिरिक्त 500 ग्राम अथवा उसके भाग के लिए		**प्रत्येक अतिरिक्त 1 कि.ग्रा. अथवा उसके भाग के लिए**
200 कि.मी. के भीतर	10.00	ऐसा कोई स्लैब नहीं है
500 कि.मी. के भीतर	10.00	15.00
500 कि.मी. से अधिक	15.00	30.00
स्थानीय	–	10.00

विवरण-II

कुछ प्राइवेट कूरियर्स का घोषित दर ढांचा

	500 ग्राम तक (रु. में)	अतिरिक्त 500 ग्राम (रु. में)
ओवरनाइट एक्सप्रेस	100	50
ब्ल्यू डार्ट	100	45
स्काई पैक	90	45

स्पीड पोस्ट की दरों में संशोधन करने के बाद भी, स्टैंडर्ड कूरियरों की घोषित दरें स्पीड पोस्ट की अपेक्षा लगभग 100 प्रतिशत अधिक हैं। इसके अलावा, स्पीड पोस्ट में आर्टिकल्स के लिए अधिक वेट स्लैब हैं जैसे 200 ग्राम से कम, 200 से 500 ग्राम और 500 ग्राम से अधिक, जबकि प्राइवेट कूरियर्स में 500 ग्राम तक और 500 ग्राम से अधिक के वेट स्लैब हैं। इसी प्रकार, स्पीड पोस्ट में दूरी के अलग–अलग स्लैब हैं जैसे स्थानीय, 500 कि.मी. तक और 500 कि.मी. से अधिक। जबकि, स्टैंडर्ड प्राइवेट कूरियर्स में ऐसा नहीं है।

मध्यावधि मूल्यांकन

3786. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 नवम्बर, 1995 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में प्रकाशित "मिड टर्म अप्रेजल आफ इन्डाइसिस ट्राइगर्स अलार्म इन इंडस्ट्री" समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के क्या तथ्य हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस समय मध्यावधि मूल्यांकन किस अवस्था में है और इसे सदन में कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समाचार का संबंध योजना आयोग द्वारा तैयार किए जाने वाले तथाकथित मध्यावधि मूल्यांकन से है। वास्तविक स्थिति यह है कि योजना आयोग द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। यद्यपि, मध्याविध मूल्यांकन के प्रारूप पर योजना आयोग की आंतरिक बैठक में विचार–विमर्श हुआ था लेकिन उस पर पूर्ण योजना आयोग द्वारा विचार नहीं किया गया है, जिसे मामले पर निर्णय लेना है। मध्यावधि मूल्यांकन को सभा पटल पर रखे जाने का प्रश्न पूर्ण योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद (एन डी सी) द्वारा इसे अनुमोदित कर दिए जाने के बाद ही उठेगा।

[हिन्दी]

पानी का इकट्ठा होना

3787. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में इकट्ठा हुए पानी को निकालने के लिए और मैलहान झील, वाना नदी और झाऊघोन में जल निकास व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में मैलहान झील, वाना नदी और झाऊघोन से इकट्ठे हुए पानी को निकालने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वरुणा नदी के साथ के पूर्वोक्त क्षेत्रों के जल निकास में सुधार लाने के लिए सर्वेक्षण किए गए परन्तु परियोजना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं पाई गई।

दिल्ली में दूरसंचार प्रणाली

3788. **श्री बी.एल. शर्मा "प्रेम"** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर यमुनापार क्षेत्र में संचार प्रणाली दिनों–दिन खराब होती जा रही है और नब्बे प्रतिशत से अधिक टेलीफोन खराब हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) खराब टेलीफोनों को ठीक करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है कि टेलीफोन संबंधी शिकायतों पर तत्काल ध्यान दिया जाए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी नहीं। पिछले पांच महीनों के दौरान प्रति माह प्रति 100 टेलीफोन औसत दोष–दर इस प्रकार रही :–

जुलाई :	31.0
अगस्त :	40.54 वर्षा ऋतु के दौरान
सितम्बर :	38.7
अक्तूबर :	28.8
नवंबर :	24.03

उपर्युक्त आंकडों से यह स्पष्ट है कि पिछले तीन महीनों में दोष–दर में कमी आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दोषयुक्त टेलीफोनों को ठीक करने में कोई विलम्ब नहीं किया गया। एम टी एन एल, दिल्ली में, जिन टेलीफोनों में दोष उत्पन्न होने की सूचना मिलती है उनमें से 70 प्रतिशत टेलीफोनों को अगले दिन तक और शेष 30 प्रतिशत टेलीफोनों में से अधिकांश टेलीफोनों को अगले दो दिन के भीतर ठीक कर दिया जाता है। तथापि, केबलों में तकनीकी खराबी होने या उनकी चोरी होने की स्थिति में व्यवधान दूर करने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयले का आयात

3789. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयले का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है (राशि इत्यादि के संबंध में); और

(ग) कोयले की मांग को देश में ही पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत कोयले का आयात स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है और उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी वाणिज्यिक संबंधी अपेक्षाओं को देखते हुए इसका आयात कर सकते हैं।

(ग) कोयला परियोजनाओं की लम्बी प्रतीक्षाधीन अवधि होती है। उत्पादन का वास्तविक स्तर और इसकी आपूर्ति उपभोक्ताओं द्वारा आरंभ में लम्बी अवधि के प्रक्षेपणों पर निर्भर करती है और यह नई तथा चालू परियोजनाओं पर किए गए निवेश के समग्र परिवहन संबंधी अवरोधों; आधारभूत ढांचे तथा उपभोक्ताओं द्वारा कोयला आपूर्ति किए जाने के लिए दिए गए भुगतान पर भी निर्भर करती है। किन्तु देश में कोयले के उत्पादन में सुधार किए जाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्न कदम शामिल हैं–नई खानों का खोला जाना तथा विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण द्वारा क्षमता और उत्पादकता को बढ़ाया जाना और नई प्रोद्योगिकी का प्रयोग किया जाना और आगतों की समय पर उपलब्धता तथा आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इसके अलावा, विशिष्ट ग्रहीत उपयोग के लिए कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की भी अनुमति दी जा रही है।

[अनुवाद]

नशीले पदार्थों की तस्करी

3790 **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 नवम्बर, 1995 के टाइम्स आफ इंडिया के "थी चार्जड विद ड्रग पेडलिंग एक्वीटेड" नामक शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने न्यायाधीश द्वारा की गई इस टिप्पणी को नोट किया है कि पुलिस द्वारा की गई तलाशी और जब्ती गैरकानूनी थी क्योंकि उन्होंने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या मामलों के निपटान में पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही जिसके फलस्वरूप अंतर्राज्यीय तस्कर बरी हो गये, क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

नेप्था का आयात

3791. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान नेप्था और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान कितनी मात्रा का आयात करने का विचार है; और

(ख) नेप्था तथा तरलीकृत प्राकृतिक गैस का निर्यात/आयात किस दर पर किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन ने वर्ष 1994–95 और अप्रैल–नवम्बर, 1995 के दौरान नेप्था और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एन जी एल) का आयात नहीं किया है। इस वर्ष इन उत्पादों

का आयात करने का आई ओ सी का कोई प्रस्ताव नहीं है। निजी क्षेत्र के पक्षकारों ने 1994–95 में लगभग 360 टी एम टी नेप्था का आयात किया।

(ख) अप्रैल–अक्तूबर, 1995 की अवधि के दौरान आयातित नेप्था और एन जी एल का भारित औसत मूल्य निम्नानुसार है :

(अनंतिम) दर/एम टी

अमरीकी डालर

नेप्था	148.73
एन जी एल	132.13

न्यूनतम उपभोग व्यय

3792. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अनुमान के अनुसार गरीबी रेखा से ऊपर सामान्य जिन्दगी के लिए न्यूनतम उपभोग व्यय ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 11000 रुपये प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्र के लिए 11800 रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तीन व्यक्तियों के परिवार के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकता क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन इस आवश्यकता के समरूप है; और

(घ) किन–किन राज्यों ने तीन व्यक्तियों के परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर जीवन बसर के लिए न्यूनतम मजदूरी में संशोधन किया है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा लगाये गये गरीबी रेखा के अनुमान 1991–92 की कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों में 181.5 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 209.5 रुपये के मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के रूप में है। गरीबी रेखा से ऊपर जीवन–स्तर बनाए रखने के लिए अपेक्षित यह न्यूनतम खपत व्यय है। वार्षिक घरेलू व्यय सन्दर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में 11060 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 11850 रुपये के रूप में व्यक्त किया गया है जसे क्रमशः 11,000 रुपये और 11,800 रुपये कर दिया गया है। परिवारों के लिए गरीबी रेखा, खपत व्यय से सम्बन्धित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर (1987–88) के आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 5.08 और शहरी क्षेत्रों में 4.71 के औसत परिवार आकार पर आधारित है। तीन सदस्यों के एक परिवार के लिए न्यूनतम खपत आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 6534 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 7542 रुपये होगा।

(ग) और (घ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत केन्द्र सरकार और साथ ही राज्य सरकारें इनके कार्यक्षेत्र में आने वाले अनुसूचित रोजगारों को मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने/संशोधित करने के लिए उपयुक्त सरकार है। केन्द्र सरकार 40 अनुसूचित रोजगारों से सम्बन्धित मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है और इन रोजगारों के लिए निर्धारित की गई मजदूरी योजना आयोग द्वारा अनुमान लगाई गई न्यूनतम खपत अपेक्षा के अनुरूप है। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाया गया एक समान मापदण्ड नहीं है। राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय/संशोधित करते समय भारतीय श्रम सम्मेलन (1957) द्वारा सिफारिश किए गए मापदण्ड के अतिरिक्त सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों, जीवन यापन को प्रभावित करने वाली बाजार शक्तियों आदि जैसे विभिन्न तथ्यों को भी ध्यान में रखती हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की रेंज बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में अकुशल कामगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें

3.8.95 की स्थिति के अनुसार

क्रम संख्या	राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का नाम	मजदूरी की न्यूनतम दर व संशोधन की तारीख	अभ्युक्तियां
1	2	3	4
I. राज्य			
1.	आन्ध्र प्रदेश	11.00 रुपये से* 40.00 रु. प्रति दिन (11.10.94)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है।

1	2	3	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	21.00 रुपये से 24.00 रुपये प्रति दिन (1.11.90)	क्षेत्र से क्षेत्रों तथा रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है।
3.	असम	25.30 रुपये से* 32.00 रुपये प्रति दिन (10.2.92)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है।
4.	बिहार	21.00 रुपये से 27.00 रुपये प्रति दिन (19.793)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है।
5.	गोवा	14.00 रुपये से 27.00 रुपये प्रति दिन (7.2.92)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है।
6.	गुजरात	15.00 रुपये से* 37.50 रुपये प्रति दिन (1.4.94)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है (जोन के अनुसार)
7.	हरियाणा	1189.30 रुपये प्रति माह (1.7.94)	*सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दरें।
8.	हिमाचल प्रदेश	24.00 रुपये प्रति दिन से 26.00 रुपये प्रति दिन (14,11.93)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए दुगनी दरें।
9.	जम्मू व कश्मीर	15.00 रुपये से प्रति दिन (24.3.89)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दरें।
10.	कर्नाटक	23.44 रुपये से* 32.53 रुपये प्रति दिन (22.7.92)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है। (जोन के अनुसार)
11.	केरल	19.50 रुपये से* 76.40 रुपये प्रतिदिन (31.3.92)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है। (जोन के अनुसार)
12.	मध्य प्रदेश	30.36 रुपये प्रतिदिन से 33.92 रुपये प्रति दिन (29.1.94)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है।
13.	महाराष्ट्र	8.00 रुपये से* 69.10 रुपये प्रति दिन (29.6.94)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है। (जोन के अनुसार)

1	2	3	4
14.	मणिपुर	37.00 रु. प्रतिदिन (समतल क्षेत्र के लिए) 40.90 रु. प्रतिदिन (पहाड़ी क्षेत्रों के लिए) (1.6.90)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए दुगनी दर
15.	मेघालय	35.00 रु. प्रतिदिन (16.3.94)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दर
16.	मिजोरम	28.00 रुपये प्रतिदिन (6.7.92)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दर
17.	नागालैंड	25.00 रु. प्रतिदिन (6.7.92)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दर
18.	उड़ीसा	25.00 रुपये प्रतिदिन (1.7.92)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दर
19.	पंजाब	40.52 रु. प्रतिदिन* (1.3.93)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दर
20.	राजस्थान	22.00 रुपये प्रतिदिन (2.7.90)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दर
21.	सिक्किम	–शून्य–	न्यूनतक मजदूरी अधिनियम, 1948 को अभी विस्तृत व लागू किया जाना है।
22.	तमिलनाडु	10.00 रुपये से* 56.25 रुपये प्रतिदिन (27.1.93)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है (जोन के अनुसार)
23.	त्रिपुरा	11.80 रुपये से 23.65 रुपये प्रतिदिन (1.1.90)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है (जोन के अनुसार)
24.	उत्तर प्रदेश	468.00 रुपये से* 1038.00 रुपये प्रतिमाह (3.1.94)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है (जोन के अनुसार)
25.	पश्चिम बंगाल	17.40 रुपये से* 45.16 रुपये प्रतिदिन (1.12.93)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है (जोन के अनुसार)
26.	अण्डमान व निकोबार	27.00 रुपये से 28.00 रुपये प्रतिदिन (13.8.92)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है (जोन के अनुसार)
27.	चण्डीगढ़	1043.50 रुपये* प्रति माह (22.2.90)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दर

1	2	3	4
28.	दादर व नागर हवेली	19.50 रुपये से 29.65 रुपये प्रतिदिन (15.12.92)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता है (जोन के अनुसार)
29.	दमन व दीव	22.00 रुपये से 27.00 रुपये प्रति दिन (19.3.93)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दरें
30.	दिल्ली	57.50 रुपये* प्रति दिन (1.2.95)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दरें
31.	लक्षद्वीप	30.00 रुपये प्रति दिन (1.1.93)	सभी प्रकार के रोजगार के लिए एकमात्र दरें
32.	पांडिचेरी	8.00 रुपये से 14.00 रुपये प्रति दिन (15.12.89)	कृषि मजदूरों के लिए दरें
11.	***केन्द्रीय सरकार**	31.02 रुपये से 46.42 रुपये प्रति दिन (1.4.95)	रोजगार से रोजगार की दरों में विभिन्नता (क्षेत्रों के अनुसार)

नोट : *मजदूरी की न्यूनतम दरों सहित परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता के प्रावधान को दर्शाता है।

नाबालिग कन्याओं का विवाह

3793. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी देशों के शेखों और अमीरों से नाबालिग कन्याओं की शादी किये जाने के मामलों की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994 में और 1995 में अब तक ऐसे कितने मामलों का पता लगाया और ऐसे मामलों में क्या तरीका अपनाया जाता है, और

(ग) ऐसे मामलों में पकड़े गये व्यक्तियों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ग) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं अतः नाबालिग लड़कियों के विवाह सहित अपराध को दर्ज करने, उनका पता लगाने और उनकी रोकथाम करने की प्राथमिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। नाबालिग लड़कियों के विवाह के बारे में केन्द्रीय रूप से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

मुम्बई के अपराधी गिरोह का उपग्रह युग में प्रवेश

3794. **श्री राम कापसे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1995 के "इण्डियन एक्सप्रेस" के हैदराबाद संस्करण में "बाम्बे अन्डरवर्ल्ड एन्टर सैटेलाइट एज", शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सरकार ने संबंधित समाचार देखा है। तथापि, सरकार के नोटिस में पेजिंग सेवा के दुरुपयोग का ऐसा कोई मामला नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सम्बलपुर हैतु विकास परिषद

3795. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पश्चिमी और दक्षिणी उड़ीसा के लिए क्रमशः सम्बलपुर और बरहामपुर में एक स्वायत्त/विकास परिषद की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के शीघ्रताशीघ्र क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

कृषि क्षेत्र की विकास दर

3796. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री अमर पाल सिंह :

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में विकास दर को बढ़ाने के लिए अपेक्षित अनुमानित पूंजी निवेश का अवलोकन करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) योजना अवधि के दौरान इस सेक्टर में 3.1 प्रतिशत वार्षिक की लक्षित विकास दर प्राप्त करने के लिए आठवीं योजना अवधि हेतु 1991–92 की कीमतों पर कृषि और समबद्ध सेक्टरों में 148800 करोड़ रुपये का निवेश लक्षित है।

(ग) और (घ) आठवीं योजना में घरेलू और विदेशी निवेश के बीच कोई अन्तर नहीं किया गया है। इस सेक्टर में विदेशी सहायता प्राप्त कई परियोजनायें पहले ही चल रही हैं।

शैक्षिक उपग्रह टी.वी. चैनल

3797. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :**
श्री शैलेन्द्र महतो :
श्री बलराज पासी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1995 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एजुकेशनल सैटेलाइट टी.वी. प्लान्ड" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रस्तावित चैनल को संचालित करने के लिए गठित कार्य–दल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस चैनल को आरंभ करने के लिए गठित कार्य–दल को सारी औपचारिकताएं कब तक पूरी करनी हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जी, हां। समाचार में 24 घंटे शैक्षिक उपग्रह टी.वी. चैनल शुरू करने की योजना का उल्लेख है तथा इस मामले में प्रारंभिक कदम उठाए गए हैं।

(ग) कार्यदल का संघटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) हालांकि, कार्यदल को कोई निश्चित समय–सीमा नहीं दी गई है, तथापि, उक्त चैनल को यथाशीघ्र चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

मुक्त विधा/दूरवर्ती शिक्षा के त्वरित विस्तार से संबंधित कार्य दल का संघटक :

1.	श्री पी.आर. दासगुप्ता शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग	अध्यक्ष
2.	सलाहकार (शिक्षा) योजना आयोग	सदस्य
3.	प्रो. आर.जी. तकवाले उप–कुल सचिव, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	सदस्य
4.	श्री एस.एस. गिल, भूतपूर्व सचिव सूचना और प्रसारण	सदस्य
5.	डा. चिटणीस, इसरो, पुणे	सदस्य
6.	प्रो. एम. मुखोपाध्याय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय	सदस्य
7.	डा. ए.के. शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद	सदस्य
8.	प्रो. जे.एस. राजपूत अध्यक्ष, एन.सी.टी.ई.	सदस्य
9.	डा. वाई.के. शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	सदस्य
10.	श्री विनोद दुआ, साफ्टवेयर विशेषज्ञ	सदस्य

11.	श्री करन थापर, साफ्टवेयर विशेषज्ञ	सदस्य
12.	श्री भास्कर चटर्जी, संयुक्त सचिव	सदस्य
13.	श्री सतीन्दर सिंह निदेशक (तौक्षणिक प्रशिक्षण)	सदस्य–सचिव

[हिन्दी]

बिहार को कोयले की आपूर्ति

3798. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की कोकिंग कोयला की न्यूनतम आवश्यकता एक लाख मीट्रिक टन प्रतिमाह है और उसे सिर्फ दस हजार टन कोकिंग कोयले की ही आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार को 31 दिसम्बर, 1993 तक प्रतिमाह 60,000 मीट्रिक टन कोकिंग कोयला आवंटित किया जाता था; और

(घ) क्या बिहार सरकार ने इस आवंटन को 60,000 मीट्रिक टन प्रतिमाह से बढ़ाकर एक लाख मीट्रिक टन प्रतिमाह करने की मांग की है, परन्तु सरकार ने 60,000 मीट्रिक टन से घटाकर इसे 40,000 मीट्रिक टन प्रतिमाह और बाद में इसे घटाकर दस हजार मीट्रिक टन कर दिया है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) संभवतः माननीय सदस्य बिहार राज्य में घरेलू उपयोग के लिये सॉफ्ट कोक की आवश्यकता/आपूर्ति के मामले को बंद कर रहे हैं। सरकार विभिन्न राज्यों को, जिसमें बिहार भी शामिल है, सॉफ्ट कोक का आबंटन कर रही है। चूंकि कई वर्षों से सॉफ्ट कोक का उत्पादन में ह्रास हो रहा है, अतः साफ्ट कोक का आबंटन कर दिया गया है और इसकी प्रतिपूर्ति "सिलकोक" के आबंटन द्वारा की जा रही है ताकि विभिन्न राज्यों/शासित क्षेत्रों के लिये घरेलू उपयोग के लिये सॉफ्ट कोक और सिलकोक की कुल उपलब्धता अप्रभावित रहे। वर्ष 1993–94 से प्रति माह बिहार राज्य को किए गये सॉफ्ट कोक/"सिलकोक" के आवंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

('000 टन में)

1993–94 दिस., 93 तक	जनवरी, 94 से दिसम्बर, 94		जनवरी, 95 से मार्च, 95		अप्रैल, 95 से मार्च, 96	
सॉफ्ट कोक	सॉफ्ट कोक	सिलकोक	सॉफ्ट कोक	सिलकोक	सॉफ्ट कोक	सिलकोक
60	40	20	10	50	10	50

घरेलू ईंधन की उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :–

(1) राज्य सरकारों को अपने राज्यों में "सिलकोक" के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिये पुरजोर प्रयास करने का अनुरोध किया गया है। यह कोक धुंआरहित है और घरेलू उपयोग के लिए बहुत उपयोगी है और इसकी कैलोरिफिक क्षमता उच्चतर है, यद्यपि सॉफ्ट कोक की तुलना में इसका मूल्य अधिक है।

(2) कोल इंडिया लि. ने ब्रिकेट्स और विशेष धुंआरहित ईंधन (एस. एस.एफ.) के उत्पादन के लिए कई यूनिटों को संयोजन दिया है। इन यूनिटों द्वारा उत्पादित ब्रिकेट्स सॉफ्ट कोक के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में है। सरकार ने ऐसी केवल 4 यूनिटों को संयोजन दिए जाने के लिए पूर्ववर्ती प्रतिबंध में भी छूट दे दी है। राज्य सरकारों से इन यूनिटों द्वारा ब्रिकेट्स का उत्पादन किए जाने पर निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है तथा उनसे ऐसी नयी यूनिटों को प्रोत्साहित किए जाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि कोयला पर आधारित घरेलू ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

[अनुवाद]

गिरोह का पर्दाफाश

3799. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के फर्रूखाबाद जिले में एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया गया जिसने सेना में नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार युवकों से हजारों रुपये ऐंठे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ग) "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण सरकार अपराध की विशिष्ट घटनाओं के संबंध में सूचना नहीं रखती है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3800. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में घोषित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रथम चरण में किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है; और

(ख) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)। रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) सतत् आधार पर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जबकि आई आर डी पी और जे आर वाई (प्रथम चरण) देश भर में क्रियान्वित किए जा रहे हैं, सघन जे आर वाई (द्वितीय चरण) देश के 12 राज्यों में 120 पिछड़े जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। जहां बेरोजगारी और अर्धरोजगारी की अधिकता है। ई ए एस गोवा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 2475 ब्लाकों में क्रियान्वित किया जा रहा है। ये ब्लाक सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थल क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। जिनमें सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू है। इसके तहत देश के जनजातीय बहुलता और बाढ़ प्रवण क्षेत्रों वाले नए डी पी ए पी/डी डी पी ब्लाकों, संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (एम ए डी ए) ब्लाकों को भी शामिल किया जा रहा है।

(ख) पिछले चार वर्षों के दौरान इन प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए किया गया आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

प्रमुख गरीबी उन्मूलन स्कीम के तहत 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रु. में)

क्रम. सं.	कार्यक्रम	1992–93 कुल आवंटन	1993–94 कुल आबंटन	1994–95 (अनंतिम) कुल आवंटन	1995–96 (अनंतिम) कुल आवंटन
1.	आई आर डी पी	662.22	1093.43	1098.22	1097.21
2.	जे आर वाई	3169.05	3181.22	3498.72	4044.97
3.	आई जे आर वाई	–	878.20	878.20	500.00
4.	ई ए एस	–	548.77*	140.25*	1043.39*

*केन्द्रीय सहायता +14.12.1995 के अनुसार राज्य का समतुल्य अंश।

नियेली लिग्नाइट निगम

3801. **श्री सी. श्रीनिवासन : क्या कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विनेवेश के अंतिम चरण में नियेली लिग्नाइट निगम के शेयरों को इसके कर्मचारियों को देने के संबंध में निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक कर्मचारी को दिए जाने वाले शेयरों की संख्या का ब्यौरा क्या है, और प्रत्येक शेयर का कितना मूल्य है;

(ग) क्या परियोजनाओं के विस्तार कार्यक्रम पर आने वाले खर्च की पूर्ति कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से होने की संभावना है;

(घ) क्या नियेली लिग्नाइट निगम की साम्य पूंजी के विनिवेश के उपरान्त इस निगम की परियोजनाओं द्वारा उत्पादित जल विद्युत अपेक्षाकृत महंगी होने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार द्वारा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने.लि.का.) को 1.4.1995 की स्थिति के अनुसार कारपोरेशन की प्रदत्त पूंजी की 5% की सीमा तक अपने कर्मचारियों के शेयरों की पेशकश किए जाने के लिए निर्देश दिया है, किन्तु ये शेयर नियमित आधार पर कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों को 13 रु. प्रति शेयर की कीमत से 200 शेयर से अधिक नहीं दिए जाएंगे

(ग) जी, नहीं।

(घ) शेयरों का अपनिवेश किए जाने की कार्रवाई का शुल्क दर (टैरिफ) के निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे अल्पसंख्यक

3802. **श्री खेलन राम जांगड़े** : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और उनका संघ शासित क्षेत्रवार, राज्य–वार ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : योजना आयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी की स्थिति का अनुमान लगाता है, ये अनुमान (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा जारी घरेलू खपत व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण आंकड़ों। (ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किए गए अखिल भारतीय स्तर पर कुल निजी खपत व्यय के अनुमान तथा (ग) जनगणना परिणामों से प्राप्त जनसंख्या आंकड़ों पर आधारित हैं। नवीनतम पूर्ण आंकड़े वर्ष 1987–88 के लिए उपलब्ध है।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा नीजि खपत व्यय के संशोधित अनुमानों के आधार पर तथा जनसंख्या अनुमानों के लिए 1991 जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों का प्रयोग करते हुए गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की संख्या तथा प्रतिशतता के अनुमान हाल ही में संशोधित किए गए हैं तथा वर्ष 1987–88 के लिए संशोधित अनुमान दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न में दिया गया है।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध लोगों की प्रतिशतता संबंधी आंकड़े अलग से एकत्रित नहीं किए जाते।

विवरण

1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की राज्यवार संख्या तथा प्रतिशतता (संशोधित)

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		प्रतिशतता	
		सं. लाख	प्रति–शतता	सं. लाख	प्रति–शतता	सं. लाख	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	129.81	28.18	35.35	22.14	165.6	26.62
2.	असम	35.88	19.20	1.56	6.99	37.44	17.84
3.	बिहार	252.26	35.86	25.86	24.85	278.12	34.44
4.	गुजरात	42.68	16.51	13.44	10.38	56.12	14.46
5.	हरियाणा	10.79	9.28	3.46	9.56	14.24	9.34
6.	हिमाचल प्रदेश	3.44	7.71	0.05	1.21	3.49	7.17
7.	जम्मू व कश्मीर	6.78	12.35	1.02	6.29	7.81	10.96
8.	कर्नाटक	91.73	31.10	25.32	19.83	117.05	27.70
9.	केरल	27.83	13.14	10.80	16.23	38.65	13.88
10.	मध्य प्रदेश	171.95	36.04	23.75	17.40	195.71	31.84
11.	महाराष्ट्र	143.94	31.41	39.73	14.45	183.67	25.05
12.	उड़ीसा	111.60	42.89	8.00	20.89	119.61	40.07
13.	पंजाब	6.77	4.99	2.82	5.13	9.59	5.03
14.	राजस्थान	69.63	22.03	14.68	16.22	84.31	20.74
15.	तमिलनाडु	121.44	34.38	30.78	17.17	152.23	28.58

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	उत्तर प्रदेश	332.41	31.79	56.94	72.90	389.35	50.04
17.	प. बंगाल	114.37	24.73	28.24	16.44	142.60	22.49
18.	अखिल भारत	1682.98	28.37	331.08	16.82	2014.06	25.49

नोट : (1) उपर्युक्त अनुमान 1987–88 कीमतों पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1320 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह की और शहरी क्षेत्रों के लिए 152.3 रु. प्रति व्यक्ति प्रति माह की गरीबी रेखा का प्रयोग करते हुए प्राप्त किए गए हैं, जो वर्ष 1973–74 के लिए क्रमशः 49.1 रु. तथा 56.6 रु. की गरीबी रेखाओं के अनुरूप हैं।

(2) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या 1 अक्तूबर, 1987 की जनसंख्या से संबंधित है।

(3) ये परिणाम उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें चक्र (जुलाई, 1987–जून, 1988) पर आधारित है।

(4) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपनी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में अनुमानित एवं एन एस एस ओ से प्राप्त कुल अखिल भारतीय निजी खपत व्यय के बीच अंतर को विभिन्न राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बीच यथानुपात आधार पर समायोजित किया गया है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के मुख्य लक्ष्य

3803. **श्री शांता राम पोतदुखे :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत आंचलित कार्यालयों और क्षेत्रीय प्रचार कार्यालयों की संख्या कितनी है; और

(ख) वर्ष 1993–94 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के अन्तर्गत 22 क्षेत्रीय कार्यालय और 258 क्षेत्रीय प्रचार एकक हैं।

(ख) अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

1.	प्रदर्शित की गई फिल्म शो की सं.	–	52748
2.	आयोजित फोटो प्रदर्शनियों की संख्या	–	33508
3.	प्रस्तुत किए गए गीत एवं नाटक कार्यक्रमों की संख्या	–	7823
4.	मौखिक संदेश जैसे सेमिनार, संगोष्ठी, सामूहिक चर्चाओं की संख्या	–	57360
5.	भाषण/निबंध लेखन/मुद्रण/वाद–विवाद प्रतियोगिता, कृषक सम्मेलन, युवा शिविर कार्यक्रम, महिला सम्मेलन, ग्रामीण खेल–कूद कार्यक्रम, रैली, विशिष्ट कक्षाएं आदि जैसे विशिष्ट कार्यक्रमों की संख्या	–	4305

"शिरडी के साई बाबा" सीरियल का प्रसारण बंद करना

3804. **श्री वेंकटेश नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने "शिरडी के साई बाबा" के जीवन पर आधारित सीरियल का प्रसारण बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन्हें इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) तेरहवें प्रकरणों के लिए मूलतः अनुमोदित किए गए इस धारावाहिक के सतरहवें प्रकरण को प्रसारित नहीं किया जा सका क्योंकि निर्माता ने दूरदर्शन को कैसिट नहीं दी थी।

(ग) और (घ) मुख्यतः प्रसारण हेतु प्रतीक्षारत अन्य अनुमोदित प्रस्तावों के कारण अतिरिक्त प्रकरणों के लिए निर्माता के अनुरोध को दूरदर्शन द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

स्वास्थ्य सेवाएं

3805. **श्री वी.एस. विजयराघवन :**
प्रो. के.वी. थामस :
श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन :

क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, जिला अस्पतालों के लिए कचरा व्ययन प्रणाली अलेप्पी स्थित। टी.डी. मेडिकल कालेज में प्रतिरक्षण विज्ञान संस्थान और प्रयोगशालाओं की स्थापना और तिरुअनंतपुरम में गहन हृदय उपचार यूनिट में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कुछ प्रस्ताव अनुमोदनार्थ और वित्तीय सहायता के लिए भेजे हैं: और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कार्रवाई राज्य सरकार के पास लंबित है। जिसे प्रस्तावों को उपयुक्त रूप से आशोधित करने का अनुरोध किया गया है।

कोयला आवंटन

3806. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की मांग और पूर्ति में कोई अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय पूल से पश्चिम बंगाल को कोयले का वार्षिक आवंटन अन्य राज्यों की तुलना में कम है;

(घ) यदि, हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई अभ्यावेदन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई/करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण और मांग का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। वर्ष 1995–96 के लिए योजना आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में समग्र मांग 288 मि. टन निर्धारित की है। भारत में कोयला कंपनियों के उत्पादन कार्यक्रम में तीव्रता लायी गई है ताकि योजना आयोग में सहमति प्राप्त इस मांग के स्तर को पूरा किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति स्थानान्तरित कर दी जाती है ताकि आपातकालीन स्थिति में जैसाकि हड़ताल होने की स्थिति आदि में भी तथा अन्य उपभोक्ताओं द्वारा महसूस की गई कमी को पूरा किए जाने हेतु मांग को पूरा किया जा सके।

(ग) और (घ) इस संबंध में माननीय सदस्य महोदय शायद घरेलू उपयोग किए जाने हेतु सरकार द्वारा साफ्ट कोक तथा "सिलकोक" के आवंटन को संदर्भगत कर रहे हैं।

अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996 की अवधि के लिए विभिन्न राज्यों को मासिक आधार पर आवंटित किए गए साफ्ट कोक तथा "सिलकोक" की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :–

(आंकड़े '000 टन में)

राज्य	साफ्ट कोक	सिलकोक	जोड़
पश्चिम बंगाल	10.83	54.17	65.00
बिहार	10.00	50.00	60.00
दिल्ली	1.5	7.5	9.0
जम्मू और कश्मीर	0.42	2.08	2.5
हिमाचल प्रदेश	2.42	2.08	2.5
उत्तर प्रदेश	3.33	16.67	20.0
उड़ीसा	0.30	1.50	1.8
असम	0.16	0.84	1.0
सिक्किम	0.17	0.83	1.0
अरूणाचल प्रदेश	0.02	0.08	0.1
मिजोरम	0.04	0.21	0.25
नागालैण्ड	0.17	0.83	1.0
त्रिपुरा	0.09	0.41	0.5
मणिपुर	0.02	0.08	0.1
मध्य प्रदेश	0.92	4.08	5.0
मेघालय	0.02	0.08	0.1
महाराष्ट्र	0.33	1.67	2.0
गुजरात	0.33	1.67	2.0

वर्ष 1995–96 के दौरान साफ्ट कोक तथा "सिलकोक" का पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया उच्चतम आवंटन संबंधी तथ्य को उपर्युक्त सारणी में दर्शाया गया है।

(ङ) और (च) विभिन्न राज्यों से साफ्ट कोक के आवंटन में वृद्धि किए जाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। साफ्ट कोक की उपलब्धता में काफी गिरावट आने के कारण इसका आवंटन मुख्यतः उन राज्यों को किया जाता है जहां कि साफ्ट कोक का उत्पादन किया जाता है, अर्थात् पश्चिम बंगाल और बिहार। इसको लघु मात्रा में केवल समीप के राज्यों में आवंटित किया जाता है। "सिलकोक" का उच्च मात्रा में आवंटन किया जा रहा है ताकि साफ्ट कोक तथा "सिलकोक" की उपलब्धता घरेलू प्रयोजनों के लिए विभिन्न राज्यों के मामले में अप्रभावित रहे।

राज्य सरकारों से अपने राज्यों में "सिलकोक" के प्रयोग को लोकप्रिय बनाए जाने हेतु गहन प्रयास किए जाने संबंधी अनुरोध किया

गया है। यह कोक धुंआरहित है और घरेलू प्रयोग के लिए बहुत अच्छा है और इसमें कैलोरीफिक क्षमता बहुत अधिक है जबकि साफ्ट कोक की तुलना में इसकी कीमतें ऊंची हैं।

कोयले की आपूर्ति ब्रिकेटिंग यूनिटों और विभिन्न विशेष धुंआरहित ईंधन (एस.एस.एफ.) संयंत्रों को की जा रही है। राज्य सरकारों, जिसमें पश्चिम बंगाल की सरकार भी शामिल है, से इन यूनिटों द्वारा ब्रिकेट्स/एस.एस.एफ. के उत्पादन पर निगरानी रखने का अनुरोध किया गया है और उनसे नए यूनिटों को प्रोत्साहित किए जाने का भी अनुरोध किया गया है ताकि साफ्ट कोक का विकल्प मुहैया किया जा सके।

घटिया कोयले की आपूर्ति

3807. **प्रो. मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल के ताप विद्युत केन्द्रों को घटिया कोयले की आपूर्ति के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सामान्यतः कोयले की गुणवत्ता के संबंध में शिकायतें विद्युत गृहों को आपूर्ति किए जा रहे कोयले में बाह्य अवशिष्ट सामग्री के विद्यमान होने तथा बड़े आकार के कोयले की आपूर्ति किए जाने के बारे में प्राप्त होती है। इन शिकायतों पर प्रत्येक मामले में गुणावगुण आधार पर जांच की जाती है और उपभोक्ताओं की शिकायतों में कमी किए जाने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

कोल इंडिया लि. के अनुसार वर्ष 1994–95 में पश्चिम बंगाल के विद्युत गृहों को कुल 15.3 मि. टन कोयले की आपूर्ति की गई थी और उनसे गुणवत्ता के संबंध में 9 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। चालू वर्ष के दौरान नवम्बर तक पश्चिम बंगाल के विद्युत गृहों को आपूर्ति किए गए कुल 10.32 मि.टन कोयले पर केवल 2 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ग) गुणवत्ता संबंधी शिकायतों को कम दिए जाने हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं–जैसे फिडर ब्रेकरों की स्थापना किया जाना, कोयले के लदान के समय पत्थरों को पृथक किया जाना, कोयला कंपनियों द्वारा गुणवत्ता लदान किए जाने हेतु लदान स्थल पर बेहतर पयर्वेक्षण तथा उपभोक्ताओं को अपने प्रतिनिधियों को तैनात किए जाने संबंधी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

गुजरात में तार सेवा

3808. **डॉ. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के किन–किन स्थानों पर सीधी तार सेवा उपलब्ध है;

(ख) निकट भविष्य में यह सेवा किन–किन स्थानों पर उपलब्ध करा देने का प्रस्ताव है; और

(ग) राज्य में तार सेवा में सुधार के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गुजरात में 107 केन्द्रों में सीधी तार सेवा उपलब्ध है। ब्यौरे विवरण–I में दिये गये हैं।

(ख) 60 और केन्द्रों में, निकट भविष्य में तार सेवा प्रदान किये जाने की संभावना है। ब्यौरे विवरण–II में दिये गये हैं।

(ग) तार सेवा सुधारने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :–

1. नवसारी, उढाना, सूरत नानपुरा, दमण, वलसाड और बिलिमौरा को सूरत के इलैक्ट्रानिक की–बोर्ड कन्सनट्रैटर से जोड़ा जा रहा है, ताकि हिंदी तार परियात तेजी से निपटाया जा सके।
2. राजकोट और बड़ौदा में टेलीप्रिंटर कन्सनट्रेटर संस्थापित किये गए हैं।
3. भावनगर में 1995–96 के दौरान टेलीप्रिंटर कन्सनट्रेटर संस्थापित करने की योजना है।

विवरण-I

उन स्थानों के नाम जहां बड़ी और छोटी कम्प्यूटर प्रणालियों के जरिए सीधी तार सुविधा प्रदान की गई है

1	2	3	4
अहमदाबाद	छोटा उदेपुर	पाटन	पालनपुर
अहमदाबाद–माहिनगर	देवगधबरीया	पढारी	लुना–वाडा
अहमदाबाद–नवरंगपुरा	दीगविजयनगर	पलेज	द्वारका
अहमदाबाद–नारानपुरा	दीसा	राजकोट	दभोल
अहमदाबाद–नरोदा	दहोड	राजकोट भक्तिनगर	उंझा
अहमदाबाद–रेलवेपुरा	दमण	सन्डेर	बिलीमोरा
अहमदाबाद–शाहीबाग	धरोल	राजपिपरा	
अहमदाबाद–वासना	डूमस	सूरत	
अहमदाबाद–बापूनगर	गांधी धाम	सुरेन्द्र नगर	
अहमदाबाद–वाटवा	गोधरा	सावरकुंडला	
अहमदाबाद–उधव	गांधीनगर	एसआर–नानपुरा	
अहवा डांग	गोंडल	सिलवासा	

1	2	3	4
अमरेली	हिमतनगर	सायन	
आनन्द	जामनगर	थानगढ़	
अतुल	जामनगर–दिगविजयप्लाट	उना (सोरथ)	
आमोद	जूनागढ़	उपलेटा	
अंकलेश्वर	जैतपुर	उढाना	
बड़ोदा	जाम्बूसर	उकई	
बड़ोदा–इलोरा पार्क	केडी	वेरवाल	
बड़ोदा–फतेहगंज	कलोल (एनजी)	विसनगर	
बड़ोदा–मकरपुरा	कीम	वापी	
बड़ोदा–फर्टिलाइजर नगर	कांडला	विरमगांव	
बड़ोदा–पेट्रोकेमिकल	खम्बालिया	वयारा	
बड़ोदा–जवाहर नगर	कोडिनार	वलसाड	
वयाड	कच्छ (मांडवी)	वांकनेर	
भावनगर	केसोड	अंजार	
भड़ूच	मेहसाना	धोराजी	
भूज	महूवा	कलोल (पीएम)	
बोटाड	मोरवी	ओखा	
बोर्साड	माळी	दलोड	
बारदोली	नदीयाड	मडाता	
चलथान	नवसारी	मोठापुर	
बावला	पोरबन्दर	ओलपाड	

विवरण-II

उन स्थानों के नाम जहां सीधी तार सेवा प्रदान करने की संभावना है :

1	2
अम्बाजी	मूली
अब्डासा	नलीया
अमलसाड	नखतर्ना
भयाऊ	पार्दी
भेसन	रणवाव
बागरा	राजूला
चिखाली	राफर
चुटोला	राधनपुर
चनासमा	सामी
धरमपुर	संजन
दांता	थारा
दकोर	तलाला
धारी	थसेरा
धनेरा	उमरगांव
दोऊ	वडगांव
फोर्ट सोनगढ़	बीजापुर
हलवाड	वीसावदर
इडार	वाडनगर
जाफराबाद	वन्थली
कथलाल	वाव
कर्मसाड	वंसडा,
कुटीयाना	वाधवन
खम्बा	
कपादवांज	
कोदीनार	
खेरालू	
खेदा	
कुंकावव	
लिम्बदी	
लखतार	
लथी	
लखपत	
लिलिया	
मेहमदाबाद	
कुन्डरो	
केंदर्डा	
मालिया रटिना	

नदी जल का बंटवारा

3809. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमोन्मुखी नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में तमिलनाडु और केरल के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग ने अरब सागर में गिरने वाली पश्चिमोन्मुखी नदियों के अतिरिक्त जल के प्रवाह की दिशा बदलने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) केरल और तमिलनाडु की पेरमविकुलम अलियार परियोजना और अन्य नदियों के संबंध में केरल और तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों और सिंचाई एवं विद्युत केन्द्रीय मंत्री के बीच एक समझौता 10.5.1969 को त्रिवेन्द्रम में हुआ था। केरल और तमिलनाडु राज्यों के मध्य पेरमबिकुलम अलियार परियोजना जिस पर पूर्व निर्णय हो चुका था में, कुछ संशोधन करके इसको आगे बढ़ाने पर सहमति हुई थी।

तमिलनाडु और केरल राज्यों के मध्य मरथापुरजहा, चलाकुडी और पेरियार बेसिनों में नदियों के जल के हस्तांतरण अथवा बंटवारे पर एक समझौता 29.5.1970 को हुआ था।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय जल आयोग ने पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के अधिशेष जल को व्यपवर्तित करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने केरल की पश्चिम की ओर बहने वाली विभिन्न नदियों के जल संतुलन सम्बन्धी अध्ययन किये हैं, जिससे विकास के चरम स्तर पर बेसिन की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् अधिशेष जल वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों को अन्तः बेसिन अन्तरण करने की योजना बनाने के उद्देश्य से जल की अधिशेष/कमी की मात्रा का आकलन किया जा सके। राष्ट्रीय जल विकास अधिकरण ने पम्बा–अचनको विल–वेप्पर लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की है और इसे केरल और तमिलनाडु राज्यों को भेजा गया है।

[हिन्दी]

एल पी जी का आयात

3810. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल पी जी की सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो दोनों क्षेत्रों के पिछले वर्ष और इस वर्ष आज तक एल पी जी का कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ग) इस पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) देश में एल पी जी की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाता है और उससे किस हद तक यह देश की जरूरतें पूरी हो पाती हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1994–95 और 1995–96 के दौरान आई ओ सी द्वारा एल पी जी का आयात निम्नानुसार है :–

मात्रा : टी एम टी
मूल्य : करोड़ रुपए

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1994–95	597	416 78
1995–96* (अप्रैल–सित., 1995)	339	244.89

*अनंतिम

समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत निजी पक्षकार एल पी जी का आयात करने और इसे बाजार से संबंधित मूल्य पर बेचने के लिए स्वतंत्र हैं।

समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत निजी पक्षकारों द्वारा आयातित एल पी जी की मात्रा नीचे दी गई है :–

(आंकड़े टी एस टी में)

1994–95	42.0
1995–96 (30.11.95 तक)	41.3

(घ) एल पी जी के स्वदेशी उत्पादन और इसमें से पूरी की गई मांग के प्रतिशत से संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

मात्रा टी एम टी

वर्ष	एल पी जी का स्वदेशी उत्पादन	स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरी की गई मांग का प्रतिशत
1993–94	2699	86.7
1994–95	2858	83.2

सिंचाई परियोजनाओं का आधुनिकीकरण

3811. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) सोन नहर आधुनिकीकरण परियोजना चरण 1 में 235.93 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 30,000 हैक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र के लाभान्वित होने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना सलाहकार समिति की 10.11.93 को हुई बैठक में इस शर्त पर स्वीकार्य की गई कि राज्य वित्त विभाग की सहमति तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से इस आशय की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।

(ग) बिहार सरकार को संशोधित अनुमान के लिए राज्य वित्त विभाग की सहमति और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।

गुजरात में नशा-मुक्ति केन्द्र

3812. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में कोई नशा–मुक्ति केन्द्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्यों की कुछ कल्याण योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास उनकी स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी हैं।

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) नशाबंदी मंडल, अहमदाबाद, गुजरात द्वारा चलाए जा रहे परामर्श केन्द्र का नशा मुक्ति केन्द्र के रूप में 1992–93 में उन्नयन किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च) राज्यों में नए नशामुक्ति व पुनर्वास केन्द्रों तथा नशीली दवाओं के बारे में चेतना निर्माण, परामर्श तथा सहायता केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता अनुदान हेतु स्वयंसेवी संगठनों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

किसी गैर–सरकारी संगठन को एक नया नशा मुक्ति परामर्श केन्द्र स्थापित करने के लिए सहायता अनुदान की स्वीकृति जरूरत, समस्या की गम्भीरता, निधियों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करती है। इसलिए कोई निश्चित समय सीमा जिसके अंतर्गत इन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी, बताना संभव नहीं है।

विशिष्ट परियोजनाओं में पूंजी निवेश

3813. **डा. चिन्ता मोहन** : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 सितम्बर, 1995 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रेस' में "इनवेस्टमेंट ट्रेड वाडेनिंग रीजनल डिस्पैरिटीज–पी.एच.डी.सी.सी.आई." शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछड़े राज्यों में कम निवेश के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार के पिछड़े क्षेत्रों में निवेश संबंधी विषमताओं को दूर करने और अधिक निवेश सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) 1991 से कुल कितनी धनराशि के, कितनी संख्या में और किन–किन राज्यों के लिए निवेश/प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) राज्य के अन्दर किसी क्षेत्र की आयोजना व विकास तथा इस प्रयोजन हेतु निधियों का आवंटन करना प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है, योजना आयोग, केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले फार्मूला में भारांश के माध्यम से तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से इस संबंध में राज्यों की सहायता करता है।

(च) राज्य सरकारों के निवेश संबंधी प्रस्ताव उनकी वार्षिक योजना प्रस्तावों के रूप में प्राप्त होते हैं, जो कि विद्यमान प्रक्रियाओं के अनुसार योजना आयोग द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किये जाते हैं।

[अनुवाद]

असम में दूरसंचार प्रणाली

3814. **श्री द्वारका नाथ दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण असम (बराक घाटी) विशेषरूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार प्रणाली का कार्य निष्पादन संतोषप्रद है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस क्षेत्र में माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित की गई हैं, और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं या उठाए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। इस क्षेत्र में नीचे दिए विवरण के अनुसार अनेक माइक्रोवेव तथा यू एच एफ प्रणालियां स्थापित की गई हैं :–

(i) शिलांग–सिल्चर	7 जी एच जैड नैरो बैंड माइक्रोवेव
(ii) सिल्चर–बदरपुर–करीमगंज	60 चैनल यू एच एफ
(iii) बदरपुर–हैलीकांडी :	60 चैनल यू एच एफ
(iv) सिल्चर–हैफलांग	60 चैनल यू एच एफ
(v) लाला–हैलाकाण्डी	120 चैनल यू एच एफ
(vi) लखीमपुर–सिल्चर	30 चैनल यू एच एफ
(vii) सिल्चर–कुम्भीरग्राम :	120 चैनल यू एच एफ

निम्नलिखित माइक्रोवेव तथा यू एच एफ स्कीमों का संस्थापन कार्य चल रहा है जिससे इस क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं में और अधिक सुधार होगा।

(i) शिलांग – सिल्चर : 140 एम बिट्स एम/डब्ल्यू

(ii) उमरांगशु–थांगाशिप टिल्ला : 30 चैनल यू एच एफ

(iii) उधर बॉण्ड–सिल्चर : 30 चैनल यू एच एफ

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गोवा में एल पी जी एजेंसी

3815. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में 30.09.95 तक कुल एल पी जी की एजेंसियों की संख्या, गैस कनेक्शनों की कुल संख्या और प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या और प्रति मास सिलिंडरों की खपत कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी एल पी जी एजेंसियों और फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र आबंटित किये गये; और

(ग) अगले वर्ष चालू वर्ष की बाजार योजना के अनुसार आबंटित की जाने वाली कुल एल पी जी एजेंसियों और गैस कनेक्शनों की प्रस्तावित संख्या का स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) गोवा में 1.10.1995 तक 30 एल पी जी डिस्ट्रिब्यूटरशिपें थीं और उपभोक्ता संख्या 1.46 लाख तथा प्रतीक्षा सूची 57000 की थी। गोवा में एल पी जी की मासिक औसत खपत लगभग 1 लाख सिलेंडर है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में गोवा में 2 खुदरा/बिक्री केन्द्र डीलरशिपें और 2 की एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें चालू की गईं।

(ग) 1994–96 की एल पी जी विपणन योजना में निम्नलिखित स्थानों पर गोवा में 14 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें शामिल की गई हैं।

कोनसुआलिम

करचोरेन

करटेरिम

लोऊटुइम

मापुसा

मार्सेल

मारगाव

मोरमुगोआ

ओल्ड गोवा

पणजी (2)

पेरनेम

वारका

वास्को

किसी डिस्ट्रीब्यूटर को एल पी जी कनेक्शन, उत्पाद उपलब्धता और डिस्ट्रीब्यूटर के प्रचालन स्तर को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा उसकी निर्धारित हकदारी के अनुसार जारी किए जाते हैं। लेकिन नए डिस्ट्रीब्यूटरों को उनके प्रचालन के पहले वर्ष के दौरान सामान्यतया 1000 एल पी जी कनेक्शन दिए जाते हैं।

[हिन्दी]

स्टार टी.वी. के साथ समझौता

3816. **श्री पंकज चौधरी** :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टार टी.वी., भारतीय हाकी फैडरेशन और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंध ग्रुप के बीच हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त समझौते को कब तक लागू किये जाने की संभावना है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) भारतीय फैडरेशन द्वारा आयोजित, स्वीकृत अथवा नियंत्रित सभी खेल आयोजनों के टेलीविजन पर टेलीकास्ट, प्रसारण, प्रायोजकता और वाणिज्यिक अधिकारों के एकमात्र और विशिष्ट प्रतिनिधि के रूप

में भारतीय हॉकी फैडरेशन ने इन्टरनेशनल मरकेनडाइजिंग कारपोरेशन, यू.एस.ए. को 31 मई, 1995 को हस्ताक्षरित समझौते के तहत नियुक्ति किया है। इन्टरनेशनल मरकेनडाइजिंग कारपोरेशन द्वारा अधिकारों के उपयोग के प्रतिफल के रूप में भारतीय हॉकी फैडरेशन, इन्टरनेशनल मरकेनडाइजिंग कारपोरेशन को सभी अधिकारों संबंधी आय के 30% के बराबर कमीशन का भुगतान करेगा।

[अनुवाद]

भूमिगत खानों की उत्पादकता

3817. **श्री हरिन पाठक** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तेरह वर्षों से भूमिगत खानों में उत्पादकता लगभग स्थिर रही है;

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों में कम उत्पादकता का क्या कारण है; और

(ग) भूमिगत खानों में उत्पादकता में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) पिछले 13 वर्षों में कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की भूमिगत कोयला खानों में उत्पादकता लगभग स्थिर रही है। भारत में भू–गत खानों में कम उत्पादकता होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :–

(1) अधिकांश भूमिगत खानें पुरानी तथा फैली हुई हैं और इनमें श्रमिकों द्वारा उत्खनन किया जाता है।

(2) अधिकांशः भूमिगत खानों में भू–खनन जैसे स्टीप तथा बहु–सीमेंट, आगों का लगना तथा आसपास के क्षेत्रों की पुरानी खानों का जलमग्न होना, निर्मित सतही ढांचे जिनकी सुरक्षा की आवश्यकता है, रेत भराई आदि, जिसमें ऐसे अनुत्पादक क्रियाकलापों से निपटने के लिए बड़ी संख्या में कामगारों को रोजगार दिया जाना अपेक्षित है।

(3) गैर–हाजिरी की उच्च दर।

(4) कोयला कंपनियों के लिए वर्कशाप, भंडारण, जल–आपूर्ति, कालोनी का अनुरक्षण, विभागीय कामगारों के जरिए सहायक सेवाएं प्रदान किया जाना अपेक्षित है, जिन्हें गणना के लिए कुल श्रमशक्ति में शामिल करना पड़ता है, जिससे समग्र उत्पादकता के आंकड़े प्रति व्यक्ति प्रतिपाली में संगणना के मामले में नीचे आ जाते हैं।

(5) पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी तथा विद्युत की आपूर्ति में लगातार अवरोध, जिससे ई.को.लि., भा.को.को.लि. तथा से.को.लि. की खानों के क्रियाकलाप प्रभावित हुए हैं।

(ग) कोयला खानों में उत्पादकता में सुधार किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) लोड हॉल डम्पर्स तथा साइड डिस्चार्ज लोडर की शुरुआत करके बोर्ड तथा पिल्लर उत्खनन क्रियाकलापों को यंत्रीकृत किया जाना।

(2) उच्च क्षमता वाले उपकरणों जैसे ड्रेगलान, शावेल, डम्पर्स तथा ओपनकास्ट खानों में ड्रिलों को नियोजित करना।

(3) सभी उपकरणों के कार्य–निष्पादन में सुधार किया जाना, जोकि अपेक्षित आगतों तथा पद्धति में सुधार के द्वारा किया जाना, जिसमें पावर सपोर्ट लांगवाल उपकरण शामिल है।

(4) सुधरी हुई श्रमशक्ति का आयोजन, जिसमें पहले से ही चल रही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के जरिए श्रमशक्ति का पुनः नियोजन तथा युक्तिसंगत किया जाना शामिल है।

(5) "आल–मैन–आल–जॉब" की संकल्पना को, जहां कहीं भी व्यवहार्य हो, शुरू किया जाना।

(6) अपेक्षित वर्कशाप, सपोर्ट, अतिरिक्त कलपुर्जे, आदि के प्रबंधन में सुधार करके उपकरणों की उपलब्धता में तथा उपयोगिता में सुधार किया जाना।

(7) भूमिगत खानों में बेहतर वायु की व्यवस्था, बेहतर रोशनी तथा सुधरी हुई संचार व्यवस्था के माध्यम से कार्य की परिस्थितियों में सुधार किया जाना।

(8) विद्युत आपूर्ति में, विशेषकर पूर्वी क्षेत्र की कोयला खानों में डी.वी.सी. से विद्युत प्राप्त किए जाने के लिए सीधे फीडरों का निर्माण करके तथा घुनिंदा स्थलों में ग्रहीत विद्युत संयंत्रों की स्थापना करके विद्युत की आपूर्ति में सुधार किया जाना।

(9) विभिन्न कोयला खानों में कार्यरत संयुक्त परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से प्रबंधकों, पर्यवेक्षकों तथा कामगारों के बीच सम्पर्क की व्यवस्था में सुधार किया जाना।

कनाट पलेस (सी.पी.) का नाम परिवर्तन

3818. **श्री मणि शंकर अय्यर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसी कि घोषणा की गई थी कनाट सर्कस/प्लेस का नाम इन्दिरा चौक/राजीव चौक करने की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो नए नाम इंगित करने हेतु नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में मार्ग संकेतों को किस तिथि तक परिवर्तित कर दिया जाएगा;

(ग) क्या पत्र शीर्षों और साइन बोर्डों पर नए नामों का प्रयोग करने हेतु इन्दिरा चौक/राजीव चौक में स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र

के उपक्रमों और कार्यालयों को दिशा–निर्देश जारी कर दिये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो ये निर्देश किस तिथि तक जारी कर दिये जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने कनाट सर्कस और कनाट प्लेस का नाम बदलकर इंदिरा चौक और राजीव चौक रखने का निर्णय 18 अगस्त, 1995 को लिया था तथा इस समाचार को सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए दिनांक 19.8.1995 को एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की थी। केन्द्र सरकार ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को सलाह दी है कि वह कनाट प्लेस और कनाट सर्कस का नाम बदलकर क्रमशः राजीव चौक और इंदिरा चौक कर दे।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को निर्देश जारी करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

3819. **श्री मंजय लाल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को म्यांमार में रहने वाले भारतीय नागरिकों से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति के लिये अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं;

(ख) सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही) : (क) से (ग) सरकार को महा–सचिव, आल–बर्मा–भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज/सिविल पर्सनल रिलीफ कमेटी रंगून से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने हेतु कुल मिलाकर 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो कि म्यांमार में रह रहे व्यक्तियों के हैं। इनमें से, केवल 6 भारतीय राष्ट्रिक हैं। यंगोन स्थित भारतीय दूतावास से यह अनुरोध किया गया है कि वह इन आवेदकों के बारे में सभी आवश्यक ब्यौरे/दस्तावेज प्राप्त करे, जैसा कि योजना के तहत अपेक्षित है। इनके दावों के बारे में कोई निर्णय इन ब्यौरों/दस्तावेजों के प्राप्त हो जाने के बाद ही लिया जा सकेगा।

[अनुवाद]

विकास कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन

3820. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकास कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन संबंधी कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान रत्नगिरि और सिंधुदुर्ग जिलों में कितनी धनराशि व्यय की गई और वहां कार्यान्वित किये गये विभिन्न विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दोनों जिलों में कार्यान्वित किये गये विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यक्रमों की निगरानी और इन्हें कार्यान्वित करने का तरीका क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां। योजना आयोग ने विकास कार्यक्रमों की मानिटरिंग तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी अनेक मूल्यांकन अध्ययन करवाये हैं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य से संबंधित केवल दो अध्ययन थे।

(1) पारम्परिक मछुआरों की रहन–सहन की स्थतियों संबंधी फिशिंग हार्बर परियोजनाओं के प्रभाव से संबंधित मूल्यांकन अध्ययन (1993–94) तथा

(2) महाराष्ट्र में रोजगार गारण्टी स्कीम संबंधी अध्ययन (1993–94)।

पहले अध्ययन में रतनागिरी जिले को शामिल किया गया; तथा दूसरे अध्ययन में रतनागिरी एवं सिंधुदुर्ग, दोनों जिलों को शामिल किया गया। योजना आयोग, विभिन्न विकास क्रार्यक्रमों पर हुए व्यय के जिला–वार ब्यौरे नहीं रखता है। बहरहाल, महाराष्ट्र सरकार ने रतनागिरी तथा सिंधुदुर्ग जिलों में विभिन्न स्कीमों के लिए वर्ष 1992–93, 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान निम्नलिखित व्यय होने का उल्लेख किया है।

(रु. लाख में)

वर्ष	रतनागिरी	सिंधुदुर्ग
1992–93	1488.89	878.19
1993–94	1556.32	1062.58
1994–95	2435.71	1425.83

(ग) किसी राज्य के अन्दर एक क्षेत्र का विकास, विकास कार्यक्रमों का निर्माण, निधियों का आवंटन आदि। प्राथमिक तौर पर राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है।

(घ) राज्य की वार्षिक योजना तैयार करते समय योजना आयोग में विकास स्कीमों की एक सामान्य समीक्षा की जाती है। महत्वपूर्ण स्कीमों/कार्यक्रमों को संबंधित नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा भी मानिटर किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार ने त्रैमासिक मानिटरिंग की एक प्रणाली पहले

ही शुरू की है। समीक्षा तथा मानिटरिंग पर्याप्त वित्तीय परिव्ययों वाली प्रमुख योजना स्कीमों तथा महत्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों वाली स्कीमों तक ही समिति है। प्रत्येक स्कीम को मानिटर करने के लिए दो अथवा तीन वास्तविक प्रतिमानों का पता लगाया जाता है तथा इन्हीं प्रतिमानों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्टिंग प्रारूप (1) सामान्य स्कीम, (2) सामान्य स्कीमों का निर्माण कार्य (3) सड़क निर्माण कार्य (4) सिंचाई परियोजनाओं तथा (5) विद्युत परियोजनाओं के लिए अलग-अलग निर्धारित हैं। प्रमुख सिंचाई तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार समीक्षा की जाती है तथा 10 करोड़ रु. से अधिक निवेश वाली मझोली सिंचाई परियोजनाओं को भी शामिल किया जाता है। सभी स्कीमों को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि अनेक स्कीमों के परिव्यय नाममात्र के हैं तथा सभी स्कीमों के लिए वित्तीय एवं वास्तविक लक्ष्यों संबंधी मानिटरिंग की प्रक्रिया बहुत जटिल एवं अव्यवहार्य है। इसी प्रकार, सभी पूर्णतः कर्मचारी-उन्मुख स्कीम तथा अधिकांश सहायता अनुदान स्कीमों को राज्य सरकार की त्रैमासिक मानिटरिंग प्रणाली के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा जाता है क्योंकि ऐसी स्कीमों में व्यय को किसी सार्थक वास्तविक उपलब्धि से जोड़ना मुश्किल होता है।

[हिन्दी]

गुजरात और महाराष्ट्र में स्वयंसेवी संगठन

3821. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात और महाराष्ट्र में कौन-कौन से स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र के स्वयंसेवी संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) संबंधित जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

गुजरात स्थित स्वैच्छिक संगठनों के नाम

अनुसूचित जाति विकास

1. हरिजन सेवक संघ, श्री परिक्षित लाल आश्रम, शाला, हरिजन आश्रम, महात्मा गांधी आश्रम रोड, अहमदाबाद

जनजाति विकास

1. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, पंचमहल सावरकांटा
2. भारत सेवा आश्रम संघ, आश्रम रोड, अहमदाबाद
3. झरपन नासरपुर विभाग, कलवानी, मंडल, सूरत
4. भारतीय आदिमजाति सेवक संघ झलौद
5. डेफ डब्ल्यमेंट रिसर्च फाउंडेशन सेनापति वापस मार्ग पूना

विकलांग कल्याण

1. सोसायटी फार दि मेंटली रिटार्डेड, राजकोट
2. श्री के.एल. इंस्टिट्यूट फार दि डीफ, भावनगर
3. ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन, अहमदाबाद
4. श्री डी एस पारीख डीफ् एंड डम्ब स्कूल, सुरेन्द्र नगर
5. अंकुर स्कूल फार मंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, भावनगर
6. मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट, चिल्ड्रन होस्पीटल, बड़ोदरा
7. अंधजन विवीदालक्सी तालीम केन्द्र, जामनगर
8. अन्ध कन्या प्रकाश गृह ट्रस्ट, अहमदाबाद
9. अन्ध अपंग कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद
10. लाइट होम्स फार दि ब्लाइंड गर्ल्स, अहमदाबाद
11. अन्ध कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद
12. सी.बी. विरानी डेफ एंड डम्ब स्कूल, राजकोट
13. मानव कल्याण ट्रस्ट, विजालपोर जिला बलसाद
14. माता लक्ष्मी रोटरी चेरिटेबल सोसायटी, आदिपुर, कच्छ
15. रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट
16. स्पपन स्कूल फार एम.आर., राजकोट
17. अपंग परिवार कल्याण केन्द्र, भावनगर
18. सहयोग कुष्ठयाना ट्रस्ट, राजेन्द्र नगर
19. वी.-वन सोसायटी, बड़ौदरा
20. मानव दया ट्रस्ट, भावनगर
21. के.एल. इन्स्टीच्यूट फार डेफ, भावनगर
22. मेडिकल केयर सेंटर, बड़ौदरा
23. ब्लाइंड मैन एसोसिएशन, अहमदाबाद

दत्तक ग्रहण संबंधी योजना

1. तपिभाई आर. गांधी विकास गृह, भावनगर
2. श्री शिशु मंगल ट्रस्ट, जुंगारह
3. काथियावाद निराश्रित बाल आश्रम, राजकोट
4. विकास विद्यालय वधावन सिटी, सुरेन्द्र नगर
5. रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, अहमदाबाद

मद्य निषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग रोक-थाम संबंधी योजना

1. गुजरात कलवानी ट्रस्ट, मंगल प्रभात बिल्डिंग, संत जेवियर स्कूल के सामने मिजापुर, अहमदाबाद–380001
2. भारतीय समाज कल्याण परिषद, गुजरात राज्य शाखा म्यूनिसिपल बाल भवन, मालदी
3. नशाबन्दी मंडल, गुजरात मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के सामने अपना बाजार, अहमदाबाद
4. रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट "हार्दिक" परेराना मार्ग, सोसायटी एल. जी. अस्पताल के सामने मनी नगर, अहमदाबाद–380008
5. एस.सी. पटेल कैंसर रिसर्च इन्स्टीच्यूट, डी–एडीक्शन केन्द्र, ए–1 मुद्रा काम्पलैक्स, इलौरा पार्क बड़ौदा

स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों के लिए संगठनात्मक सहायता की योजना

1. भारतीय समाज कल्याण परिषद
2. गुजरात राज्य अपराध निवारण ट्रस्ट, अहमदाबाद
3. ब्लाइंड मैन्स एसोसिएशन, वस्त्रपुर, अहमदाबाद
4. अखंड ज्योति प्रतिष्ठान, अहमदाबाद
5. मंगल ग्राम सेवा निधि, बड़ौदा
6. विकास विद्यालय, वाघवन सिटी
7. बड़ौदा सिटीजन्स कॉसिल, बड़ौदा
8. ज्योति संघ, अहमदाबाद
9. रोशन विकास मंडल, अहमदाबाद
10. गुजरात रक्तपीट निवारण सेवा संघ, अहमदाबाद

वयोवृद्धों का कल्याण

1. रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, अहमदाबाद
2. गुजरात कलवानी ट्रस्ट, अहमदाबाद

बेसहारा बच्चों का कल्याण

1. अखंड ज्योजि प्रतिष्ठान, पालदी, अहमदाबाद
2. भारतीय समाज कल्याण परिषद, म्यूनिसिपल भवन, पालदी, अहमदाबाद
3. रचनात्मक अभिगम ट्रस्ट, नगरवाड़ा, मनी नगर, अहमदाबाद
4. बड़ौदा सिटिजन कॉसिल, सयाजी बाग, बड़ौदा
5. विकास ज्योति ट्रस्ट, नगरवाड़ा, चार रास्था, नागरवाड़ा, बड़ौदा

कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कॉचिंग केन्द्र

1. अंजुमन–ई–तार्कि–इ–मालेगांव नासिक
1. अंजुमन–इ–तालिमी इदरा चेरिटेबल ट्रस्ट, भैराघ
2. मखडूम एजूकेशन सोसायटी, मोदासा

महाराष्ट्र स्वैच्छिक संगठनों के नाम

अनुसूचित जाति विकास

1. पद्ममाश्री अन्नासाहिब जाधव भारतीय समाज उन्नति मंडल दिदयाश्रम, भिवाड़ी जिला थाणे
2. भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नागपुर
3. अखिल भारतीय मेगास्वर्गीय समाज प्रबोधन संस्थान कल्याण (ई) जिला थाणे
4. बावलभाऊ प्रतिष्ठान नावलनगर, जिला धुला
5. नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ बुमैन, चाइल्ड एंड यूथ, कमला नगर
6. अहिल्यादेवी महिला मंडल, नागपुर

आदिवासी विकास

1. सेवाधाम ट्रस्ट, पुणे
2. ए.आई.एम. समाज प्रलोभन् कल्याण (ई) थाणे
3. नवलभाऊ प्रतिष्ठान, नवलनगर धाऊ
4. भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, नागपुर
5. डेफ डब्लपमेंट रिसर्च फाउंडेशन पुणे
6. नेशनल इन्स्टीच्यूट आफ यूमैन, चाइल्ड एंड यूथ डेब्लमेंट नांगपुर

संस्थाओं के लिए सहायता योजना

1. बालग्राम एसओएस चिल्ड्रन विल्लेज पुणे
2. नेशनल एसोसिएशन फार दि, ब्लाइंड, नासिक
3. सुहरूद मंडल, पुणे
4. एनएसइओएच, बम्बई
5. नेशनल फेडरेशन आफ दि ब्लाइंड, बम्बई
6. कारधा इन्स्टीच्यूट आफ सोशिल सर्विस पुणे
7. युगान्तर एजूकेशन सोसायटी, नागपुर
8. कालेज आफ सोशल वर्क, निर्मला निकेतन, बम्बई

मद्यनिषेध तथा नशीली दवा दुरुपयोग रोक-थाम संबंधी योजना

1. भारतीय आदिमजाति संघ, वीद्रभा पांडेस बुंगलॉन नागपुर, खामाला
2. गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल, अहमेदपरु, गुनेले गली फुले नगर अहमदपुर, जिला लातुर

3. अंतर्राष्ट्रीय मिशन आफ डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान सोसायटी, नवा नाकास नागपुर
4. इंस्टीट्यूट आफ फियोजोजीकलई हैंडीकैप्ड बी–103, सैन्टर पोइन्ट, बीहाइंड म्यूनिसिपल कार्पोरेशन प्रमोसस, पंचपाकन्डी, पुणे
5. कल्याण एजूकेशन सोसायटी, 103, टिंककार रोड, धनतोली, नागपुर
6. कृपा प्रतिष्ठान, एम टी. कारमेल चर्च, 81/ए, चेपोल रोड, बान्द्रा, बम्बई
7. महाबोधी एजूकेशन सोसायटी लाला लाजपतराय रोड, नजदीक नेहरू गार्डन, माद्रा रोड, भान्द्रा
8. एम.एस.एस. इन्स्टीच्यूट आफ सोशिल वर्क, वेस्ट हाई कोर्ट रोड, दजाजनगर, नागपुरे
9. मुकतंगन मिश्रा कृष्णा पत्रकार, नागैर, पुणे
10. न्यू फ्रेन्डस सुविचार एजूकेशन सोसायटी, इन्दौर, नागपुर
11. परिवन्धन डी–एडीक्शन इन्स्टीच्यूट, 155, सदाशिवपथ, सतारा सिटी
12. राष्ट्रीय विदंयान मंच नेमद होस्पिटल विशजी नगर, जिला पथ जलगांव
13. सेवाधन म्यूनिसिपल हास्पिटल बिल्डिग, चौथीमंजिल, भद्रावती अंधेरी (डब्ल्यू) बम्बई
14. सर्व सेवा संघ, वादगौंशरी, पुणे
15. सामयाक दीप विचार मंच, पी.एल. लोखन्दे मार्ग, राहुल नगर, नागवती चैम्पुर, बम्बई
16. शहीद अब्दुल हमीद एजूकेशन सोसायटी, खतीकपुरा, जिला युवातमल, महाराष्ट्र
17. वीर अर्जुन युवक मंडल, नागपुर
18. युगांतर एजूकेशन सोसायटी, नागपुर
19. युवा शक्ति प्रतिष्ठान, बम्बई

वृद्धों का कल्याण

1. मुक्त दवार उन्नति मंडल, जलगांव
2. इंडियन कांसिल आफ सोशिल वेलफेयर, बम्बई
3. बम्बई सुवुरवन श्री सिटीजन एसोसिएशन, बम्बई
4. जानकी भाई ट्रस्ट, धुल
5. इंडियन एसोसिएशन आफ रिटार्डेड परसन, मेहम, बम्बई
6. पश्चिम खादेश भागिनी सेवा मंडल, धुल
7. इन्स्टीच्यूट आफ रूरल हैल्थ एंड सोशिल वेलफेयर सर्विस, जिला कोलाहापुर
8. राष्ट्रशांत तुकडोजी महाराज टेक्नीक एंड एजूकेशन, सोसायटी नागपुर
9. मातरू सेवा संघ, नागपुर
10. कागल एजूकेशन सोसायटी, कोलाहापुर

बेरोजगार बच्चे

1. सलीम डालक ट्रस्ट, बम्बई
2. स्पोटर्स बम्बई
3. सोसायटी फार प्रमोशन एरिया रिसोसिस सेंटर, बम्बई
4. टाटा इन्स्टीच्यूट आफ सोशिल साइंसिस, बम्बई
5. वत्सालय, बम्बई
6. यूथ फार यूनिटी एंड वालान्टरी एक्शन, बम्बई
7. सी.सी.वी.सी. बम्बई
8. अपंग व निराधार बहुद्देशीय कल्याण कारे संस्था, नागपुर
9. समाज कल्याण मंडल, नागपुर
10. कम्यूनिटी एंड सपोन्सरशिप प्रोग्राम बम्बई
11. डिपार्टमेंट आफ कन्टीन्यूनिंग एंड अडल्ट एजूकेशन, एंड एक्सटेशन वर्क, पुणे

विकलांग कल्याण

1. हैलन कैलर इन्स्टीच्यूटर फार डेफ एंड ब्लाइंड, बम्बई
2. एजूकेशन ओडकोलॉजी एंड रिसर्च सोसायटी, बम्बई
3. माही विद्यार्थी संघ, जलगांव
4. न्यू एजुकेशन सोसायटी, कोल्हापुर
5. सरस्वती शिक्षा पसारक, कानीखेड
6. श्री राम एजूकेशन सोसायटी रेजिडेंटल मूक बधिर विद्यालय खामगांव
7. श्री सिद्दासवर शिक्षण प्रसारक मंडल नवजीव मूक बधिर विद्यालय, वासमथ
8. सूरत मंडल, बम्बई
9. विकास विद्यालय जानकीभाई शिक्षण संस्था, बम्बई
10. थाणे जिला स्ट्रीट शक्ति जागृति समिति, थाणे
11. आविष्कार सोसायटी फार डब्ल्पमेंट आफ एम एच पर सन्स

12. ए डब्ल्यू एम एच, बम्बई
13. के एच एम हास्पिटल, पुणे
14. एम आर, रेजिडेशनल स्पैशल स्कूल फार व्यास एंड गर्ल्स, नागपुर
15. पुनर्वास एजुकेशन सोसायटी, बम्बई
16. रिसर्च सोसायटी फार दि केयर, ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग आफ चिल्ड्रन
17. सोसायटी फार वोकेशनल रिहैब्लीटेशन आफ रिटायटर्ड
18. वी डी इंडिया सोसायटी फार एम.आर. बम्बई
19. श्री ट्रस्ट, बिहार
20. संत गाडगे महाराज भातकीया विभुक्ति जानी समिति शिशु प्रसारक मंडल
21. अपंग मैत्री, थाणे
22. अपंग निराधार कल्याणकारी संस्था नागपुर
23. अपंग जीवन विकास संस्थान, अमरावती
24. ग्राम विकास युवक मंडल, नान्देद
25. इंडियन कैंकर सोसायटी, बम्बई
26. मराठवाड़ी अपंग संस्थान, लातूर
27. मातरू सेवा संघ, नागपुर
28. समता युवक मंडल
29. सोसायटी फार दि एजूकेशन आफ करिप्पल्ड, बम्बई
30. विजय मरचंट रिहैब्लीटेशन सेंटर फार डिसेवल
31. श्री गणेश शिक्षा प्रसारक मंडल, लातूर
32. अपंत पुनर्वास, बुलधाना
33. फैलोशिप आफ दि फिजिकल हैडिकैप्ड, बम्बई
34. एनएएसईओएच, बम्बई
35. निवासी अन्ध विद्यालय, हिगोंली
36. एनएसडी इन्डस्ट्रीयल होम फार दि ब्लाइंड, बम्बई
37. एनएबी, बम्बई
38. नेशनल फेडरेशन आफ दि ब्लाइंड; बम्बई
39. बम्बई लैपरोसी प्रोजेक्ट, बम्बई
40. पुणे जिला, लैपोरेसी कमेटी, पुणे
41. वाई अक्षर सतारा
42. स्पास्टिकस सोसायटी आफ इंडिया, बम्बई
43. सोसायटी फार दि रिहैब्लीटेशन आफ दि केरीप्पलड चिल्ड्रन, बम्बई
44. सीएएसपी, बम्बई
45. सोसायटी फार दि स्पैशिल एजूकेशन आफ दि डेफ, बम्बई
46. परेड इंडिया, बम्बई
47. विद्यालय भवन एजूकेशन सोसायटी, प्रभानी
48. एनएड ब्ल्यूपीएच, अमरावती
49. गंगामागा शिक्षा प्रसारक मंडल, बिलौली
50. सरूजन मंडल, सांगली
51. पूना स्कूल एंड होम फार ब्लाइंड, पूना
52. शिक्षण प्रसारक मंडल, पूना
53. लाइन्स डेफ एंड डम एंड पीएच स्कूल, नागपुर
54. सोसायटी फार दि एजूकेशन फार ओएच
55. सोसायटी फार दि वेलफेयर आफ पीएच, पुणे
56. राष्ट्र सत टुकडोजी महाराज हैक्नीकल एजूकेशन सोसायटी
57. एनएएसईओएच, बम्बई
58. अयोध्या चेरीटेवी ट्रस्ट, बम्बई
59. इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन, बम्बई
60. फैलोशिप आफ दि फिजिकलीहैंडीकैप्ड, बम्बई
61. इंडियन कैंसर सोसायटी, बम्बई
62. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई
63. सोसायटी फार दि वेलेफेयर आफ फिजीकलीहैंडीकैप्ड, पुणे
64. नेशनल एसोसिएशन फार ब्लाइंड, नासिक
65. कृत्रिम अंग केन्द्र, पुणे
66. सुशरूट मेडिकल केयर एंड रिसर्च सोसायटी, पुणे
67. हैल्पर आफ दि हैंडीकैप्ड, कोल्हापुर

1. वत्ससालय, बम्बई
2. शरद्वानन्द महिला आश्रम, बम्बई
3. पीपल्स एजूकेशन सोसायटी, बुलदाना
4. पंकज बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, बम्बई
5. प्रमोदनगर शैक्षिणिक और सांस्कृतिक न्यास, धुले
6. स्वर्गीय सूदर पिंगल मेमोरियल ट्रस्ट, धुले
7. सत नरहरी एजूकेशन सोसायटी, धुले

8. अपंग एवं कुष्ठ रोगी स्वावलम्बन संस्थान, धुले
9. डिस्ट्रिक प्रावशन एंड आफ्टर केयर एसोसिएशन, कोल्हापुर
10. ज्ञान गंगोत्री एजूकेशन सोसायटी, लातूर
11. बाल विकास महिला मंडल, लातूर
12. शान्ति निकेतन शिक्षण संस्था, लातूर
13. आधारश्रम, नासिक
14. श्री शरद्धानन्द अनाथालय सोसायटी, नागपुर
15. वलबन्त कार आनन्द मेमोरियल सोसायटी, पुणे
16. वाल्टंरी कोआरडिनटिंग एजेंसिस (वीसीए) मारफ्त इंडियन एसोसिएशन फार प्रमोशन आफ एडापशन, बम्बई

कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना

1. अजमन–इ–तर्की–इ–तालिम मालेगांव, नासिक
2. अजुमन–इ–इस्लाम, बम्बई
3. महाराष्ट्र कोसमो एजुकेशन सोसायटी, पुणे
4. साद आदम शेख ट्रस्ट, बम्बई
5. मराठवाड़ा, इन्स्टीच्यूट, औरंगाबाद

विवरण-II

केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र को पिछले 3 वर्षों के दौरान प्रदान किए गए कुल सहायता-अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किया गया सहायता अनुदान		
			1992–93	1993–94	1994–95
1	2	3	4	5	6
1.	अनुसूचित जाति विकास	6	7.40	7.80	21.46
2.	अनुसूचित जनजाति विकास	6	10.69	32.42	28.59
3.	संगठनात्मक सहायता की योजना	8	1.00	3.70	4.25
4.	नशीली दवा दुरुपयोग निवारण तथा निषेध की योजना	19	45.29	47.85	53.65
5.	वयोवृद्धों का कल्याण	10	2.71	4.17	7.25
6.	आबारा–बेसहारा बच्चों का कल्याण	11	–	17.11	44.42
7.	विक–लांग कल्याण	67	108.93	108.40	163.01
8.	दत्तकग्रहण योजना	16	3.26	15.77	20.87
9.	कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा–पूर्व कोचिंग	5	–	1.35	8.02

[अनुवाद]

संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

3822. **श्री काशीराम राणा** : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 नवम्बर, 1995 के टाइम्स आफ इडिया में एमपीज सो रु. 1 करोड़ "कर्लविन्ड ऐज पोल नीयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इस योजना को लागू करने के समय से संसद सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी राशि जारी की गई और वास्तव में खर्च की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार ने "दि टाइम्स ऑफ इंडिया" में दिनांक 24 नवम्बर, 1994 को प्रकाशित समाचार को देखा है। इस समाचार शीर्षक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं इसके कार्यान्वयन पर कुछ सांसदों के मिले–जुले विचार दिये गये हैं। खास कर ये, राज्य स्तर पर राजनैतिक भेदभाव, जिला एवं प्रखंड स्तरों पर भ्रष्टाचार, सैद्धांतिक रूप से योजनाओं की अस्वीकृति, निधियों के दुरुपयोग, वितरण में विलंब, केन्द्र के मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अवहेलना, सहायता प्राप्त विद्यालयों के द्वारा सरकार को भूमि स्वामित्व के स्थानांतरण की अनुपयोगिता इत्यादि, के संबंध में हैं।

(ग) कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग ने सांसदों के द्वारा अनुशांसित निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी–सिद्धांतों का प्रावधान किया है। निर्माण कार्यों के उचित एवं तीव्र निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के सहयोग के लिए जिला कलेक्टरों को पत्र भेजे गए हैं। जब भी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अवज्ञा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं, तो एक विस्तृत रिपोर्ट मंगवायी जाती है तथा मार्गदर्शी सिद्धातों से अलग ऐसे सभी निर्माणकारियों को तुरंत रोक दिया जाता है। इसी प्रकार, निधियों के दुरुपयोग के मामलों की छान–बीन की जाती है तथा उचित कार्यवाही के लिए मामले को संबंधित राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है। पुनः जब भी इस संबंध में किसी सांसद से दूसरी तरह की विशिष्ट शिकायत प्राप्त होती है तो मामले को संबंधित जिला कलेक्टर/राज्य सरकार के साथ उठाया जाता है तथा उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाते हैं। इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में जिला कलेक्टरों द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरणों का शीघ्र उत्तर दिया जाता है। जहां भी आवश्यक समझा जाता है, स्थल पर विचार–विमर्श तथा मामले को सुलझाने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के अधिकारियों को दौरे पर भेजा जाता है। योजना के कार्यान्वयन में तीव्रता लाने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को सामान्य अनुदेश भी जारी किए जा चुके हैं। यद्यपि प्रारम्भ में कार्य की प्रगति धीमी रही है, परन्तु अब प्रगति तेजी से हो रही है। नई योजना होने के कारण, इसके कार्यान्वयन की सुप्रवाही बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) केन्द्र सरकार ने अभी तक इस योजना के अंतर्गत 1163.80 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। 31.7.1995 तक वास्तविक व्यय के संबंध में जिला कलेक्टरों से सूचना मांगी गई है। 31.10.1995 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, 164.36 करोड़ रुपये की धनराशि इस योजना के अन्तर्गत वास्तविक रूप में खर्च की जा चुकी है। धनराशि के निर्गम तथा वास्तविक व्यय के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेशवार विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है।

(ङ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त "सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के–आयोजन, संकल्पना, कार्यान्वयन एवं प्रबोधन पर मार्गदर्शी सिद्धान्त" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित प्रलेख हैं। सभी संसद सदस्यों को इसकी प्रति पहले ही परिचालित की जा चुकी है।

विवरण

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम पी लेड्स) के अन्तर्गत योजना के प्रारंभ से जारी की गई धनराशि तथा वास्तविक रूप से (31.7.1995 तक) खर्च की गई धनराशि को दर्शाता विवरण

क्रम. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जारी की गई धनराशि (करोड़ रु. में)	व्यय की गई धनराशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	89.95	13.77
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.65	0.55
3.	आसाम	31.55	6.11
4.	बिहार	116.15	12.00
5.	गोवा	4.15	1.18
6.	गुजरात	55.35	1.12
7.	हरियाणा	21.25	5.73
8.	हिमाचल प्रदेश	11.85	1.70
9.	जम्मू एवं कश्मीर	0.05	–
10.	कर्नाटक	60.50	6.85
11.	केरल	42.45	4.04
12.	मध्य प्रदेश	86.25	16.99
13.	महाराष्ट्र	103.75	5.94
14.	मणिपुर	4.65	1.80
15.	मेघालय	5.65	–
16.	मिजोरम	3.10	0.61
17.	नागालैण्ड	3.10	2.10
18.	उड़ीसा	47.50	3.06
19.	पंजाब	32.00	4.26
20.	राजस्थान	54.75	7.23
21.	सिक्किम	2.60	2.02
22.	तमिलनाडु	87.35	15.50
23.	त्रिपुरा	4.15	–

1	2	3	4
24.	उत्तर प्रदेश	179.90	37.19
25.	पश्चिम बंगाल	85.85	12.76
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1.55	1.03
27.	चण्डीगढ़	1.55	1.02
28.	दादर नागर हवेली	1.55	0.53
29.	दमन एवं दिव	1.55	0.11
30.	दिल्ली	13.45	0.16
31.	लक्षद्वीप	1.55	–
32.	पाण्डिचेरी	3.10	–

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन सुविधा

3823. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1995 के अंत तक "मांग पर टेलीफोन" उपलब्ध कराने संबंधी सरकार द्वारा दिया गया आश्वासन कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) दिल्ली में 1.12.95 की स्थिति के अनुसार 95,601 व्यक्ति प्रतीक्षा–सूची में हैं। 1995–96 के लिए निर्धारित, सीधी एक्सचेंज लाइनों का लक्ष्य 2,72,700 है। अतः यह आशा की जाती है कि अधिसंख्य आवेदकों को, जो इस समय प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं, मार्च, 1996 का टेलीफोन प्रदान कर दिए जायेंगे।

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में, दिल्ली सहित देशभर में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

धारावाहिक "अकबर दि ग्रेट"

3824. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन–1 पर प्रत्येक रविवार को 10 बजे सुबह "अकबर दि ग्रेट" धारावाहिक की कितनी किस्तें दिखाने की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इस धारावाहिक में इतिहास के तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इतिहासकारों की समिति द्वारा ऐतिहासिक धारावाहिक की समीक्षा करवाने अथवा उसके द्वारा ही स्वीकृति दिलाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, छब्बीस।

(ख) और (ग) जी, हां। इस धारावाहिक के निर्माण के शुरू होने से पूर्व इसमें महाराणा प्रताप के चित्रण के बारे में कुछ आशंकाएं व्यक्त की गई थीं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। तथापि, दूरदर्शन प्रत्येक मामले के आधार पर संबंधित विषयों के बारे में बाहरी विशेषज्ञों की राय प्राप्त करता है।

[अनुवाद]

तेलशोधक कारखानों की स्थापना

3825. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 और 1994–95 के दौरान तेल शोधक कारखाने स्थापित करने हेतु जारी किये गये आशय–पत्रों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से किसी तेलशोधक कारखाने पर काम शुरू हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) तेल रिफाइनरियों की परियोजनाओं की स्थापना के लिए 1993–94 और 1994–95 के दौरान जारी किए गए आशय पत्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

वर्ष	पक्षकार का नाम	रिफाइनरी का स्थान
1	2	3
1993–94	मै. ब्लेक गोल्ड रिफाइनरी लिमिटेड	विशाख
1994–95	मै. पेट्रो–सोर्स एनर्जी कंपनी	कराईकल
1994–95	मै. जिंदल फेरो–सलायज	विशाख
1994–95	मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (6 एम एम टी पी ए अतिरिक्त क्षमता)	गुजरात

1	2	3
1994–95	मै. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (टिडको)	तूतीकोरिन
1994–95	मै. एबन लायड चाइल्स आफशोर लिमिटेड, मद्रास	तमिलनाडु
1994–95	मै. सोरेस फंड मैनेजमेंट	हल्दिया
1994–95	मै. भेपालक उद्योग	गुजरात

उपर्युक्त रिफाइनरी परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

पश्चिम बंगाल में डाकघर

3826. **श्री हाराधन राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल में नए डाकघर खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) वार्षिक योजना 1995–96 के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल डाक सर्किल में चार विभागीय उप डाकघर और दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें। इस लक्ष्य का जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जिले का नाम	विभागीय उप डाकघर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर
कलकत्ता	2	–
बांकुरा	1	–
दक्षिण दीनजपुर	–	1
जलपाईगुड़ी	–	1

चार डाकघरों में से एक विभागीय उप डाकघर जन–जातीय क्षेत्र में खोलने का प्रस्ताव है, जिसके लिए स्थान का निर्णय अभी किया जाना है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तीस्ता बराज परियोजना

3827. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को तीस्ता बराज परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लम्बे समय से मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उपर्युक्त परियोजना को कब तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यद्यपि, मंत्रालय ने तीस्ता बराज परियोजना सहित कुछ परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित करने और विशेष केंद्रीय सहायता दिए जाने का प्रस्ताव किया था पर यह प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आईएसडी/एसटीडी केन्द्र

3828. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में विदिशा, रायसेन, सेहोर और भोपाल में आई एस डी/एस टी डी के आवंटन के लिये विज्ञापन प्रकाशित किये गये थे;

(ख) क्या एक साल के बाद तक भी उक्त केन्द्र अभी तक आबंटित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आबंटन के लिये निर्धारित शर्तें क्या हैं; और

(ङ) उक्त आबंटन कब तक किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) विदिशा, रायसेन और सिहोर में एक वर्ष या उससे अधिक समय से एस टी डी/पी सी ओ के आवंटन का मामला लंबित नहीं है। तथापि, भोपाल के मामले में, आईएसडी/एसटीडी पीसीओ का आवंटन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित है।

(ग) भोपाल में, टी ए एक्स तथा स्थानीय एक्सचेंजों में क्षमता की कमी और टी ए एक्स तथा स्थानीय एक्सचेंजों पर अधिक परियात के कारण, आई एस डी/एस टी डी पीसीओ आबंटित नहीं हो सके हैं।

(घ) एस टी डी/आई एस डी पीसीओ, शिक्षित (शहरी क्षेत्रों में कम से कम मैट्रिक पास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 8वीं पास) तथा

बेरोजगार व्यक्तियों को आबंटित किए जाते हैं, जिसमें नेत्रहीन व्यक्तियों, सहित विकलांग व्यक्तियों अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन–जातियों, भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाओं, दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा उनके आश्रितों, स्वतंत्रता सेनानियों अथवा उनके आश्रितों, तथा धमार्थ संस्थानों/अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ङ) भोपाल में एसटीडी/आईएसडी पीसीओ के आबंटन के लिए लंबित आबंटनों पर, टी ए एक्स तथा स्थानीय एक्सचेंजों के विस्तार के बाद अर्थात् जून, 1996 तक विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश सरकारी सम्पत्ति को आग लगाने की घटनाएं

3829. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1994 तथा 1995 के दौरान अब तक आन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों द्वारा बैंक, रेलवे स्टेशन, टेलीफोन/दूरभाष केन्द्रों सहित केन्द्र सरकार की सम्पत्ति को जलाये जाने के कुछ मामले सामने आये हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की हानि हुई;

(ग) इस संबंध में कितने लोग दोषी पाये गये हैं;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में सरकारी सम्पत्तियों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि वामपंथी उग्रवादियों ने रेलवे और टेलीफोन एक्सचेंजों सहित 7 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी सम्पत्ति वर्ष 1994 में तथा 1995 में अब तक लगभग 2.15 करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी सम्पत्ति जलाई/विस्फोट द्वारा नष्ट की है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार के अनुसार, न्यायालय द्वारा कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं पाया गया है। तथापि, विभिन्न मामलों, अपराधों के लिए वर्ष 1994 के दौरान 1846 तथा वर्ष 1995 में अब तक 1060 वामपंथी उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया तथा इन अभियुक्तों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाही की जा रही है।

(ङ) सुभेध स्थानों पर सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा आवश्यक गश्त पहले ही आयोजित की गई है और गार्ड उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, जब कभी उग्रवादी किसी बंद का आह्वान करते हैं अथवा कोई विशेष सूचना प्राप्त होती है तो राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त एहतियाती उपाय किए जाते हैं।

बधिर बालकों के लिए आरक्षण

3830. **श्री शिव शरण वर्मा :**
श्री माणिक राव होडल्या गावीत :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बधिर बालकों के लिये सभी सरकारी और पब्लिक स्कूलों में आरक्षण प्रदान करने और उन्हें सामान्य स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सही है कि सरकारी और पब्लिक स्कूलों के प्राध्यापक अभी भी इन बालकों को प्रवेश देने में हिचकिचाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है।

एफ.एम. चैनल

3831. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एफ.एम. ट्रांसमीटरों को लगाने हेतु गैर–सरकारी एजेंसियों को अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा संचालन लागत घटाया जाना

3832. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र की ऐसी तेल कंपनियों का ब्यौरा क्या है जो अपव्यय में लिप्त हैं;

(ख) क्या तेल कंपनियों के उपरि खर्चों एवं संचालन खर्चे में अनिवार्य रूप से कमी लाने के संबंध में कोई प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई मार्ग निर्देश जारी किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की सभी तेल कंपनियों को सभी संभव क्षेत्रों में अपने प्रचालनों में मितव्ययिता बरतने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। उनको दी गई सलाह में कुछ उपाय जैसे यात्रा, समयोपरि भत्ते, वाहनों के अत्यधिक प्रयोग, कार्यालय खर्चों इत्यादि मदों पर व्यर्थ और परिहार्य व्यय में कमी तथा इन्वेन्टरी नियंत्रण, जनशक्ति लागतों, परियोजना कार्यान्वयन लागतों, प्रचालन लागतों जैसे क्षेत्रों में लागत में कमी लाना तथा उत्तम इंजीनियरिंग और लागत प्रभावी आधुनिकतम उत्पादक प्रौद्योगिकियां अपना कर भी लागत में कमी लाना है।

डी.ई.टी./डी.जी.एम. के लिये टेलीफोन

3833. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी.ई.टी., डी.जी.एम. और जनरल मैनेजरों को दिल्ली में उनके कार्यालयों तथा आवास के लिये दिये गये अपंजीकृत टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या किसी न किसी तरीके से इन टेलीफोनों को सदैव व्यस्त रखा जाता है जिससे जनता एवं सांसदों को आपात स्थिति में उनसे संपर्क स्थापित करने में काफी कठिनाई होती है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और साथ ही उनके कार्यालयों तथा आवास के लिये अपंजीकृत टेलीफोन लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि इन टेलीफोनों का दुरुपयोग न किया जाए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) डी.ई.टी, डी.जी.एम. और जी.एम. को दिल्ली में उनके कार्यालयों तथा उनके आवास स्थान पर प्रदान किए गए अपंजीकृत (असूचीबद्ध सेवा टेलीफोन कनेक्शनों की कुल सुख्या 168 है)।

(ख) और (ग) जी नहीं। सेवाओं की प्रचालन संबंधी आवश्यकताओं और अनुवीक्षण के लिए एम.टी.एन.एल. नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों को अपंजीकृत (असूचीबद्ध) सेवा टेलीफोन प्रदान किए जाते हैं ताकि उन्हें प्रदान किए गए सूचीबद्ध सेवा टेलीफोन व्यस्त न रहें, और अधिकारियों को सामान्य जनता से सुलभ संपर्क स्थापित करने में सुविधा हो।

(घ) एम.टी.एन.एल., नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान किए गए सूचीबद्ध और असूचीबद्ध सेवा टेलीफोनों के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हल्दिया-बरौनी पाइपलाइन

3834. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने को कच्चे तेल की पूर्ति हेतु हल्दिया-बरौनी पाइप लाइन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) आई ओ सी ने बरौनी रिफाइनरी के लिए क्रूड आपूर्ति सुदृढ़ करने के लिए हल्दिया से बरौनी तक क्रूड पाइपलाइन बिछाने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर निवेश अनुमोदन हेतु कार्रवाई जारी है। सरकारी अनुमोदन की तारीख से 42 माह के भीतर इस परियोजना के पूरा होने की आशा है।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

3835. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** :
श्री धर्मलिंगम :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की स्वीकृति के लिये केन्द्र सरकार के पास राज्यवार, अब तक कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) उक्त मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिए समय से प्राप्त आवेदनों पर कम से कम एक बार विचार किया गया और उपयुक्त निर्णय से आवेदकों को अवगत कराया गया। दावों को अस्वीकृत करने के बारे में सरकार के निर्णय से खिन्न आवेदक पुनरीक्षण याचिकाऐं/अभ्यावेदन भेजते रहते हैं। यदि कोई आवेदक ऐसी पुनरीक्षा याचिका के साथ कुछ अतिरिक्त स्वीकार्य साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो ऐसे मामलों पर पुनः विचार किया जाता है। तथापि, 1.12.1995 की स्थिति के अनुसार, निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त केवल 22 नए आवेदन लम्बित हैं :-

महाराष्ट्र	–	20
उत्तर प्रदेश	–	1
हिमाचल प्रदेश	–	1

हालांकि आवेदकों को, उनके दावों पर लिए गए निर्णय से यथाशीघ्र

अवगत कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, पेंशन के दावों की प्राप्ति और निष्पादन एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए पेंशनें के दावों के निपटान के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

कर्नाटक के गांवों में टेलीफोन सुविधा

3836. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में, जिले–वार, ऐसे गांवों की संख्या अलग–अलग कितनी है जिनमें टेलीफोन सुविधा है तथा जिनमें टेलीफोन सुविधा नहीं है; और

(ख) वर्ष 1995–96 के दौरान, जिले–वार, कितने गांवों को उक्त सुविधा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कर्नाटक में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त और सुविधा रहित गांवों की 30.11.95 की स्थिति के अनुसार जिलावार संख्या अलग–अलग संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उन गांवों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है जहां वर्ष 1995–96 के दौरान यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

विवरण

30.11.1995 तक कर्नाटक में टेलीफोन सुविधा युक्त और सुविधा रहित गांवों के जिलेवार ब्यौरे और उन गांवों की संख्या जहां 95-96 के दौरान यह सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है :

क्रम.सं.	जिला	30.11.95 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त गांवों की सं.	सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा रहित गांवों की सं.	उन गांवों की सं. जहां 95–96 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है
1	2	3	4	5
1.	बंगलौर	718	1707	250
2.	बीदर	414	184	100
3.	बीजापुर	773	471	200
4.	बेलगांव	713	429	200
5.	बेलारी	409	181	150
6.	चिकमगलूर	463	550	200
7.	धारवाड़	797	525	150
8.	दक्षिण कन्नड़	659	शून्य	शून्य
9.	दावनगिरि	436	830	200
10.	गुलवर्गा	687	618	200
11.	हासन	506	1865	200
12.	कोडालू	140	143	50
13.	कोलार	737	2111	500
14.	मैसूर.	733	908	200
15.	मांड्या	436	918	150

1	2	3	4	5
16.	रायचूर	541	860	100
17.	सिमोगा	630	1165	100
18.	टुमकुर	771	1736	250
19.	उत्तर कन्नड़	628	655	300
	जोड़ :	11191	15861	3700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज

3837. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली/नई दिल्ली में इस समय कार्य कर रहे इलेक्ट्रॉनिक और मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंजों का उनके "टेलीफोन लेवेल" सहित पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) "टेलीफोन लेवेल" का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने मैनुअल तथा इलेक्ट्रॉनिक हैं;

(ग) क्या टेलीफोन उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली वाले टेलीफोन से बेहतर सेवाएं प्राप्त होती हैं;

(घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1994 और 1995 के दौरान कितने मैनुअल एक्सचेंजों की इलेक्ट्रॉनिकी एक्सचेंजों में बदला गया; और

(ङ) 1996 के दौरान किन-किन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदले जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी एक्सचेंजों का उनके लेवेल सहित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिया गया है। दिल्ली/नई दिल्ली में कोई मानव चालित एक्सचेंज काम नहीं कर रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) शून्य, क्योंकि 1994-95 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों में कोई भी मैनुअल एक्सचेंज कार्यरत नहीं था।

(ङ) उक्त भाग (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्रम सं.	लेवल	किस्म	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
1	2	3	4	5
1.	301	फेटेक्स	सेना भवन	10000
2.	31	पीसी क्रास-बार	जनपथ-I	3000
3.	331/2	फेटेक्स	किदवई भवन	20000
4.	34	पी सी क्रास-बार	जनपथ-I	2500
5.	x371/2/4/5	ई-10 बी	जनपथ डी-I	16000
6.	461/3	ई-10 बी	जोरबाग-डी-I	10000
7.	469	ओ सी बी-203	जोरबाग डी-II	6000
8.	464	ओ सी बी-283	जोरबाग डी-III	10000
9.	370	ई-10 बी	आरपीआरएलयू (जेबीडी III)	1000
10.	338	ओसीबी-283	आरपीआरएसयू (जेबीडी III)	10000

1	2	3	4	5
10. क.	379	ई–10 बी	एमबीआरएलयू (जेबीडी III)	1750
11. ख.	3022	ओसीबी–203	बीबीसीएनई (जेबीडी–II)	250
11. ग.	3023500/749	ओसीबी–283	एमएसआरटीएन. सीएनई (जेबीडी–II)	250
11. घ.	3023	"	ताज पैलेस सीएनई (जेबीडी–II)	250
12.	462	ई–10 बी	जेबीआरएलयू–I (जेबीडी–I)	10000
13.	463	"	जेबीआरएलयू–II (जेबीडी–I)	3000
14.	4601/2	"	जेबीआरएलयू–III (जेबीडी–II)	2000
15.	436	"	एलआरडीआरएलयू (जेबीडी–I)	5000
16.	3724	"	एबीएनआरएलयू–I (जेबीडी–I)	1000
17.	3739/0	"	केबीएनआरएलयू–II (जेबीडी–II)	2000
18. क.	3731	ओसीबी/283	केबीएनआरएसयू–I (जेबीडी–II)	1000
18. ख.	3350/1/23/4/5	"	केबीएनआरएसयू–II (जेबीडी–II)	6000
19.	3734/5	ई–10 बी	जेपीआरएलयू (जेबीडी–II)	1000
20 क.	3732/3	ओसीबी–283	जेपीआरएसयू–I (जेबीडी–II)	1500
20 ख.	3346/7/8/9	"	जेपीआरएसयू–II (जेबीडी–II)	4000
21.	3371	"	पी. मैदान (जेबीडी–II)	1000
		कुल :		128500

पूर्वी-क्षेत्र

1	2	3	4	5
1.	23	एनईसी	तीस हजारी–II	10000
2.	251/2	एनईसी	तीस हजारी–III	20000
3.	291/2/3	फेटेक्स	तीस हजारी–IV	20000
4.	386/7/8	ई–10, बी	दिल्ली गेट–I	30000
5.	73	ओ.के. I	ईदगाह–III	10000
6.	52	एलएमई	ईदगाह–II	10000
7.	777/751/752	फेटेक्स	ईदगाह–IV	30000
8.	354/5	ओसीबी–283	ईदगाह डी–I	20000
9.	294	ओसीबी–283	टी.ए.आर.एस.यू (ईदगाह, डी–I)	5000

1	2	3	4	5
10.	276	ओसीबी–283	लोथियन आरडी आर एसयू (आई–डी डी आई)	10000
11.	3252/3/4/5	ए एक्स ए–10	डी.जी. आर एस यू (एसएनडी–IV)	4000
12.	753	ई–10 बी	ईदगाह आरएलयू (आईडीडी–I)	8000
13.	323	ओ सी बी–283	जेएलएन एमईआरएसयू (जे बी डी–III)	10000
		कुल :		195000

यमुना पार-क्षेत्र

1	2	3	4	5
1.	224/1/0	ई–10 बी	लक्ष्मी नगर डी–I	28000
2.	222/3	ई–10 बी	लक्ष्मी नगर–डी–II	12000
3.	241/2	ई–10 बी	लक्ष्मी नगर–III	20000
4.	245/6	ओसीबी–283	लक्ष्मी नगर डी–IV	10000
5.	227/2288/9	ई–10 बी	शाहदरा डी–I	12000
6.	211	ओसीबी–283	शाहदरा–डी–II	10000
7.	228	ई–10 बी	शाहदरा (आरएलयू) एसएचडीडी–I	7000
8.	229	ई–10 बी	शाहदरा आरएलयू (–वही–I)	10000
9.	225/2492/0/1	ई–10 बी	मयूर बिहार आरएलयू (एलएनडी–II)	13000
10.	247/8	ओसीबी–283	मयूर बिहार–के.–I आरएसयू (एलएनडी–IV)	11000
11.	226	ई–10 बी	यमुना बिहार आरएलयू–I (एलएनडी–II)	7000
12.	2267/8/9	ई–10 बी	यमुना बिहार आरएलयू (एलएनडी–II)	3000
13.	217/8	ओसीबी–283	यमुना बिहार आरएसयू (एसएच) डी–II	20000
14.	243	ई–10 बी	लक्ष्मीनगर आरएलयू–I (एलएनडी–III)	9000
15.	2218/9	ई–10 बी	लक्ष्मीनगर आरएलयू II (एलएनडी–I)	2000
16.	214/5/6	ओसीबी–283	कड़कड़डूमा आरएलयू (शाहदरा डी–II)	25000
		कुल :		208000

उत्तरी क्षेत्र

क्र.सं.	किस्मी	किस्मी	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता
1	2	3	4	5
1.	711/2	एन ई सी	सरोजनीनगर–I	20000
2.	721/2/3	ई–10 बी	–वही– डी–I	23000
3.	724/5	ई–10 बी	–वही– डी–II	14000
4.	713/4	ई–10 बी	–वही– डी–III	14000
5.	741/2/3	एएक्सई–10	–वही– डी–IV	11750
6.	726	ई–10 बी	रोहिणी IX आरएलयू (एसएनडी–III)	9000
7.	7862/3/4	एएक्सई–10	रोहिणी IX आर एसयू (एसएनडी–IV)	3000
8.	727	ई–10 बी	रोहिणी III आरएलयू (एसएनडी–I)	10000
9.	7260/717	ई–10 बी	रोहिणी III आरएलयू II (एसएनडी–III)	5000
10.	7162/3/4/5	एएक्सई–10	–वही– III आरएसयू (एसएनडी–IV)	5000
11.	729	ई–10 बी	वादली आरएलयू (एसएनडी–III)	6000
12.	720	ई–10 बी	अलीपुर आरएलयू (एसएनडी–III)	2000
13.	728	ई–10 बी	नरेला आरएलयू (एसएनडी–II)	3000
14.	718	ई–10 बी	के. पुरमा आरएलयू (एसएनडी–II)	11000
15.	710/9	एएक्सई–10	के. पुरमा आरएसयू (एसएनडी–IV)	14000
16.	7259/8/0	ई–10 बी	मुकर्जी नगर आरएलयू (एसएनडी–II)	3000
17.	7256/7	ई–10 बी	दि.पू. आरएलयू (एसएनडी–II)	2000
18.	742/3	एएक्सई–10	एस. नगर आरएसयू (एसएनडी–IV)	13000
19.	7148	सी–डॉट	एस. नगर एसबीएम	5000
			कुल :	167250

दक्षिणी क्षेत्र

1	2	3	4	5
1.	66	एनईसी	हॉजखास–II	10000
2.	60	एनईसी	चाणक्यपुरी–II	10000
3.	67	पीसी × बार	चाणक्यपुरी–I	8400
4.	686	ई–10 बी	हॉजखास आरएलयू I (एनपीडी–I)	7000
5.	685/649	ई–10 बी	हॉजखास आरएलयू II (एनपीडी–II)	8000

1	2	3	4	5
6.	6857/8/9	ई–10 बी	हॉजखास आरएलयू–III (जेबीडी II)	3000
7.–क	ए–688	ई–10 बी	चाणक्यपुरी आरएलयू (जेबीडी II)	8000
7.–ख	687	ई–10 बी	चाणक्यपुरी आरएलयू (जेबीडी–II)	6000
7.–ग	6870	ओसीबी–283	चाणक्यपुरी आरएसयू (जेबीडी–II)	1250
8.	611/6877	ओसीबी–283	चाणक्यपुरी आरएसयू (जेबीडी–II)	11000
9.	680	ई–10 बी	छतरपुर आरएलयू (एनपीडी–I)	4000
10.	689/6132	ई–10 बी	बसन्तकुंज आरएलयू (एनपीडी–I)	11000
11.	696	ए एक्स ई–10	हॉजखास आरएसयू–I (एनपीडी–III)	10000
			कुल :	96650

दक्षिणी-II क्षेत्र

1	2	3	4	5
1.	683/684/6821	ई–10 बी	ओखला डी–I	20500
2.	692/693/6824	ओसीबी–283	ओखला डी–II	21000
3.	641	एनईसी	नेहरूलेस–II	10000
4.	642/3/4	फेटेक्स	–वही– III	30000
5.	646/6451/2/3	ई–10 बी	–वही– डी–I	12500
6.–क	647/6482/3	ई–10 बी	–वही– डी–II	12000
6.–ख	6480/1	ई–10 बी	–वही– आरएलयू (एनपीडी–II)	2000
7.	621/2	एएक्सई–10	–वही– डी–III	20000
8.	6823	ई–10 बी	ओखला आरएलयू (ओकेडीएचडी–II)	1000
9.	6820/9	ओसीबी–283	ओखला आरएसयू–I (ओकेएचडी–II)	1500
10.	6827	ई–10 बी	ओखला आरएलयू–II (ओकेएचडी–II)	1000
11.	6828/3	ई–10 बी	ओखला आरएलयू–III (ओकेएचडी–II)	2000
12.	691	एएक्स ई–10	ओखला आरएसयू–II (एनपीडी–III)	10000
13.	681	ई–10 बी	तेखंड आरएलयू (ओकेएचडी–II)	5000
14.	681	ओसीबी–283	तेखंड आरएसयू (ओकेएचडी–II)	4000

1	2	3	4	5
15.	698	एएक्सई–10	तेखंड आरएसयू (एनपीडी–III)	10000
16.	694	ओसीबी–283	एस. बिहार आरएसयू (ओकेएच डी–II)	10000
			कुल :	172500

पश्चिमी-I क्षेत्र

1	2	3	4	5
1.	571	एनईसी	करोलबाग III	10000
2.	572/3/4	फेटेक्स	–वही– IV	30000
3.	575 (6–0)/578/6	ई–10 बी	–वही– डी–I	21000
4.	550/5/9	ई–10 बी	जनकपुरी डी–I	24000
5.	552/3	ओसीबी –283	–वही– डी–II	15000
6.	561/2	ओसीबी–283	–वही– डी–III	15000
7.	575/2/3/4/5	ई–10 बी	के.बी.आरएलयू–I (केबीडी–I)	5000
8.	578	ई–10 बी	के.बी. आरएलयू–II (केबीडी–I)	3000
9.	554/1	ओसीबी–283	जेकेडी आरएसयू (जेकेपीडी–II)	6000
10.	570	ई–10 बी	एसडीपी आरएलयू (केबीडी–I)	6000
11.	579	ई–10 बी	एसडीपी आरएलयू (जेकेपीडी–III)	8000
12.	3295	ई–10 बी	पालम आरएलयू (जेकेपी डी–III)	1000
13.	328	ई–10 बी	दिल्ली कैंट आरएलयू (जेकेपीडी–III)	7000
14.	5563/4	ई–10 बी	सामलखा आरएलयू (जेकेपीडी–III)	2000
15.	5652/3	ओसीबी–283	आईजीआईए आरएलयू (जेकेपीडी–III)	1500
16.	5562/6/7	ई–10 बी	नजफगढ़ आरएलयू (जेकेपीडी–II)	3000
			जोड़ :	157500

पश्चिमी-II क्षेत्र

1	2	3	4	5
1.	53	एनईसी	राजौरीगार्डन–IV	10000
2.	541	फेटेक्स	–वही– III	10000
3.	543/5	ई–10 बी	–वही– डी–I	19000

1	2	3	4	5
4.	546/2	ई–10 बी	राजौरीगार्डन डी–II	11000
5.	511	एएक्सई–10	–वही– डी–III	10000
6.	510/9	एएक्सई–10	आरजी आरएसयू (आरजीडी–III)	12000
7.	5440/6/7/8/9	ई–10 बी	आरजी एडी बीएलके आरएलयू I (आरजीडी–I)	5000
8.	54420/1/2/3	ई–10 बी	आरजी एडी बीके आरएलयू–II (आरजीडी–II)	5000
9.	540/5492/1	ई–10 बी	एच.नगर आरएलयू (आरजीडी–II)	12000
10.	513/4	एएक्सई–10	एच.नगर आरएलयू (आरजीडी–III)	10000
11.–क	5572/3/4/558	ई–10 बी	पीवीआर आरएलयू (जेकेपीडी–I)	180000
11.–ख	5579	ई–10 बी	पीवीआर आरएलयू II (जेकेपीडी–I)	1000
12.	5570/6/7/8	ओसीबी–283	पीवीआर आरएसयू II (जेकेपीडी–III)	4000
13.	568	ओसीबी–283	पीवीआर आरएसयू–I (जेकेपीडी–II)	9000
14.	547	ई–10 बी	एनजीएल आरएलयू (आरजीडी–I)	4500
15.	547/5181/2/3	एएक्सई–10	एनजीएल आरएसयू (आरजीडी–III)	12250
			कुल :	1279158

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन योजना

3838. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :** क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में कोई गरीबी उन्मूलन योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा 1996–97 के दौरान अनुमानतः कितना खर्च किये जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और बिहार के जनजातीय क्षेत्रों सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख गरीबी उन्मूलन स्कीमें हैं : (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), (2) जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), और रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस)।

(ख) आईआरडीपी, एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम देश के सभी ब्लाकों में क्रियान्वित की जा रही है। इसका उद्देश्य सब्सिडी तथा बैंक ऋण के रूप में सहायता के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है ताकि वे एक स्थाई आधार पर गरीबी की रेखा को पार करने के लिए उत्पादक परिसम्पत्तियां और उपयुक्त कौशल प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। लक्षित समूह में मुख्यतः छोटे तथा सीमान्त कृषक, कृषि मजदूर और ग्रामीण दस्तकार शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे है। इस लक्षित समूह में निश्चित रूप से 50% अनु. जाति/अनु. जनजाति के परिवारों को शामिल किया जाता है।

जे आर वाई कार्यक्रम एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है जो 1989 से देशभर में क्रियान्वित किया जा रहा है जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त लाभप्रद रोजगार का सृजन और ग्रामीण आधारभूत संरचना तथा परिसम्पत्तियों को ग्रामीण गरीबों के हक में सुदृढ़ करना भी है। इस कार्यक्रम को 1993–94 में संशोधित किया गया था और अब यह तीन चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रथम चरण के तहत निधियां

पिछड़ेपन की सूची के आधार पर जिलों को आवंटित की जाती हैं। 20% निधियां जिला स्तर पर रख ली जाती हैं और 80% ग्राम पंचायतों को आबंटित की जाती हैं।

जे आर वाई का दूसरा चरण अर्थात् सघन जवाहर रोजगार योजना 12 राज्यों के 120 पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया है, जहां बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की अधिकता है। यह स्कीम उड़ीसा के 9 पिछड़े जिलों, बिहार के 23 पिछड़े जिलों और मध्य प्रदेश के 17 पिछड़े जिलों में क्रियान्वित की जा रही है।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) जो 2 अक्तूबर, 1993 को आरंभ की गयी थी, का लक्ष्य कम कृषि मौसम के दौरान जो कार्य की तलाश में हैं उन्हें 100 दिन का अकुशल श्रम कार्य उपलब्ध कराना है। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत संरचना और समुदाय परिसम्पत्तियों का सृजन है। आरंभ में यह सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुस्थल क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में पहचान किए गए 1752 पिछड़े ब्लाकों में आरंभ किया गया था जहां सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) चालू थी। इस समय गोवा, पंजाब, चण्डीगढ़, दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में 2475 ब्लाक इसमें शामिल हैं। अतिरिक्त ब्लाकों में नये डीपीएपी/डीडीपी ब्लाक, संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) ब्लाक शामिल हैं जहां जनजातीय तथा देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों की सघनता है।

उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार में ई ए एस के तहत शामिल जनजातीय ब्लाक नीचे दिए गए हैं :

राज्य का नाम	ई ए एस ब्लाकों की कुल संख्या	आई टीडीपी *ब्लाकों की स.
उड़ीसा	175	117
मध्य प्रदेश	297	220
बिहार	266	112

*आई टी डी पी : एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना।

(ग) वार्षिक योजना 1996–97 को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिये निधि

3839. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995–96 के दौरान नव राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिये कितनी धनराशि नियत की गई; और

(ख) उक्त कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सरकार का कितनी धनराशि का व्यय वहन करने का विचार है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) वर्ष 1995–96 के दौरान राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम के लिए निर्धारित की गई कुल धनराशि 55000.00 लाख रुपए है।

(ख) राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों, मार्गनिर्देशों, और पूर्ति के अनुसार लाभ प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता देने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है।

[हिन्दी]

हिन्दी और अंग्रेजी समाचारों में समानता

3840. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित हिन्दी और अंग्रेजी समाचारों में कोई समानता नहीं होती है; और

(ख) यदि हां, तो दोनों भाषाओं के समाचारों में समानता लाने के लिये सरकार क्या कदम–उठा रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जहां तक मुख्य समाचार विवरणों का संबंध है, दोनों समाचार बुलेटिनों में हालांकि एकरूपता है, फिर भी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों समाचार बुलेटिनों के लक्षित श्रोता भिन्न हैं, कुछ अन्य मदों को एक बुलेटिन तक सीमित किया जाता है।

[अनुवाद]

दलित डाटा बैंक के निष्कर्ष

3841. **श्री राम नाईक** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "दलित शिक्षा आंदोलन" द्वारा तैयार "दलित डाटा बैंक" के निष्कर्षों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनके निष्कर्षों की क्या मुख्य विशेषताएं हैं;

(ग) क्या अनेक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) और (ख) दलित डाटा बैंक पर दलित शिक्षा आन्दोलन से कल्याण मंत्रालय में अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इस प्रश्न के प्राप्त होने पर, दलित शिक्षा आन्दोलन के अध्यक्ष से सम्पर्क किया गया जिन्होंने निम्नलिखित सूचना दी :–

दलित डाटा बैंक ने 11 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में आंकड़े संकलित किए हैं। दलित डाटा बैंक में निम्नलिखित शामिल हैं :

(एक) कंप्यूटेशन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नीति के सम्बन्ध में अतिरिक्त सूचना सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विशेष की व्यापक रूपरेखा के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा की स्थिति का तुलनात्मक विश्लेषण;

(दो) पृथक–पृथक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की व्यापक रूपरेखा के साथ अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मध्य भूमि जोत पैटर्न का कंप्यूटेशन तथा तुलनात्मक विश्लेषण;

(तीन) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यावसायिक दर्जे का कंप्यूटेशन तथा तुलनात्मक विश्लेषण, 1971 से ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कार्य दल का स्थानान्तरण, तथा

(चार) अखिल भारतीय स्तर पर अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न नीति सम्बन्धी उपायों का कंप्यूटेशन एवं विश्लेषण।

डाटा बैंक के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :–

(i) अनुसूचित जाति कृषकों के मध्य भूमि जोत का विखण्डन;

(ii) शिक्षा के मैट्रिक पूर्व स्तर में अनुसूचित जाति बच्चों में स्कूल न जाने की उच्च दर;

(iii) अनुसूचित जातियों में प्राइमरी से सेकेण्डरी तथा तृतीयक सेक्टर को स्थानान्तरण सामान्य लोगों की अपेक्षा कम है;

(iv) थोक मूल्य सूचकांक के अनुसार 1992 के दौरान मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दर का मूल्य 1951 की तुलना में कम है।

(ग) जी, हां। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता का स्तर कुल जनसंख्या की तुलना में कम है। ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

	साक्षरता दर
कुल जनसंख्या	52.21
अनुसूचित जाति जनसंख्या	37.41
अनुसूचित जनजाति जनसंख्या	29.60

अनुसूचित जातियों में निरक्षरता के लिए महत्वपूर्ण कारण पारिवारिक आय का निम्न स्तर, उस क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, जागरूकता का अभाव तथा अन्य आर्थिक कारण हैं। अनुसूचित जनजातियों के मध्य कम साक्षरता के लिए कारण आदिवासियों का सामाजिक–आर्थिक पिछड़ापन तथा पर्याप्त सुविधाओं आदि का अभाव माने गए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में टेलीफोन एक्सचेंज

3842. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में एस.टी.डी. सुविधाओं वाले कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं; और

(ख) 1995–96 के अंत तक ऐसे एक्सचेंजों के विस्तार संबंधी योजना तथा उसका स्थानवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 436 स्थानों के 451 टेलीफोन एक्सचेंजों को (राजस्थान सर्किल में कुल 1394 एक्सचेंजों में से) एस टी डी की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) 1995–96 के अन्त तक, राजस्थान में 39 स्थानों के लिए एस टी डी सुविधा के विस्तार की योजना है, बशर्ते कि समय पर संसाधन उपलब्ध हों। स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	गौण स्विचन क्षेत्र
1	2	3
1.	घटवारी	जयपुर
2.	मोजामाबाद	जयपुर
3.	नयाला	जयपुर
4.	रेनवाल	जयपुर
5.	अलावड़ा	अलवर

1	2	3
6.	नौगांव	अलवर
7.	बरौदाम्यू	अलवर
8.	मचेदी	अलवर
9.	रामपुर कस्बा	अलवर
10.	राजपुर	अलवर
11.	बण्डबराठा	भरतपुर
12.	जुरचेरा	भरतपुर
13.	सरमथुरा	भरतपुर
14.	मोरक	कोटा
15.	सुकेत	कोटा
16.	दाबी	बूंदी
17.	कपरेन	बूंदी
18.	खुरगांव	सवाईमाधोपुर
19.	अलीगढ़	टोंक
20.	खरियांवास	सीकर
21.	रामदेवरा	जैसलमेर
22.	नेतावली	श्रीगंगानगर
23.	गजसिंहपुर	श्रीगंगानगर
24.	लालगढ़ जाटन	श्रीगंगानगर
25.	रिदमलसर	श्रीगंगानगर
26.	गजनेर	बीकानेर
27.	नाल	बीकानेर
28.	बड्डू	नागौर
29.	गाचीपुरा	नागौर
30.	दाह	नागौर
31.	आशोप	जोधपुर
32.	तिनवारी	जोधपुर
33.	मोगरा	जोधपुर
34.	जादोन	पाली
35.	निमाज	पाली
36.	बागड़ीनगर	पाली
37.	गुंदीज	पाली
38.	लम्बा सरदार गढ़	उदयपुर
39.	पारसोली	उदयपुर

[अनुवाद]

पांडिचेरी को राज्य का दर्जा

3843. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी से राज्य का दर्जा दिये जाने के संबंध में कोई आवेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामराज) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पांडिचेरी को राज्य का दर्जा दिए जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

समाचार पत्र पंजीयक के कार्यालय में लंबित आवेदन-पत्र

3344. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्र पंजीयक के कार्यालय में समाचार पत्रों के पंजीयन हेतु काफी संख्या में आवेदन-पत्र लंबित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) भारत के समाचार पत्रों के कार्यालय में रखे गए अभिलेखानुसार, दिनांक 15.12.95 को पंजीकरण के लिए केवल 133 आवेदन पत्र लम्बित थे। भारत के समाचार पत्रों के कार्यालय में पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र प्रतिदिन प्राप्त किए जाते हैं तथा पंजीकरण एक सतत् प्रक्रिया है। यदि प्राप्त आवेदन पत्र प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम के अनुसार हर तरह से पूरे होते हैं तो अविलम्ब पंजीकरण कर दिया जाता है। अधूरे आवेदन पत्रों के मामलों में प्रकाशकों की कमियां दूर करने की सलाह दी जाती है और ऐसे मामलों में पंजीकरण में विलम्ब हो जाता है।

कोयले की मांग

3845. **श्री अन्ना जोशी** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अतिरिक्त कोयले की आपूर्ति की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू एवं व्यावसायिक खपत के लिये कोयले की वार्षिक मांग कितनी है; और

(घ) महाराष्ट्र सरकार की कोयले की मांग की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन राज्य–वार नहीं किया जाता है। समग्र देश के लिए इसका मूल्यांकन उद्योग–वार/क्षेत्र–वार किया जाता है। कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) उपभोक्ताओं को, कोयले की आपूर्ति सम्बद्ध प्राधिकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रायोजनों के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम के आधार पर करती है। विद्युत एवं सीमेंट उद्योग को आपूर्ति इन क्षेत्रों के लिए स्थायी संयोजन समिति (एस.एल.सी) द्वारा स्थापित अल्पावधि संयोजन के आधार पर की जाती है। वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान को.इं.लि. द्वारा महाराष्ट्र राज्य को, की गई कोयले का वास्तविक रूप में आपूर्ति नीचे दर्शायी गई है :

(मिलियन टन में)
(आंकड़े अनंतिम)

1993–94	27.42
1994–95	27.46

(ग) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1995–96 के लिये देश के लिये कोयले की कुल वार्षिक आवश्यकताओं का मूल्यांकन 288 मिलियन टन किया है।

(घ) कोयला परियोजनाओं की एक लंबी प्रतीक्षाधीन अवधि होती है। उत्पादन एवं इसकी आपूर्ति का वास्तविक स्तर दीर्घावधि प्रक्षेपणों पर निर्भर करता है जो कि प्रारंभिक रूप से उपभोक्ताओं द्वारा तैयार की जाती है तथा यह नई एवं चालू परियोजनाओं में किये गये निवेश के साथ–साथ यातायात संबंधी समग्र व्यवधान पर अधःसंरचनाओं और उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये गये कोयले के भुगतान पर निर्भर करता है। किन्तु, देश में कोयले का उत्पादन बढ़ाये जाने के लिये किये गये उपायों में निम्न उपाय शामिल हैं :– नई खानों का खोला जाना और आधुनिकीकरण द्वारा विद्यमान खानों की क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि किया जाना, नई प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाना और आगतों तथा अधःसंरचनात्मक सुविधाओं की समय पर उपलब्धता को आश्वस्त किया जाना इसके अतिरिक्त, विशिष्ट प्रकृति उपयोग किये जाने हेतु कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी जा रही है। कोयले का आयात किए जाने का विकल्प भी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

सरदार सरोवर परियोजना

3846. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार सरोवर परियोजना की ऊंचाई के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित परियोजना की ऊंचाई में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जिस न्यूनतम ब्लाक स्तर तक सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाई गई है उसका उच्चतम स्तर (एलिवेशन लेवल) 80.3 मीटर है। सुरक्षा प्रदान करने के विचार से स्पिलवे के ब्लाक संख्या 30, 31, 38 से 41 तक 1.2 मीटर ऊंचाई और स्पिलवे 32 से 37 और 42 से 46 तक 3 मीटर ऊंचाई के टीलों (हम्पस) की व्यवस्था भी की गई है। बांध के अन्य भागों की ऊंचाई अपेक्षाकृत अधिक है जो 105 मीटर से 144.5 मीटर तक भिन्न–भिन्न है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"टाडा" के अन्तर्गत बंदी

3847. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री 30 नवम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 742 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत राज्य–वार कितने बंदी थे जिन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया;

(ख) उन "टाडा" अदालतों के संबंध में राज्य–वार संक्षिप्त विवरण क्या है जो अभी भी कार्यरत हैं तथा उनमें से प्रत्येक अदालत के पास कुल कितने मामले लंबित हैं; और

(ग) 1 अप्रैल, 1995 तक राज्य–वार कितने "टाडा" बंदियों के विरुद्ध मामले वापस ले लिये गये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

समिति का संघटन

3848. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी के अध्ययन के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के संघटन और विचारार्थ विषयों का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की संघटना इस प्रकार है :

1	2	3
1.	केन्द्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
3.	अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
4.	सदस्य (डब्ल्यू पी एंड पी), केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार	सदस्य
5.	सदस्य (जल विद्युत), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
9.	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से संयुक्त सचिव के स्तर तक के प्रतिनिधि	सदस्य
10.	सचिव (सिंचाई), कर्नाटक सरकार	सदस्य
11.	सचिव (सिंचाई), आन्ध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
12.	सचिव (जल संसाधन), मध्य प्रदेश सरकार	सदस्य
13.	सचिव (सिंचाई), महाराष्ट्र सरकार	सदस्य
14.	सचिव (जल संसाधन), गुजरात सरकार	सदस्य
15.	सचिव (सिंचाई), उत्तर प्रदेश सरकार	सदस्य
16.	सचिव (सिंचाई), उड़ीसा सरकार	सदस्य
17.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) मर्यादित	सदस्य
18.	श्री रामजी, सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य
19.	आयुक्त (पीपी), जल संसाधन मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

समिति अपने विचार–विमर्श के दौरान किसी अन्य सदस्य को सह–योजित कर सकती है।

2. समिति के विचारार्थ विषय ये हैं :–

(क) सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की व्यवहार्यता की जांच करना।

(ख) निजी क्षेत्र की सहभागिता की सीमा निर्धारित करना (अर्थात् बांध, विद्युत घर और मुख्य नहरों आदि जैसी परियोजनाओं के एक या अधिक घटक)।

(ग) निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए परियोजनाएं अभिज्ञात करना।

(घ) निजी क्षेत्र की सहभागिता में प्रशासनिक, कानूनी और वित्तीय पहलुओं की जांच करना तथा इस संबंध में किए जाने वाले विशिष्ठ उपाय सुझाना।

(ङ) सिंचाई और बहुप्रयोजनी परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की सहभागिता के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना और

(च) विषय वस्तु से संबंधित अन्य कोई मुद्दे थे।

भुगतान संतुलन

3849. **श्री धर्मण्णा मोंडरा सादुल : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कोई मूल्यांकन किया है और यह आशंका व्यक्त की है कि यदि अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं का इसी समय समय प्राथमिकता के आधार पर समाधान नहीं किया गया तो देश पुनः भुगतान संतुलन के गंभीर संकट में फंस सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संकट से बचने के लिए योजना आयोग द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय सुझाये गये हैं ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं। योजना आयोग ने ऐसा कोई सरकारी दस्तावेज प्रकाशित नहीं किया है जिसमें यह आशंका व्यक्त की गई हो कि देश पुनः भुगतान संतुलन के गंभीर संकट में फंस सकता है।

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988

3850. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 के लागू होने के पश्चात् दिल्ली में दर्ज किए गए मामलों का तथा उनमें पकड़े और रिहा किए गए दोषियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा पुलिस द्वारा इन मामलों की जांच पड़ताल के दौरान लापरवाही के कारण हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे मामलों में लिप्त पाए गए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अधिनियमित होने के बाद से, अर्थात 15.11.1985 से 30.11.1995 तक की अवधि के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या तथा उन मामलों की संख्या जिनमें अभियुक्त दोषसिद्ध हुए तथा दोषमुक्त हुए, निम्न प्रकार है :

वर्ष	दर्ज हुए मामले	मामले जिनमें अभियुक्त दोषसिद्ध हुए	मामले जिनमें अभियुक्त दोषमुक्त हुए
1985	715	65	510
1986	2290	159	1074
1987	1403		406
1988	1392	213	285
1989	1346	160	267
1990	1421	227	290
1991	1187	106	113
1992	902	144	75
1993	761	141	14
1994	701	49	6
1995 (30.11.1995 तक)	736	63	3

(ख) और (ग) दोषमुक्ति के कुल मामलों में से, 49 मामले अनुपयुक्त जांच–पड़ताल अथवा मुकदमा चलाने में ढील बरती जाने के निम्न कारणों से समाप्त हो गए :

(i) लापरवाही अथवा जल्दबाजी में की गई जांच,

(ii) चालान प्रस्तुत करने में विलम्ब,

(iii) केन्द्रीय विधि–विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी,

(iv) मामले से संबद्ध कागजातों को उचित रूप में प्रस्तुत न किया जाना,

(v) तलाशी इत्यादि के दौरान जनता की गवाही इत्यादि लेने में विफल होना।

ऐसे मामलों में संलिप्त पाए गए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दिया गया दण्ड	पुलिस अधिकारियों की संख्या
बर्खास्त	1
रैंक घटाना	1
वेतनवृद्धि रोकना	1
सेवा जब्त करना	2
निन्दा करना	25
चेतावनी	8
गैर संवेदनशील स्थानों पर तैनाती करना	2
विभागीय जांच लंबित/मामले विचाराधीन	8
निंदा के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए,–जिन्हें उत्तर पर विचार करने के बाद फाईल कर दिया गया।	10

[हिन्दी]

अनाथों के लिए आवासीय स्कूल

3851. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अनाथ बच्चों के लिए आवासीय स्कूल खोलने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) से (ग) अनाथ बच्चों के लिए आवासीय स्कूलों के निर्माण की कोई योजना नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार देश के 22 शहरों में बेसहारा बच्चों के कल्याण की एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत 1994–95 के दौरान 81 संगठनों को सहायता अनुदान प्रदान किए गए। योजना घटक में से साक्षरता, गिनती तथा जीवन शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना तथा औपचारिक शिक्षा पद्धति में बच्चों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास करना एक है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति

3852. **श्री वृशिण पटेल :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 नवम्बर, 1995 के "दि बिजनेस स्टेंडर्ड" में प्रकाशित "स्लो ग्रोथ आफ एग्रीकल्चरल इनकम टू इनक्रीज पावर्टी" समाचार की ओर आकर्षिक किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कृषि क्षेत्र में सकल आय की दर में असंतोषजनक वृद्धि के कारण चालू वर्ष के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की संख्या में 1991–92 की तुलना में कमी होने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने गत वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में प्रति हैक्टेयर आय की दर में वृद्धि के संबंध में कोई मूल्याकन कराया है; और

(च) यदि हां, तो 1991–92 और 1994–95 के दौरान कृषि क्षेत्र में आय की अनुमानित दर क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा जारी किए गए घरेलू खपत व्यय सम्बंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण डाटा के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या का अनुमान लगाता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान 1987–88 के लिए उपलब्ध हैं। 1987–88 के बाद एनएसएसओ ने 1993–94 में एक सर्वेक्षण किया था जिसके परिणाम अभी आने बाकी हैं।

कृषि सैक्टर (पशु धन सहित) में उपादान लागत पर 1980–81 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 1991–92 में 59454 करोड़ रुपये, 1992–93 में 62589 करोड़ रुपये और त्वरित अनुमानों के अनुसार 1993–94 में 64456 करोड़ रुपये है। 1994–95 के लिए जीडीपी के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

नवीनतम वर्ष जिसके संबंध में नेट सोन एरिया (एनएसए) आंकड़े उपलब्ध हैं, 1992–93 है। वर्ष 1991–92 और 1992–93 के लिए एनएसए के अनन्तिम आंकड़े क्रमशः 141.49 मिलियन हैक्टेयर और 142.51 मिलियन हैक्टेयर है।

इस प्रकार प्रति हैक्टेयर एनएसए जीडीपी 1991–92 में 4202 रुपये और 1992–93 में 4392 रुपये है।

कोयले की कमी

3853. **श्री नवल किशोर राय :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 अक्तूबर, 1995 के "दैनिक फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में 'इंडस्ट्रीज फेसिंग क्लोजर ड्यू टू कोल सार्टेज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में कोयले की कमी के कारण कई उद्योग बंद होने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या देश में आवश्यकतानुसार अच्छी किस्म का कोयला उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) देश में कोयले की मांग और पूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण बंद होने वाली किसी औद्योगिक यूनिट के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अप्रैल–नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनियों द्वारा कोयले का वास्तविक प्रेषण में पिछले वर्ष की उसी अवधि की तुलना में 7.37% की वृद्धि दर्शायी गई है। कोयला कंपनियां कोयले की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही हैं, जिसमें औद्योगिक उपभोक्ता भी शामिल हैं, जोकि कोयले के उत्पादन में वृद्धि द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट ग्रहीत प्रयोग के लिए कोयले का खनन किए जाने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति दी जा रही है। कोयले के आयात के लिए विकल्प भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) देश में उच्च ग्रेड के भू–गर्भीय कोयले का भंडार सीमित है। तथापि, प्रौद्योगिकी में विकास होने के परिणामस्वरूप देश में कोयले को जलाने के उपकरण जो स्थापित किए जा रहे हैं, उन्हें घरेलू रूप में उपलब्ध गुणवत्ता वाले कोयले को जलाने के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। किन्तु, प्रत्येक उपभोक्ता को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले की गुणवत्ता का निर्धारण, उनके कोयला जलाने

के उपकरणों के विशिष्ट पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है और कोयले की आपूर्ति की व्यवस्था स्थापित संयोजनों के अनुसार संगत स्रोतों से की जाती है।

(ङ) देश में कच्चे कोयला की मांग जैसाकि योजना आयोग द्वारा मूल्यांकित की गई है और वर्ष 1994–95 के दौरान किए गए वास्तविक उठान को नीचे दर्शाया गया है :–

मांग	—268.50	मिलियन टन
उठान	—260.54	मिलियन टन

वर्ष 1995–96 के लिए देश में कच्चे कोयले की मांग का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा 288.00 मिलियन टन किया गया है।

[अनुवाद]

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दुधी-चुवा परियोजना

3854. **श्री राम निहोर राय** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की दुधी–चुवा परियोजना के कोयला संभलाई संयंत्र की हाल ही की खराबी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या किसी निजी कम्पनी को रख–रखाव संबंधी कार्य ठेके पर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो निजी कम्पनी का क्या नाम है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. के दुधिचुआ परियोजना के कोयला रख–रखाव संयंत्र में अभी हाल ही में कोई खराबी नहीं हुई है। किन्तु, दिनांक 30.12.1994 को कन्ट्रोल पैनल में आग लगने के कारण कोयला रख–रखाव संयंत्र में खराबी आ गई थी। कोयला रख–रखाव संयंत्र को अब चालू कर दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। मैसर्स यूनाइटेड एन्टरप्राइजिज को मरम्मत कार्य हेतु और मैसर्स अपोलो इंडिया और मैसर्स ए.के. चौबे को संयंत्र की सफाई हेतु नियोजित किया गया था, जिसके लिए वर्ष 1994–95 के दौरान उन्हें 1,62, 150 रु. का भुगतान किया गया था।

रेडियो पेजिंग सर्विज

3855. **श्री जगतबीर सिंह द्रोण** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेडियो पेजिंग सर्विज आरम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन स्थानों के क्या–क्या नाम हैं जहां उक्त योजना शुरू किये जाने की संभावना है और इसे कब तक शुरू कर दिया जायेगा;

(घ) क्या इस योजना हेतु निजी कम्पनियों से और निविदाएं आमंत्रित की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन कम्पनियों फर्मों के नाम क्या–क्या हैं और निविदाओं की शर्तें क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) देश के निम्नलिखित 23 बड़े शहारों में यह सेवा शुरू कर दी गई है :

1. अहमदाबाद
2. बेंगलूर
3. बम्बई
4. कलकत्ता
5. चण्डीगढ़
6. कोयम्बटूर
7. दिल्ली
8. एलर्नाकुलम
9. मद्रास
10. मदुरई
11. पुणे
12. राजकोट
13. सूरत
14. तिरूअनंतपुरम
15. बड़ोदरा
16. वाराणसी
17. विशाखापटनम
18. हैदराबाद
19. इन्दौर
20. जयपुर
21. कानपुर
22. लखनऊ
23. लुधियाना

(ग) इस सेवा के शीघ्र ही अमृतसर, भोपाल, पटना और नागपुर में शुरू होने की संभावना है।

(घ) जी हां। उक्त भाग "ख" तथा "ग" में यथा उल्लिखित 27 बड़े शहरों को छोड़कर शेष देश के लिए 19 क्षेत्रीय दूरसंचार सर्किलों में रेडियो पेजिंग सेवा के प्रचालन हेतु आगे और निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। अब इन निविदाओं का मूल्यांकन कर लिया गया है और लाइसेंस दे दिए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग "घ" के संबंध में जिन कम्पनियों/फर्मों को लाइसेंस दिए गए हैं उनके नाम संलग्न विवरण–I में हैं। निविदाओं/लाइसेंस करारों की मुख्य शर्तें संलग्न विवरण–II में दी गई हैं।

विवरण–I

रेडियो पेजिंग सर्विज (19 परिमंडल)

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगी कंपनियों के नाम	परिमंडल	लाइसेंस समझौते की प्रभावी तारीख
1	2	3	4	5
1.	मै० मैट्रिक्स, पेजिंग (इंडिया) प्रा. लि., अनील चैम्बर्स (समीप क्राउन मीलस) अंधेरी –कुर्ला रोडद्व साकीनाका, बम्बई–400072	मैट्रिक्स टेलीकॉम लि. आस्ट्रेलिया	अंडमान और निकोबार	05..6.95
2.	मै० टेलिस्टिम (इंडिया) प्रा.लि. 23/1, 11वीं मैन रोड समीप डाक कार्यालय, वसंत नगर, बैंगलूर–560052	टेलिस्सिटम एसडीएन बीएचडी, मलेशिया	उड़ीसा	0.5.06.95
3.	मै० इज़ीकाल कम्यूनिकेशन (इंडिया) प्रा. लि., एलबी/5, अंसल भवन, 16 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001	इजीकाल कम्यूनिकेशन फिलिपिन्स इनकारपोरेशन फिलिपिन्स	नोर्थ ईस्ट असम पश्चिमी बंगाल	05.06.95 05.06.95 05.06.95
4.	मै० माईक्रोवेव कम्यूनिकेशन्स लि. 1202, चिंरजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–19	1. फोन्स वेस्ट, यूएसए 2. शिनवात्रा इंटरनेशनल कंपनी लि. थाईलैंड	नोर्थ ईस्ट उड़ीसा उत्तर प्रदेश	05.06.95 05.06.95 24.08.95
5.	मै० ए.बी.सी. कम्यूनिकेशन (इंडिया) प्रा. लि., 44–बी, नारीमन भवन, नारीमन प्वाइंट, बम्बई–400021	ए बी सी कम्यूनिकेशन्स लि. हॉगकॉग	जम्मू और कश्मीर	05.06.95
6.	मै० मोदी टेलीकाम्यूनिकेशन्स लि. 12, फ्रेंडस कालोनी, नई दिल्ली–65	नाइनैक्स नेटवर्क सिस्टम कंपनी यू.एस.ए.	पश्चिम बंगाल	05.06.95
7.	मै० नीदरलैंड्स इंडिया कम्यूनिकेशन इंटरप्राइजिज प्रा. लि., ए–18, शिवा–नीदरलैंड्स लिंक, नई दिल्ली–1100017	पी टी टी टेलीकॉम	जम्मू और कश्मीर असम अंडमान निकोबार	05.06.95 05.06.95 05.06.95
8.	मै० पुनवायर पेजिंग सर्विसेस लि., ए–53, फेज–6, सास नगर, चंडीगढ़–160055	1. टेलीकॉम डेनमार्क डेनमार्क 2. टेलिया इंटरनेशनल स्वीडन	हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब	05.06.95 10.08.95 25.08.95
9.	मै० वी पी एल वायर–लैस टेली–कम्यूनिकेशन्स सविर्सेस प्रा. लि., 1/1, पेलेस रोड, बैंगलूर–5600001	1. टेलीकॉम डेनमार्क डेनमार्क 2. टेलिया इंटरनेशनल स्वीडन	तमिलनाडु कर्नाटका करेला	25.08.95 31.08.95 31.08.9

1	2	3	4	5
10.	मै० पुनवायर मोबाइल कम्यूनिकेशन लि., उद्योग भवन सै. 17, चंडीगढ़–17	1. बीप–ए–कॉल, इज़रायल 2. डिजीटल टेलीकॉम यूएसए	आंध्र प्रदेश	18.08.95
			उत्तर प्रदेश	25.08.95
			गुजरात	31.08.95
			महाराष्ट्र	18.08.95
			कर्नाटका	31.08.95
			केरल	31.08.95
			राजस्थान	27.11.95
			तमिलनाडु	6.11.95
1.	मै० हटचीसन मैक्स, टेलीकॉम, 12वां तल, दैविका टावर, 6 नेहरूप्लेस	हटचीसन टेलीकॉम लि. हांगांग नई दिल्ली–19	पंजाब	6.11.95

विवरण–II

निविदाओं/लाइसेंस-करारों की मुख्य शर्तें

1.0 सेवा की अधिकतम शुल्क–दर : उपभोक्ताओं के लिए अधिकतम शुल्क–दर इस प्रकार होगी :

1.1.1 पंजीकरण प्रभार : 500 रु. प्रति भूति जमा में समायोजित कर दिए जाएंगे।

1.1.2 सेवा प्रदान करने के समय प्रति भूति जमा के रूप में 2000 रुपए।

1.1.3 संस्थापन प्रभार : कोई प्रभार देय नहीं होंगे।

1.1.4. किराया : प्रतिमाह 150 रु. इसमें उस पेजर के किराया प्रभार शामिल नहीं हैं जो वह कहीं से भी लेगा।

न्यूमरिक या अल्फा न्यूमरिक पेजिंग, दोनों के लिए प्रति माह अधिकतम किराया प्रभार 150 होगा।

लाइसेंस धारक, सेवा का प्रचालन, उपर्युक्त अधिकतम शुल्क दर के भीतर ही कर सकते हैं।

1.2 कभी–कभी शुल्क दर में वृद्धि के लिए प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। तथापि, अधिकतम सीमा तक शुल्क दर में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राधिकारी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु शुल्क दर में ऐसे किसी भी परिवर्तन के कार्यान्वयन से 10 दिन पूर्व प्राधिकारी को उसकी सूचना दी जाएगी।

1.3 प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से, अन्य कोई/विशेष सुविधा सुलभ कराने के अतिरिक्त प्रभार वसूल किए जा सकेंगे। ये अन्य/विशेष सुविधाएं, रेडियो पेजिंग सेवा से संबद्ध होनी चाहिए। इन सुविधाओं में उक्त ओ आर/ क्यू आर दस्तावैज में वैकल्पिक सुविधाओं के रूप में उल्लिखित सुविधाओं सहित वे सुविधाएं शामिल हो सकती हैं जिनका उल्लेख ओ आर/क्यू आर दस्तावेज नम्बर टी यू 0310 यू 90 में नहीं किया गया है।

1.4 यदि लाइसेंस धारक अतिरिक्त सेवा के रूप में अपने पेजिंग उपभोक्ताओं के लिए वायस मेल सेवा का प्रचालन करना चाहता है तो वह वायस मेल के संबंध में लागू शर्तों के अनुसार वायस मेल के लाइसेंस के लिए अलग से आवेदन करेगा। यदि उसे वायस मेल का लाइसेंस दिया जाता है तो उसे वायस मेल के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस शुल्क दर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तथापि, यदि वायस मेल सेवा, पेजिंग सेवा शुरू करने के तीन वर्ष के भीतर शुरू की जाती है तो यह छूट 5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी।

2.0 लाइसेंस धारक, लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने के एक वर्ष के भीतर यह सेवा शुरू करेगा।

3.0 लाइसेंस शुल्क सेवा शुरू करने की तारीख से या लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के एक वर्ष बाद से, इनमें से जो भी पहले हो, देय हो जाएगा।

4.0 प्रारंभ में लाइसेंस 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा जिसे प्राधिकारी के विवेकाधिकार पर एक बार में एक वर्ष या इससे अधिक की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

5.0 इस लाइसेंस पर समय–समय पर संशोधित भारतीय तार अधिनियम, 1885 तथा भारतीय बेतार तार–यांत्रिकी अधिनियम, 1933 के उपबंध लागू होंगे।

6.0 लाइसेंसदाता प्राधिकारी, लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस करार में विहित किसी भी शर्त का पालन न करने पर या उसके तहत देय किसी भी अत्यधिक राशि का भुगतान न करने पर कभी भी 90 दिन का नोटिस देकर लाइसेंस को निरस्त कर सकता है।

7.1 लाइसेंसधारक, उपभोक्ताओं के साथ संविदा पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें प्रदान की जाने वाली सेवा के विनिर्देशों का स्पष्ट उल्लेख करेगा।

7.2 लाइसेंसधारक, अपने परिसर में रेडियो पेजर के प्रमुख विनिर्देशनों, जैसे आवृत्ति, संवेदनशीलता, चयनात्मकता, स्थिरता, कोडबद्धता संबंधी मानक, आदि, जो अन्तः कार्यकरण के लिए आवश्यक हैं, स्पष्टतया प्रदर्शित करेगा तथा उसका प्रचार करेगा।

8 लाइसेंसधारक, लाइसेंस के तहत किसी भी रूप में किसी भी अन्य पार्टी को अपने अधिकारों को न तो सौंपेगा या हस्तांतरित करेगा और न ही समग्र लाइसेंस या उसके किसी भाग को किसी भी विषय वस्तु से संबंधित अपनी ओर से आगे लाइसेंस देने और/या उसमें भागीदारी स्वीकार करने/उसमें किसी अन्य पार्टी को शामिल करने के लिए किसी भी अन्य पार्टी के साथ कोई भी करार करेगा।

9. किसी भी लाइसेंसधारक द्वारा एक ही शहर या कसी अन्य क्षेत्रीय सर्किल/शहर में दूरसंचार प्रचालनों के बारे में किसी अन्य लाइसेंसधारक के साथ कोई करार करने से पूर्व, उसे दूरसंचार प्राधिकारी की अनुमति लेनी होगी।

10. 72 घंटों से अधिक अवधि तक व्यवधान बने रहने की स्थिति में, लाइसेंसधारक द्वारा सेवा प्रयोक्ताओं को उपयुक्त छूट दी जाएगी। लाइसेंसदाता प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह भुगतान न करने पर विवेकानुसार यथोचित दण्ड दे सकता है।

11.0. प्राधिकारी को, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या राष्ट्रव्यापी आपात स्थिति/युद्ध या छोटे-मोटे विवाद होने की स्थिति में लाइसेंसधारक की समग्र सेवाओं तथा नेटवर्कों को अपने अधिकार में लेने या लाइसेंस को निरस्त/समाप्त/निलम्बित करने का अधिकार होगा।

[हिन्दी]

हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी

3856. **कुमारी उमा भारती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 नवम्बर, 1995 के "जनसत्ता" में प्रकाशित "तस्करी और उग्रवादियों का गठजोड़ बना रहा है पाकिस्तान" की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कच्छ और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में कितनी मात्रा में हथियार और मादक पदार्थ जब्त किये गये; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) जी हां, महोदया। पंजाब में और राजस्थान के श्रीगंगानगर और बीकानेर सेक्टरों में सीमा पर बाड़/फ्लड लाईट लगाने का सम्पूर्ण काम पूरा कर लिया जाने के बाद राजस्थान और गुजरात के शेष क्षेत्रों में आई. एस.आई. की गतिविधियों में वृद्धि हुई है, जिनमें शस्त्र और गोलाबारूद, नशीले पदार्थों और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी और आतंकवादियों की घुसपैठ शामिल है।

(ग) वर्ष 1993 और 1994 के दौरान कच्छ और उसके साथ लगने वाले क्षेत्रों में पकड़े गए शस्त्र और मादक पदार्थों के ब्यारे निम्न प्रकार हैं :

	1993	1994
शस्त्र/गोलाबारूद	—	—
मादक पदार्थ		
चरस	—	260 कि.ग्रा.

(घ) ऐसे गतिविधियों को रोकने के लिए पंजाब के 456 कि. मी. में और राजस्थान के श्रीगंगानगर/बीकानेर सेक्टरों में 333 कि. मी. सीमा पर बाड़/फ्लड लाईट लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। जैसलमेर और बाड़मेर सैक्टरों में 387 कि.मी. में कार्य चल रहा है तथा इसे जून, 1996 तक पूरा कर लिया जाएगा। जैसलमेर जिले के शाहगढ़ बुल्गे में अतिरिक्त बाड़/फ्लड लाईट लगाने के कार्य को स्वीकृति दी गई है तथा वर्ष 1996-97 में इसे पूरा किया जाना है।

जहां तक गुजरात का संबंध है, पाकिस्तान के साथ लगने वाली 508 कि.मी. अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती मजबूत कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल की वाटर विंग को अतिरिक्त स्पीड बोट्स और मीडियम क्राफ्ट्स उपलब्ध कराई गई है ताकि इस क्षेत्र में इनका प्रभुत्व बना रहे।

आई.एस.आई/आतंकवादियों की गतिविधियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में संबंधित एजेन्सियों को सुग्राही बनाना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना तथा सीमा सुरक्षा बल को मजबूत बनाना, अर्थात् सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, गश्त/नाकाओं की संख्या में बढ़ोतरी करना, निगरानी बुर्ज बनाना, नौका गश्त गहन करना, रात और दिन में प्रभावकारी रूप से निगरानी करने के लिए नाईट विजन डिवाईस, दूरबीन, ट्रिवन टेलिस्कोप, हैण्ड हैल्डसर्च लाईट, इत्यादि की आपूर्ति करना शामिल है।

उपग्रह माइक्रोवेव प्रणाली

3857. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दूरसंचार विभाग द्वारा देश के विभिन्न राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में "उपग्रह माइक्रोवेव प्रणाली" आरंभ करने में पिछले छः महीनों के दौरान योजनावार कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां आप्टीकल केबल पर धनराशि व्यय की गई और कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(ग) विभिन्न फर्मों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक को दिए गए क्रयादेशों का मूल्य कितना-कितना है; और

(घ) इस पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) गत छः माह (मई-अक्तूबर, 1995) के दौरान, देश के विभिन्न प्रदेशों के पर्वतीय क्षेत्रों में सैटेलाइट-प्रणाली शुरू करने पर हुआ व्यय संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

भाग (क)

देश के विभिन्न प्रदेशों के पहाड़ी क्षेत्रों में उपग्रह प्रणाली आरंभ करने हेतु दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया व्यय

(क) दूरस्थ क्षेत्र संचार योजना-मल्टीचैनल प्रतिकैरियर-अत्यल्प एवं टर्मिनल :

प्रदेश	व्यय हुई राशि (रुपयों में)
1	2
अरूणाचल प्रदेश	2,44,16,706
हिमाचल	3,34,33,504
जम्मू-कश्मीर	3,52,71,793
कर्नाटक	30,00,000
मध्य प्रदेश	42,60,236,
महाराष्ट्र	41,69,969
सिक्किम	89,99,236
उत्तर प्रदेश	5,68,38,334
(ख) मौजूदा भू-स्टेशन योजना का विस्तार	
हिमाचल प्रदेश	6,00,000
जम्मू-कश्मीर	13,71,600
(ग) डिजिटल सैटेलाइट-सुविधा	
असम	2,45,00,000
हिमाचल प्रदेश	4,10,00,000

विवरण-II

भाग (ख)

"ऑप्टिकल" फाइबर पर हुआ प्रदेश-वार व्यय

प्रदेश	व्यय
गुजरात	12,22,15,266
महराष्ट्र व गोवा	9,24,38,429
मध्य प्रदेश	7,99,76,585
आंध्र प्रदेश	2,89,06,495
कर्णाटक	10,12,72,894
केरल	66,23,711
तमिलनाडु	3,39,90,801
उड़ीसा	2,17,62,931
बिहार	7,31,43,701
प. बंगाल	93,00,574
पंजाब	82,53,027
राजस्थान	9,35,55,416
उत्तर प्रदेश	9,27,34,020
दिल्ली/हरियाणा	4,53,94,589

विवरण-III

भाग (ग)

फर्मों की सूची व आर्डरों की राशि

फर्म का नाम	ऑर्डरों की राशि
1	2
मै० हिन्दुस्तान केबल्स लि. नैनी, इलाहाबाद	6,24,58,761
" विकास हाइब्रिड लि., नई दिल्ली	9,70,08,952
" ऑप्टेल टेलीकॉम लि., भोपाल	2,40,78,464

1	2
मै० स्टैलाईट इण्डिया लि., नई दिल्ली	16,82,04,130
" सीमैन लि., नई दिल्ली	70,29,404
" अक्ष इण्डिया लि., भिवानी	26,79,28,510
" बिरला ऐरिक्सन लि., रीवा (मध्य प्रदेश)	2,67,58,748
" भिलाई वापर्स लि., भिलाई	1,26,86,544
" यूनिफ्लैक्स केबल्स, बम्बई	7,27,03,656

विवरण-IV

भाग (घ)

किए गए व्यय के ब्यौरे

फर्मों के नाम	व्यय
मै० हिन्दुस्तान केबल्स	6,23,29,750
" विकास उद्योग	9,70,08,952
" स्टैलाईट उद्योग	11,67,44,108
"" सीमेन लि.	70,29,404
" ऑप्टेल, भोपाल	1,24,16,542
" अक्ष इण्डिया लि.	16,69,72,799
" बिरला ऐरिक्सन	2,67,68,748

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

3858. **श्री फूलचन्द वर्मा :**
श्री काशीराम राणा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण कार्य आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक राज्य–वार कितने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है और इसके लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर अब तक कितना व्यय हुआ है;

(घ) क्या सरकार कां विचार कुछ और डाकघसें का कम्प्यूटरीकरण करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। डाकघर काउंटरों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली लेन–देन की, सुविधा को कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों के जरिए आधुनिक बनाया जा रहा है।

(ख) उन डाकघरों का राज्यवार ब्यौरा, जहां कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें लगाई गई हैं, संलग्न विवरण–I में दिया गया है। मौजूदा कर्मचारियों को नई प्रौद्योगिकी से परिचित कराने और प्रशिक्षण के जरिए उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने की परम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, चुने हुए व्यस्त डाकघरों को कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें मुहैया कराई जा रही हैं। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही एजेंसियों से आवश्यक सहयोग की उपलब्धता और कार्यकुशल तथा उत्तरदायी काउंटर सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ता सन्तुष्टि में वृद्धि भी डाकघरों को चुनने के महत्वपूर्ण कारण हैं।

(ग) वर्ष 1991–92 से कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों पर किया गया कुल व्यय लगभग 8.73 करोड़ रुपये है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) वर्ष 1995–96 के दौरान, 399 डाकघरों में 1000 और कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें लगाई जा रही हैं। इनकी राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण–II में दी गयी है। इस पर अनुमानित व्यय लगभग 8.20 करोड़ रुपये होगा।

विवरण-I

उन डाकघरों की राज्यवार संख्या, जिनमें कम्प्यूटर आधारित मशीनें मुहैया कराई गई हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनों वाले डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	51
2.	असम	06
3.	बिहार	17
4.	दिल्ली	60
5.	गुजरात	61
6.	गोआ	03
7.	हरियाणा	20
8.	हिमाचल प्रदेश	28

1	2	3
9.	जम्मू–कश्मीर	06
10.	कर्नाटक	53
11.	केरल	63
12.	मध्य प्रदेश	19
13.	महाराष्ट्र	72
14.	त्रिपुरा	01
15.	मणिपुर	01
16.	नागालैंड	01
17.	मेघालय	02
18.	मिजोरम	01
19.	उड़ीसा	12
20.	पंजाब	26
21.	राजस्थान	20
22.	तमिलनाडु	80
23.	उत्तर प्रदेश	46
24.	पश्चिम बंगाल	07
	कुल :	658

विवरण-II

उन डाकघरों की राज्यवार संख्या, जिनमें वर्ष 1995-96 के दौरान कम्प्यूटर आधारित काउंटर मशीनें लगाई जा रही हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	33
2.	असम	13
3.	बिहार	23
4.	दिल्ली	17
5.	गुजरात	24
6.	गोआ	02
7.	हरियाणा	11
8.	हिमाचल प्रदेश	17
9.	जम्मू–कश्मीर	06
10.	कर्नाटक	32
11.	केरल	19
12.	मध्य प्रदेश	25
13.	महाराष्ट्र	36
14.	त्रिपुरा	01
15.	मिजोरम	02
16.	अरूणाचल प्रदेश	01
17.	नागालैंड	02
18.	मेघालय	02
19.	मणिपुर	01
20.	उड़ीसा	24
21.	पंजाब	15
22.	राजस्थान	22
23.	तमिलनाडु	26
24.	उत्तर प्रदेश	33
25.	पश्चिम बंगाल	12
	कुल :	399

[अनुवाद]

कोचीं से करूर तक पाइप लाइन बिछाना

3859. **श्री वी.एस. विजयराघवन :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम निगम लि. का पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए केरल में कोचीं से करूर तक एक पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) कोचीन से करूर तक 308 कि.मी. लम्बी उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के लिए एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु सरकार ने मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी पी सी एल) को दिनांक 21.6.1995 को प्रथम चरण की

स्वीकृति प्रदान कर दी है। बी पी सी एल ने निवेश निर्णय हेतु विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट नवम्बर, 1995 में प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

बिहार में दूरदर्शन केन्द्रों की संख्या

3860. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री ललित उरांव :

क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दूरदर्शन रिले केन्द्र ठीक से कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बिहार में गुमला और लोहरदगा में दूरदर्शन रिले केन्द्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रसारण कार्य कब से आरंभ हो जाएगा ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) बिहार में, टी.वी. ट्रांसमीटरों का समग्र कार्य निष्पादन के संतोषजनक बताए जाने की रिपोर्ट है। जब भी ट्रांसमीटरों के ठीक तरह से कार्य न करने की शिकायतें मिलती हैं तो उन पर तत्परता से कार्यवाही की जाती है और खराबियों को विधिवत ठीक किया जाता है।

(घ) और (ङ) बिहार के गुमला और लोहारदगा में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा.) पहले से ही क्रमशः दिनांक 29.12.1994 तथा 20.10.1994 से परिचालन में हैं।

[अनुवाद]

कोयला क्षेत्रों में प्रदूषण

3861. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आसनसोल–रानीगंज–दुर्गापुर के कोयला क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक मारे गए लोगों, अवक्रमित हुई भूमि, बेघर और बेरोजगार हुए लोगों और पुनर्वासित किए गए लोगों संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई कार्ययोजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कार्ययोजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) आसनसोल–रानीगंज–दुर्गापुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग है–यथा इस्पात संयंत्र विद्युत संयंत्र, कोक ओवन रासायनिक फैक्टरी, सीमेंट फैक्टरी, ईंट भट्टा उद्योग और स्टोन क्रशर्स आदि हैं जो कि उस क्षेत्र में प्रदूषण को बढ़ा रही है। जहां तक कोयला खनन क्रियाकलापों का संबंध है उक्त क्षेत्र में वायु एवं जल प्रदूषण में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हो रही है। काफी सीमा तक विपरीत प्रभाव भूमि के संबंध में गिरावट आने के मामले में हुआ है। रानीगंज कोलफील्ड्स में कुछ क्षेत्रधंसाव बहुत हैं, जो कि विगत में शैलोकवर के अन्दर किये जा रहे अवैज्ञानिक खनन क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप है और जिन्हें कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण किये जाने से पूर्व से किया जा रहा है।

विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायों के क्रियान्वयन किए जाने से यथा सुधार वनीकरण, वायु एवं जल प्रदूषण नियंत्रण आदि द्वारा पर्यावरणीय संगतता के रूप में कोयला खनन किये जाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं (ई.एम.पी.) को कोयला परियोजनाओं के अभिन्न अंग के रूप में बनाया जाना अपेक्षित है। इन पर्यावरणीय प्रबंधन योजनाओं में न केवल विभिन्न पर्यावरणीय सुरक्षात्मक उपायों समाहित हैं। बल्कि इनमें भू–वंचितों के पुनर्वास के लिये पर्याप्त कदम उठाया जाना भी शामिल है। ई.एम.पी. के क्रियान्वयन नियंत्रण पर कोयला कंपनियों द्वारा तथा सरकारी स्तर पर निगरानी रखी जाती है।

धंसाव की समस्या से निपटने के लिये धंसाव नियंत्रण उपायों का वास्तविक क्रियान्वयन को राज्य सरकारों/जिला प्राधिकारियों के साथ सक्रिय भागीदारी के साथ किया जा सकता है, जो कि अन्य बातों के साथ–साथ, असुरक्षित क्षेत्रों में रह रही आबादी के स्थानांतरण एवं अवस्थापन से निपटने के लिये किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुझाव दिया गया था कि विद्यमान आसनसोल–दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (ए.डी.डी.ए.) जिसका गठन पश्चिम बंगाल के कस्बा तथा ग्रामीण (योजना एवं विकास) अधिनियम, 1979 के तहत किया गया था, को सुदृढ़ीकृत किया जा सकता है और इसे जीर्णोद्धार कार्यों के लिये कार्यकारी एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया जा सकता है। यह भी सुझाव दिया गया था कि सर्वेक्षण योजना और डिजाइनिंग और योजनाओं/परियोजनाओं को तैयार करने के लिये तकनीकी आगतों को कोल इंडिया लिमिटेड/ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा ए.डी.डी.ए. में तकनीकी कार्मिकों को नियोजित करके किया जा सकता है। इस संबंध में निर्णय को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। किन्तु, कोयला कंपनियां कुछ चुनिंदा अस्थिर स्थानों पर पुनर्वास उपायों को अपनी ओर से कर रही है, जो कि प्राथमिक रूप से धंसाव बहुत क्षेत्रों में जो कि अन्यथा सुगम्य नहीं है, के स्थिरीकरण के लिये हाइड्रो–न्यूमैट्रिक रेत भराई की तकनीक को विकसित किये जाने के उद्देश्य पर आधारित हैं।

कोयला खान खंडों की सुपुर्दगी

3862. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड तथा उनके मंत्रालय से कुछ खानों के खंडों की सुपुर्दगी के लिए आग्रह करता आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) द्वारा प्रस्तुत ठोस प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय के अधीन गठित चयन समिति ने झरिया कोयला क्षेत्रों के कोयला खानों के खंडों के विकास के लिए 'सेल' के सुपुर्द कर दिया है या सुपुर्द करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि. (सेल) से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर कोयला मंत्रालय में कार्यरत जांच समिति ने "सेल" द्वारा ग्रहीत विकास के लिए चार कोककर कोयला ब्लाकों को पहले ही विनिर्दिष्ट एवं पेशकश कर दी है। उनके ग्रहीत विद्युत संयंत्र को कोयले की आपूर्ति के लिए कोककर कोयला ब्लाकों के विनिर्दिष्टीकरण के लिए "सेल" ने अनुरोध भी प्रस्तुत किया है, उक्त अनुरोध पर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

कलकत्ता दूरदर्शन पर विभिन्न भाषाओं हेतु समय का आवंटन

3863. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दूरदर्शन पर विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों के लिए समय आवंटित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये हैं;

(ख) कलकत्ता दूरदर्शन पर विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित समय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कलकत्ता दूरदर्शन पर बंगला भाषा के धारावाहिक के लिए समय बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) इस प्रयोजनार्थ मानदण्डों में सेवा क्षेत्र की आबादी का भाषाई संयोजन, संप्रेषण विधि और विशिष्ट जाति और भाषाई समूहों के विशेष हित शामिल हैं;

(ख) भाषा–वार ब्यौरे इस प्रकार से हैं :–

भाषा	मिनट/माह
1	2
1. बंगला	23,730
2. उर्दू	630
3. नेपाली	300
4. हिन्दी	240
5. अंग्रेजी	120

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सूखा नियंत्रण परियोजनाएं

3864. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास महाराष्ट्र की स्वीकृति हेतु लम्बित सूखा नियंत्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति कब तक दी जायेगी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र को इस संबंध में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र के सूखा प्रवण क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली 5 वृहद और 6 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय जल आयोग/अन्य केन्द्रीय अभिकरणों में मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं। परियोजनाओं की अनुमानित लागत और उनके विवरण निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिला	मूल अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
वृहद सिंचाई			
1.	दूधगंगा सिंचाई	कोल्हापुर	154.73
2.	वर्ना सिंचाई	सांगली	284.73
3.	कोयना कृष्णा लिफ्ट	सांगली	187.90
4.	संगोला ब्रांच नहर	शोलापुर	37.01
5.	पुनाद सिंचाई	नासिक	30.36
मध्यम सिंचाई			
1.	रायगवन	औसमानाबाद	6.61

1	2	3	4
2.	मोरना गुरेघर	सतारा	7.31
3.	बेनेतुरा	ओसमानाबाद	6.69
4.	बोर–दाहेगांव	औरंगाबाद	17.83
5.	तजनापुर लिफ्ट सिंचाई	अहमदनगर	12.73
6.	ब्राह्मणगांव लिफ्ड	औरंगाबाद	8.73

(ख) इन परियोजनाओं के अनुमोदित होने का समय इस बात पर निर्भर करता है कि केन्द्रीय जल आयोग और अन्य केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा मूल्यांकन के दौरान की गई टिप्पणियों की अनुपालना राज्य सरकार कब तक करती है।

(ग) केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार को ब्लॉक ऋणों और ब्लॉक अनुदानों के रूप में दी जाती हैं और जो किसी परियोजना अथवा क्षेत्र से जुड़ी नहीं होती। तथापि, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें जल संसाधन घटक भी शामिल किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य को निम्नलिखित निर्मुक्तियां की गई हैं।

वर्ष	केन्द्रीय निर्मुक्तियां (लाख रुपए में)
1992–93	627.35
1993–94	967.54
1994–95	1109.00

[अनुवाद]

अशांति को रोकने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को सहायता

3865. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 नवम्बर, 1995 के "दि आब्जर्वर आफ बिजनेस एंड पोलिटिक्स" में प्रकाशित "सेन्टर आफर्स आटोनामी टू एन.ई. डेस्पाइट कश्मीर डिबेकल" समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से इस क्षेत्र का विकास करने और वहां अशांति समाप्त करने के लिए और अधिक धनराशि की मांग की है; और

(घ) यदि हां तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक तरफ तो सरकार की नीति हिंसक गतिविधियों में संलग्न लोगों के साथ कड़ाई से निपटने की तथा दूसरी ओर ऐसे तत्वों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने की रही है बशर्ते कि वे हिंसा त्याग कर भारत के संविधान के भीतर रह कर कार्य करने के लिए तैयार हों।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। वर्ष 1995–96 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर परिषद को पूर्वोत्तर राज्यों में 18 महत्वपूर्ण अन्तर–राज्य सड़कों को समय पर पूरा करने के लिए 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का आवंटन किया गया। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की केन्द्रीय योजना के तहत वर्ष 1994–95 के दौरान सात पूर्वोत्तर राज्यों की आवंटन राशि 331.12 लाख रुपये से बढ़ा कर 662.24 लाख रुपये कर दी गयी है। वर्ष 1995–96 के लिए, 331.12 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है तथा पहली किस्त के रूप में 165.56 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। विद्रोह से अत्यधिक रूप में प्रभावित नागालैंड, मणिपुर और असम राज्य को वर्ष 1993–94 के दौरान 32.60 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई, यह राशि मणिपुर को फरवरी, 1995 में रिलीज की गई 0.50 करोड़ रुपये की राशि के अलावा है। जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय योजना के तहत अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केन्द्रीय निधियां भी जारी की गई हैं। दीमापुर जेल में सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 1995–96 के दौरान नागालैंड को 40.91 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान सहायता

3866. **डा. (श्रीमती) के एस. सौन्दरम** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में पेरियार और सेलम जिलों में शारीरिक और मानसिक विकलांगों के कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनों को कोई अनुदान सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इन संगठनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन संगठनों को कितनी सहायता राशि दी गई है;

(ग) इन क्षेत्रों से संबंधित कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं; और

(घ) लम्बित आवेदन पत्र कब तक निपटा दिए जाएंगे ?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) : जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) अब तक प्राप्त 4 आवेदन पत्रों में से 3 आवेदन

पत्रों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। चौथा आवेदन प्रस्तावित ग्रामीण पुनर्वास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत सहायतानुदान के लिए है, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

क्र.सं.	संगठन का नाम	निर्मुक्त धनराशि (रुपए लाख में)		
		1992–93	1993–94	1994–95
1.	एरोड एनिमा सोसायटी एरोड जिला पेरियार	–	0.62	0.72
2.	कांगु अनिकंतयम ट्रस्ट एरोड जिला पेरियार	–	–	1.34
3.	अन्नाई जे.के.के. सम्पूर्णी अम्मल चेरिटेबुल ट्रस्ट जिला सेलम	1.56	–	–

[हिन्दी]

पिछड़े क्षेत्रों का विकास

3867. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार** : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा क्षेत्रों के विकास के लिए कोई आयोग गठित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा संस्तुत योजनाओं और विकास के लिए चयनित जिलों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए विकास बोर्ड दिनांक 3.3.91 को जारी किये गये राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा संविधान के अनुरूप 371 (2) के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। विदर्भ विकास बोर्ड के अन्तर्गत नागपुर और अमरावती प्रभाग आते हैं। तथा मराठवाड़ा विकास बोर्ड के अन्तर्गत औरंगाबाद राजस्व प्रभाग आता है।

[अनुवाद]

पैराफीन मोम की आपूर्ति

3868. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैराफीन मोम को विनियंत्रित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार पैराफीन मोम आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण आदेश, 1972 को संशोधित करने की घोषणा करने वाली है; और

(ग) यदि हां, तो घोषित किये जाने वाले मुख्य संशोधनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) सरकारी नीति का पुनरीक्षण एक सतत् प्रक्रिया है तथा जैसे और जब कभी आवश्यक समझा जाता है, परिवर्तन किए जाते हैं।

[हिन्दी]

दूरदर्शन में हिन्दी प्रयोग

3869. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर अंग्रेजी की तुलना में हिन्दी का प्रयोग कम किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन पर हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन पहले से ही अपने प्रसारणों में यथासंभव अधिकतम मात्रा में हिन्दी का प्रयोग कर रहा है।

टी.सी.आई.एल के उपकरण

3870. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टी.सी.आई.एल. ने दूरसंचार विभाग को कुछ उपकरणों की आपूर्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग ने टी.सी.आई.एल. को इसकी लागत का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप टी.सी.आई.एल को कितनी हानि हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) टी सी आई एल द्वारा दूरसंचार विभाग को सप्लाई किए गए उपस्करों में, पारेषण उपस्कर, स्टोर तथा फॉरवर्ड मैसेज स्विचन

प्रणालियां, बहुभाषी कन्सेन्ट्रेटर, फोनोंग्राम कन्सेन्ट्रेटर और डायरेक्टरी पूछताछ के लिए उपस्कर शामिल है।

(ग) कुछ आपूर्तियों के लिए अभी भुगतान किया जाना है।

(घ) आपूर्ति की शर्तों के अनुसार प्रणालियों के संतोषजनक स्वीकृति परीक्षण तथा इनके चालू होने के बाद ही भुगतान करना होता है। चूंकि, कुछ मामलों में प्रणालियां चालू करने का काम लंबित है, लिहाजा अभी तक इन प्रणालियों के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

(ङ) टी सी आई एल को इस वजह से कोई हानि नहीं उठानी पड़ी है।

[अनुवाद]

राज्यों का पुनर्गठन

3871. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राज्यों के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुए सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन सुझावों की जांच के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (घ) भारत सरकार फिलहाल राज्यों के वर्तमान स्वरूप के पुनर्गठन के बारे में, कोई विचार नहीं कर रही है।

टेलीफोन सेवाओं का रखरखाव

3872. **श्री हरिन पाठक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं के रखरखाव के संबंध में 1994-95 के दौरान कोई दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी हां। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं के रख-रखाव संबंधी मार्ग निर्देश विद्यमान हैं। उत्तरोतर वार्षिक योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से, नई प्रौद्योगिकियों को समाविष्ट करके मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन करने के प्रयास किए जा रहे हैं बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) जी, हां। ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों के ठीक से काम न करने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए, निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही हैं :

(i) दोषयुक्त सभी मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रसारण उपस्कर बदलना।

(ii) दोषयुक्त बैटरी सैटों को बदलना तथा उन स्थानों पर सौर पैनल लगाना जहां इन्हें अभी तक प्रदान नहीं किया गया है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय संचारण माध्यम अधिष्ठापित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार को कोकिंग कोयला की आपूर्ति

3873. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) देश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कोकिंग कोयले की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का विद्यमान मानदण्ड क्या है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार को आवंटित कोकिंग कोयले की मात्राओं का ब्यौरा क्या है।

(ग) राज्य के प्रत्येक जिले में कोकिंग कोयले के आपूर्तिकर्ताओं की नियुक्ति के विद्यमान प्रावधान क्या हैं; और

(घ) बिहार के प्रत्येक जिले में कोकिंग कोयला के कितने आपूर्तिकर्ता हैं और राज्य में उनकी कुल कितनी संख्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) माननीय सदस्य शायद इस संबंध में, देश में ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू प्रयोग में लाए जाने हेतु साफ्ट कोक की आपूर्ति को संदर्भगत कर रहे हैं। सरकार द्वारा साफ्ट कोक का आबंटन मासिक आधार पर इसकी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, को मासिक आधार पर किया जाता है। चूंकि साफ्ट कोक की उपलब्धता काफी नीचे आ गई है, अतः इसका आबंटन मुख्यतः उन राज्यों को किया जाता है जहां कि साफ्ट कोक का उत्पादन किया जाता है, अर्थात् बिहार और पश्चिम बंगाल। इसको लघु मात्रा में समीप के राज्यों को भी आबंटित किया जाता है। "सिलकोक" का उच्च मात्रा में आबंटन किया जा रहा है ताकि साफ्ट कोक तथा "सिलकोक" की घरेलू प्रयोजन के लिए कुल उपलब्धता विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मामले में अप्रभावित रहे।

(ख) साफ्ट कोक तथा "सिलकोक" की पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य को आबंटित मात्रा के नीचे दर्शाये गए हैं :

(000 टन में)

1993–94 दिसम्बर, 1993 तक		जनवरी, 1994 से दिसम्बर, 1994		जनवरी, 1995 से मार्च, 1995		अप्रैल, 1995 से मार्च, 1996
साफ्ट कोक	साफ्ट कोक	सिलकोक	साफ्ट कोक	सिलकोक	साफ्ट कोक	सिलकोक
60	40	20	10	50	10	50

(ग) कोयला नियंत्रक के कार्यालय ने यह सूचित किया है कि कोककर कोयले के हैंडलिंग एजेन्ट/सप्लायर की नियुक्ति अर्थात् बिहार राज्य में साफ्ट कोक के मामले में बिहार सरकार की सिफारिश के आधार पर की जाती है।

(घ) प्रत्येक डिवीजन/कमीशनरी के मामले में एक हैंडलिंग एजेन्ट सप्लायर नियुक्त है और बिहार राज्य में इनकी कुल संख्या 14 है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार

3874. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 30 दिन के बजाय 45 दिन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार रखने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां। सरकार का मिट्टी के तेल, डीजल और पेट्रोल जैसे अधिक खपत वाले उत्पादों के लिए 45 दिन का भंडार बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार ने 8वीं योजना के अन्तर्गत 5.14 मिलियन कि. ली. के अतिरिक्त भण्डार का अनुमोदन कर दिया है। पर्वतीय क्षेत्रों तथा जम्मू और कश्मीर में भी अतिरिक्त भण्डारण परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

[हिन्दी]

रायल्टी की दर में संशोधन

3875. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1995 तक लिग्नाइट पर रायल्टी की दर में वृद्धि के संबंध में केन्द्रीय सरकार को किन राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार की ओर से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में विशेष रूप से गुजरात के मामले में अब तक की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) लिग्नाइट पर रायल्टी की दरों में अद्यतन स्थिति के अनुसार ऊपरी ओर संशोधन किए जाने संबंधी प्रस्ताव तमिलनाडु तथा गुजरात की राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं।

(ग) गुजरात सरकार ने लिग्नाइट की रायल्टी की दरों का निर्धारण राज्य में उत्पादित लिग्नाइट पर 2.50 रु. प्रति टन की दर से 54 से 70 रुपए प्रति टन तक किए जाने का अनुरोध किया है।

(घ) और (ङ) इस संबंध में गठित किए गए अध्ययन दल ने इस प्रश्न पर विचार किए जाने हेतु बैठक की है और यह इसके बारे में सिफारिशें किए जाने हेतु अपेक्षित आंकड़ों का संग्रहण कर रहा है।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

3876. **श्री सुधीर सावंत** :
श्री राम कापसे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमा विवाद की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस विवाद के समाधान हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवाद, 1956 में इन राज्यों के पुनर्गठन के बाद से ही लम्बित चला आ रहा है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर विचार करने के लिए महाजन आयोग की नियुक्ति की थी और इसने 1967 में अपनी सिफारिशें दे दी थीं जिन्हें कर्नाटक द्वारा पूर्णतया स्वीकार कर लिया गया था जबकि महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें अस्वीकार कर दिया था। ये मतभेद अभी भी बने हुए हैं।

भारत सरकार का मत है कि मुख्यतया यह विवाद, दोनों संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बातचीत और आपसी समझौते के माध्यम से हल करना पड़ेगा और वह इस बारे में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक सहायता सहर्ष प्रदान करेगी।

पानीपत तेलशोधक कारखाने का विस्तार

3877. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पानीपत स्थित आई. ओ. सी. के तेलशोधक कारखाने की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस तेलशोधक कारखाने की वर्तमान शोधन क्षमता क्या है और विस्तार के बाद इसकी अनुमानित क्षमता क्या होगी;

(ग) इसकी शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए कितनी रकम का आबंटन किया गया है; और

(घ) इस तेलशोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (घ) वर्तमान समय में रिफाइनरी की अनुमोदित क्षमता 6 एम एम टी पी ए है। आई ओ सी ने रिफाइनरी की क्षमता में 3.0 एम एम टी पी ए की अतिरिक्त वृद्धि करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर प्रथम चरण का अनुमोदन देने और विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

लागत अनुमानों, आबंटन और कार्यक्रम की पूर्णता आदि का ब्यौरा विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट के पूरा होने पर ही ज्ञात हो सकेगा।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1993 में संशोधन

3878. **श्री काशीराम राणा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 नवम्बर, 1995 के "दि टाइम्स आफ इण्डिया" में "हाई सेल बान्ड्स कीप अंडरट्रायल्स बिहाइन्ड बार्स", शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का 1973 में जब दण्ड संहिता प्रक्रिया पारित की गई थी की तुलना में इस समय रुपये के मूल्यहास को देखते हुए, उन मामलों में जब अभियुक्त जमानत राशि अदा करने में असमर्थ हो तो जमानत के शमन के लिये अदा की जाने वाली धनराशि को 250 रु. से बढ़ाकर 1,000 या अन्य कोई अधिक धनराशि करने के लिये इस अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1994 जिसे 9.5.1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया था, मैं अन्य बातों के साथ-साथ, राशि को 250 रु. से बढ़ाकर 2000 रु. करने की व्यवस्था है।

दूरसंचार क्षेत्र में विकास योजना

3879. **श्री राम विलास पासवान : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक राज्य में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के साथ-साथ उसके विस्तार की कौन-कौन सी योजनायें तैयार की गई हैं;

(ख) इस योजना के लिए किन-किन वित्तीय संस्थाओं से धनराशि प्राप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) उन देशी/विदेशी कंपनियों के नाम क्या-क्या हैं जो इस योजना के क्रियान्वयन में सहायता करेंगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) संपूर्ण देश के दूरसंचार नेटवर्क के विकास तथा विस्तार हेतु दूरसंचार विभाग को वर्ष 1996-97 की वार्षिक योजना, योजना आयोग की अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गई है। 1996-97 के बाद की योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) इस योजना का वित्त पोषण मुख्यतः दूरसंचार विभाग के आंतरिक संसाधनों से किया जाएगा। जब आंतरिक संसाधनों की संपूर्ति के लिए 1996-97 में बंधपत्र के जरिए धन जुटाया जाएगा तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट जैसे वित्तीय संस्थान इन बंधपत्रों को खरीद सकते हैं।

(ग) अभी तक फ्रांस को सरकार और एशिया विकास बैंक ने विकास योजनाओं में सहायता प्रदान करने की पेशकश की है।

[हिन्दी]

पिछड़ा क्षेत्र घोषित करना

3880. **श्रीमती शीला गौतम : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उत्तराखण्ड को अत्यधिक पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जी, नहीं विशेष ध्यान दिये जाने के लिए पिछड़े क्षेत्रों की आयोजना, विकास तथा उनका पता लगाना और इस प्रयोजन हेतु निधियों का आवंटन करना प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। योजना आयोग, केन्द्रीय सहायता

के वितरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मानदंड में भारांश के माध्यम से तथा विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों के माध्यम से इस संबंध में राज्यों की सहायता करता है;

[अनुवाद]

कोयले का उत्पादन

3881. **डा. वसंत पवार** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिये नए क्षेत्रों का पता लगा रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान किन-किन क्षेत्रों का पता लगाया गया है; और

(ग) इन नए क्षेत्रों से कितना कोयले का उत्पादन होने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 1994-95 के दौरान 24 कोयला क्षेत्रों के 90 ब्लाकों में विस्तृत रूप में अन्वेषण कार्य किया गया। विस्तृत अन्वेषण कार्य के आधार पर 31 भू-गर्भीय रिपोर्टें तैयार की गईं, जिनमें 2868.37 मिलियन टन कुल कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। इन स्थलों से संभावित उत्पादन का परियोजनाओं को निष्पादित किए जाने के बाद ही पता चल सकेगा।

तमिलनाडु में स्मारकों को सुरक्षित रखना

3882. **श्री हाराधन राय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 अक्तूबर, 1995 को दूरदर्शन के चैनल एक पर तमिलनाडु में स्मारकों को सुरक्षित रखने के बारे में प्रसारित "लिविंग आन द एज" नामक धारावाहिक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा तमिलनाडु में स्मारकों की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) जी, हां। उक्त कार्यक्रम के एक अंश में मद्रास के समीप एक गांव में 11वीं तथा 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित कुछ मन्दिरों की अवस्थिति पर एक रिपोर्ट की गई।

(ग) इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई तमिलनाडु सरकार को करनी होगी।

राज्यों को रक्षित कोयला खानें

3883. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को रक्षित कोयला खानें देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन राज्यों को रक्षित कोयला खानें देने की पेशकश की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों को कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, नहीं। किन्तु निम्नलिखित राज्य विद्युत बोर्डों से ग्रहीत खनन ब्लाकों के संबंध में उत्पादन किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

राज्य	विद्युत बोर्डों के नाम	कोयला क्षेत्र, जिनमें ब्लाक अवस्थित हैं
1.	मेसर्स तमिलनाडु विद्युत बोर्ड	तलचर
2.	मेसर्स आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	तलचर
2.	मेसर्स पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड	रानीगंज

(घ) विभिन्न राज्यों में उपभोक्ताओं को कोयले की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता को आश्वस्त करने के लिए कोयला कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक के मामले में गुणावगुण के आधार पर कोयले/कोक के अतिरिक्त आवंटन किए जाने संबंधी अनुरोध पर विचार/जांच की जाती है। इसके अतिरिक्त उदारीकृत बिक्री योजना (एल. एस. एस.) के तहत कई कोलियरियों से कोयले की पेशकश की जा रही है, जिस योजना के तहत बगैर संयोजन/प्रयोजन की आवश्यकता के कोयले की आपूर्ति की जाती है। इस योजना के तहत कोयले की आपूर्ति थोक बिक्री व्यापारियों तथा छोटे व्यापारियों को भी की जा रही है, जोकि छोटे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

भारतीय तेल निगम का वितरण नेटवर्क

3884. **श्री एस. एम. लालजान बाशा** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम देश में वितरण नेटवर्क पर पर्याप्त ध्यान दे रहा है और क्या इसका प्रबन्ध तंत्र जनसामान्य की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस निगम के कार्यकलापों को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उत्पादन

3885. **श्री शोभनादीश्वर राव वाड्डे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने कोयले का उत्पादन हुआ;

(ख) विभिन्न ताप विद्युत स्टेशनों के साथ किये गये कोयला अनुबंधों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार ढुलाई प्रभारों को कम करने के लिए कोयला अनुबंधों में संशोधन का है ताकि ताप विद्युत संयंत्र को उसी राज्य से कोयले के कोटे का आवंटन सुनिश्चित किया जा सके जहां कि वह स्थित है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1994–95 के दौरान देश में राज्यवार हुये कोयले के उत्पादन को संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) विद्यमान दीर्घावधि कोयले के संयोजन देश में बड़े तापीय विद्युत गृहों के लिए स्थापित किया गया है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) सभी तापीय विद्युत गृहों को कोयले के संयोजन तिमाही आधार पर स्थायी संयोजन समिति (अल्पावधि) द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जोकि समग्र कोयले की मांग का मूल्यांकन किए जाने के बाद और कोयले की स्रोतवार उपलब्धता तथा इसके परिवहन संबंधी तंत्र के आधार पर दिए जाते हैं। इन अवरोधों के अन्तर्गत युक्तिसंगत स्रोत से कोयले के संयोजन स्वीकृत किए जाते हैं ताकि इसके परिवहन को न्यूनतम किया जा सके।

विवरण-I

	राज्य	1994–95 के दौरान उत्पादन (आंकड़े मि. टन में)
1.	आध्र प्रदेश	25.65
2.	असम	1.19*
3.	बिहार	73.33
4.	जम्मू कश्मीर	0.02
5.	मध्य प्रदेश	74.86
6.	महाराष्ट्र	21.07
7.	उड़ीसा	27.33
8.	उत्तर प्रदेश	13.82
9.	पश्चिम बंगाल	17.24
10.	मेघालय	3.27**
	अखिल भारतीय	257.77

*इसमें कोल इंडिया लि. के अंतर्गत अरूणांचल प्रदेश तथा मेघालय की कोलियरियां भी शामिल हैं।

**असंगठित क्षेत्र से संबंधित आंकड़े।

विवरण-II

कोयले का विद्युत गृह-वार संयोजन

('000 टन में)

(आंकड़े अनंतिम)

विद्युत गृह का नाम	संयोजन
1	2
आंध्र प्रदेश	
कोठागुडम	3340
नेल्लोरे	110
रामगुंडम "बी"	310
रामगुंडम एसटीपीएस (एनटीपीसी)	7430
विजयवाड़ा	6320
मुद्दडनोरे	1400
असम	
बोंगईगांव	उ. नही
बिहार	
बरोनी	490
बोकारो (डीवीसी)	2600
चन्द्रपुर (डीवीसी)	1800
मुज्जफ्फरपुर	430
पतरातु	1600
कहलगांव	1740
तेनूघाट	600
दिल्ली	
बदरपुर (एनटीपीसी)	3770
आई. पी. स्टेशन	870
राजघाट	600

1	2
गुजरात	
ए.ई.सी.ओ.	960
गांधीनगर	2260
सिक्का	820
उकई	2060
वान्कबोरी	3720
हरियाणा	
फरीदाबाद	640
पानीपत	1940
कर्नाटक	
रायचुर	3030
महाराष्ट्र	
भूसावल	1820
चन्द्रपुर	6200
खापड़खेड़ा	1340
कोराडीह	3700
नासिक	3530
पारस	470
परली	2630
ट्राम्बे	250
दहानु	2000
मध्य प्रदेश	
अमरकंटक	1090
कोरबा ईस्ट	1770
कोरबा एसटीपीएस (एनटीपीसी)	7470
कोरबा वेस्ट	3400
सतपुड़ा	4180
विंध्याचल एसटीपीएस (एनटीपीसी)	4140
बारसिंहपुर	1340
उड़ीसा	
ईब–घाटी	750
तलचर	1350
तलचर एसटीपीएस	4650

1	2
पंजाब	
भटिंडा	1990
रोपड़	3740
राजस्थान	
कोटा	2530
तमिलनाडु	
एन्नोरे	1990
मेत्तुर	3600
तूतीकोरिन	3980
नार्थ मद्रास	2010
उत्तर प्रदेश	
अनपाड़ा	5060
हरदुआगंज "बी"	1110
एनसीटीपीपी (दादरी)	2730
ओबरा	5510
पनकी	710
परीचा	780
रिहन्द (एनटीपीसी)	3200
सिंगरौली एसटीपीएस (एनटीपीसी)	7230
टांडा	990
ऊंचाहार (एनटीपीसी)	1200
पश्चिम बंगाल	
बन्डेल	1260
सी.ई.एस.सी.	940
दुर्गापुर (डीपीएल)	650
दुर्गापुर (डीबीसी)	1140
फरक्का एसटीपीएस (एनटीपीसी)	6630
कोलाघाट	3300
सथालडीह	870
साउथ जन. संयंत्र	420
तीतागढ़	800

वापसी पत्र कार्यालय द्वारा लौटाए गए पार्सल

3886. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वापसी पत्र कार्यालय द्वारा वर्ष 1994–95 और 1995–96 के दौरान लौटाये गये पंजीकृत पार्सलों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से उन पत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें वितरित नहीं किया जा सका और भेजने वाले को भी वापस नहीं भेजा जा सका;

(ग) उन पंजीकृत पार्सलों का क्या हुआ;

(घ) क्या इस विभाग द्वारा इनसे कोई राशि अर्जित की गई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुसलमानों के उत्थान हेतु धनराशि

3887. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या प्रधानमंत्री ने देश के अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय को सहायता देने हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो अल्पसंख्यक समुदाय को इस धनराशि में से कितनी राशि अब तक उपलब्ध की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी) : (क) जी, हां। मुस्लिमों सहित अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र वर्गो में स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का पंजीकरण 500 करोड़ रुपए की प्राधिकृत शेयर पूंजी के साथ एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी के रूप में दिनांक 30.9.94 को किया गया।

(ख) 1994–95 के दौरान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को शेयर पूंजी के केन्द्र सरकार के हिस्से के रूप में 50 करोड़ रूपए प्रदान किए गए। अल्पसंख्यक समुदायों के लाभग्रहियों को ऋण प्रदान करने के लिए इस निगम ने राज्य माध्यम एजेंसियों को आज तक 31.01 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

3888. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो एक्सचेंज वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) जी नहीं। केरल में मौजूदा एक्सचेंजों की कुल 742 संख्या में से, वर्ष 1995–1996 के दौरान एक्सचेंजों का विस्तार किए जाने की योजना है। जिला–वार ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

1995-96 के दौरान केरल में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का प्रस्ताव है उनके जिला-वार ब्यौरे

जिला का नाम	विस्तार किए जाने वाले प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
अल्लेप्पी	33
कालीकट	41
केनानोर	51
एर्नाकुलम	52
इडुकी	36
कासरगोड़	38
कोट्टयम	43
मालाप्पुरम	47
पालघाट	50
पठानमथिट्टा	34
क्विलोन	35
त्रिचूर	37
त्रिवेन्द्रम	34
कयनाड़	19
कुल :	550

कर्नाटक में डाकघर

3889. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कर्नाटक में कार्यरत डाकघरों की जिला–वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे गांवों की जिला–वार संख्या कितनी है जहां यह सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) वर्ष 1995–96 के दौरान कितने नये डाकघर खोलने का प्रस्ताव है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) कर्नाटक में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या, जिलावार, संलग्न विवरण–I में दी गई है।

(ख) जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं, उनकी जिलावार संख्या संलग्न विवरण–II में दी गई है।

(ग) वार्षिक योजना 1995–96 के अन्तर्गत कर्नाटक में 10 विभागीय उप डाकघर और एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध रहें।

विवरण I

कर्नाटक में इस समय कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या का ब्यौरा, जिलावार

क्रम सं.	जिले का नाम	डाकघरों की संख्या
1.	बेंगलूर शहरी	326
2.	बेंगलूर ग्रामीण	356
3.	बेलगांव	712
4.	बेल्लरी	455
5.	बिदर	304
6.	बिजापुर	751
7.	चिकमंगलूर	302
8.	चित्रदुर्ग	475
9.	दक्षिण कन्नड़	791
10.	धारवाड़	642
11.	गुलबर्ग	621
12.	हसन	415
13.	कोडगु	217
14.	कोलार	415
15.	मंडया	364
16.	मैसूर	605
17.	रायचुर	505
18.	शिमोगा	467
19.	तुमकुर	568
20.	उत्तर कन्नड़	494
	कुल :	9785

विवरण-II

कर्नाटक में, जिन गांवों में डाकघर नहीं हैं, उनकी संख्या का ब्यौरा, जिलावार

क्र.सं.	जिले का ननाम	उन गांवों की संख्या जिनमें डाकघर नहीं हैं
1.	बेंगलूर शहरी	372
2.	बेंगलूर ग्रामीण	1662
3.	बेलगांव	560
4.	बेल्लरी	205
5.	बिदर	301
6.	बिजापुर	628
7.	चिकमंगलूर	741
8.	चित्रदुर्ग	842
9.	दक्षिण कन्नड़	124
10.	धारवाड़	794
11.	गुलबर्ग	696
12.	हसन	1980
13.	कोडगु	117
14.	कोलार	2479
15.	मंड्या	1029
16.	मैसूर	1134
17.	रायचूर	936
18.	शिमोगा	1414
19.	तुमकुर	1978
20.	उत्तर कन्नड़	868
	कुल :	18868

डा. अम्बेडकर पुरस्कार

3890. **श्री ए. वैंकटेश नायक** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हाल ही में आरम्भ किये गए डा. अम्बेडकर पुरस्कार की कुल राशि कितनी है;

(ख) क्या इसमें कोई राशि दी जाती है; और

(ग) . यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सामाजिक सूझबूझ तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1993 से स्थापित किया गया है जिसमें 10.00 लाख रुपए की राशि तथा प्रशस्ति पत्र शामिल है। सामाजिक परिवर्तन के लिए डॉ. अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1995 से प्रारम्भ किया जा रहा है तथा इनमें प्राप्तकर्त्ता को 15 लाख रुपए की राशि, उसकी पसंद की मुद्रा में प्रदान की जाएगी, तथा एक प्रशस्ति पत्र होगा। दोनों पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे।

[हिन्दी]

विश्वनाथ मंदिर से सोने की चोरी

3891. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारों को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के कलश से स्वर्ण पत्तल गायब है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की छानबीन की है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (ग) वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर के कलश से एक "स्वर्ण पत्तल" की चोरी की रिपोर्ट जुलाई, 1981 में दी गई थी। जांच पड़ताल के पश्चात् मामले का चालान न्यायालय में कर दिया गया था और यह स्वर्ण पत्तल, जिले के सदर माल खाने में है।

[अनुवाद]

केरल में एस.टी.डी./पी.सी.ओ. केन्द्र

3892. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय केरल में जिले-वार कितने एस.टी.डी./आई. एस.डी./पी.सी.ओ. कार्यरत हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : केरल में कार्यरत एस टी डी/आई एस डी सार्वजनिक टेलीफोनों (पी सी ओ) की जिला-वार संख्या नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	जिला	एस टी डी/आईएसडी पीसीओ की संख्या
1	2	3
1.	त्रिवेन्द्रम	467
2.	क्विलॉन	420
3.	अल्लेप्पी	311
4.	पथनेमपिट्टा	353
5.	कोट्टायम	532
6.	एर्नाकुल्लम	1291
7.	इदुक्की	170
8.	लक्षद्वीप	24
9.	त्रिचूर	711
10.	पलक्कड़	452
11.	कालीकट	641
12.	मालाप्पुरम	546
13.	वाइनाड	66
14.	कन्नानूर	448
15.	कासरगोद	213
16.	माहे	35

महाराष्ट्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

3893. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के कितने लक्ष्य प्राप्त किए गए हैं;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु 30 अक्तूबर, 1995 तक राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और कितनी धनराशि खर्च की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत रखे गए लक्ष्यों और उपलब्धियो और चालू वर्ष के संबंध में लक्ष्यों का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए आवंटित निधियां और 30 अक्तूबर, 1995 तक किया गया व्यय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, विवरण-II में दिया गया है।

विवरण–I

महाराष्ट्र राज्य में 1992-93 से 1995-96 के दौरान प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत वास्तविक निष्पादन

क्र. सं.	कार्यक्रम	यूनिट	1992–93		1993–94		1994–95		1995–1996
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि (अनंतिम)	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आईआरडीपी	सहायता दिए गए परिवारों की संख्या	147906	177651	222394	217671	181926	196677	*
2.	जे आर वाई (पहला चरण)	सृजित रोजगार (लाख श्रम दिवस)	838.77	823.53	1378.27	1129.94	839.93	751.84	848.75
3.	जे आर वाई (दूसरा चरण)	–वही–	—	—	*	58.56	279.20	348.89	125.83
4.	ई ए एस	–वही–	—	—	*	31.53	*	233.89	*

*लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण-II

1995-96 के दौरान (30 अक्तूबर, 1995 तक) प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार वित्तीय निष्पादन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आई आर डी पी		जे आर वाई (प्रथम चरण)	
		कुल आवंटन	कुल व्यय (अनन्तिम)	कुल आवंटन	कुल व्यय (अनन्तिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	8336.41	1703.34	31415.94	10918.11
2.	अरूणाचल प्रदेश	623.43	196.34	322.51	69.28
3.	असम	2743.50	147.31	10342.01	3967.04
4.	बिहार	16218.24	4113.94	61621.21	25295.07
5.	गोआ	141.87	33.96	348.46	222.76
6.	गुजरात	3059.22	1387.96	11532.18	4563.10
7.	हरियाणा	735.33	346.85	2770.19	1022.46
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	140.57	1107.26	431.41
9.	जम्मू व कश्मीर	999.09	291.17	2250.00	765.81
10	कर्नाटक	5594.91	294.21	21094.44	6659.61
11.	केरल	2036.15	1030.74	7674.44	2810.65

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	10565.39	1877.31	39808.58	11288.08
13.	महाराष्ट्र	9087.73	2110.18	34247.70	10350.51
14.	मणिपुर	449.59	97.70	413.36	272.00
15.	मेघालय	477.57	85.57	483.68	100.11
16.	मिजोरम	201.82	85.31	203.76	185.34
17.	नागालैंड	335.69	3.45	518.46	0.00
18.	उड़ीसा	6763.85	1459.41	485.70	8294.53
19.	पंजाब	521.53	439.37	1969.93	408.38
20.	राजस्थान	4388.01	640.30	16539.01	5892.49
21.	सिक्किम	55.95	49.19	188.76	296.26
22.	तमिलनाडु	7537.14	2789.30	28399.54	15354.50
23.	त्रिपुरा	641.42	424.00	536.90	510.56
24.	उत्तर प्रदेश	20316.50	8182.95	76559.68	28189.71
25.	प. बंगाल	7472.20	2109.00	28153.38	8922.80
26.	अं. व नि. द्वीप	70.94	6.50	152.69	19.68
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	—
28.	दादर व न. हवेली	14.99	0.90	82.88	14.81
29.	दमन व द्वीप	27.97	2.87	48.83	12.26
30.	दिल्ली	—	—	—	—
31.	लक्ष्यद्वीप	6.99	2.07	76.55	21.47
32.	पांडिचेरी	57.95	21.90	149.48	113.13
	जोड़ :	109721.16	30073.67	404497.39	146971.92

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जेआरवाई (दूसरा चरण)		ई एच एस	
		कुल आवंटन	कुल व्यय (अनंतिम)	कुल दी गई राशि (सी एंड एस)	कुल व्यय (अनंतिम)
1	2	3		5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3113.75	1541.07	11875.00	6307.24
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	2273.75	201.46
3.	असम	—	—	5012.50	2017.11
4.	बिहार	11815.00	7137.12	9287.50	5616.09

1	2	3	4	5	6
5.	गोआ	–	–	–	–
6.	गुजरात	1938.75	958.92	4912.50	2141.15
7.	हरियाणा	–	–	1662.50	1641.19
8.	हिमाचल प्रदेश	–	–	562.50	89.19
9.	जम्मू व कश्मीर	426.25	208.57	4725.00	2489.08
10.	कर्नाटक	2352.50	1836.15	7100.00	5023.89
11.	केरल	–	–	1162.50	1124.36
12.	मध्य प्रदेश	7595.00	5263.82	11787.50	11131.59
13.	महासष्ट्र	5077.50	3228.28	7025.00	3491.00
14.	मणिपुर	–	–	562.50	641.00
15.	मेघालय	–	–	0.00	174.39
16.	मिजोरम	–	–	1000.00	758.39
17.	नागालैंड	–	–	1300.00	0.00
18.	उड़ीसा	308.75	2236.25	6975.00	5849.77
19.	पंजाब	–	–	–	–
20.	राजस्थान	2271.25	1289.63	9075.00	6543.08
21.	सिक्किम	–	–	137.50	285.10
22.	तमिलनाडु	2358.75	1929.74	3050.00	2525.59
23.	त्रिपुरा	–	–	1300.00	895.61
24.	उत्तर प्रदेश	5240.00	3818.32	8325.00	5265.70
25.	प. बंगाल	3832.50	2252.71	5037.50	4186.39
26.	अं. व नि. द्वीप०	–	–	40.00	1.23
27.	चण्डीगढ़	–	–	–	
28.	दादर व न. हवे.	–	–	30.00	4.72
29.	दमन व द्वीव	–	–	20.00	0.47
30.	दिल्ली	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	100.00	25.45
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–
	जोड़ :	0000.00	31700.58	104338.75	68433.24

दूरदर्शन पर उर्दू कार्यक्रम

3894. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर उर्दू भाषा के कार्यक्रमों का केन्द्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल प्रसारण समय के अनुपात में उर्दू कार्यक्रमों हेतु निर्धारित कुल साप्ताहिक समय क्या है; और

स्टेशनवार, 1 नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार रिक्तियां साहेत उर्दू भाषा के कार्यक्रमों हेतु कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या कितनी है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं

3895. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य से क्या कोई केन्द्रीय सेक्टर योजना तैयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम एशिया में आई. ओ. सी. के "डाउनस्ट्रीम" उत्पादों का विपणन

3896. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** :
श्री रमेश चेन्नितला :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तेल निगम (आई. ओ. सी.) ने पश्चिम एशिया में अपने "डाउनस्ट्रीम" उत्पादों के विक्रय हेतु उनकी मांग और विशिष्ट बाजारों का पता लगाने के लिए बाजार अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के परिणामों का ब्यौरा क्या है और किन उत्पादों का विपणन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या आई. ओ. सी. ने अपने कुछ उत्पादों को पेटेंट कराने हेतु अमरीकी सरकार के पास आवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या आई. ओ. सी. का विचार पश्चिम एशिया और अन्य देशों में अपने "डाउनस्ट्रीम" उत्पादों के विपणन हेतु कुछ अन्य विदेशी कम्पनियों को संबद्ध करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारंभिक सर्वेक्षणों से दुबई और बहरीन में स्नेहक विपणन की संभावनाओं का पता लगा है।

(ग) और (घ) जी, हां। आई ओ सी ने "लुब्रीकेटिंग ग्रीस कंपोजीशन" नामक अपने उत्पाद के लिए अमरीकी पेटेंट प्राप्त कर लिया है।

(ङ) और (च) पश्चिमी एशिया और अन्य विदेशी राष्ट्रों में अपने डाउनस्ट्रीम उत्पादों के विपणन के लिए विदेशी तेल कंपनियों से सहयोग के बारे में आई ओ सी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

3897. **श्री नवल किशोर राय** :
श्री शांताराम पोतदुखे :
श्री प्रतापराव वी. भोंसले :
श्री गुमान मल लोढा :
श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने का कष्ट करेंगे कि :

(क) देश में चालू बड़ी तथा मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं की संख्या क्या है;

(ख) इनमें से ऐसी अधूरी परियोजनाएं कितनी हैं जो सातवें दशक में प्रारम्भ की गई थीं;

(ग) चालू परियोजनाओं पर अब तक कितना परिव्यय किया गया है;

(घ) कितनी परियोजनाएं अपने समय से पीछे चल रही हैं;

(ङ) इस असाधारण विलंब के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने चालू सिंचाई परियोजनाओं की पुनरीक्षा की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) आठवीं योजना के शुरू में 158 वृहद, 226 मझौली और 95 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण चालू सिंचाई परियोजनाएं थीं।

(ख) वर्ष 1969-80 की अवधि के दौरान इनमें से 85 वृहद, 131 मझौली और 19 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

(ग) चालू परियोजनाओं पर मार्च, 1995 तक प्रत्याशित व्यय 34,157.28 करोड़ रुपए है।

(घ) उपर्युक्त चालू परियोजनाओं में से 103 वृहद, 171 मझौली और 21 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाओं की योजना आयोग द्वारा विदेश स्वीकृति दे दी गई है। इनमें से 90 वृहद, 166 मझौली और 21 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं।

(ङ) परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब का मुख्य कारण तकनीकी बातों और भूमि अधिग्रहण में आने वाली कठिनाईयों के अलावा निधियों का अपर्याप्त प्रावधान है।

(घ) और (छ) केन्द्रीय जल आयोग महत्वपूर्ण परियोजनाओं की नियमित रूप से मानीटरी कर रहा है। राज्य सरकारों के साथ वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान चालू परियोजनाओं की प्रगति की भी पुनरीक्षा की जाती है।

(ज) सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम ये हैं : उन परियोजनाओं को प्राथमिकता देना जिन्होंने बहुत प्रगति कर ली है, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारित करना, चुनिंदा परियोजनाओं की गहन मानीटरी करना तथा लागत नियंत्रण सैल स्थापित करने के लिए राज्यों को सलाह देना।

एल. पी. जी. एजेंसियों और खुदरा पेट्रोल पम्पों का आवंटन

3898. **प्रो. रासा सिंह रावत :**
श्री धर्मलिंगम :

क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में कितनी एल. पी. जी. एजेंसियों और खुदरा पेट्रोल पम्पों का आवंटन किया गया,

(ख) इस संबंध में स्थान और व्यक्तियों इत्यादि के चुनाव के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उपरोक्त राज्यों में, 1995-96 में कितनी एल. पी. जी. एजेंसिसों और खुदरा पेट्रोल पम्पों का आवंटन का लक्ष्य रखा गया और इनका स्थानवार विवरण क्या है; और

(घ) किस श्रेणी के लोगों को उपरोक्त आबंटन देने के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया और इसके लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप अथवा एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप की योजना बाजार सर्वेक्षण के आधार पर बनाई जाती है। आर्थिक रूप से व्यवहार्य डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाने के लिए अपेक्षित संभाव्यताओं वाले स्थान पर विपणन योजना में सम्मिलित किए जाते हैं। डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों का चयन, तेल चयन बोर्डों द्वारा, तेल कंपनियों के विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले और राष्ट्रीयता, आयु, शैक्षणिक योग्यता, आय, निवास स्थान और बहुडीलरशिप मानकों संबंधी पात्रता मानदण्डों को पूरा करने वाले व्यक्तियो में से किया जाता है। कुछ डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप सरकार द्वारा अनुकंपा आधारों पर भी आवंटित की जाती हैं। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पिछले 2 वर्षों के दौरान आवंटित डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की कुल संख्या नीचे दी गई है :-

	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल पी जी
आन्ध्र प्रदेश	64	68
राजस्थान	83	39

(ग) और (घ) मौजूदा नीति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण निम्नानुसार उपलब्ध कराया गया है :-

अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	25%
रक्षा	7½%
शारीरिक रूप से विकलांग	7½%
स्वतंत्रता सेनानी	3%
उत्कृष्ट खिलाड़ी	2%
सामान्य	55%

आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-96 और एल पी जी विपणन योजना 1994-96 में क्रमशः 80 और 99 खुदरा केन्द्र डीलरशिप तथा 85 और 51 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप शामिल की गई हैं।

[अनुवाद]

सिंचाई परियोजनाएं

3899. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की उन बड़ी और छोटी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनका निर्माण कार्य समय-अनूसूची से पीछे चल रहा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल की सरकार ने सरकार से निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए निवेदन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) आठवीं योजना में पश्चिम बंगाल मे चल रही वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में से 2 वृहद परियोजनाएं अर्थात कंगसावती और तीस्ता बराज परियोजना चरण-1 और 13 मध्यम परियोजनाएं अर्थात् डिंगलो, साली, बाराभम, गोलमारजोरे, रामचन्द्रपुर, साली व्यपवर्तन, माऊटरेजोरे, हनुमन्ता, तटका, पतलाई, बेको, लियानिन जोरे

और परमा योजना आयोग द्वारा अनुमोदित की गई है और ये सभी अपने निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं।

(ख) इनकी अनुमानित लागत 952.94 करोड़ रुपये है जबकि अनुमोदित लागत 103.97 करोड़ रुपए थी।

(ग) तकनीकी कारणों और भूमि के अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयों के अलावा परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब का मुख्य कारण निधियों का अपर्याप्त प्रावधान है।

(घ) जी, हां।

(ङ) योजना आयोग ने तीस्ता बराज परियोजना चरण–1 के लिए 150 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को अनुमोदित किया है जिससे यह परियोजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरी की जा सके बशर्ते कि राज्य का अंशदान आठवीं योजना अवधि के अन्दर ही, उपलब्ध कराया जाए।

कागज के बढ़ते मूल्य

3900. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :** क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रकाशक संघ ने देश में कागज के बढ़ते मूल्य पर गंभीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो कागज के मूल्य में वृद्धि के खिलाफ सरकार के पास कितनी बार विरोध दर्ज किया गया है;

(ग) क्या प्रकाशक, छात्रों के माता–पिता ने भी मूल्य वृद्धि पर अपने विरोध प्रकट किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय में कोई ज्ञापन/विरोध दर्ज नहीं किया गया है।

(घ) कागज की कीमतों पर कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है। कीमतें, प्रचलित बाजार शक्तियों तथा विभिन्न निवेशों अर्थात् कच्चे माल और रसायनों की लागत द्वारा निर्धारित होती है। फिर भी, पुस्तक प्रकाशन उद्योग हेतु कागज की कीमतों में वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं की सरकार को जानकारी है। कागज की कीमत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, अखबारी कागज के आयात पर सीमा शुल्क को चालू वर्ष के बजट में 65 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है तथा 18.5.1995 से इसे और घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था : जिससे आयातित कागज सस्ता होगा। चालू निर्यात–आयात नीति में कागज को भी ओ. जी. एल. के अंतर्गत लिया गया है जिससे कागज का अप्रतिबंधित आयात किया जा सकेगा।

सरकार ने स्वदेशी कागज निर्माता संघों के साथ अनेक बार चर्चा की हैं तथा उन पर कीमतों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता के बारे में जोर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप कागज की कीमतें स्थिर हो गई हैं।

[हिन्दी]

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

3901. **श्री दत्ता मेघे :** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं तथा उन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इन परियोजाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है; और

(ग) महाराष्ट्र को गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियंत्रण हेतु दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र की कोई बाढ़ नियंत्रण परियोजना लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता एकमुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है। गत तीन वर्षों के दौरान इस फार्मूला के अनुसार राज्य योजना के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र के लिए किया गया योजना आबंटन इस प्रकार है :–

वर्ष	राशि लाख रूपए
1992–93	31.00
1993–94	61.00
1994–95	53.00

एल पी जी की कमी

3902. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :** क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कुछ जिलों में एल पी जी की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां सूचीबद्ध एल पी जी के वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूर्णतः पूरी की जा रही है। कभी–कभी होने वाले अस्थायी बकाये को समीपवर्ती क्षेत्रों में भरण संयंत्रों से आपूर्तियों और बढ़ाए गए कार्य घंटों तथा रविवार व अवकाश के दिनों में एल पी जी भरण संयंत्रों के प्रचालन द्वारा पूरा किया जाता है।

आरक्षित पदों पर नियुक्तियां

3903. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित रिक्तियों के बदले नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सूचना मांगी गई है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

निजी कम्पनियों को लिग्नाइट की आपूर्ति

3904. **श्री हरिन पाठक** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के पास उपलब्ध लिग्नाइट को उन निजी कंपनियों को देन पर सहमत हो गई है जो जीरो यूनिट प्रोजेक्ट के तहत विद्युत उत्पादन करने के इच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। जहां तक नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (ने. लि. का.) और मैसर्स एस. टी.–सी. एम. एस. इलैक्ट्रिक कंपनी लि. के बीच हुए ईंधन आपूर्ति करार (एफ. एस. ए.) के अंतर्गत सिद्धांत रूप में इस बात पर सहमति हुई थी कि उक्त मैसर्स एस. टी.–सी. एम. एस. इलैक्ट्रिक कंपनी लि. द्वारा स्थापित किए जाने वाले 1×250 मे. वा. के प्रस्तावित विद्युत संयंत्र के लिए ने. लि. का. द्वारा लिग्नाइट की आपूर्ति की जाए, जो कि प्रतिवर्ष 2.0 मि. ट. से अधिक मात्रा में नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

विकलांग बच्चों के विद्यालय

3905. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** :
श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती शीला गौतम :
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग बाल विद्यालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खोले गये विद्यालयों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ संगठनों/विद्यालयों को सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विकलांग बच्चों के लिए स्कूलों के संबंध में सूचना सुलभ दस्तावेज अर्थात कल्याण मंत्रालय द्वारा 1995 में प्रकाशित विकलांगों के लिए कार्यरत संगठनों की निदेशिका में उपलब्ध है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास की योजना के अंतर्गत चार प्रमुख विकलांगताओं–अस्थि, श्रवण और वाणी, दृष्टि तथा मानसिक मंदता में विशेष स्कूलों की स्थापना और उन्नयन के लिए गैर सरकारी संगठनों को 90% तक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में प्राथमिकता उन जिलों को दी जाती है जहां इस समय कोई विशेष स्कूल नहीं हैं। मंत्रालय द्वारा आवर्ती और अनावर्ती व्यय दोनों के लिए सहायता दी जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 1993–94 से कार्यान्वित की जा रही है।

विवरण

राज्य का नाम	क्र. सं.	स्कूल/संगठन का नाम	मंजूर की गई राशि (रुपए लाख में)
1	2	3	4
तमिलनाडु	1.	डा. दातू राव मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट मद्रास	1.31
	2.	सिडवे रिहैब्लीटेशन सेंटर फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, कोयम्बटूर	1.87
	3.	सोशल सर्विस सेंटर, मद्रास	0.56

1	2	3	4
	4.	बिशप दिल्ली होम फार ब्लाइंड तिल्वी	0.75
	5.	कार्तिक पब्लिक एजूकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मयालाथुयरंई	0.30
आन्ध्र प्रदेश	1.	हेलन केल्लर मेमोरियल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड विशाखापत्तनम	3.63
	2.	सोसायटी फार एजूकेशन आफ दि डीफ एंड ब्लाइंड, विजयनगर	0.85
	3.	महालक्ष्मी वेल्फेयर सोसायटी, विजयनगर	0.56
	4.	प्रियदर्शिनी सर्विस आरगेनाइजेशन, विशाखापत्तनम	2.22
	5.	श्रीनिवास महिला मंडल, जिला प्रकाशन	0.59
	6.	ए. पी. सोसायटी फार रिहैब्लीटेशन एंड वेलफेयर आफ हैंडीकैप्ड, हैदराबाद	0.68
केरल	1.	आशा किरण एसोसिएशन फार मेंटली रिकार्डेड, अमलापुरी	0.48
	2.	स्मिया नर्सरी टेक्नीकल इन्स्टीच्यूट, एर्णाकुलन	0.49
	3.	एसोसिएशन फार वेल्फेयर आफ दि हैंडीकैप्ड, कालीकट	0.40
	4.	सैंट कैमिलियस ट्रेनिंग सेन्टर, कालीकट	1.10
	5.	कालीकट इसलामिक कल्चरल सोसायटी, कोजीकोड़े	0.84
	6.	रोटरी इंस्टीच्यूट फार चिल्ड्रन इन नीड आफ स्पेशल केयर	3.52
	7.	फरटेजा इन्स्टीच्यूट फार मेंटली रिटायर्ड, वायनाद	1.01
	8.	आल केरल एसोसिएशन फार मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, कोचीन	0.43
कर्नाटक	1.	जयज्योति बसवासतिवारा विद्या संस्थी, चित्रदुर्ग	3.19
	2.	श्री रेणुका विद्या वर्धका संघ, सौनधत्ती	1.12
	3.	जाम्मवा जगतगुरु विद्या समस्थे, सावनगेरा	2.00
	4.	कर्नाटक लोइस एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड, गुलबर्गा	1.03
	5.	श्री सरणा हरलैया, पणजी	0.11
गुजरात	1.	अंकुर स्कूल फार मेंटली रिटार्डेड, चिल्ड्रन, भावनगर	0.34
	2.	रचनात्मक अलीगढ़, ट्रस्ट	0.34
	3.	अपंग परिवार कल्याण केन्द्र	0.33
उड़ीसा	1.	रैड क्रास सोसायटी आफ दि ब्लाइंड, बहरामपुर	5.31
	2.	ओपन लर्निंग सिस्टम, भुवनेश्वर	4.32
पश्चिम बंगाल	1.	श्री श्री आर. के. सत्यानन्द एजूकेशन एंड चैयटी ट्रस्ट वीरभम	2.00
	2.	प्रवारतक संघ, कलकत्ता	1.19
	3.	इन्स्टीट्यूट आफ चाइल्ड हैल्थ, कलकत्ता	0.47
	4.	सोसायटी फार हैंडीकैप्ड ओरिटेशन ट्रेनिंग एंड एजूकेशन, गुर्गपुर	0.81
बिहार	1.	हरिजन आदिवासी महिला सेवा संस्थान बान मकलस	3.07
पंजाब	1.	पंजाब आईएएस आफिसर वीवस एसोसिएशन, चंडीगढ़	1.68
	2.	इंडियन रैड क्रास सोसायटी, अमृतसर	0.41

1	2	3	4
पंजाब	3.	नवजीवनी स्कूल आफ स्पेशल एजूकेशन, पटियाला	2.50
मिजोरम	1.	सोसायटी फार दि रिहैब्लीटेशन आफ स्पास्टिक चिल्ड्रन	0.49
महाराष्ट्र	1.	सोसायटी फार दि स्पेशल एजूकेशन आफ दि डीफ बम्बई	6.27
	2.	एनएसडी इन्डस्ट्रियल होम फार दि ब्लाइंड, बम्बई	0.39
	3.	श्री राम एजुकेशन सोसायटी, खामगांव	1.50
त्रिपुरा	1.	आल त्रिपुरा एससी/एसटी एंड मानीटिटी कांसिल, त्रिपुरा	0.63
मणिपुर	1.	कानघुप एरिया ट्राइब्ल वूमेंन सोसायटी	4.27
महाराष्ट्र	1.	थाणे जिला स्ट्रीट शक्ति थाणे	1.50
आन्ध्र प्रदेश	1.	जिला विकालनगुला संगम, गुडजाला	0.57
	2.	पवमेनसेफ, हैदराबाद	0.15
	3.	करीम नगर जिला फ्रीडम फ्लोटरस, करीम नगर	0.69
केरल	1.	सनदाना अदवाथा आश्रम, करामाना	0.64
	2.	आशा नियालम पोनकुन्नाम	1.07
	3.	फेथ इंडिया, चिरूवेथपुरम	0.75
कर्नाटक	1.	अजय वेलफेयर सोसायटी, बंगलौर	1.48
	2.	सैट पाल इंडिपेंडन्स एजूकेशन सोसायटी बिदाल	1.52
	3.	भुनासवर एजूकेशन सोसायटी, कोआल जिला	10.9
	4.	फिजिकली हैंडीकैप्ड रेजीडेंटल स्कूल, हसन	0.44
पश्चिम बंगाल	1.	भारत स्काउट एंड गाइड्स कलकत्ता	0.32
	2.	करीमपुर सोशिल वेलफेयर सोसायटी, करीमपुर	
	3.	एसइवीएसी, कलकत्ता	
	4.	सुन्दरवन गांधी सोसायटी, सुन्दरवन	
बिहार	1.	श्री जैन महिला विद्यार्थी अरोह	1.05
	2.	बाबा बोधनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय मुंगेर	1.45
	3.	भारतीय विकलांग संघ, पटना	0.53
	4.	ज्ञान सरावाई सोनपुर, सरान	0.61
	5.	बिहार स्टेट कौंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर, पटना	0.07
हरियाणा	1.	हरियाणा स्टेट कांसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, चंडीगढ़	0.20
गुजरात	1.	अन्य कल्याण केन्द्र	0.25
राजस्थान	1.	जीवन निर्माण संस्थान, भरतपुर	0.24
उड़ीसा	1.	डिस्ट्रक आर्थोपैडिकली हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, सम्बलपुर	0.25
मध्य प्रदेश	1.	डिगवारसिक इन्स्टीच्यूट आफ रिहैब्लीटेशन एंड रिसर्च, भोपाल	1.10
दिल्ली	1.	एसोसिएशन आफ नेशनल ब्रादरहुड फार सोशिल वेलफेयर	1.42
तमिलनाडु	1.	विन्या विकासलन्त सोसायटी, कोयम्बटूर	0.78
	2.	इंडियन एसोसिएशन आफ ब्लाइंड, मदुराई	0.27

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	1.	हैंडीकैप्ड डब्ल्पमेंट कांसिल, आगरा	0.48
	2.	अवैध संस्थान फैजाबाद	3.60
	3.	स्वाती अस्मिता नसिहारा विकलांग संस्थान, अल्लागाबाद	0.90
	4.	बहुजन हिताई संस्थान, बाराबंकी	3.84
आन्ध्र प्रदेश	1.	ओमकार लाइन्स स्कूल फार डेफ, विशाखापत्तनम	1.72
	2.	विक्टरी इंडिया चेरीटेबल टेंट आफ रिसकूफ याचट, कुप्पम	0.27
	3.	अनुपंग, सिकन्दराबाद	0.60
	4.	सैंटर फार रिसर्च डबल्पमेंट, हैदराबाद	0.95
	5.	राधा इन्स्टीच्यूट फार एमआरं जिला हैदराबाद	0.89
	6.	सेवा सदानाम मधिरा, खाम्माम	0.20
	7.	स्वामिकुरूशी, सिकन्दराबाद	1.17
	8.	उमा मनोविकास काकीनदा	0.42
	9.	चिप्पलस आदर्श कृष्णा जिला	2.19
	10.	जिला सर्वोदय एजुकेशन सोसायटी, महबूबनगर	0.63
	11.	महाऋषि साम्बामूर्ति इन्स्टीच्यूट आफ सोसायटी विकास	1.22
	12.	रेड क्रास सोसायटी इस्टगोदावरी जिला काकीनादा	0.76
	13.	शिकन्हा इन्स्टीच्यूट आफ जिला हैदराबाद	0.91
	14.	सैट जोहन हैंडीकैप्ड इन्स्टीच्यूट कृष्णा जिला	2.87
	15.	जिला विकलांग संगम बिनूकुन्दा	1.11
	16.	मदर थरेसा स्कूल फार दि ब्लाइंड नालूर	0.18
	17.	देवनार फाउंडेशन फार दि ब्लाइंड	0.32
	18.	अनुराक होम सर्विस, हैदराबाद	1.93
	19.	मनाला अशोक नगर, हैदराबाद	0.20
	20.	सहज सेवा संस्थान, हैदराबाद	0.89
	21.	सूर्या किरण परिन्टस एसोसिएशन फार दि वेलफेयर आफ एम आर, चिल्ड्रन, मचरेला	1.04
	22.	नवजीवन ब्लाइंड रलीफ सेंटर, तिरूपती	0.95
	23.	रोयलसीमा सेवा समिति, तिरूपती	0.95
केरल	1.	डा. मुकुमदान मैमोरियल स्पीच एंड हेयरिंग सेंटर कोचीन	0.34
	2.	सोशिल सर्विस गाईड असेंसी सिस्टर, केरल	1.05
	3.	आल्फन्स सोशिल सेंटर, किडनागूर, केरल	0.54
	4.	एसोसिएशन फार वेल्फेयर आफ दि हैंडीकैप्ड	1.04
	5.	चेरिटेबल सोसायटी फार दि वेल्फेयर आफ डिस्एबल्ड, पिरोवा	0.22
	6.	पोप जॉन पॉल होप, अम्बालापुर	0.11
	7.	शान्तिनीलायन फार हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, अल्लीटाड, कोट्टाया	0.21

1	2	3	4
केरल	8.	सेवा निकेतन, पैरेल, चुंगमवेरी	0.29
	9.	यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, तिरूवेला	0.16
	10.	एर्णाकुलम वूमेन एसोसिएशन, कोचीन	0.10
	11.	विमलाम हिला समाजम, मुवाथुजहा	3.00
	12.	श्रवण समसारा स्कूल, केरल	0.25
	13.	फेथ इंडिया, मामला, एर्णाकुला जिला	1.40
	14.	मैरियम सर्विस सोसायटी, पालाक्कड, केरल	0.72
कर्नाटक	1.	अन्य विद्या प्रसारक समिति, नागरांगल धारवाड़	0.19
	2.	बेलगांव इंटेग्रेटेड रूरल डेवलमेंट सोसायटी, बेलगांव	0.46
	3.	दक्षिण भारत दलित एजुकेशन सोसायटी, गुलबर्गा	0.46
	4.	लक्ष्मी विद्या वर्द्धक, बीदर	0.32
	5.	प्रियदर्शनी जनसेवा संगम, धारवाड़	0.12
	6.	अंगधिकलारा आशा किरण ट्रस्ट, देवनगेरे	2.00
	7.	पेशावर होम्स, मंगलौर	0.76
	8.	लायन चेरिटेबल ट्रस्ट, रायपुर जिला	0.25
	9.	मयुनया विद्यालय समाज सेवा, बेलजियम	0.39
	10.	आरएसएम एजूकेशन सोसायटी, बंगलौर	0.05
	11.	श्री वैद्यराज ट्रस्ट, मैलिसवरम	0.31
	12.	डा. पुट्टारजा गवागलवप गाडपाजी, धारवाड़	0.34
	13.	संगरन एजूकेशन सोसायटी, बीदर	1.02
	14.	कर्नाटक हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन, बंगलौर	1.90
	15.	चेवान आयुर्वेदिक सोसायटी, कर्नाटक	0.96
	16.	श्री रंगा महर्षि ट्रस्ट, पोबर्टनसपेट	0.04
गुजरात	1.	सी. एस. विरानी डीफ एंड डम्ब स्कूल, राजकोट	2.5
	2.	सोपान स्कूल फार मेंटली रिटार्डेड	0.57
	3.	सहयोग कुशतियंगा ट्रस्ट, राजेन्द्रनगर	0.19
मध्य प्रदेश	1.	विकलांग सेवा भारतीय जबलपुर	0.13
राजस्थान	1.	नवदिशा विकास समिति, अलवर	0.24
	2.	बधिर बाल कल्याण विकास समिति, भीलवाड़ा, सुरनीलायन विद्यालय स्पेशल स्कूल	1.01
उड़ीसा	1.	मैंराथी क्लब, खुडा	2.31

1	2	3	4
उड़ीसा	2.	एसोसिएशन फार सोशल रिकस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, कटक	1.64
	3.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी	3.13
	4.	पटीयुपटपा सेवा संघ, पुरी	0.58
	5.	सेवा, नजफगढ़	0.10
दिल्ली	1.	आल इंडिया डेफ एंड डम्ब सोसायटी, दिल्ली	0.71
	2.	दिल्ली एसोसिएशन आफ दि डेफ, दिल्ली	0.30
	3.	पेयरेन्ट्स एसोसिएशन फार दि वेलफेयर आफ चिल्ड्रन विद मेंटल हैंडीकैप्ड, नई दिल्ली	0.43
	4.	श्री देवराहा बाबा शिक्षा समिति, दिल्ली	0.24
	5.	भारतलय ब्लाइंड एजूकेशन कल्चरल वेलफेयर	0.77
	6.	नेशनल एसोसिएशन आफ दि ब्लाइंड, नई दिल्ली	1.76
तमिलनाडु	1.	रूरल एड, जिला टी एस	1.11
	2.	मदुरा रामनंद डायोगसन मैनजमेंट एसोसिएशन, कामराजन जिला	1.19
	3.	इंड चेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, मद्रास	0.63
	4.	पेस्टन एजूकेशन एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, मद्रास	0.27
	5.	विजय ह्यूमन सर्विसेज, मद्रास	0.43
	6.	अजय मैमोरियल फाउंडेशन, मद्रास	1.07
	7.	ई. के. आर. काल्वी संगम	0.96
	8.	गोली क्रॉस सर्विस सोसाइटी, तिरूचि	0.03
	9.	सेंटर फॉर रूरल एनर्जी एंड एप्रोरिएट टेक्नोलॉजी एक्सटेंशन नगरपट्टीनम, कैद	0.71
	10.	ख्वाजामलई लेडिज एसोसिएशन, तिरूचि	1.00
	11.	एम एस चिल्लामुथु ट्रस्ट, मदुरई	0.20
	12.	पुनर्जन्म ट्रस्ट, कोयम्बटूर	0.48
	13.	दि एग्जूक्यूटिव बोर्ड ऑफ दि मेथोडिस्ट चर्च ऑफ इंडिया मद्रास	0.62
	14.	लाइफ हेल्प सेंटर फॉर दि हैंडीकेप्ड, मद्रास	0.12
	15.	एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिर्सोसस डेवलपमेंट, मद्रास	0.29
	16.	सेंट लुइस डि सोनजया सोशल होम फॉर दि हैंडीकेप्ड कात्ताबोम्मन	0.13
	17.	जयबालवादी एजूकेशनल सोसाइटी, तिरूचि	0.82
	18	कालेज स्टूडेन्ट्स ग्रेजुएट्स एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड	
	19.	नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड, मद्रास	0.09
	20.	नेशनल फेडरेशन ऑफ दि ब्लाइंड, मद्रास	0.06
	21.	सोसाइटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ ब्लाइंड वूलेन, त्रिची	1.08

1	2	3	4
उत्तर प्रदेश	1.	ग्रामीण सेवा संस्थान, इलाहाबाद	1.24
	2.	हरिजन निर्बल वर्ग, आदिवासी शिक्षा एवं कल्याण समिति, इलाहाबाद	1.26
	3.	बाल एंड महिला कल्याण समिति, फतेहपुर	0.58
	4.	प्रकाश ग्रामोद्योग विकास समिति, सुल्तानपुर	0.42
	5.	सोसाइटी ऑफ खरीष्ट, वाराणसी, कैंट	0.83
	6.	अम्बेडकर शिक्षा समिति, आलाबाग, लखनऊ	0.21
	7.	इंटेलक्ट सोसाइटी फॉर स्पास्टिकस एंड हैंडीकेप्ड, नोएडा	0.14
	8.	कमला महिला शिक्षण संस्थान, गाजियाबाद	1.04
	9.	निर्वाण, लखनऊ	0.39
	10.	सार्वभौम सेवा निकेतन, इलाहाबाद	1.44
	11.	यू. पी. पेयरेन्टस एसोसिएशन फॉर वेल्फेयर ऑफ मेंटली हैंडीकेप्ड सिटीजन्स, लखनऊ	0.12
	12.	अनुमन मद्रासा इस्लामिया, ओरिया (जलाऊन)	0.27
	13.	अपंग आशय जन विकास संस्थान, जिला बिजनौर	1.08
	14.	देव सरस्वती शिक्षा परिषद, पडरान्ना	1.82
	15.	इंडिया राष्ट्रीय चेतना एवं समाजोयान, देहरादून	1.79
	16.	जन कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया	2.67
	17.	जनता आदर्श शिक्षा समिति, इलाहाबाद	0.14
	18.	जनसेवा संस्थान, इलाहाबाद	0.35
	19.	क. एस. जे. हाई स्कूल, मुरादाबाद	0.22
	20.	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति, प्रतापगढ़	1.21
	21.	रंचना संस्थान, गोरखपुर	0.49
	22.	जन विकास एवं महिला कल्याण समिति, नवाबगंज, गोंडा	0.58
	23.	स्वामी आत्मदेव गोपालानंद शिक्षा संस्थान, फर्रूखाबाद	1.38
	24.	यू. पी. पवन शिक्षा समिति, उन्नाव	1.62
	25.	विकलांग कल्याण सेवा संस्थान, मुजफ्फरनगर	0.23
	26.	क्वीन ऑफ अपोस्ट्ल्स एजूकेशन सोसाइटी, वाराणसी	1.59
	27.	सर्व कल्याण संस्थान, लखनऊ	3.30
असम	1.	दूल्हा रीजनल फिजीकल डेवलपमेंट एसोसिएशन	0.30
महाराष्ट्र	1.	माझी विद्यार्थी संघ, जलगांव	0.15
	2.	सरस्वती शिक्षण प्रसारक मण्डल परभनी	0.24

1	2	3	4
महाराष्ट्र	3.	पुनर्वास एजूकेशन सोसाइटी, बम्बई	0.51
	4.	संत गाडगे महाराज भट्क्या विमुक्ति जानी समिति शिशु प्रसारक मण्डल प्रभनी	1.08
	5..	अपंग जीवन विकास संस्था, अमरावती	0.18
	6.	ग्राम विकास युवक मण्डल नांदेड	0.79
	7.	मराठावाड़ा अपंग संस्थान, लातूर	2.22
	8.	समता युवक मण्डल, बाडगांव	0.84
	9.	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मण्डल, लातूर	0.65

[अनुवाद]

अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णवती करना

3906. **श्री काशीराम राणा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या गुजरात के विभिन्न वर्गों द्वारा अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णवती करने की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार को गुजरात विधान सभा द्वारा पारित इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) सरकार को, अहमदाबाद का नाम बदलकर कर्णवती करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) उपर्युक्त. (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय और एस.टी.डी. टेलीफोन सुविधाओं के लिए नियम

3907. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्थानीय और एस.टी.डी. टेलीफोन सुविधाओं संबंधी नियमों को उदार बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, स्थानीय व एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ के आवंटन के नियम पहले ही उदारीकृत हैं।

(ख) शिक्षित (शहरों में न्यूनतम दसवीं व ग्रामीण क्षेत्रों में आठवीं पास) व बेरोजगार लोगों को एसटीडी/आईएसडी पी सी ओ आवंटित किए जाते हैं। इनमें भी, नेत्रहीनों सहित विकलांगों, अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति आवेदकों, पूर्व सैनिकों/युद्ध में शहीद हुए लोगों की विधवाओं, दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त लोगों या उनके आश्रितों, स्वतंत्रता–सेनानियों या उनके आश्रितों तथा धर्मार्थ संस्थाओं/अस्पतालों को प्राथमिकता दी जाती है।

तकनीकी व्यवहार्यता की शर्त पूरी होने पर, स्थानीय पी सी ओ उदारतापूर्वक आवंटित किए जाते हैं।

डिजिटल नेटवर्क

3908. **डा. वसंत पवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित डिजिटल नेटवर्क सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की सेवा के कार्यान्वयन से इसके प्रयोक्ता किस प्रकार लाभान्वित होंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारंभ में समेकित सेवा डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) दिल्ली बम्बई कलकत्ता, मद्रास बैंगलोर, अहमदाबाद, हैदराबाद, जयपुर और रांची नामक नौ शहरों में प्रदान की जाएगी।

(ग) समेकित सेवा डिजिटल नेटवर्क (आईएसडीएन) तांबे के एक ही पेयर पर बहुमाध्यमी संचार सुविधाएं प्रदान करता है अर्थात् उसी तांबे के पेयर पर वायस, और नान–वायस सेवाओं जैसे डाटा और वीडियो कान्फैंसिंग, का पारेषण एक ही साथ सम्भव है।

भुवनेश्वर स्थित दूरदर्शन कार्यालय में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे

3909. **श्री हाराधन राय** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने हाल ही में भुवनेश्वर स्थित दूरदर्शन कार्यालय पर छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन छापों का क्या परिणाम निकला ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) स्थानीय सी.बी.आई. एकक द्वारा 27.10.95 को दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर की अचानक जांच की गई थी। वे इंजीनियरिंग सामान, कमीशन्ड कार्यक्रमों और परिवहन अनुभाग से सम्बन्धित कुछ रिकार्ड ले गए। सी.बी.आई. से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

टीसीआईएल परियोजना

3910. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीटीसी जिम्बाब्वे के लिए टीसीआईएल (डीओटी के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र का उपक्रम) की ओ एण्ड एम परियोजना का नवीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इस परियोजना के कार्यान्वयन से वर्षवार सरकार द्वारा कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित राजस्व अर्जित किया गया :–

1.5.93 से 30.4.94 तक 249,000 अमरीकी डालर और 22,28,730.66 जिम्बाब्वे डालर।

1.5.94 से 30.4.95 तक 249.000 अमरीकी डालर और 25,97,087,03 जिम्बाब्वे डालर।

आन्ध्र प्रदेश में सार्वजनिक दूरभाष केंद्र आबंटन समिति

3911. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक सैकेंडरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों के लिए विभिन्न दूरसंचार मंडलों द्वारा आवंटन समितियां गठित की जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में अभी तक ऐसी समितियां–गठित नहीं की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) इनका गठन कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) 24.7.1993 से लागू संशोधित एस टी डी/आईएसडी पीसीओ नीति में विहित उपबंधों के अनुसार, सभी गौण स्विचन क्षेत्रों के लिए पीसीओ आबंटन समितियां गठित की गई हैं।

(ग) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश में सभी गौण स्विचन क्षेत्रों के लिए एसटीडी/आईएसडी पीसीओ आबंटन समितियां मौजूद हैं। यद्यपि आंध्र प्रदेश की कुछ एस टी डी/आई एस डी पीसीओ समितियों में गैर–सरकारी सदस्यों को अभी नामित नहीं किया गया है, तथापि उन गौण स्विचन क्षेत्रों में दो सरकारी सदस्यों वाली समितियों को एस टी डी/आई एस डी पीसीओ आबंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है।

(घ) और (ङ) ऊपर भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

नए तेल शोधक कारखाने

3912. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने नए तेल शोधक कारखाने निर्माणाधीन हैं;

(ख) वे कहां–कहां स्थित हैं तथा उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन–किन कम्पनियों को ऐसी तेल शोधक कारखानों के लिए लाइसेंस दिए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) वर्तमान में निम्नांकित रिफाइनरी परियोजनाओं के संबंध में निर्माण कार्य आरंभ हो गया है :

	रिफाइनरी	क्षमता	स्थान
1	2	3	4
(i)	मंगलौर रिफाइनरी तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन तथा भारतीय रेयन उद्योग के बीच पेक्षेरसायन संयुक्त उद्यम कंपनी।	3.0 एम एम टी पी ए	मंगलौर (कर्नाटक)

1	2	3	4
(ii)	पानीपत रिफाइनरी (इंडियन आयल कारपोरेशन)	6.0 एम एम टी पी ए	पानीपत (हरियाणा)
(iii)	नुमालीगढ़ रिफाइनरी (आई.बी.पी. भारत) पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा असम सरकार की सयुक्त उद्यम कपनी)।	3.0 एम एम टी पी ए	नुमालीगढ़ (असम)

उर्वरक एककों को प्राकृतिक गैस का आवंटन

3913. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उनका मत्रालय एच बी जे पाईपलाइन बिछ जाने पर उर्वरक एककों को अधिक गैस आवटित करने पर सहमत हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कार्य योजना तैयार की गई है, और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1995 से मार्च, 1996 तक की अवधि से सबंधित कार्य योजना के अधीन एच बी जे पाइपलाइन के साथ-साथ रिलायंस उर्वरक इकाईयो के लिए गैस का आवंटन 8.5 एम एम एस सी एम डी तक बढ़ा दिया गया है।

जनजातीय समुदाय के लिये शैक्षिक कार्यक्रम

3914. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में चलाये गये शैक्षिक कार्यक्रम विशेष रूप से जनजातीय समुदाय के लोगों के लिये हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के लिये बजटीय प्रावधानों के साथ इस कार्यक्रम को जिन जिलों में चलाया जा रहा है, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लिये भी इसी प्रकार का कोई कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उड़ीसा के किन-किन जिलों को शैक्षिक कार्यक्रम चलाने के लिये चुना गया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) यह योजना 48 जिलो तथा कुछ आदिम आदिवासी समूहों पर लागू है जैसा कि विवरण-I तथा II में सलग्न है। 1995-96 के लिए 2.00 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। 1996-97 तथा 1997-98 के परिव्ययो को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) से (ङ) जी, हा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तथा उत्तर प्रदेश के 48 जिलों में । सूची विवरण-III में दी गई है। इस समय उड़ीसा में किसी जिले को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

विशत से कम प्रतिशतता महिला साक्षरता दर वाले जिले 1981 जनगणना

क्र.सं.	राज्य	जिला	साक्षरता दर
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	निजामाबाद	0.73
		महबूबनगर	1.19
		मेडक	1.3
		आदिलाबाद	1.62
		करीमनगर	1.6
		वारीनगल	1.39
		नालगोडा	1.02
2.	बिहार	पश्चिम चम्पादन	1.21
		पुर्णिया	2.00
3.	गुजरात	कच्छ	1.44
		बांसकांठा	1.84
4.	मध्य प्रदेश	मौरेना	0.46
		शिवपुरी	0.2
		गुना	0.25
		छत्तरपुर	0.39
		पूना	0.77

1	2		4
	मध्य प्रदेश	सतना	0.62
		रेवा	0.43
		सिन्धी	0.54
		रतलाम	0.99
		डवारा	0.87
		राजगढ़	0.94
		शाहडोल	1.34
		झाबूआ	1.65
		धार	1.19
		पश्चिम नीमार	1.82
		पूर्वी नीमार	1.93
		सहोर	1.05
		रायसन	1.32
5.	उड़ीसा	कोरापुट	1.65
6.	राजस्थान	टोंक	0.67
		पाली	0.45
		जालोर	0.09
		सिरोही	0.58
		भीलवाड़ा	0.45
		उदयपुर	0.68
		चित्तौड़गढ़	0.46
		बून्दी	0.91
		अलवर	1.54
		सवायमाधोपुर	1.35
		जयपुर	1.67
		डूगरपुर	1.31
		बांसवाडा	1.07
		झूलावार	1.57
		खैरी	0.70
7.	उत्तर प्रदेश	बहराइच	0.61
		गोंडा	0.32
8.	अरूणाचल प्रदेश	ईस्ट कैमेंग	1.01

विवरण-II

आदिम आदिवासी समूहों के बीच साक्षरता दर (5% से कम) (1981—जनगणना)

क्रम सं.	राज्य	साक्षरता	जनसंख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश		
	(क) चेन्दो पुर्जा	2.88	16374
	(ख) कोलम	3.26	30352
	(ग) कुटियाखुंड	0.81	50627
2	बिहार		
	(क) बिरहोर	3.67	4277
3.	गुजरात		
	(क) कथौड़ी	2.8	20060
	(ख) कोतवालिया	1.2	15837
	(ग) पधार	2.00	9322
4.	केरल		
	(क) कतुकेइन्स	2.00	8803
5.	मध्य प्रदेश		
	(क) आबुझमारियाज	1.57	15500
	(ख) बाइगस	4.71	139665
	(ग) हिल कोरबास	0.60	16860
	(घ) कार्मस	2.21	13500
	(ङ) सारीज	3.30	207600
	(च) बिरहोर	0.81	886
6.	महाराष्ट्र		
	(क) कतकेरिया	4.23	174620
	(ख) मारियागोंड	3.00	66750
7.	उड़ीसा		
	(क) रान्दो पुजा	3.6	5895
	(ख) दिदायी	3.2	1978
	(ग) मानकीदियाज	2.9	205
		कुल :	805193

विवरण-III

2% से कम अनुसूचित जाति महिला साक्षरता वाले 48 जिलों की सूची (1981—जनगणना)

क्र.सं.	जिला का नाम	साक्षरता दर
1	2	3
बिहार		
1.	गिरिधी	1.18
2.	दरभंगा	1.79
3.	मुजफ्फरपुर	1.74
4.	हजारीबाग	1.73
5.	गोपालगंज	1.64
6.	गया	1.61
7.	पुर्निया	1.52
8.	पालमू	1.29
9.	प. चम्पारन	1.24
10.	पूरब चम्पारन	1.24
11.	नवादा	1.18
12.	मधुबनी	1.09
13.	सहरसा	1.07
14.	सीतामढ़ी	0.89
मध्य प्रदेश		
15.	गुना	1.91
16.	सतना	1.90
17.	छत्तरपुर	1.83
18.	पन्ना	1.46
19.	राजगढ़	1.29
20.	शहजापुर	1.28
21.	रेवा	1.14
22.	सिधि	0.58
राजस्थान		
23.	शिकार	1.95
24.	गंगानगर	1.92
25.	भरतपुर	1.85
26.	टोंक	1.82
27.	पाली	1.82
28.	सवाईमाधोपुर	1.68
29.	भीलवाडा	1.31
30.	चुरू	0.91
31.	नागौर	0.75
32.	जैसलमेर	0.62
33.	जालौर	0.51
34.	बाडमेर	0.51
उत्तर प्रदेश		
35.	देओराइया	1.93
36.	राय बरेली	1.92
37.	ललितपुर	1.77
38.	सीतापुर	1.64
39.	बादाऊन	1.62
40.	प्रतापगढ़	1.61
41.	बान्दा	1.50
42.	बाराबंकी	1.48
43.	खैरी	1.43
44.	मिर्जापुर	1.41
45.	बस्ती	1.40
46.	सुल्तानपुर	1.14
47.	गोंडा	0.85
48.	बहराइच	0.78

सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों का निर्माण

3915. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्रों का निर्माण किया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में और देश के अन्य भागों में निर्मित ऐसे केन्द्रों की संख्या क्या है और उन्हें आबंटित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में नए दूरसंचार केन्द्र

3916. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में नए दूरसंचार केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) (i) केरल में उपलब्ध दूरसचार केन्द्रों की संख्या 85 है।

(ii) केरल मे निम्नांकित स्थानों पर दूरसंचार केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है :

1. अम्बालापुझा 2. करूनागपल्ली 3. कडक्कल
4. नेम्मारा 5. आइतूर 6. पेरितालमन्ना और
7. कोन्नी।

कोयले के वितरण में उपलब्धि

3917. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेषकर कोयले के वितरण के संदर्भ में तत्संबंधी क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि कोल इन्डिया लिमिटेड संसाधनों में वृद्धि करने की योजना बना रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या संसाधन जुटाने का प्रमुख स्रोत इसके अपने शेयर जनता को बेचकर पैसा प्राप्त करना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो संसाधन जुटाने के अन्य स्रोतों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 1994-95 के दौरान उत्पादन, उत्पादकता और प्रेषण के संबंध में कुल मिलाकर कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) की उपलब्धि नीचे दर्शायी गई है :-

उत्पादन (मिलियन टन में)	223.07
श्रम उत्पादकता (प्रति व्यक्ति प्रतिपाली टन मे)	1.63
कोयले का प्रेषण (मिलियन टन में)	222.54
वैगन लदान	15937

(औसत चार पहिया वैगन प्रतिदिन)

(ग) से (ङ) कोल इंडिया लि. के पास योजना निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाए जाने की योजनाएं हैं। कोल इंडिया लि. के लिए वर्ष 1995-96 के लिए कुल योजना परिव्यय 2260 करोड रुपए की राशि का है। कोल इन्डिया लि. ने संसाधनों को जुटाए जाने के लिए स्रोत के रूप में अपनिवेश किए जाने का आश्रय नहीं लिया है। वर्ष 1995-96 के बजट अनुमानों के लिए निर्णय के अनुसार योजना की वित्त-पोषण पद्धति नीचे दी गई है :

(करोड़ रु. में)

(1)	आंतरिक संसाधन	912.02
(2)	बांड्स	400.00
(3)	संभरकों का ऋण	56.98
(4)	अतिरिक्त संसाधनों को जुटाया जाना तथा अन्य	650.00
(5)	सकल बजटीय सहायता	241.00
	जोड़ :	2260.00

[हिन्दी]

अल्कोहल के लिये लाइसेंस

3918. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के निर्देश के विपरीत अल्कोहल तथा शराब हेतु लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन लाइसेंसों को जारी करने के लिये आई.डी. अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बाढ़ नियंत्रण

3919. **श्री नवल किशोर राय** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के लिए उत्तरी बिहार के बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में बाढ़ की रोकथाम के लिए कार्य योजना तैयार की गई है और केंद्रीय सरकार के पास भेजी है; और

(ख) कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरिजन आवासीय स्कूलों को अनुदान

3920. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाये जा रहे हरिजन आवासीय स्कूलों को अनुदान देने के लिए कोई मानदण्ड निश्चित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे स्कूलों को मान्यता प्रदान करने का है जो कई वर्षों से समुचित ढंग से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) स्कूलों को मान्यता देने संबंधी मामला संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्षेत्र में आता है और गैर सरकारी संगठनों को केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से उनके द्वारा चलाए जाने वाले स्कूलों की मान्यता के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सम्पर्क करना होता है।

विवरण

असवासीय स्कूल (100 छात्र)

(राशि रुपए में)

1	2	3	4
1.	अनावर्ती		
1.	छात्रों के लिए खाना पकाने के बर्तन और अन्य बर्तन		10,000 प्रति 5 वर्ष
2.	फर्नीचर		30,000
3.	बिस्तर सामग्री		300 प्रति छात्र
4.	माध्यमिक स्कूल के लिए प्रयोगशाला उपकरण		30,000
2.	आवर्ती	श्रेणी–1 नगर	अन्य क्षेत्र
1.	मानदेय प्रति मास		
	(क) मुख्य अध्यापक/मुख्य अध्यापिका		
	प्राइमरी	2,500	2,500
	माध्यमिक	3,000	3,000
	(ख) वार्डन	2,000	2,000
	(ग) अध्यापक		
	प्राइमरी–4	1,800	1,800
	माध्यमिक–6 दर से	2,000	2,000
	(घ) चपरासी	800	800
	(ङ) कुक–2	1,000 प्रति कुक	1,000 प्रति कुक
	(च) चौकीदार–1	800	800
	(छ) सफाई कर्मचारी–1	600	600
	(ज) कार्यालय सहायक एवं टंकक	1,200	1,200
	(झ) अशंकालिक डाक्टर (पार्ट टाइम्स)	800	800
	(ञ) कुक का सहायक–1	750	750
	(ट) आया–1	800	800
	अन्य व्यय		
	(क) भवन का किराया		
	प्राइमरी	3,000 रुपए.	2,500 रुपए
	माध्यमिक	5,000 रुपए	5,000 रुपए
	(ख) कपड़े (4 वार्दियां) प्रति छात्र	500	500
	(ग) भोजन प्रभार प्रति छात्र		
	प्राईमरी	300	3,300
	माध्यमिक	350	3,350
	(घ) दवाएं	5,000	5,000
	(ङ) धुलाई प्रभार प्रति छात्र	100	100

1	2	3	4
	(च) पुस्तकें और लेखन सामग्री		
	प्रति छात्र		
	प्राइमरी	200	200
	माध्यमिक	300	300
	(छ) खेल–कूद सामग्री	5,000	5,000
	(ज) भ्रमण	10,000	10,000
	(झ) स्टाफ के लिए वाहन और यात्रा भत्ता	5,000	5,000
	(ञ) जल एवं बिजली प्रभार	5,000	5,000
	(ट) कार्यालय रखरखाव सहित आकस्मिकताएं	10,000	10,000
	(ठ) कुक प्रभार/ईंधन	10,000	10,000
	(ड) लेखा परीक्षा फीस	2,500	2,500

[अनुवाद]

तेल की खोज

3921. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने विभिन्न देशों में तेल की खोज के लिए विदेशों के साथ हाल ही में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के अतिरिक्त किन–किन देशों में तेल की खोज का कार्य शुरू किये जाने पर विचार है;

(ग) विदेशों में सहयोग के क्या वित्तीय प्रभाव होंगे;

(घ) क्या निगम ने देश के नए तेल क्षेत्रों में तेल की खोज में सहयोग के लिए विदेशों की बड़ी तेल कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन संयुक्त उद्यमों से तेल की कितनी अतिरिक्त मात्रा के उत्पादन की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1995 के दौरान ओ एन जी सी विदेश लि., जो कि ओ एन जी सी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है, ने भारत एवं अन्य देशों में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण और विकास के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी तैयार करने के संबंध में अप्रैल, 1995 में नेशनल ईरानियन आयल कंपनी के साथ तथा जून, 1995 में एनसर्च इंडिया इंक, टेक्सास, यू एस ए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आज की तारीख तक इस संबंध में किन्हीं विशिष्ट देशों की पहचान नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अभी तक किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान नहीं की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जल प्रवाह अध्ययन

3922. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री एस एम लालजान बाशा :

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के प्रवाह का अध्ययन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष मौसमवार इस नदी में कितना जल प्रवाहित हुआ;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी पर बाढ़ सुरक्षा के कार्यों के लिए कोई योजना केंद्र सरकार को अनुमोदनार्थ भेजी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गोदावरी नदी में बहने वाले जल की मात्रा मौसमवार मिलियन क्यूबिक मीटर में निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	मानसून (जून से नवंबर)	गैर–मानसून (दिसंबर से मई)	कुल
1991–92	66,016	5,571	71,587
1992–93	82,461	4,476	86,937
1993–94	54,306	3,863	58,169
चालू वर्ष			
1994–95	1,29,498	8,351	1,37,849

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी पर एक बाढ़ प्रबंध योजना नवंबर, 1995 में मूल्यांकन हेतु केन्द्र में भेजी है। इस योजना में मानूसन के दौरान बाढ़ों के प्रकोप से लगभग 15,800 एकड़ धान और गन्ने के क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नियामकों और सम्बद्ध कार्यों की सहायता से कोवादा कालवा धारा के प्रवाह को गोदावरी में व्यपवर्तित करने की योजना की परिकल्पना की गई है।

भारतीय दण्ड संहिता

3923. **श्री राम नाईक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दण्ड संहिता अधिनियम की धाराओं 354 तथा 509 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संशोधन विधेयक को कब तक पेश किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) भा.दं.सं. की धारा 354 और 509 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विज्ञापनों पर व्यय

3924. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) विज्ञापन एव दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी.) द्वारा 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1995 तक विज्ञापनो पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई तथा 1995–96 के लिये विज्ञापन संबंधी बजट कितना है और अप्रैल–सितम्बर, 1995 के बीच कितनी धनराशि वास्तव में खर्च की गई;

(ख) वर्ष 1991–95 तथा अप्रैल–सितम्बर, 1995 के दौरान इन विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि का भाषा–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त प्रत्येक अवधि के लिये मझौले और छोटे समाचारपत्रों में दिये गये विज्ञापनों पर पृथक–पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान त्रैमासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक पत्र–पत्रिकाओं मे दिये गये विज्ञापनो पर पृथक–पृथक कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) 31 मार्च 1994 और 31 मार्च, 1995 तक डी.ए.वी.पी. के पास बड़े, मध्यम और छोटे समाचार पत्रों के विज्ञापन संबंधी कुल कितने बिल भाषावार और श्रेणीवार भुगतान हेतु लंबित हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) 1 अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1995 और 1995–96 (अप्रैल से सितम्बर) तक विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों को जारी करने पर किया गया वर्ष–वार व्यय संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) अप्रैल, 1991 से 31 मार्च, 1995 के दौरान और 1995–96 (अप्रैल–सितम्बर–1995) के दौरान किए गए व्यय का भाषावार ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(ग) ऊपर उल्लिखित वर्षों हेतु बड़े, मझौले एवं लघु समाचारपत्रों को जारी किए विज्ञापनों पर हुए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(घ) ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए किया गया आवधिकतावार व्यय संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

(ङ) दिनाक 31.3.1994 को 13400 विज्ञापन बिल लम्बित थे जिनके भुगतान के लिए कार्यवाही कर दी गई है। दिनांक 31.3.95 को लम्बित बिलों की संख्या 24630 थी। भाषावार एवं श्रेणीवार लम्बन नहीं रखा जाता है।

विवरण-I

वर्ष	किया गया व्यय
1991–92	23,15,07,824.00
1992–93	29,86,27,428.00
1993–94	31,49,60,257.00
1994–95	27,43,36,135.00
1995–96 (अप्रैल–सितम्बर)	20,83,51,291.00

वर्ष 1995–96 के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय का विज्ञापन बजट 2306.01 लाख रुपये है। इस राशि में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों, शुल्कदायी विभागों/मंत्रालयों तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को भुगतान की जा रही राशि शामिल नहीं हैं।

विवरण-II

वर्ष 1991-92 से 1995-96 (अप्रैल-सितम्बर, 1995) के दौरान विज्ञापनों पर किए गए व्यय (रुपयों में) का भाषावार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	भाषा	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96 (अप्रैल से सितबर, 1995 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंग्रेजी	88284356	114061800	122472546	116068405	78372347
2.	हिन्दी	66508844	92978847	99168877	84865374	67857777
3.	उर्दू	9778363	12232393	12771612	9975109	8629533

1	2	3	4	5	6	7
4.	पंजाबी	6073918	8608269	7488798	5424032	4181112
5.	मराठी	13388180	12488068	12551802	11461871	8474379
6.	गुजराती	8076155	10307039	10891209	8488612	6999882
7.	सिन्धी	518244	609632	585227	415528	292875
8.	असमिया	1768736	2239016	2004869	1609209	1217437
9.	बंगला	11672781	14606832	14434607	11456446	10287452
10.	उड़िया	3459288	4073765	4640820	3939637	3713413
11.	तमिल	6673358	7718527	7212186	6097173	5350448
12.	तेलुगु	2840188	4277695	4214374	3486593	2348903
13.	मलयालम	8749789	10453195	9364813	6820205	5968815
14.	कन्नड़	3246885	3734811	6887340	3055225	4423679
15.	संस्कृत	27373	16982	23853	22866	17307
16.	नेपाली	288020	90347	109141	77082	69785
17.	मिजो	82570	97248	88594	75131	88241
18.	खासी	36248	27865	20029	23979	26019
19.	कोंकणी	34528	5097	16601	13064	9588
20.	मणिपुरी			12959	60594	22299
	कुल :	231507824	298627428	314960257	274336135	208351291

विवरण-III

प्रदर्शनी एवं वर्गीकृत विज्ञापनों के लिए वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान लघु, मझोले और बड़ी श्रेणी के समाचारपत्रों/और पत्रिकाओं पर खर्च की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96 (अप्रैल–सितम्बर 1995 तक)
1.	लघु	5,33,49,582	6,93,90,595	7,02,41,218	4,81,49,369	3,65,92,482
2.	मझोले	5,30,39,628	7,07,03,777	7,35,12,901	6,07,94,077	4,53,81,498
3.	बड़े	12,51,18,614	15,85,33,056	17,12,06,138	16,53,92,689	12,63,77,311
	कुल :	23,15,07,824	29,86,27,428	31,49,60,257	27,43,36,135	20,83,51,291

विवरण-IV

वर्ष 1991-92 से 1995-96 के दौरान किए गए व्यय (रुपयों में) का आवधिकता वार ब्यौरा

क्र.सं.	आवधिकता	1991–92	1992–93	1993–94	1994–95	1995–96 (अप्रैल–सितम्बर, 1995 तक)
1.	दैनिक (प्रात:)	17,93,14,298	24,17,37,003	23,73,28,532	20,06,48,739	16,03,26,179
2.	दैनिक (सायं)	39,86,398	60,41,421	1,16,53,570	1,00,12,631	78,41,302
3.	अर्द्ध/द्वि–साप्ताहिक	4,19,612	3,99,844	3,32,076	2,35,542	2,13,701
4.	साप्ताहिक	4,15,66,559	4,59,10,113	5,94,07,089	5,85,56,414	3,56,23,922
5.	पाक्षिक	21,09,318	24,50,106	36,67,537	34,62,533	28,40,748
6.	मासिक	39,40,034	19,48,723	23,48,633	12,77,277	12,91,719
7.	द्वि–मासिक	22,330	5,769	14,485	9,336	10,158
8.	त्रैमासिक	1,22,850	1,02,891	1,61,635	1,07,583	1,53,763
9.	अर्ध वार्षिक	10,335	7,371	11,886	10,668	12,422
10.	वार्षिक	4,473	5,988	4,272	844	1,028
11.	त्रि–साप्ताहिक	11,617	18,199	30,542	14,568	36,343
	कुल :	23,15,07,824	29,86,27,428	31,49,60,257	27,43,36,135	20,83,51,291

पश्चिमी कोसी नहर

3925. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी कोसी नहर को केन्द्रीय प्रायोजित या विशेष सहायता प्राप्त परियोजना घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भारत में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी नागरिक

3926. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 दिसम्बर, 1992 के "दैनिक जागरण" झासी सस्करण में "पाकिस्तानी वीसा पर आए लोगों का दंगे कराने का प्रयास विफल" शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार में योजनीगत व्यय

3827. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान अण्डमान और निकोबार प्रशासन को आवंटित कुल राशि तथा उसके द्वारा व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने अण्डमान और निकोबार प्रशासन को और अधिक वित्तीय शक्तियां दी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही) : (क) 1994–95 के दौरान अंडमान और निकोबार प्रशासन को आवंटित कुछ राशि और किया गया व्यय क्रमशः 438.26 करोड़ रु. और 438.91 करोड़ रु. है।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक की वित्तीय शक्तियों को हाल ही में बढ़ाया है ताकि वह 5 करोड़ रु. तक की योजनाएं/परियोजनाएं स्वीकृत कर सके और 2 करोड़ रु. तक के कार्यों के लिए खर्च की स्वीकृति दे सके।

इमामों को वेतन

3928. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न मस्जिदों के इमामों को दिये जाने वाले वेतन संबंधी योजना का अन्य बातों के साथ–साथ इसके औचित्य और वित्तीय प्रभावों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना के क्रियान्वयन के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं/किये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है और इस संबंध में कानूनी सलाह ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का मदरसों को कम्प्यूटर और शिक्षण के अन्य आधुनिक माध्यमों से सुसज्जित करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो योजना के वित्तीय प्रभावों सहित, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में रूपरेखा तैयार की जा रही है।

(ग) और (घ) 15 सितम्बर, 1993 को सम्पन्न राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों तक उनसे इस योजना को कार्यान्वित करने की अपेक्षा किए जाने पर केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। विभिन्न कानूनी विचार भी प्राप्त हुए थे।

(ङ) और (च) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के पास मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की एक योजना है। वर्ष 1995–96 के लिए इसके पास 40 लाख रुपए का बजट प्रावधान है।

दरगाह शरीफ अजमेर के नाज़िम के रिक्त पद

3929. **श्री सैयद शहाबद्दीन** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दरगाह शरीफ अजमेर के नाज़िम का पद तथा अनेक जगहों के दरगाह शरीफ कमेटी के पद अभी रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या इन रिक्तियों को भर जाने की संभावना है;

(ग) क्या दरगाह शरीफ की अनेक वक्फ परिसम्पत्तियों का अग्रीष्टतम उपयोग नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो इन परिसम्पत्तियों से अधिकतम आय प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार विद्यमान कारणों में संशोधन करने का है ताकि दरगाह शरीफ परिसर में अवधिकृत कब्जे के खिलाफ अनुशासन और प्रबंधन को अधिक प्रभावदारी बनाया जा सके;

(च) क्या दरगाह शरीफ कमेटी ने उर्स के दौरान यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए दरगाह शरीफ परिसर के विकास के लिये कोई योजना बनायी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, हां। तत्कालीन नाज़िम का अनुकम्पा के आधार पर उनके मूल संवर्ग में प्रत्यार्पण के फलस्वरूप 8 सितम्बर, 1995 से नाज़िम का पद रिक्त पड़ा है। जहां तक दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत दरगाह समिति का सम्बन्ध है, इसमें 3 5 से क्रम तथा 9 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। इस समय इस समिति में 7 सदस्य हैं और 8वें सदस्य की नियुक्ति की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) दरगाह समिति, अजमेर के अनुसार सिविल याचिकाएं दायर की गई हैं।

(ङ) जी, नहीं। इस समय सरकार के पास विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) और (छ) कार्यवाहक नाज़िम, दरगाह समिति, अजमेर से प्राप्त सूचना के अनुसार, दरगाह परिसर के विकास के लिए दरगाह समिति के समक्ष इस समय कोई योजना नहीं है।

आई.ओ.सी. और ओ.एन.जी.सी. को न्यूयार्क स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करना

3930. **श्री अमर पाल सिंह** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम और तेल और प्राकृतिक गैस निगम को न्यूयार्क शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारतीय तेल निगम और तेल और प्राकृतिक गैस निगम को क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आरक्षण

3931. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अल्पसंख्यकों और ऊंची जातियों के गरीब व्यक्तियों के लिये सरकारी सेवाओं, न्यायिक सेवाओं तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) अल्पसंख्यकों के वे वर्ग जो अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल हैं, अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदान किए गए 27% आरक्षण में शामिल हैं।

(ख) सरकारी सेवा में उच्च जाति के गरीब लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए अलग से कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

असम में दोहरी नागरिकता

3932. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आल असम स्टुडेंट्स यूनियन" तथा इसके सहयोगी संगठनों ने हाल ही में असम में दोहरी नागरिकता, असम विधान सभा में असमीया भाषा बोलने वाले लोगों के लिए आरक्षण, तथा संविधान में जम्मू-कश्मीर के लिये धारा 370 की भांति ही असम के लिये भी प्रावधान करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मांगों के संबंध में ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन से वार्ता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) से (घ) सरकार को ऐसी किसी मांग की जानकारी नहीं है। तथापि, उपलब्ध सूचना के अनुसार, अक्तूबर, 1995 में गुवाहाटी में ए.ए.एस.यू. की पहल पर आयोजित एक सम्मेलन में, विभिन्न मुददे जो कि ए.ए.एस.यू. के 21 सूत्रीय कार्यक्रम का हिस्सा है, के साथ-साथ अन्य बातों जिनमें वास्तविक "संघीय ढांचा" इत्यादि की स्थापना करना शामिल है, पर चर्चा की गई थी।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के लिये नाम निर्देशन

3933. **श्री चन्द्रेश पटेल :**
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के लिये दिल्ली के अधिकारियों, विधायकों और संसद सदस्यों के नाम निर्दिष्ट किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन नामों को निर्देशित करने से पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से परामर्श किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का गठन, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 के अनुसार किया गया है। अधिनियम की धारा 4(1)(घ) को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधान सभा के सम्बद्ध सदस्यों तथा धारा 4(2) के अनुसार विशेष आमंत्रितों के रूप में संबंधित संसद सदस्य की सदस्यता सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 4(1)(ग) के अनुसार पांच अधिकारियों को सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। सरकार द्वारा, परिषद के अध्यक्ष के संशोधित पदनाम के साथ नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के भूतपूर्व विशेष अधिकारी की नियुक्ति भी अधिसूचित की गयी है। ऊपर कहे गए नामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ग) के अधीन नामांकनों के लिए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ परामर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 4(1)(क) के अधीन परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के संबंध में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श, इस तथ्य को देखते हुए नहीं किया गया कि मौजूदा कार्यपालक का केवल पदनाम ही "विशेष अधिकारी" से बदलकर "अध्यक्ष" किया जा रहा था।

विवरण

	नाम	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1994 का संबद्ध प्रावधान
1	2	3
1.	श्री बालेश्वर राय, अध्यक्ष	धारा 4(1)(क)
2.	श्रीमती ताजदार बाबर, विधायक	धारा 4(1)(ख)

1	2	3
3.	श्री रामभज, विधायक	धारा 4(1)(ख)
4.	श्री कीर्ति आजाद, विधायक	धारा 4(1)(ख)
5.	श्री भास्कर खुल्बे, सरकारी अधिकारी	धारा 4(1)(ग)
6.	श्रीमती किरण धींगरा, सरकारी अधिकारी	धारा 4(1)(ग)
7.	श्री मेश राम, सरकारी अधिकारी	धारा 4(1)(ग)
8.	श्री एस. प्रकाश, सरकारी अधिकारी	धारा 4(1)(ग)
9.	श्री एस.आर. शुक्ला, सरकारी अधिकारी	धारा 4(1)(ग)
10.	श्री राजेश खन्ना, संसद सदस्य	धारा 4(2)

[अनुवाद]

तेल चयन बोर्ड

3934. **श्री एस.एम. लालजान वाशा : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य तेल चयन बोर्ड के सदस्यों के चयन/मनोनयन हेतु कोई लिखित मानदंड निर्धारित किये हैं तथा उक्त बोर्ड का कार्यकाल कितना होता है;

(ख) क्या इस प्रकार की समिति/बोर्ड का कार्यकाल पूरा होने पर उनका पुनर्गठन किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, हां। प्रत्येक तेल चयन बोर्ड एक अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश होता है, तथा सदस्यों के रूप में दो ख्याति प्राप्त व्यक्तियों, जिनमें एक अ.जा./अ.ज.जा./ समाज के अन्य कमजोर वर्गों से होता है, से बनता है। अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक अवधि का नहीं होता है।

(ख) किसी बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल इनकी 2 वर्ष की सामान्य कार्य अवधि के पूरा होने पर या उससे पहले समाप्त की जा सकती है तथा इसका नवीकरण भी किया जा सकता है।

(ग) 1.1.1993 को राज्यवार/क्षेत्रवार 18 तेल चयन बोर्ड बनाए गए थे। वर्तमान में राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू काश्मीर के तेल चयन बोर्ड कार्यरत नहीं हैं। शेष 14 तेल चयन बोर्डों के अध्यक्षों/सदस्यों की कार्यअवधि को 2 वर्ष पूरे होने पर अथवा उससे पहले नवीकृत/समाप्त कर दिया गया है।

"लिट्टे बंदी"

3935. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु की सरकार ने लिट्टे बंदियों के फरार हो जाने की घटना के पश्चात् केन्द्र सरकार से विदेशियों हेतु अधिनियम के अंतर्गत अतिरिक्त अधिकार देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) यह मामला जांचधीन है।

1984 के दंगे

3936. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दंगों के पश्चात् से दिल्ली में कितने और कौन-कौन से कांग्रेसी नेताओं को सुरक्षा प्रदान की गयी है;

(ख) वर्ष 1984 के पश्चात् से दिल्ली में और इसके आस-पास के क्षेत्रों में राजनीतिक नेताओं पर आतंकवादियों द्वारा कितने हमले किये गये;

(ग) क्या यह सच है कि पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों पर पर्याप्त रूप से काबू पा लिया गया है और पंजाब में लगभग सामान्य स्थिति बहाल हो गयी हैं; और

(घ) इन नेताओं की सुरक्षा प्रदान किये जाने का क्या औचित्य है और सरकार का विचार सरकारी व्यय की बचत के लिये इनमें से कुछ नेताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा को धीरे-धीरे कम करने और इस कार्य के लिये नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को हटा लेने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी) : (क) 1984 के दंगों के बाद दिल्ली में, मंत्रियों को छोड़कर, 89 कांग्रेसी नेताओं को सुरक्षा कवर प्रदान किया गया है। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों के नाम बताना वांछनीय नहीं है।

(ख) 1984 के बाद दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा तीन बार हमले किए गए थे।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) सुरक्षा की आवश्यकता और सुरक्षा स्केल की सावधिक पुनरीक्षा की जाती है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। सुरक्षा प्रबन्धों को समय-समय पर संशोधित किया जाता है/हटाया जाता है।

[हिन्दी]

नागरिकता

3937. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से हमारे देश में ऐसे कितने विदेशी शरणार्थी आये हैं जो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग से निर्वहन राशि प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) उक्त शरणार्थी किन-किन देशों से आये हैं और उनकी वर्षवार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त शरणार्थियों में से कितनों ने इस देश की नागरिकता लेनी चाही हैं और इस देश में रह रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के इच्छुक इन शरणार्थियों के पूर्ववृत की जांच की गयी थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग ने सूचित किया है कि 30.11.95 की स्थिति के अनुसार भारत में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की समाज्ञा के अधीन 5225 परिवार (21,164 व्यक्ति), शरणार्थी के रूप में हैं। इनमें से 4624 परिवार (20,152 व्यक्ति) अफगान राष्ट्रिक हैं और 601 परिवार (1,012 व्यक्ति) अन्य राष्ट्रीयताओं वाले हैं।

(ग) से (ङ) शरणार्थी का दर्जा प्राप्त व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए "नागरिकता अधिनियम, 1955" में कोई विशेष प्रावधान मौजूद नहीं है। भारतीय नागरिकता, "भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955" के प्रावधानों के अनुसार ही प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र में कदाचार के आरोप

3938. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस निगम ने 261 करोड़ रुपये का एक ठेका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली तथा निविदाओं का मूल्यांकन करने के बजाय "मनोनयन के आधार" पर सरकारी क्षेत्र के मजगांव डाक लिमिटेड को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) से (ग) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एम डी एल, एच एस एल तथा बी एस सी एल नामांकन आधार पर कूप प्लेटफार्मों को देने के लिए ओ एन जी सी से अनुरोध करते रहे हैं क्योंकि उनके यार्ड निष्क्रिय पड़े थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विगत कार्यनिष्पादन तथा समय की उपलब्धता के आधार पर एच एक्त-एच वाई कूप प्लेटफार्मों को नामांकन आधार पर एम डी एल को देने का प्रस्ताव ओ एन जी सी बोर्ड के विचाराधीन है। तथापि, संविदा को देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तराखंड

3939. **श्री मानेवन्द्र शाह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र "उत्तरांचल" में पृथक राज्य के गठन हेतु चल रहे आंदोलन के दौरान विभिन्न कानूनों के अंतर्गत कितने आंदोलनकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए मामले दर्ज किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार आंदोलनकारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये मामलों को वापिस ले रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

स्थानीय आधार पर संसाधन जुटाना

3940. **प्रो. प्रेम धूमल** : क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जल विद्युत परियोजनाओं पर रायल्टी की बकाया धनराशि को 1994-95 और 1995-96 हेतु हिमाचल प्रदेश की वार्षिक योजना हेतु स्थानीय आधार पर जुटाये गये संसाधन के रूप में स्वीकार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित राज्यों द्वारा रायल्टी की बकाया धनराशि हिमाचल प्रदेश को दे दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग को राज्य सरकार द्वारा इन लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त किये जाने की आशा है ?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं पर रायल्टी के रूप में पंजाब तथा हरियाणा सरकार से प्राप्य बकाया भुगतान का मुद्दा योजना आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं है बल्कि विद्युत मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

1984 के दंगे

3941. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1984 के दंगों में दिल्ली पुलिस की भूमिका के बारे में जांच कराई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) और (ख) तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात् 1984 में दिल्ली में सामूहिक हिंसा के आरोपों की जांच के लिए, केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र आयोग का गठन किया था। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर दो अलग–अलग समितियां गठित की गई थीं : पहली तो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की चूकों और उनके आचरण की जांच करने के लिए और दूसरी, दंगों के दौरान किए गए घोर अपराधों की जांच करने के लिए।

कपूर–मित्तल समिति नामक पहली समिति ने 72 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनमें से 16 अधिकारी अब तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं/मर गए हैं; 3 अधिकारियों को "परिनिन्दा" का दंड दिया गया; शेष 53 अधिकारियों में से 20 को दोषमुक्त कर दिया गया और 2 अधिकारियों के खिलाफ मामले वापस ले लिए गए। 17 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच, पूर्णता के विभिन्न चरणों में है। शेष 14 अधिकारियों के खिलाफ, न्यायालयों/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशाधीन विभागीय कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

जैन–अग्रबाल समिति नामक दूसरी समिति की सिफारिशों के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 91 चूककर्ता पुलिस अधिकारियों की पहचान की है। इनमें से 29 पुलिस अधिकारी, समिति की सिफारिशें प्राप्त होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं/मर गए हैं। कपूर–मित्तल समिति की रिपोर्ट में भी दोषी पाए गए 9 पुलिस अधिकारियों के मामले, अनुशासनिक कार्रवाई के लिए इसी में जोड़ लिए गए हैं। शेष 53 अधिकारियों से 33 पुलिस अधिकारियों को दोषमुक्त कर दिया गया है, 9 पुलिस अधिकारियों को दण्डित किया गया है और 11 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही, प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं।

मुसलमानों के धार्मिक अधिकार

3942. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों और उनकी इबादगाहों की रक्षा करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) संविधान के अनुच्छेद, 25 और 25 में किसी भी धर्म को अपनाने, मानने तथा उसका प्रचार करने और धार्मिक मामलों का प्रबन्ध करने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया है। ये अधिकार मुसलमानों सहित सभी धार्मिक समुदायों के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध हैं और इन अधिकारों को लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के लिए भी संविधान अधिकार प्रदान करता है।

सरकार ने मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की भी स्थापना की है।

जहां तक पूजा–स्थलों का सम्बन्ध है, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का मुख्य दायित्व राज्य सरकारों का है जिनसे कानून–व्यवस्था को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 में उन पूजा स्थलों के परिवर्तन से सुरक्षा किए जाने की व्यवस्था की गई है जो 15 अगस्त, 1947 से पूर्व विद्यमान थे।

सरकार ने वक्फों के बेहतर प्रबंधन के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 भी अधिनियमित किया है।

भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सिंधी भाषी

3943. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंधियों को एक विशेष भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय घोषित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सरकार सिंधी संगठनों जैसे विश्व सिंधी कांग्रेस, अखिल भारतीय यूनाइटेड सिंधी पंचायत फेडरेशन, अखिल भारतीय सिंधी समाज आदि से उनकी भाषा तथा संस्कृति से संबंधित अनेक मांग करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त करती रही है, जिनमें से वह अन्य बातों के साथ–साथ उन्हें विशेष भाषाई अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में घोषित करना भी एक है।

(ग) संविधान में धर्म या भाषा के आधार पर आधारित किसी जनसंख्या समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में औपचारिक मान्यता या घोषणा के लिए कोई उपबंध नहीं है। तथापि संविधान के अनुच्छेद 350(ख) के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी द्वारा सिंधियों के हितों पर ध्यान दिया जाता है।

[हिन्दी]

बैगा जाति का विकास

3944. **श्री खेलन राम नांगड़े** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश से बैगा जाति के विकास के लिये कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में 30 मार्च, 1995 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार की कार्यवाही योजना के अनुसार परिवारोन्मुखी विकास कार्यक्रमों, सामुदायिक विकास, अवसंरचना विकास और स्थापना व्यय के अंतर्गत वर्ष 1993–94 से 1997–98 के लिए 30.92 करोड़ रु. की राशि प्रस्तावित की गई है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या लगभग 1.35 लाख होगी।

(ग) मध्य प्रदेश के सात आदिम जनजाति समूहों की कार्रवाई योजना केवल मार्च, 1995 में ही प्राप्त हुई, इसलिए इस मामले की 30 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार जांच की जा रही थी।

पुलिस द्वारा कानूनी उपबंधों का दुरुपयोग

3945. **श्री राम नाईक** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विधि आयोग तथा राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने कानूनी उपबंधों के पुलिस द्वारा दुरुपयोग को रोकने हेतु सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुझावों के अध्ययन तथा उनके कार्यान्वियन करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आरक्षण सुविधाएं

3946. **श्री सुधीर सावंत** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरक्षण सुविधा का लाभ उठाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या और उनकी आय ग्रुप जानने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि आरक्षण का लाभ उठाने वाले बहुसंख्य लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अधिसंख्य लोगों को आरक्षण के मामले में संपन्न लोगों द्वारा अधिसंख्य लोगों को इन लाभों से वंचित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण आय अथवा क्षेत्र कि ग्रामीण है या शहरी का ध्यान न रखते हुए प्रदान किया जाता है। तथापि, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, होस्टल आवास, पुस्तक बैंक तथा परीक्षा–पूर्व कोचिंग के रूप में सरकारी सुविधाएं उन छात्रों को उपलब्ध हैं जहां केवल प्रति परिवार दो बच्चे के प्रतिबन्ध के साथ माता–पिता की आय 2400 रुपए प्रति वर्ष से कम है।

[हिन्दी]

दलाई लामा को सुरक्षा

3947. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी मूल के तीन तिब्बतियों ने तिब्बत के निर्वासित धार्मिक गुरु दलाई लामा की जासूसी के लिये निर्वासित राजधानी धर्मशाला से गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दलाई लामा की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये और क्या इसमें कोई परिवर्तन किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) चीनी मूल के तीन तिब्बतियों को नवम्बर, 1995 के दूसरे पखवाड़े में धर्मशाला में स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

(ग) दलाई लामा के लिए सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा समय–समय पर की जाती है। हिमाचल प्रदेश सरकार को, हाल में हुई घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा प्रबंधों की उपयुक्त रूप से समीक्षा करने और इन्हें सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता के बारे में समझाया गया है।

[अनुवाद]

क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राशि का भुगतान

3948. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में धौलपुर के निकट पार्वती बांध नहर में जो अधिकारी डूब गए थे उनके परिवार अथवा आश्रितों को कोई क्षतिपूर्ति/अनुग्रह राशि प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें हो रहे विलंब के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां। राजस्थान में धौलपुर के निकट 16.10.1995 को पार्वती बांध में डूबे पांच अधिकारियों के परिवारों को राजस्थान के मुख्यमंत्री के राहत कोष से 10,000 रुपए की राशि प्रति परिवार स्वीकृत की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा दो अधिकारियों प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए तथा राजस्थान सरकार से संबंधित एक अधिकारी को 75,000 रुपए को अनुग्रह राशि भी स्वीकृत की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

नव शुद्र जाति

3949. **श्री बलराज पासी** : क्या **कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नव शुद्र" जाति को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनेक बंगाली "नव शुद्र" लोग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में विशेषकर नैनीताल और पीलीभीत में बड़ी संख्या में प्रवास कर गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने "नव शुद्र" जाति को अनुसूचित जाति घोषित नहीं किया है; और

(च) यदि हां, तो इसे कब तक घोषित किये जाने की संभावना है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) "नव शुद्र" समुदाय को पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। तथापि, "नाम शुद्र" समुदाय को पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। "नाम शुद्र" समुदाय के व्यक्ति नैनीताल तथा पीलीभीत सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बस गए हैं।

(ङ) संविधान के अनुच्छेद, 341 के उपबन्धों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार अथवा कोई राज्य सरकार किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति की सूची में केवल ससद के अधिनियम के माध्यम से ही शामिल किया जा सकता है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में "नाम शुद्र" को शामिल करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है।

(च) कोई विशेष समय-अनुसूची नहीं बताई जा सकती।

जम्मू के लिये क्षेत्रीय परिषद्

3950. **कुमारी सुशीला तिरिया** :
श्री गुरुदास कामत :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के लिये क्षेत्रीय परिषद् गठित करने का मामला सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

अधिकारों की सुरक्षा के संबंधों में जागरूकता

3951. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा इसके गठन के समय से समाज के विभिन्न तबकों के बीच मानवाधिकार संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उन्हें उपलबध परित्राणों के बारे में जानकारी देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) वर्ष 1995-96 के लिये इस प्रयोजनार्थ कित्नी राशि निर्धारित की गई तथा 31 अक्तूबर, 1995 तक वास्तविक रूप से कितनी राशि खर्च की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) मानव अधिकार संबंधी शिक्षा फैलाने और मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षा-उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(i) आयोग के अध्यक्ष ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों और विधि संकायों के डीनों को मार्च, 1994 में यह अनुरोध करते हुए पत्र लिखे थे कि वे इस बात पर विचार करें कि विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन के विभिन्न स्तरों पर, मानव-अधिकार के विषय को किस प्रकार से प्रारम्भ किया जा सकता है।

(ii) यह आयोग शैक्षिक संस्थानों के शिक्षा पाठ्यक्रम में विभिन्न स्तरों पर मानव अधिकारों को सम्मिलित करने के प्रश्न पर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मुक्त स्कूल और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ सार्वधिक बैठकें कर रहा है।

(iii) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से विभिन्न राज्यों अर्थात तमिलनाडु, केरल, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में सेमीनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें आयोग के अध्यक्ष सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

(iv) आयोग विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ परामर्श करके पुलिस बलों के सभी स्तरों के लिए एक मोडल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कर रहा है। जवानों से लेकर कमान अधिकारियों के स्तर तक के अपने कार्मिकों को मानव अधिकारों के प्रति सुग्राही बनाने के सेना के प्रयासों की पुनरीक्षा भी करता रहा है।

(v) संसद में या राज्य विधान मंडलों में जिन राजनैतिक दलों का प्रतिनिधित्व है, उन सभी दलों के नेताओं को आयोग ने पत्र लिखे और यह प्रस्ताव किया है कि मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उपाय करे और अपने कार्यकर्त्ताओं के आचरण का प्रबोधन करे और आयोग के साथ सम्पर्क रखे। मुख्य मंत्रियों से भी अनुरोध किया गया है कि मानव अधिकारों के बारे में सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित करे और उन्हें सुग्राही बनाएं।

(vi) आयोग अक्तूबर, 1994 से एक मासिक न्यूजलेटर प्रकाशित कर रहा है। न्यूजलेटर को विस्तृत रूप से परिचालित किया जाता है और आमतौर पर इसका स्वागत किया जाता है।

(vii) आयोग, वरिष्ठ सम्पादकों, पत्रकारों सहित मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ और अन्य व्यक्तियों, विशेष रूप से मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं और मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में लगे गैर-सरकारी संगठनों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बना रहा है।

(viii) आयोग और इसके सदस्य जब राज्यों का दौरा करते हैं तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए समाज के विभिन्न वर्गों को अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी देते हैं।

(ख) आयोग के सम्पूर्ण खर्चे को पूरा करने के लिए उसे किस्तों में सहायतानुदान दिया जाता है। आयोग जहां तक आवश्यक हो, मानव अधिकार संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने सहायतानुदान में से धन खर्च करता है। मानव अधिकार संबंधी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं की गयी है। सेमीनार, सम्मेलन, प्रकाशनों (जैसे न्यूजलेटर इत्यादि) ओडियोंवीज्युल पब्लिसिटी और गैर-सरकारी संगठनों को सहायता पर चालू वित्त वर्ष (1995-96) अक्तूबर, 1995 तक 3.64 लाख रु. की राशि खर्च की गयी हैं।

दूरदर्शन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता

3952. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री दूरदर्शन के कार्यक्रमों की लोकप्रियता के बारे में 24 अगस्त, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3081 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फीचर फिल्मों को छोड़कर दूरदर्शन के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के कार्यक्रमों में लोकप्रियता अध्ययन के अनुसार हाल ही के सप्ताहों में लोकप्रियता क्रम में लगातार पहले पांच स्थानों पर रहने वाले कार्यक्रमों/धारावाहिकों के नाम क्या हैं;

(ख) ऐसे अध्ययन को देखते हुए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या ऐसे लोकप्रिय कार्यक्रमों/धारावाहिकों को संबंधित भाषा में उचित रूप से डब करके दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों के बीच आदान-प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) कतिपय केन्द्रों के बारे में अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन अध्ययनों से निर्माता को उनके कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक सहायता प्राप्त करने में मदद मिलती है तथा ये एक ओर दूरदर्शन को और दूसरी ओर कार्यक्रम को समयावधि-बढ़ाने के मामले में सहयोग देते हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

26 नवम्बर-2 दिसम्बर, 1995 के सप्ताह के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों से प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम

दिल्ली और हिन्दी भाषी राज्य

नीम का पेड़ (धारावाहिक)

गीत बहार (सुगम संगीत)

परख (समाचार पत्रिका)

उजाले की ओर (धारावाहिक)

कथा सागर (धारावाहिक)

बम्बई

गा-दी-मा (धारावाहिक)

दृष्टा (धारावाहिक)

दार नेखा नाहि (धारावाहिक)

राण मंसिर (धारावाहिक)

गृहाकाशी हितबुज (उपभोक्ता मामले)

अहमदाबाद

दादू–ओ–दादू (धारावाहिक)

मोहरा पाछाल चेहार (धारावाहिक)

गामत गुलात (धारावाहिक)

कर्तव्य (धारावाहिक)

अन्ताबकड़ी (धारावाहिक)

मद्रास

यीरावियम (धारावाहिक)

मरक्कूगुडियाविल्लई (धारावाहिक)

पेन्न–मानम (धारावाहिक)

मुक्कानान्त्र कयिरू (धारावाहिक)

पुलावर पुगाझेन्धि (धारावाहिक)

हैदराबाद

गंधर्व मालीरीयम (धारावाहिक)

पाल्नाति वीरा भारतम (धारावाहिक)

जीवन रेयाम (धारावाहिक)

वीडानिवीडालू (धारावाहिक)

स्वेयि चिनुकुलु (धारावाहिक)

बैंगलूर

काना (धारावाहिक)

माल्लिका परिणय (धारावाहिक)

चेतना (धारावाहिक)

सुत्ता–मुत्ता (समाचार पत्रिका)

चुकू चुकू रासलु (धारावाहिक)

तिरूवअनन्तपुरम

पुरूदेसाथिलेक्कुला (धारावाहिक)

थुणेहातनेर आचार्य (धारावाहिक)

दाम्पत्यम (धारावाहिक)

सिनेमा सिनेमा (धारावाहिक)

ग्रामत् (धारावाहिक)

गुवाहाटी

सुरानगंर माजेरे (धारावाहिक)

अग्निपथ (धारावाहिक)

उत्तरण (धारावाहिक)

रूपहि आरू सोन्तोरा (धारावाहिक)

युवादर्शन (युवा)

भुवनेश्वर

रूपेली परदा सुनेली कथा (धारावाहिक)

गोपाल रोहस्या (धारावाहिक)

सुखा वासि (नाटक)

लक्षमी पुराण (धारावाहिक)

घुसारा बाणाणि (नाटक)

कलकत्ता

जननी (धारावाहिक)

सुर संगीत (संगीत कार्यक्रम)

बंधन (धारावाहिक)

कृष्णार कन्ठार (धारावाहिक)

लोहा कापथ (धारावाहिक)

पत्रकारों की सुरक्षा

3953. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में 1989 से अब तक कितने प्राधिकृत पत्रकारों की हत्या की गई अथवा उन्हें गंभीर रूप से घायल किया गया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) कानून और व्यवस्था, मूलतः राज्य का विषय है तथा राज्यों में रहने वालों के लिए उपयुक्त सुरक्षा का वातावरण सृजित करना संबंधित राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। तथापि, पत्रकारों को आवश्यक संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करवाने हेतु केन्द्र सरकार ने समय–समय पर विस्तृत मार्ग–निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकारों को पत्रकारों पर हुए हमले से संबंधित मामलों के शीघ्र पंजीकरण और जांच को सुनिश्चित करने तथा पथभ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सलाह दी गयी है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

एफ.एम. चैनल पर शास्त्रीय संगीत का प्रसारण

3954. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, दिल्ली के एफ.एम. चैनल पर दिन में और सायंकाल के दौरान शास्त्रीय संगीत की हिन्दुस्तानी और कर्नाटक शैली के संगीत प्रसारण को हाल ही में रोक दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त संगीत प्रसारण को रोकने पर कुछ संगीत–समीक्षक और दिल्ली के सांस्कृतिक संगठनों ने आलोचना की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त शास्त्रीय संगीत के प्रसारण को जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जी, हां। इस चैनल को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं आकाशवाणी द्वारा परिचालित इस चैनल के समय खण्डों के कार्यक्रमों को इस पर निजी पार्टियों को आवंटित समय स्लाटों के कार्यक्रमों के अनुकूल बनाने हेतु संशोधित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय शास्त्री संगीत को आकाशवाणी, दिल्ली के अन्य चैनलों पर नियमित रूप से प्रसारित किया जा रहा है।

संसद के सत्र का दक्षिण भारत में आयोजन

3955. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दक्षिण भारत में संसद का सत्र आयोजित कराने के बारे में कितनी बार विचार किया गया; और

(ख) इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सरकार द्वारा दक्षिण में संसद का एक सत्र आयोजित करने के प्रस्ताव पर समय–समय पर विचार किया गया है। तथापि, यह प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं पाया गया।

डा. बी. आर. अम्बेडर की जीवनी पर परिश्रम कार्यक्रम

3956. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "प्रायोजित कार्यक्रम" के अंतर्गत डा. बी. आर. अम्बेडकर की जीवनी पर आधारित दूरदर्शन कार्यक्रम प्रसारित करने के संबंध में महाराष्ट्र के किसी संगठन से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन अनुरोधों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या 14 अप्रैल, 1994 को "रायल्टी योजना" के अंतर्गत डा. बी. आर. अम्बेडकर पर कोई कार्यक्रम प्रसारित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) "रायल्टी योजना" के अंतर्गत रायल्टी भुगतान के व्यय से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जबकि इसी कार्यक्रम को विशेष योजना के अंतर्गत प्रसारित किया जा सकता है?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) दूरदर्शन द्वारा "परिश्रम" नामक एक कार्यक्रम 14 अप्रैल, 1994 को रायल्टी आधार पर प्रसारित किया गया था क्योंकि इसका निर्माता इस कार्यक्रम के लिए एक प्रायोजक जुटाने में असफल रहा था।

(ङ) दूरदर्शन प्रायोजित श्रेणी के अन्तर्गत यथासंभव अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रमों को प्रसारित करने का हमेशा प्रयास करता है।

बंगलोर में फिल्म की कम्पनी

3957. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलोर में यंग फिल्म मेकिंग ने भारत से विश्वभर में फिल्मों के निर्माण तथा वितरण हेतु किसी कम्पनी की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त कम्पनी को स्वीकृत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी मुख्य शर्तें क्या हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) सरकार की, बंगलोर में स्थापित यंग फिल्म मेकिंग कम्पनी की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तटीय गश्त

3958. **श्री मोहन रावले** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय गृह मंत्रालय से महाराष्ट्र में ठाणे रायगढ़, रत्नागिरि और सिन्धुदुर्ग के तटीय क्षेत्रों में विस्फोटक

पदार्थों/हथियारों की तस्करी रोकने की दृष्टि से संयुक्त तटीय गश्त के मद में राज्य सरकार द्वारा किये गये व्यय को वापस कर देने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मद में महाराष्ट्र सरकार पर कितनी धनराशि बकाया है; और

(घ) कब तक इस धनराशि का भुगतान कर दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (ग) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने भारत सरकार से तटवर्ती निगरानी योजना के अधीन वर्ष 1993–94 और 1994–95 में संयुक्त तटवर्ती गश्त पर 6,19,11000 रुपए व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति का दावा किया था। दावों पर कार्रवाई करने के उपरान्त, महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1993–94 और 1994–95 में तटवर्ती निगरानी योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु 474.14 लाख रुपये की विशेष वित्तीय सहायता की सरकारी मंजूरी मार्च, 1995 में जारी की गई थी।

चुनाव करवाना

3959. **श्री बलराज पासी :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में नवम्बर, 1995 में हुए स्थानीय निकायों (नगरपालिका बोर्डों और नगरपालिका परिषदों) में चुनाव से उत्तराखण्ड क्षेत्र को निकाले जाने का क्या कारण है;

(ख) क्या निकट भविष्य में इन चुनावों को कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र में राज्य के अन्य भागों के साथ–साथ नवम्बर, 1995 के विभिन्न स्थानीय निकायों के चुनाव वहां पर व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण नहीं कराए जा सके।

(ख) और (ग) कानून और व्यवस्था की स्थिति सहित अन्य विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए चुनावों का समय निर्धारित करना राज्य सरकार का कार्य है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर ढुलाई कार्य

3960. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सी. सी. एल. में ढुलाई का कार्य कोयला माफिया तथा भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर अन्य विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा किये जाने तथा इसके फालस्वरूप सी. सी. एल. को होने वाले घाटे के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[अनुवाद]

दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों को मृत्यु प्रमाण-पत्र दिया जाना

3961. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के आश्रितों के लिए मृत्यु प्रमाण–पत्र हासिल करना बहुत मुश्किल होता है जिसके परिणामस्वरूप उन्हें मुआवजे के संबंध में अपने कानूनी हक से वंचित होना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई शिकायत/पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कतरी नाला पर तटबंध

3962. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतरी नाला पर निर्मित तटबंध गैसलीटांड एवं क्षेत्र के अन्य खानों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त तटबंध की समुचित मरम्मत को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आस–पास की खानों की सुरक्षा का सुनिश्चय किए जाने हेतु कतरी नाले के साथ–साथ एवं अस्थायी तटबंध का निर्माण कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान एक स्थाई तटबंध का निर्माण किए जाने हेतु अभी अभिकल्पना संबंधी कार्य प्रगति पर है।

कोल लीकेज

3963. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों के जुड़े होने के अभाव में मूल कोयला–लीकेज को वैकल्पिक स्रोतों तक स्थानान्तरित करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वैकल्पिक ईंधन की आपूर्ति हेतु क्या कदम उठाए गए; और

(घ) निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाएं शुरू किए जाने पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) विद्युत गृहों के लिए दीर्घावधि कोयला संयोजन मुहैया किया जाता है और स्थायी संयोजन समिति (दीर्घावधि) द्वारा जब भी अपेक्षित हो इसे युक्तिसंगत बनाया जाता है, जोकि निम्न घटकों पर निर्भर करता है–जैसे कोयले की दीर्घावधि प्रक्षिप्त उपलब्धता यातायात संभार–तंत्र, आपूर्ति आदि की समयावधि।

इस संबंध में उपलब्ध सूचना के अनुसार संयोजित खानों का विकास न किए जाने के कारण वैकल्पिक स्रोतों को मूल संयोजन को स्थानान्तरित किए जाने की कार्रवाई के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

[हिन्दी]

कोयला भंडार

3964. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में तलचर और ईब नदी बेसिन में कोयले के विशाल भंडारों की खोज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनसे अनुमानतः कितना कोयला प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इनसे देश की कितनी कोयले की आवश्यकता पूरी की जा सकेगी?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) देश में दिनांक 1.1.95 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू–गर्भीय सर्वेक्षण (जी. एस. आई.) द्वारा कोयले के किए गए क्षेत्रीय अन्वेषण के अनुसार उड़ीसा के तलचर और ईब–घाटी कोयला क्षेत्र में क्रमशः 25.48 बिलियन टन तथा 21.06 बिलियन टन भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) और (घ) उड़ीसा की तलचर और ईब नदी कोयला क्षेत्र से कोयले के उत्पादन का कार्यक्रम आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1996–97) के लिये 36 मिलियन टन प्रक्षिप्त किया गया है, जबकि उक्त वर्ष के लिए कोयले का कुल 288.65 मिलियन टन उत्पादन प्रक्षिप्त किया गया था।

[अनुवाद]

हथियारों का अवैध व्यापार

3965. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में हथियारों के अवैध व्यापार के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी. बी. आई.) द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) और (ख) जुलाई, 1995 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शस्त्रों और गोलाबारूद की बरामदगी से संबंधित मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा करने के आदेश दिए गए हैं। दर्ज मामले की प्रारम्भिक जांच से इसके अन्तर्–राजीय विस्तार का पता चला था।

मुम्बई बम विस्फोट

3966. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में हुए लगातार बम विस्फोटों के संदिग्धों को "रेड कार्नर नोटिस" जारी किए गए हैं;

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या इकबाल मिर्ची के प्रत्यावर्त्तन की प्रक्रिया में बाधा आयी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या मुम्बई विस्फोट से सम्बन्धित विदेशों में रहने वाले दोषियों की सम्पत्ति जब्त की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्, 30 फरार अभियुक्तों के खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी किए गए हैं जिनके, विदेश में छिपे होने का संदेह है। मामले पर सक्रिय रूप से काम चल रहा है।

(ग) और (घ) 5.4.1995 को इकबाल मिर्ची की गिरफ्तारी के बाद उसके प्रत्यर्पण के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से यूनाईटिड किंगडम में प्राधिकारियों को एक अनुरोध भेजा गया था। प्रत्यर्पण की कार्यवाही, लंदन में बोरस्ट्रीट मजिस्ट्रेट के न्यायालय में शुरू की गई थी। सुनवाई के बाद, न्यायालय ने इस आधार पर प्रत्यर्पण का अनुरोध अस्वीकार कर दिया कि इकबाल मिर्ची के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं।

(ङ) और (च) "नामित न्यायालय, बम्बई" ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 83 से 85 के साथ पठित "टाडा" (निवारण) अधिनियम, 1987, की धारा 8(3)(ख) के अधीन, 68, हैत्री रोड, लंदन एन. डब्ल्यू 3 स्थित, प्रमुख अभियुक्त दाउद इब्राहीम कासकर की एक संपत्ति जो कि उसकी पत्नी महजबीन शेख दाउद हसन के नाम थी, की कुर्की के आदेश जारी किए हैं। नामित न्यायालय ने, अपराधों की जांच और अभियोजन संबंधी मामलों और अपराध के आगम एवं साधनों तथा आतंकवादी निधियों का पता लगाने, उन को काबू करने और उन्हें जब्त करने के मामलों में आपसी सहायता के लिए भारत सरकार एवं यूनाइटिड किंगडम सरकार के बीच हुए समझौते की शर्तों के अनुरूप यूनाइटिड किंगडम के माननीय प्रधान न्यायाधीश को संबंधित एक अनुरोध पत्र भी, इस कुर्की आदेश को लागू कराने के संबंध में जारी किया है। नामित न्यायालय द्वारा जारी कुर्की आदेश को लागू कराने के लिए यूनाइटिड किंगडम स्थित भारतीय उच्चायोग के पास भेजे जाने हेतु यह अनुरोध–पत्र अब विदेश मंत्रालय को अंग्रेषित कर दिया गया है।

चकमा शरणार्थी

3967. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकमा शरणार्थियों के "पीपुल राइट फोरम आर्गनाइजेशन" ने अरूणाचल प्रदेश का एक नक्शा बनाया है, जिसमें उन लोगों के राज्य के पापुझपारे, लोअर सुबान श्री, लोहित और चेंगलेंग जिलों का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चकमा शरणार्थियों ने अपनी मांग के समर्थन में दिल्ली में धरना दिया है और अरूणाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री का पुतला जलाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) और (ख) पीपुल राईट आर्गनाईजेशन ने 1992 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसके आवरण पृष्ठ पर एक नक्शा था जिसमें गलत रूप से यह दिखाया गया था कि अरूणाचल प्रदेश में चकमा/हाजोंग बस्तियों ने सम्पूर्ण निचली सूबनसीरी, लोहित, तीरप और छांगलोंग जिलों पर कब्जा किया हुआ है। वास्तव में इन बस्तियों का इन जिलों के भीतर केवल कुछ क्षेत्रों पर ही कब्जा है।

(ग) और (घ) सभी मांगों के समर्थन में तथा चकमाओं की बेदखली और अरूणाचल प्रदेश में उनकी झोपड़ियों के जलाए जाने के विरोध में कुछ चकमा छात्रों ने 3 नवम्बर, 1995 को जन्तर–मन्तर पर एक धरना दिया था। दोपहर बाद वह तितर–बितर हो गया।

सी. सी. एस. (आर. एस. ए.) के अंतर्गत संघ को मान्यता दिया जाना

3968. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान और सी. सी. एस. (आर. एस. ए.) नियम, 1993 में सेवा संघों के गठन का प्रावधान है;

(ख) क्या आई. टी. बी. पी. ने उपरोक्त नियमों के अंतर्गत अपने संघ को मान्यता प्रदान करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) भा. ति. सी. पु. के कुछ सिविलियन कार्मिकों द्वारा बनायी गयी मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, सी. सी. एस. (आर. एस. ए.) नियम, 1993 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

यातायात व्यवस्था

3969. **श्री महेश कनोडिया :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :
श्री विलासराव नागनाथराव गूण्डेवार :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली सहित देश में यातायात को सुनियंत्रित करने के लिए अद्यतन सिग्नल प्रणाली को प्रयोग में लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर अनुमानित कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) : (क) से (घ) 'पुलिस' चूंकि राज्य का विषय है इसलिए अपने-अपने राज्यों में यातायात की समस्या से बेहतर ढंग से निपटने के लिए यातायात संकेतों और अन्य प्रणालियों के आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में ऐसे दो प्रस्तावों पर कार्रवाई चल रही है : व्हीकल एक्यूएटेड ट्रेफिक सिग्नल सिस्टम जिसकी लागत 25 लाख रु. है, के चालू वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की संभावना है जबकि कम्प्यूटरीकृत क्षेत्रीय यातायात नियंत्रण प्रणाली, आवश्यक अनुमोदनों के पश्चात् लागू की जाएगी। परवर्ती परियोजना की अनुमानित लागत 8.47 करोड़ रुपए है।

[अनुवाद]

किरोसीन की किल्लत

3970. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने किरोसीन के समानांतर बाजार में प्रदेश की अपनी योजना त्याग दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में किरोसिन की किल्लत है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मिट्टी का तेल कमी वाला उत्पाद है। देश की 40% से अधिक मांग आयातों के माध्यम से पूरी की जाती है। विदेशी मुद्रा, आयात सुविधाओं की कमी और भारी राजसहायता की आवश्यकता के कारण राज्यों की सम्पूर्ण मांग पूरी करना संभव नहीं है। समानान्तर विपणन योजना के अन्तर्गत निजी पक्षकारों को मिट्टी के तेल का आयात करने और बाजार निर्धारण मूल्यों पर उसकी बिक्री करने की अनुमति दे दी गई है। इससे देश में मिट्टी के तेल की उपलब्धता में वृद्धि हुई है।

उच्च ग्रेड का कोयला

3971. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च ग्रेड कोयला कितनी मात्रा में उपलब्ध है तथा इसकी मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उच्च ग्रेड कोयला आयात करने का है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 के दौरान कितना कोयला आयात किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) देश में दिनांक 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार भारतीय भू-गर्भीय सर्वेक्षण (जी. एस. आई) द्वारा मूल्यांकित किये गये 1200 मीटर की गहराई तक कोयले का ग्रेडवार प्रमाणित एवं सांकेतिक भण्डार नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े मिलियन टन में)
(आंकड़े अनंतिम)

ग्रेड ए/बी/सी	24143.95
अन्य ग्रेड	1,05,338.60
कुल अकोककर कोयला	1,29,482.55
कुल कोककर कोयला	28,421.68
कुल भण्डार (प्रमाणित एवं सांकेतिक)	1,57,904.03

जहां तक व्यवहार्य होता है कोककर कोयले और उच्च ग्रेड के कोयले के उत्पादन को बढ़ाये जाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं। कोककर कोयले की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि किये जाने के लिये उठाये गये मुख्य कदमों में निम्न कदम शामिल हैं :- विद्यमान खानों के पुनर्गठन करके और नई खानों को विकसित करके कच्चे कोयले की उपलब्धता को बढ़ाया जाना। वाशरियों के तथा नई वाशरियों के निर्माण के साथ-साथ विद्यमान वाशरी क्षमता को बढ़ाये जाने के लिये भी कार्रवाई की जा रही है।

भूमिगत खानों में साधारणतः उच्च ग्रेड के कोयले का उत्पादन किया जाता है। उच्च ग्रेड के अकोककर कोयले उत्पादन को बढ़ाये जाने के लिये भूमिगत उत्पादन को बढ़ाने जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता में सामान्य सुधार लाए जाने हेतु धुलाई द्वारा अकोककर कोयले को यंत्रीकृत रूप से परिष्करण किये जाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ख) और (ग) सरकार के विचाराधीन उच्च ग्रेड के कोयले का आयात किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है। उपभोक्ताओं द्वारा अपनी स्वयं की आवश्यकताओं पर विचार करते हुये और उनके अपने वाणिज्यिक निर्णयों को ध्यान में रखते हुये कोयले का आयात स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को दिनांक 9.6.1993 से संशोधित कर दिया गया है, जिसके अन्तर्गत ग्रहीत उद्देश्य के लिये कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति प्रदान की गई है। यह संशोधन निम्न के संबंध में अनुमति प्रदान करता है : विद्युत उत्पादन में लगी कंपनियों अथवा कोयले की धुलाई जो कि खान से प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार के अन्य प्रयोगों के लिये, जो कि सरकार द्वारा समय-समय पर कोयला खनन किये जाने के लिये अधिसूचित की जाती है। यह संशोधन विद्यमान प्रावधानों के अतिरिक्त है, जो कि लौह एवं इस्पात के उत्पादन में लगी कंपनियों को कोयले का खनन किये जाने की अनुमति देते हैं। किसी खान से प्राप्त किये गये कोयले की धुलाई संबंधी क्रियाकलापों को भी अब निजी क्षेत्र के लिये खोल दिया गया है।

वारंगल के निकट तेल शोधक कारखाना

3972. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने वारंगल के निकट "ग्रीन फील्ड रिफाइनरी" स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने इस परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लिपि-विज्ञान का प्रभाव

3973. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लिपि-विज्ञान का विकास करने एवं इसके उपयुक्त उपयोग के लिये कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लिपि-विज्ञान के प्रभाव में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) इस मंत्रालय को लिपि-विज्ञान के विकास से संबंधित किसी योजना की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) लिपियां (ग्राफ) सांख्यिकीय आंकड़े प्रस्तुत करने के लाभकारी माध्यम हैं। लिपियों, चार्टों तथा चित्रों का प्रयोग निर्यात, आयात तथा व्यापार संतुलन सहित अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी सांख्यिकीय जानकारी के चित्रण में किया जाता है।

[अनुवाद]

भारतीय कपास संघ

3974. **श्री अशोक आनंदराव देशमुख** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कपास संघ द्वारा महाराष्ट्र में कपास उत्पादकों को कपास की फसल के भुगतान हेतु जारी किए गए चैकों का भुगतान लंबे समय के बाद भी नहीं हो पाया है; और

(ख) यदि हां, तो भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं और इन चैकों का भुगतान कब तक होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विदेशी निवेशकों को लाभांश का भुगतान

3975. **डा. मुमताज अंसारी** :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपनी उस शर्त को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की घोषणा की है जिसके द्वारा विदेशी निवेशकों के लिए निर्यात से प्राप्त आय और उसके लाभांश के बीच संतुलन बनाये रखना अनिवार्य था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

100 सीट वाला यात्री विमान

3976. **श्रीमती भावना चिखलिया** :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त उद्यम के अंतर्गत 100 सीटों वाले यात्री विमानों का निर्माण करने के बारे में सोच रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इन विमानों का निर्माण किन-किन देशों के सहयोग से करने का विचार है;

(घ) इस कार्य में देश–वार कितना निवेश किया जाएगा;

(ङ) इस परियोजना को कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा;

(च) क्या हिन्दुस्तान वैमानिकी लिमिटेड ने इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (छ) दक्षिण कोरिया गणराज्य, चीन पीपल्स गणराज्य, सिंगापुर और भारत द्वारा संयुक्त रूप से एक मध्यम आकार के यात्री विमान के निर्माण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए दक्षिण कोरिया की मैसर्स डाइवू हेवी इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा नवम्बर, 1993 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद दक्षिण कोरिया की सरकार ने मैसर्स डाइवू के स्थान पर मैसर्स सैमसंग एरोस्पैस को अग्रणी भागीदारी के रूप में ले लिया था। लागत और लाभ के मूल्यांकन के आधार पर हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की भागीदारी पर निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय मीडिया आयोग

3977. **श्री राम नाईक** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सभी मीडिया में वित्तीय स्थिति और वेतन नीति के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय मीडिया आयोग गठित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार समाचार पत्र उद्योग में ठेके पर की जाने वाली नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) सरकार ने राष्ट्रीय मीडिया आयोग स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

आगरा में शुष्क पत्तन की स्थापना

3978. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगरा में शुषक पत्तन की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्वीकृत योजना का ब्यौरा क्या है और यह कब तक आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) सरकार ने कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के उस प्रस्ताव का अनुमोदन पहले ही कर दिया है जो आगरा में एक अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आई सी डी) की स्थापना के बारे में था। कन्टेनर कारपोरेशन आफ इण्डिया लि. ने सूचित किया है कि इस परियोजना के शीघ्र ही स्थापित हो जाने की संभावना है।

उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

3979. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को उत्तर प्रदेश के उद्यमियों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उनमें से कितने आवेदनों को स्वीकृति दी गई तथा कितने आवेदनों को अस्वीकार किया गया और उन्हें अस्वीकार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उपरोक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में उद्योगों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का इकाई–वार एवं वर्ष–वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) 1992–93 से 1994–95 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की प्रत्यक्ष वित्त योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

	1992–93	1993–94	1994–95
वर्ष के आरंभ में लंबित आवेदन	19	11	4
प्राप्त आवेदन	36	5	38
कुल	55	16	42
स्वीकृत आवेदन	43	11	31
वापस लिए गए/बंद किए गए आवेदन	1	1	1
लंबित आवेदन	11	4	10

(ग) 1992–93, 1993–94 और 1994–95 के दौरान आईडीबी आई की सभी योजनाओं के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में उद्योगों को स्वीकृत और संवितरित सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपए)

	1992–93	1993–94	1994–95
स्वीकृतियां	657.1	1129.6	783.8
संवितरण	432.3	509.2	756.4

लेकिन, बैंकों में प्रचलित प्रथाओं एवं रीति–रिवाजों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले प्रावधानों तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता एवं गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 के प्रावधानों के अनुसार, एकक–वार ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

[अनुवाद]

"उरूग्वे राउन्ड और दक्षिण एशिया" विषय पर विश्व बैंक का अध्ययन

3980. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक द्वारा "उरूग्वे राउन्ड और दक्षिण एशिया : प्रभाव एवं अवसरों की एक झलक" नामक शीर्षक के अंतर्गत किये अध्ययन प्रतिवेदन के विषय में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध में उरूग्वे राउंड के बाद बाजार से भारत को होने वाले लाभों के विषय में किसी भी स्तर पर कोई स्वतंत्र अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) सरकार को "दि उरूग्वे राउण्ड एण्ड साउथ एशिया : एन ओवरव्यू ऑफ दि इम्पैक्ट एंड अर्पोच्यूनिटीज" नामक अध्ययन रिपोर्ट की एक प्रति मिली है। यह अध्ययन एक नीतिगत अनुसंधान कार्य दस्तावेज है और परिणाम, व्याख्याएं एवं निष्कर्ष लेखक के निजी हैं और इन्हें विश्व बैंक, इसके कार्यकारी निदेशक बोर्ड, अथवा इसके किसी सदस्य देश का नहीं माना जा सकता है।

इस अध्ययन में मौटे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सेवाओं, निवेश और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के क्षेत्र में दक्षिण एशिया के बारे में उरूग्वे वार्ता दौर के प्रभावों का विश्लेषण है।

लेखक ने पाया है कि दक्षिण एशिया में उरूग्वे दौर करार से लाभ प्राप्त करने के विपुल अवसर हैं और यह क्षेत्र किसी सीमा तक अपने निर्यात का विविधिकरण और विस्तार करने के लिए इस अवसर का इस्तेमाल कर सकेगा, यह इस बात पर अधिक निर्भर करेगा कि इस क्षेत्र में कई देशों द्वारा पहले ही शुरू किए गए व्यापार उदारीकरण को वे किस हद तक जारी रखते हैं। लेखक ने आगे महसूस किया है कि इस क्षेत्र में सुधारों की गति प्रशंसनीय रही है। सिवाय श्री लंका के जिसका व्यापार सुधारों का अपेक्षाकृत लम्बा इतिहास रहा है, इस क्षेत्र में चतुर्दिक गहन उदारीकरण प्रयास 1980 के दशक के अन्त में पूर्वार्ध तथा 1990 के दशक के आरम्भ में शुरू हुए हैं और कि भावी विश्व बाजार में दक्षिण अफ्रीका को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इन सुधारों की गति को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी।

(ग) से (ङ) तीन क्षेत्रों अर्थात कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, औद्योगिक सामान और सेवाओं के क्षेत्रों में उरूग्वे वार्ता दौर के बाद के समय में बढ़ने वाले निर्यात अवसरों का अध्ययन एवं उनका विश्लेषण करने के लिए सरकार ने अनुसंधान संगठनों को इसके अध्ययन का काम सौंप दिया है।

कर वसूली

3981. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी राज्यों में 1992 से कर वसूली में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आई कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) जी नहीं, श्रीमान। देश के सभी राज्यों में कर वसूली में 1992–93 में 9486.07 करोड़ रुपए की तुलना में 1994–95 में 50374.51 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है (ब. अ.) ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि तथा भवन निर्माण में लगे मजदूर

3982. **प्रो. रासा सिंह रावत** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कृषि तथा भवन निर्माण में लगे मजदूरों की राज्य–वार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कृषि तथा भवन निर्माण में लगे मजदूरों के लिये तैयार की गई कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के लिये राज्य–वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) विवरण–I संलग्न है।

(ख) विवरण–II संलग्न है।

(ग) विवरण–III संलग्न है।

विवरण-I

कृषि और निर्माण कर्मकारों की संख्या (राज्य-वार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कृषि श्रमिकों की सं. (1991 जंनगणना)	निर्माण कर्मकारों की संख्या (1991 जनगणना)
1	2	3	4
	भारत	74,597,744 (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर)	5,543,205
1.	आंध्र प्रदेश	11,625,159	470,668
2.	असम	844,964	109,607
3.	बिहार	9,512,892	162,230
4.	गुजरात	3,230,547	282,822
5.	हरियाणा	896,782	123,476
6.	हिमाचल प्रदेश	58,668	86,246
7.	जम्मू व कश्मीर	–	–
8.	कर्नाटक	4,999,959	427,972
9.	केरल	2,120,452	332,340
10.	मध्य प्रदेश	5,863,029	388,425
11	महाराष्ट्र	8,313,223	801,735
12.	मणिपुर	47,350	10,971
13.	मेघालय	89,492	11,349
14.	नागालैंड	7,233	9,032
15.	उड़ीसा	2,976,750	90,315
16.	पंजाब	1,452,828	156,045
17.	राजस्थान	1,391,670	337,033
18.	सिक्किम	12,851	11,655
19.	तमिलनाडु	7,896,295	489,270
20.	त्रिपुरा	187,538	11,752
21.	उत्तर प्रदेश	7,833,258	510,520
22.	पं. बंगाल	5,055,478	381,317
23.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	4,989	12,449
24.	अरूणाचल प्रदेश	20,054	23,392
25.	चंडीगढ़	1,642	22,098
26.	दादर नागर हवेली	6,233	1,736
27.	दिल्ली	25,195	231,571
28.	गोवा	35,284	25,037
29.	दमन व दीप	1,199	1,960
30.	लक्ष्यद्वीप	–	1,916
31.	मिजोरम	9,527	7,158
32.	पांडिचेरी	77,203	11,108

विवरण-II

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाकर उनके कल्याणार्थ शुरू की गई कुछ प्रमुख योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.)

इस योजना के अंतर्गत, आय बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां अर्जित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान सहित छोटे कृषकों, सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण दस्तकारों के लिए विविध प्रकार की मिश्रित आर्थिक सहायता और भिन्न–भिन्न दरों पर आवधिक ऋण शामिल हैं। 1994–95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या 21,82,018 थी।

(ii) जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई.)

इस योजना का उद्देश्य अतिरिक्त लाभदायक रोजगार का सृजन करना और उत्पादक सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है। 1994–95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन 6,285.29 लाख श्रम दिवस था। इस योजना को देश के उन 120 पिछड़े जिलों में तेज किया गया है जिनमें बेरोजगारी और अल्प–रोजगार की अधिकता है। 1994–95 के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना (जे. आर. वाई) के अंतर्गत अतिरिक्त 1688.57 लाख श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया गया था।

(iii) रोजगार आश्वासन योजना (ई. ए. एस.)

2 अक्तूबर, 1993 को 1752 पहचान किये गये पिछड़े ब्लाकों में "रोजगार आश्वासन योजना" नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य अपर्याप्त कृषि सीजन में अकुशल श्रमिकों को 100 दिन का सुनिश्चित मजदूरी रोजगार संबंधी शारीरिक कार्य मुहैया करवाना है। इस योजना से मुख्य रूप से कृषि श्रमिक लाभान्वित होंगे। 1993–1994 के दौरान 494.74 लाख श्रम दिवस रोजगार का सृजन किया गया।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास (डी डब्ल्यू सी आर ए)

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास नामक योजना है जिसे सामूहिक पहुंच का प्रयोग करके गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों से संबंधित ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु उनके कौशलों और अभिरूचि के अनुरूप आय बढ़ाने वाले कार्यकलाप शुरू करने के लिए 1982–83 में संचालित किया गया था। इस योजना को ट्राईसेम और आई आर डी पी के सहयोग से संचालित किया जाता है।

(v) स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण (ट्राइसेम)

इस योजना का उद्देश्य स्वतः रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का कौशल उन्नयन करना है।

(vi) कल्याण निधियां

श्रम मंत्रालय, बीड़ी कर्मकारों, सिने कर्मकारों और चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह, मैंगनीज, क्रोम और अभ्रक खानों में कार्यरत कर्मकारों के लिए आवास, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए पांच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है। इन निधियों के लिए बजट आबंटन नीचे दिया गया है :

निधि	वास्तविक व्यय (1994–95)	आबंटन (1995–96)
बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि	21.60 (करोड़)	22.91 (करोड़)
अभ्रक कर्मकार कल्याण निधि.	2.03 (करोड़)	2.10 (करोड़)
लौह–अयस्क कर्मकार कल्याण निधि	4.55 (करोड़)	7.25 (करोड़)
चूना पत्थर कर्मकार कल्याण निधि	2.71 (करोड़)	5.04 (करोड़)
सिने कर्मकार कल्याण निधि	0.05 (करोड़)	0.10 (करोड़)

(vii) समूह बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन

उपरोक्त के अतिरिक्त, केन्द्रीय तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को बीमा सीमा के अंतर्गत लाने के लिए जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा निधि के अंतर्गत 1987 में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए समूह बीमा योजना जैसी विभिन्न बीमा और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई हैं। सामाजिक सुरक्षा निधि, जो 1988 में स्थापित की गई थी, में 5000 रु. की सीमा तक जीवन सुरक्षा के लिए अनुमोदित व्यवसायों (23 की संख्या में) के सदस्यों हेतु प्रीमियम के 50% तक इमदाद भी दी जाती है। श्रम मंत्रालय ने 1992–93 से बीड़ी कर्मकारों के लिए समूह बीमा योजना भी शुरू की है जिसके अंतर्गत 1994–95 के दौरान 10,57,048 व्यक्ति शामिल किए गए हैं। प्रीमियम का पूरा भुगतान सरकार करती है। अनेक राज्य सरकारें विभिन्न पात्रता मानदण्डों और पेंशन दरों वाली वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं चला रही है।

(viii) निर्माण कर्मकारों के लिए विधान

निर्माण उद्योगों में लगभग 8.5 मिलियन कर्मकारों को रोजगार मिला हुआ है जो कृषि कर्मकारों के पश्चात असंगठित श्रम बल का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। 3.11.95 को, केन्द्रीय सरकार ने निर्माण कर्मकारों की सेवा शर्तों, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के बारे में उनके हितों के संरक्षण के लिए दो अध्यादेश प्रख्यापित किए हैं जिनके नाम हैं: भवन और अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 1995, और भवन और निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अध्यादेश, 1995। अध्यादेश में अन्य बातों के साथ–साथ, दुर्घटना और अन्य बड़ी बीमारी के मामले में चिकित्सा सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, मकान निर्माण के लिए ऋण, समूह बीमा प्रीमियम का भुगतान, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता, महिला कर्मकारों के लिए प्रसूति सुविधा आदि जैसी कल्याण योजनाएं चलाने के लिए राज्य स्तर पर कल्याण निधियों के गठन की व्यवस्था है।

(ix) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

भारत सरकार ने गरीबों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना की घोषणा की है। इसमें 65 वर्ष की आयु से अधिक निस्सहाय व्यक्तियों को 75 रु. प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेंशन, प्रमुख कमाऊ व्यक्ति की स्वाभाविक मृत्यु और दुर्घटना से मृत्यु होने वाले के परिवारजनों को क्रमशः 5,000 रु. और 10,000 रु. का एक मुश्त पारिवारिक लाभ और दो जीवित बच्चों के लिए 300 रु. प्रति प्रसव के प्रसूति लाभ प्रदान किया जाना पेक्षित है। इस योजना से क्रमशः 5.3 मिलियन, 3.5 लाख लाभानुभोगियों और 4.5 लाख महिला कर्मकारों को लाभ होने की उम्मीद है।

विवरण-III

आई आर डी पी, जे आर वाई, आई जे आर वाई और ई ए एस के अधीन आबंटन (1995-96)

(रु. लाखों में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	आई आर डी पी	जे आर वाई	आई जे आर वाई	ई ए एस
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	8336.41	25132.75	2486.47	7072.58
2.	अरूणाचल प्रदेश	623.43	258.01	–	701.82
3.	असम	2743.50	8273.62	–	8913.43
4.	बिहार	16218.24	49296.97	9445.93	14964.60
5.	गोवा	141.87	278.77	–	–
6.	गुजरात	3059.22	9225.74	1548.13	5550.07
7.	हरियाणा	735.33	2216.15	–	3017.12
8.	हिमाचल प्रदेश	239.78	885.81	–	1001.26
9.	जम्मू और कश्मीर	999.09	1800.00	340.00	4308.95
10.	कर्नाटक	5594.91	16875.55	1877.67	8059.86
11.	केरल	2036.15	6139.55	–	1002.42
12.	मध्य प्रदेश	10565.39	31846.86	6070.58	13488.75
13.	महाराष्ट्र	9087.73	27398.15	4068.95	10436.64
14.	मणिपुर	449.59	330.69	–	1180.59
15.	मेघालय	477.57	386.94	–	934.12
16.	मिजोरम	201.82	163.00	–	585.16
17.	नागालैंड	335.69	414.77	–	349.98
18.	उड़ीसा	6763.85	20388.56	3186.38	6178.71
19.	पंजाब	521.53	1575.93	–	–
20.	राजस्थान	4388.01	13231.22	1819.43	11809.19
21.	सिक्किम	55.95	151.01	–	81.69
22.	तमिलनाडु	7537.14	22719.52	1888.86	4567.43
23.	त्रिपुरा	641.42	429.52	–	650.00
24.	उत्तर प्रदेश	20316.51	61247.75	4199.15	15626.85
25.	पश्चिम बंगाल	7472.20	22522.62	3068.45	7187.53

1	2	3	4	5	6
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	70.94	152.70	–	5.48
27.	दादरा और नगर हवेली	14.99	82.89	–	20.33
28.	दमण व द्वीप	27.97	48.83	–	1.54
29.	लक्षद्वीप	6.99	76.55	–	114.06
30.	पांडिचेरी	57.95	149.47	–	–
	कुल	109721.16	324000.00	40000.00	127809.36

[अनुवाद]

नए बैंक खोलना

3983. **श्री धर्मलिंगम :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गैर–सरकारी और सरकारी क्षेत्र में सहकारी बैंक सहित राज्यवार कितने नए बैंक खोले गए; और

(ख) इस संबंध में स्वीकृति हेतु राज्यवार कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए गैर–सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों और सहकारी बैंकों की संख्या निम्नानुसार है :–

राज्य	1992–93		1993–94		1994–95	
	गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	जिला मध्य–वर्ती सहकारी बैंक	गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक	गैर–सरकारी क्षेत्र के बैंक	जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक
आन्ध्र प्रदेश	–	–	1	–	–	–
गुजरात	–	–	2	–	–	–
हरियाणा	–	–	–	1	1	1
महाराष्ट्र	–	–	1	–	2	–
मध्य प्रदेश	–	–	–	–	1	–
पंजाब	–	–	–	2	1	–
तमिलनाडु	–	1	–	2	–	1
उत्तर प्रदेश	–	3	–	–	–	–
गोवा	–		–	–	1	–
कुल :	–	4	4	5	6	2

(ख) नवम्बर, 1995 के अंत की परिस्थिति के अनुसार, नीचे दिये गए विवरण के अनुसार, गैर सरकारी क्षेत्र में नये बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पास 38 आवेदन पत्र हैं :

राज्य	आवेदनों की संख्या
आन्ध्र प्रदेश	4
बिहार	1
गुजरात	3
हरियाणा	6
महाराष्ट्र	6
मध्य प्रदेश	3
राजस्थान	4
पंजाब	2
तमिलनाडु	1
उत्तर प्रदेश	2
पश्चिम बंगाल	1
संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	1
उड़ीसा	4
कुल :	38

इराक के साथ आस्थगित भुगतान समझौता

3984. **श्री ए. इन्दकरण रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इराक के साथ आस्थगित भुगतान समझौते में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) किये जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और संभावित परिवर्तनों से सरकार को क्या लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) वर्ष 1990 के लिए इराक के साथ किया गया पिछला आस्थगित भुगतान करार (डी पी ए) खाड़ी संकट की वजह से अधिकांशतः क्रियान्वित नहीं हो सका। बाद में कोई भी आस्थगित भुगतान करार नहीं किया जा सका।

समितियों की स्थापना

3985. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रही समितियों, उपसमितियों, कार्यदल और विशेषज्ञ समितियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) व्यापार बढ़ाने और व्यापार में असंतुलन दूर करने में वर्ष 1995–96 में अब तक इन समितियों का क्या योगदान है; और

(ग) इतनी अधिक समितियों/विशेषज्ञ दलों को गठित करने का औचित्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) लगभग इन सभी समितियों का गठन निर्यातों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संवर्धन करने के लिए किया गया है। उनके द्वारा किए गए प्रयासों का व्यापार संतुलन को सुधार पर प्रभाव पड़ा है। किन्तु इसकी मात्रा को बताना कठिन है।

(ग) समितियां/विषेषज्ञ समूहों को जारी रखा जाएगा क्योंकि उन्हें अपनी सांविधिक और विनियामव तथा निर्यात संवर्धन भूमिका निभानी है।

विवरण

समिति का नाम	समिति के प्रमुख	समिति के कार्य
1	2	3
1. अपीलीय समिति	अपर सचिव	विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय के निर्णय के खिलाफ सांविधिक अपीलों की सुनवाई करना।
2. बाजार विकास सहायता समिति	अपर सचिव	भारतीय उत्पादों पर तथा वस्तुओं के लिए विदेशों में बाजारों के विकास संबंधी प्रस्तावों पर विचार करना।

1	2	3
3.	प्रतिकारी शुल्कों/पाटनरोधी मामलों से निपटने के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता देने पर विचार करने हेतु समिति	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार	प्रतिकारी शुल्क/पाटनरोधी मामलों से निपटने के लिए वित्तीय सहायता पर विचार करना।
4.	अवस्थापना समिति	अपर सचिव	निर्यातों के विस्तार हेतु अवस्थापना का उन्नयन।
5.	कोर समिति	वाणिज्य सचिव	चाय उद्योग की समस्याओं पर विचार करना।
6.	वैज्ञानिक सलाहकार समिति	डा. एम.एस. स्वामिनाथन	बागान फसलों, कृषि तथा जलीय उत्पादों में अवसरों का लाभ उठाने के लिए उपाय सुझाना।
7.	परियोजना संचालन समिति	संयुक्त सचिव	पुष्पोत्पाद संबंधी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता प्राप्त परियोजना को क्रियान्वित करना।
8.	निर्यात के लिए आर्गेनिक खाद्यों के प्रमाणन संबंधी स्थायी–सह–प्रत्यायन समिति	संयुक्त सचिव	आर्गेनिक खाद्यों के लिए निर्यात के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करना।
9.	परियोजना संचालन समिति	संयुक्त सचिव	मसालों से संबंधित यू एन डी पी की सहायता प्राप्त परियोजना का कार्यान्वयन।
10.	कॉफी संबंधी कोर समिति	वाणिज्य सचिव	कॉफी उद्योग के उपजकर्त्ताओं, व्यापारियों तथा निर्यातकों के साथ परस्पर विचार–विनिमय।
11.	रबड़ मॉनीटरिंग समूह समिति	अपर सचिव	प्राकृतिक रबड़ की कीमत, उपलब्धता तथा विपणन के संबंध में उपायों पर विचार–विमर्श करना तथा सुझाव देना।
12.	अनुसंधान कार्यक्रम समिति	वाणिज्य सचिव	वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित अनुसंधान की प्राथमिकताओं का पता लगाना।
13.	संचालन समूह	वाणिज्य सचिव	हमारे निर्यातों के विकास की संभावना वाली वस्तुओं से क्षेत्रों का पता लगाना।
14.	शीर्ष समूह	वरिष्ठ अधिकारी	निर्यात संवर्धन से संबंधित व्यापार के प्रस्तावों/सुझावों पर विचार करना।
15.	प्रदर्शनी सलाहकार समिति	अपर सचिव	प्रदर्शनी कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों को अंतिम रूप देना।
16.	इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज कौंसिल	वाणिज्य सचिव	सीमाशुल्क पत्तनों, डीजीएफटी, आदि के साथ मॉनीटरिंग तथा तालमेल करना।
17.	इंडिया एडीफैक्ट समिति	अपर सचिव	–वही–
18.	इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज वर्किंग ग्रुप	वाणिज्य सचिव	–वही–
19.	एलाईनमेंट ऑफ ट्रेड डोक्यूमेंट एंड ट्रेड प्रोसेस स्टडी	संयुक्त सचिव	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में भारत में व्यापार प्रक्रिया अध्ययन करना।
20.	स्थायी समीक्षा समिति	विदेश व्यापार महानिदेशक	एक्जिम नीति की समीक्षा करना।

1	2	3
21. विशेष लाइसेंस समिति	विदेश व्यापार महानिदेशक	लाइसेंस प्रदान करना तथा मानदंड निर्धारित करना
22. अग्रिम लाइसेंस समिति	अपर–विदेश व्यापार महानिदेशक	–वही–
23. विशेष अग्रिम लाइसेंस समिति	अपर विदेश व्यापार महानिदेशक	–वही–
24. निर्यात लाइसेंस समिति	विदेश व्यापार महानिदेशक	–वही–
25. उच्च अधिकार प्राप्त लाइसेंस समिति	विदेश व्यापार महानिदेशक	–वही–
26. प्रोग्राम मानीटरींग एण्ड मैनेजमेंट	सदस्य योजना आयोग	मसाला विकास कार्यक्रमों का समन्वय करना।

कालीकट-मुम्बई उड़ान के दौरान यात्रियों को होने वाली असुविधाएं

3986. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विमानों को मुम्बई स्थित घरेलू विमानपत्तन पर उतारने के बजाए सहारा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उतारे जाने के कारण इंडियन एयरलांइस के कालीकट से मुम्बई जाने वाले यात्रियों को होने वाली असुविधाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कालीकट उड़ान को मुम्बई के घरेलू विमानपत्तन से शुरू करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, कालीकट और बम्बई के बीच इंडियन एयरलाइंस के प्रचालन को सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बम्बई में अन्तरित कर दिया गया है। फिर भी, इन उडानों हेतु अंतर्देशीय यात्रियों के लिए अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों के बीच अनुपूरक परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

[हिन्दी]

सोयाबीन की खली का निर्यात

3987. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य की सोयाबीन खली का निर्यात किया गया;

(ख) 1995–96 के अंत तक सोयाबीन की खली का निर्यात करने के लिये कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या रेल परिवहन और गोदी जैसी सुविधाओं की कमी के कारण चालू वर्ष के दौरान सोयाबीन की खली के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1994–95 के दौरान निर्यात की गयी सोयाबीन खली की कुल मात्रा तथा मूल्य क्रमशः 20,81,596 एम.टन तथा 1214.15 करोड़ रु. था।

(ख) वर्ष 1995–96 के लिए ऑयल मिल्स (सोयाबीन सहित) के लिए 730.2 मिलीयन अमरीकन डालर का निर्यात लक्ष्य रखा गया है।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के दौरान कृषि उत्पादों के निर्यात में मात्रात्मक वृद्धि से अवस्थापना पर दबाव पड़ा है। बंदरगाहों पर भीड़–भाड़ एवं परिवहन समस्याओं के कारण कभी–कभी देरी हुई है। छोटे बंदरगाहों सहित पश्चिम और पूर्व में अन्य बंदरगाहों पर कार्गो के मार्ग बदलकर तथा रेल रैक की क्षमता की पूर्ति के लिए सड़क आवागमन का रास्ता अपनाकर इन समस्याओं का समाधान निकाला गया है। देश से समय पर निर्यात सुनिश्चित करने के लिए निर्यातकों के सामने आ रही समस्याओं का समाधान करने की ओर सतत् रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

रूई एकाधिकार योजना

3988. **श्री रामचन्द्र भारोतराव धंगारे** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र की एकाधिकार रूई क्रय योजना के कार्यकाल को केवल एक वर्ष (अर्थात् जून, 1995 तक) के लिए बढ़ाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कार्यकाल को एक बार में चार या पांच वर्षों तक बढ़ाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) भारत सरकार ने महाराष्ट्र अपरिष्कृत कपास एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना को दिनांक 30 जून, 1996 तक एक वर्ष के लिए इस शर्त पर जारी रखने का अनुमोदन किया है कि यह योजना 30 जून, 1996 तक पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण/विस्तार

3989. **श्री नरेश कुमार बालियान :**
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जहां पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य किए गए;

(ख) उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और विमानपत्तनों पर भी उक्त कार्य कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कुछ विमानपत्तनों को उन्नत करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) उन हवाई अड्डों के नाम जहां विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आधुनिकीकरण/विस्तार कार्य आरंभ किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) इन हवाई अड्डों तथा अन्य कार्यों पर विगत तीन वर्षों के दौरान हुए व्यय का वर्ष–वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1992–93	1993–94	1994–95
रुपए 133.61 (करोड़ रुपयों में)	रुपए 332.85	रुपए 347.23

(ग) और (घ) बागडोगरा, गोवा, इंदौर, जयपुर, कार्गिल, लखनऊ, लीलाबाड़ी, रायपुर, शिमला, तिरूपति, उदयपुर, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डों पर उपलब्ध सुविधाओं की और अधिक स्तरोन्नयन की योजना बनाई जा रही है।

(ङ) इस समय, किसी भी नये हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान निम्न विमानपत्तनों पर आधुनिकीकरण/विस्तार के कार्य किए गए

1. अगरतला
2. अहमदाबाद
3. भुवनेश्वर
4. बम्बई
5. कालीकट
6. कलकत्ता
7. डिब्रूगढ़
8. गुवाहाटी
9. गोआ
10. हैदराबाद
11. इम्फाल
12. इन्दौर
13. जयपुर
14. लखनऊ
15. नागपुर
16. पटना
17. रांची
18. बड़ोदरा
19. त्रिवेन्द्रम

वर्ष 1993-94 के दौरान निम्न विमानपत्तनों पर आधुनिकीकरण/विस्तार के कार्य किए गए

1. बंगलौर
2. भुवनेश्वर
3. बम्बई
4. भोपाल
5. कलकत्ता
6. दिल्ली

7. दीमापुर
8. डिब्रूगढ़
9. पटना
10. तिरूपति
11. त्रिवेन्द्रम

वर्ष 1994-95 के दौरान निम्न विमानपत्तनों पर आधुनिकीकरण/विस्तार के कार्य किए गए

1. आगरा
2. अगरतला
3. औरंगाबाद
4. बम्बई
5. बागडोगरा
6. बेलगांम
7. भोपाल
8. भावनगर
9. कालीकट
10. कोयम्बटूर
11. दिल्ली
12. गुवाहाटी
13. गया
14. हैदराबाद
15. इन्दौर
16. जयपुर
17. जम्मू
18. जोरहाट
19. जोधपुर
20. लेह
21. मद्रास
22. मोहनबाड़ी
23. लखनऊ
24. राजकोट
25. सिल्चर
26. उदयपुर
27. बड़ोदरा
28. त्रिवेन्द्रम

चाय बोर्ड की वित्तीय स्थिति

3990. **श्री राम सिंह कस्वां** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में चाय बोर्ड का प्रशासनिक व्यय कितना रहा;

(ख) क्या इसमें लगातार वृद्धि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो क्या "चाय बोर्ड" के खर्चों में कमी करने हेतु सरकार द्वारा कुछ सुधारात्मक उपाय किये जाने के प्रस्ताव हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चाय बोर्ड के प्रशासनिक व्यय निम्नानुसार रहे हैं :

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
1992–93	415.34
1993–94	487.10
1994–95	512.76

प्रशासनिक व्यय को कम करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि मुख्य रूप से महंगाई भत्ते, अंतरिम राहत, विद्युत प्रभार, किराया, दरों तथा करों और रख–रखाव संबंधी अन्य प्रभारों में वृद्धि की वजह से होने वाले अपरिहार्य तथा अनिवार्य खर्चों के कारण हुई है। खर्चों में वृद्धि बोर्ड के गुवाहाटी तथा कुन्नूर स्थित कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण के कारण भी हुई है।

[अनुवाद]

कपड़ा मिलें

3991. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत देश में और विशेषतः गुजरात राज्य में कुल कितनी वस्त्र इकाइयां कार्य कर रही हैं;

(ख) इनमें से कितनी वस्त्र इकाइयां विशेषः गुजरात राज्य में, इस समय घाटे में चल रही हैं;

(ग) इनके घाटे में चलने के क्या कारण हैं;

(घ) इन घाटे पर चल रही इकाइयों को अर्थक्षप बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इन घाटे पर चल रही इकाइयों के मजदूरों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के प्रावधान के संबंध में सरकार की क्या नीति है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) एनटी सी के नियंत्रणाधीन देश में 120 मिलें हैं तथा इनमें से 11 गुजरात राज्य में अवस्थित हैं। इन 120 मिलों में से गुजरात राज्य के बाहर अवस्थित 4 मिलों ने अप्रैल–सितंबर, 1995 की अवधि में नकद लाभ अर्जित किए हैं जबकि गुजरात राज्य में अवस्थित सभी 11 मिलें घाटे में चल रही हैं।

(ग) एन टी सी की मिलों को घाटे के लिए मुख्य कारण पुरानी मशीनरी, अत्यधिक मानव–शक्ति, कार्यशील पूंजी की भारी कमी आदि हैं।

(घ) सरकार ने एनटीसी की मिलों के लिए 2005.72 करोड़ रु. के परिव्यय वाली एक सर्वांगीण सुधार योजना का अनुमोदन किया है, जिसमें 36 गैर–अर्थक्षम मिलों की 18 अर्थक्षम जिलों में पुनर्संरचना करने, 69471 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त योजना की पेशकश करके बेशी कार्यशक्ति का सुव्यवस्थीकरण तथा 79 मिलों का आधुनिकीकरण शामिल है। दिनांक 30.11.95 की स्थिति अनुसार लगभग 39400 कामगार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ पहले ही उठा चुके हैं। संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना को बी आई एफ आर के समक्ष कार्यान्वयन में पूर्व इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) सरकार ने सुव्यस्थित किए गए कामगारों के पुनर्वासन के लिए एक योजना बनाई है। योजना के अंतर्गत एक कामगार एनटीसी से नाम मात्र की कीमत पर पुराने करघे खरीद कर अथवा मशीनरी विनिर्माताओं से नए विद्युत करघे/रीलिंग मशीनें खरीद कर स्वयं अपनी परियोजना शुरू कर सकता है। अपेक्षित वित्त बैंकों से उपलब्ध है। सरकार इसे शुरू करने की तारीख से 6 माह के सफल प्रचालन के पश्चात ऐसे उद्यमों को उत्पादन प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत, दिनांक 3.9.1995 की स्थिति अनुसार 419 कामगारों को 1719 करघे प्रदान किए गए थे।

रबड़ के पेड़ की लकड़ी पर आधारित उद्योग

3992. **श्री पी.सी. थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड ने देश में रबड़ के पेड़ की लकड़ी पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या रबड़ बोर्ड ने इन उद्योगों को कोई सहायता दी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रसंस्कृत रबड़ की लकड़ी के निर्यात की अनुमति है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मलेशिया के पास रबड़ के. पेड़ की लकड़ी के निर्यात के माध्यम से विदेशी मुद्रा कमाने का अच्छा खासा बाजार मौजूद है;

(छ) यदि हां, तो सरकार ने रबड़ की लकड़ी के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी हां। रबड़ बोर्ड ने रबड़ उत्पादक समितियों (आर पी एस) के सहयोग से केरल राज्य के कोट्टायम जिले में पाले के निकट पेरिंगलम में एक रबड़ वुड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। इस कम्पनी में रबड़ बोर्ड की हिस्सेदारी 51 प्रतिशत है और शेष 49% की हिस्सेदारी आर.पी. एस. की है। विश्व बैंक की इस समय चल रही परियोजना के अन्तर्गत रबड़ वुड आधारित प्रोसेसिंग और डाउन स्ट्रीम विनिर्माण यूनिटों के संवर्धन एवं वित्तीय पोषण के लिए एक संघटक है।

(ख) और (ग) जी हां। योग्य उद्यमियों को उनके अनुरोध पर तकनीकी सहायता दी गई है।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रसंस्कृत रबड़ के निर्यात की अनुमति केवल विभिन्न मूल्य वर्धित रूपों में दी जाती है। (कम से कम चोतरफा समतल रूप में)

(घ) जी, हां।

(छ) सरकार की मौजूदा नीति टिम्बर के बजाय तैयार उत्पाद के निर्यात को प्रोत्साहित करने की है क्योंकि भारत एक टिम्बर की कमी वाला देश है। अतः इस समय, रबड़ वुड के लिए कोई निर्यात संवर्धन योजना तैयार नहीं की गई है।

[अनुवाद]

औद्योगिक विवाद

3993. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, धनबाद द्वारा भेजे गए, विभिन्न समझौताकारी रिपोर्ट लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो दिनांक 1 अक्तूबर, 1995 को तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) न्यायालय द्वारा इन रिपोर्टों/मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) दिनांक 1 अक्तूबर, 1995 की स्थिति के अनुसार, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), धनबाद से प्राप्त 353 संराधन विफलता रिपोर्टें मंत्रालय में निपटान के लिए लम्बित थीं, जिनमें से केवल 136 छः माह से अधिक समय से लम्बित थीं।

(ग) न्याय निर्णयन के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले औद्योगिक विवाद कानूनों के अनुसार, तेजी स निपटाने के लिए समुचित श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को सन्दर्भित कर दिए जाते हैं।

बैंक ऑफ कराड के विरुद्ध कार्रवाई

3994. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विगत में बैंक आफ कराड के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कार्रवाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी ऋण/निवेश

3995. **श्री सुदर्शन रायचौधरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रति वर्ष कितनी विदेशी सहायता/ऋण/अनुदान प्राप्त हुआ तथा इसी अवधि के दौरान कितनी धनराशि ऋण और ब्याज की अदायगी के रूप में व्यय की गयी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान सरकार ने दूसरे देशों में कितना निवेश किया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राप्त विदेशी सहायता/ऋण/अनुदान की वर्ष-वार धनराशि और इसी अवधि के दौरान पूंजी एवं ब्याज की वापसी अदायगी पर वर्ष-वार व्यय की गई धनराशि नीचे दी गई है :

(करोड़ रुपए में)

	1992-93	1993-94	1994-95
प्राप्तियां			
सरकारी ऋण	8995.43	9229.90	8613.70
अनुदान	879.62	885.62	916.04
गैर-सरकारी ऋण	1106.76	1665.51	1350.77
जोड़	10981.81	11781.03	10880.51
वापसी अदायगी			
सरकारी ऋण	4560.04	5079.32	5469.37
गैर-सरकारी ऋण	228.38	273.20	321.45
जोड़	4788.42	5352.52	5790.82
ब्याज			
सरकारी ऋण	3578.15	3749.41	4034.93
गैर-सरकारी ऋण	383.22	450.00	599.72
जोड़	3961.37	4199.41	4634.65

(ख) देश में इसी अवधि के दौरान प्राप्त हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (वास्तविक) का विवरण नीचे दिया गया है :

(अमरीकी मिलियन डालर में)

	1992-93	1993-94	1994-95
(अ) प्रत्यक्ष निवेश	343.5	600.0	1311.0
(ब) पोर्टफोलियो निवेश			
(i) विदेशी संस्थागत निवेशक	4.3	1653.6	1550.5
(ii) यूरोपीय इक्विटी	240.5	1522.44	1992.65
जोड़ (अ)+(ब)	588.3	3776.04*	4854.15

*वर्ष 1993-94 के दौरान जारी किए गए 995 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड शामिल नहीं हैं।

जहां तक सरकार द्वारा अन्य देशों में किए गए निवेश का सम्बन्ध है, सूचना एकत्रित करके सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जी.आई.सी. का व्यवसायिक प्रशिक्षण

3996. **डा. वसंत पवार** :
श्री अशोक आनंदराव देशमुख :

क्या **वित्त मंत्री** 8 दिसम्बर, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1924 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 से प्रारंभ होने वाले शिक्षा सत्र से जी. आई.सी. द्वारा 10+2 व्यवसायिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत " जॉब गारन्टी" को वापस लेने का क्या औचित्य है; और

(ख) इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों ने व्यवसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, वह बेरोजगार न रहें ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) भारतीय साधारण बीमा निगम ने यह सूचित किया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1988 में साधारण बीमा निगम के सहयोग से "प्रायोगिक परियोजना आधार" पर चुने हुए शहरों के कुछ एक स्कूलों में 10+2 स्तर पर एक दो-वर्षीय "रोजगार सम्बद्ध" बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया था। साधारण बीमा उद्योग के लिए यह मुश्किल था कि अनिश्चित काल तक निरन्तर पास होने वाले विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को वह समाविष्ट कर सके। इसलिए, इस "प्रायोगिक परियोजना" का पुनरीक्षण किया गया और शैक्षिक वर्ष 193-94 से रोजगार गारंटी को वापस लेने का निर्णय लिया गया। इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सफल होने वाले विद्यार्थियों को सहायक की भर्ती के लिए निर्धारित शिक्षा-स्तर पूरा करने तक का माना जा रहा है और समय-समय पर जब कभी भी इस प्रकार की भर्ती होगी तो इन्हें सामान्य उम्मीदवारों के साथ प्रतियोगिता में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

कपड़ा मिलों का बंद किया जाना

3997. **डा. सत्यनारायण जटिया** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीएफआईआर) के निर्णय के बाद देश में गत तीन वर्षों के दौरान बंद की गयी कपड़ा मिलों का ब्यौरा क्या है तथा उन्हें किस-किस तिथि को बंद किया गया, इसके फलस्वरूप कितने संबंधित श्रमिक बेरोजगार हुए तथा उन्हें राहत देने और उनका पुनर्वास करने तथा ऐसी प्रत्येक मिल का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या उपाय किये गए है; और

(ख) ऐसी मिलों की स्थापना तथा उनमें उत्पादन के संबंध में और श्रमिकों के कल्याणार्थ क्या नीति अपनाई गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) दिनांक 30.6.95 तक की स्थिति अनुसार, बीआईएफआर ने विस्तृत जांच करने के पश्चात 44 सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों के संबंध में उनको बंद करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को सिफारिश की है। बी.आई.एफ.आर. के आदेशों के अनुसरण में उच्च न्यायालय द्वारा सरकारी अपाकर्ता की नियुक्ति के पश्चात् ही मिलें बंद की जाती हैं।

सरकार ने वस्त्र मिलों के आंशिक/स्थाई तौर पर बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए एक वस्त्र कामगार पुनर्वासन कोष की स्थापना की है। दिनांक 31.10.95 तक की स्थिति अनुसार; 80.32 करोड़ रु. की एक धनराशि का भुगतान 40726 कामगारों को किया गया है। व्यवस्थापन के अंतर्गत ऐसी मिलों की स्थापना तथा आधुनिकीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

श्रीलंका के साथ व्यापार संतुलन

3998. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-श्रीलंका व्यापार में अत्यधिक असंतुलन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) व्यापार असंतुलन को दूर करने के लिये दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) श्रीलंका का भारत के साथ प्रतिकूल व्यापार संतुलन है।

(ख) इसके प्रमुख कारणों में शामिल हैं--श्रीलंका के अन्तर्राष्ट्रीय आयात और निर्यात की पद्धति, उसका संकुचित निर्यात आधार, अनुपूरकता की कमी, और अपर्याप्त प्रतिस्पर्धा।

(ग) श्रीलंका से आयात को सतत् आधार पर सुविधाजनक बनाया जाता है और उसे प्रोत्साहित किया जाता है। बैंकाक करार और हाल ही में प्रभावी माप्ता करार के अंतर्गत श्रीलंका से आयात होने वाली अनेक मदों पर अधिमानी टैरिफ लागू होते हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान श्रीलंका से भारत के आयात की दर भारत ने श्रीलंका को होने वाले निर्यात की दर से पहले ही काफी अधिक है।

राज्यों द्वारा परियोजना निधि को दूसरे कार्यों में लगाना

3999. **श्री शरत पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन तैयार किया है जिसमें राज्यों द्वारा परियोजना निधि को अन्य कार्यों में इस्तेमाल करने का उल्लेख किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे रोकने के लिए क्या उपाए किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित दिनांक 30 मार्च, 1995 के देश के आर्थिक ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सामूहिक स्तर पर यह स्पष्ट है कि योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के लिए किया गया वित्तपोषण (ऋणों सहित) और नहीं तो आवर्तक व्यय वाली मदों पर अंशों में व्यय किया गया है।

(ग) एक बार जब परियोजना की निधियां राज्यों को सौंप दी जाती है तो केन्द्र सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। तथापि, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन का ध्यानपूर्वक मानीटर किया जाता है और इस प्रयोजनार्थ वित्त मंत्रालय में एक परियोजना मानीटरिंग एकक स्थापित किया गया है।

[हिन्दी]

विमानों में टेलीफोन सुविधाएं

4000. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "इन्टर सेट" प्रणाली के अंतर्गत विमानों में यात्रियों को टेलीफोन सुविधा प्रदान करने हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) क्या इस प्रणाली को शुरू करने हेतु कोई परीक्षण किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) :

(क) से (ग) एयर इंडिया के नए बी 747–400 विमानों में पहले ही विमान से भूमि पर बात करने के लिए स्काई फोन सेवा की सुविधा है। फिलहाल, एयर इंडिया अथवा इंडियन एयरलाइंस के अन्य प्रकार के विमानों में यह सुविधा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खुली बाजार नीति

4001. **श्री राम कापसे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खुली बाजार नीति के संबंध में अमरीका में वाशिंगटन स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारतीय कार्यकारी निदेशक की ओर से कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) जबकि सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के भारत के कार्यकारी निदेशक से समय–समय पर सूचनाएं प्राप्त करती है लेकिन हाल ही में खुली बाजार नीति के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इंडियन एयरलाइंस के विमानचालकों को रोजगार देने पर प्रतिबंध

4002. **डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम** : क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर टैक्सी ऑपरेटरों द्वारा इंडियन एयरलाइंस के विमानचालकों को रोजगार देने पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) नागर विमानन और पर्यटन मंत्री के साथ दिनांक 12.2.1994 को हुई बैठक में निजी एयरलाइनें इस बात के लिए सहमत हुईं कि नागर विमानन के व्यवस्थित विकास के लिए वे एक आचार संहिता अपनायेंगी जिसके अधीन कोई भी प्रचालक पहले से अन्य प्रचालक के पास नियुक्त किसी भी व्यक्ति को पूर्व नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्राप्त किए बिना नियुक्त नहीं करेगा।

खान-सुरक्षा महानिदेशक का निलंबन

4003. **श्री हाराधन राय** :
श्री सुखेन्दु खां :

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशक को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किये जाने के बाद उसे निलंबित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरोपों की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या पहले भी सरकार को उसके खिलाफ इसी प्रकार के आरोप प्राप्त हुए थे;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए थे ?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ज) दिनांक 12.6.95 को सी.बी.आई., धनबाद ने खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में छापा डाला और खान सुरक्षा महानिदेशक को 1.00 लाख रु. का गैर–कानूनी आनुतोषिक लेते हुए पकड़ा। सी.बी.आई. की जांच जारी है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई अन्य विशेष आरोप इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

वस्त्र उद्योग का आधुनिकीकरण

4004. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए केन्द्रीय सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आठवीं योजना अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ कोई राशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सरकार ने 1 अगस्त 1996 से वस्त्र मिलों की आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पांच वर्षों की अवधि के लिए 750 करोड़ रु. के आरंभिक राशि के साथ एक वस्त्र आधुनिकीकरण कोष का सृजन किया है। इस योजना के अंतर्गत 307 मामलों में 878 करोड़ रु. के ऋण वितरित किए गए थे। तथापि, संसाधन की गंभीर कमी के कारण इस योजना को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अगस्त, 1991 से समाप्त कर दिया गया है।

सरकार ने एक संशोधित सर्वांगीण सुधार योजना का भी अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 2005.72 करोड़ रु. के परिव्यय पर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत 79 मिलों का आधुनिकीकरण शामिल है। निधियां, एनटीसी मिलों की बेशी भूमि तथा परिसंपतियों की बिक्री से जुटाई जाएंगी। एनटीसी को 8वीं योजना अवधि के दौरान आधुनिकीकरण के लिए कोई निधियां उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।

[अनुवाद]

नई कम्पनियों को शुरू करना

4005. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गयी कम्पनियों की संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी कम्पनियों को दिवालिया घोषित करके बी.आई.एफ.आर. को भेजा गया था;

(ग) रूग्ण अथवा दिवालिया कम्पनियों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) इनमें कितनी धनराशि अंतर्ग्रस्त है तथा इसका सरकार ऋण, प्रोमोशन (प्रवर्त्तन) अंशदान तथा शेयर धारकों की धनराशि-वार पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रूग्ण उद्योगों की संख्या में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) कंपनी कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर वर्ष 1991-92 से 1993-94 तक के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या (शेयरों द्वारा मर्यादित) नीचे दी जाती है :

वर्ष	पंजीकृत कंपनियों की संख्या
1991-92	26,145
1992-93	25,511
1993-94	30,291

(ख), (ग) और (ङ) वर्ष 1992 से 1994 की अवधि के दौरान 522 इकाईयां रूग्ण इकाईयों के रूप में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड के साथ पंजीकृत हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए पुनरीक्षण के आधार पर परियोजना मूल्यांकन और परियोजना कार्यान्वयन में कमियों जैसे आन्तरिक कारक तथा कच्चे माल की अनुपलब्धता मूलभूत संरचना में अड़चन और उत्पाद अप्रचलन जैसे बाह्य कारकों को औद्योगिक रूग्णता के मुख्य कारणों के रूप में पहचाना गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा (आर.बी.आई.) ऐसी रूग्ण/कमजोर इकाइयों जिनके पुनः चालू हो सकने की संभावना पाई गई है, के संबंध में पुनर्वास पैकेज के प्रतिपादन तथा क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। पुनर्वास व्यवस्था में अन्य बातों के साथ-साथ बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के मौजूदा बकाया राशियों का वित्तपोषण जिसका पुनर्भुगतान विस्तारित अवधि (7-10 वर्ष) में चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है ब्याज रियायतें, दीर्घावधि के लिए नए ऋणों की स्वीकृति के साथ-साथ नई कार्यशील पूंजी सुविधाओं की व्यवस्था है। जहां तक गैर लघु पैमाने की रूग्ण औद्योगिक कंपनियों का सम्बन्ध है, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, जो कि रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत गठित किया गया एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है को रूग्ण इकाईयों के पुनर्वास हेतु निवारक सुधारात्मक, उपचारात्मक तथा अन्य आवश्यक कदम उठाने तथा ऐसे उपायों के शीध्र क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त शक्तियां दी गई हैं।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अप्रवासी भारतीयों के खातों के दुरुपयोग की जांच

4006. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अप्रवासी (बाह्य) भारतीयों के राष्ट्रीयकृत तथा बहुराष्ट्रीय बैंकों में खातों का कथित ऋण दिए जाने के संबंध में दुरुपयोग किए जाने की जांच कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट कब तक आ जाएगी तथा यह कार्य किस एजेन्सी को सौंपा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) सरकार को अप्रवासी (बाह्य) खातों के दुरुपयोग द्वारा धन कमाने की (मनी लॉण्डरिंग) की जानकारी है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जाती है। ऐसे मामलों में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी जांच चलते रहने वाली किस्म की होती है।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर राज सहायता

4007. **श्री नीतीश कुमार** :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले वर्षों के दौरान उर्वरकों, खादों तथा अन्य मदों के आयात-निर्यात पर दी जाने वाली राजसहायता राशि में लगतार वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न मदों पर दी गई राजसहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन वर्षों के दौरान राजसहायता कम करने के लिए कोई प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मजदूरों को प्रशिक्षण

4008. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय ने मजदूरों को प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो 1995–96 के दौरान कितने मजदूरों को प्रशिक्षण दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या प्रशिक्षुओं ने इन प्रशिक्षण संस्थानों में वृत्तिका में वृद्धि करने के लिये कहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने प्रशिक्षण संस्थानों में कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु योजनाएं आरम्भ की हैं। ये योजनाएं हैं–उच्च व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (एवीटीएस) तथा राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत विवेकी कामगारों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण। बाद की योजना उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक विकास विभाग द्वारा वित्त पोषित की जाती है।

एवीटीएस योजना से तात्पर्य चुनिंदा उच्च कौशल के क्षेत्रों में सेवाधीन औद्योगिक कामगारों के कौशल को उन्नत तथा अद्यतन बनाना है। यह योजना रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के चुनिंदा संस्थानों तथा राज्य सरकारों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अधीन वर्ष 1995–96 के दौरान 13,360 कामगारों को प्रशिक्षित किये जाने की संभावना है।

बड़े तथा मध्यम केन्द्रीय एवं राजय के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों के विवेकी कामगार/कर्मचारी जिनकी छंटनी कर दी गई है अथवा फालतू हो गए हैं अथवा 24.7.91 के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गए हैं, की राष्ट्रीय नवीकरण निधि योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। वर्ष 1995–96 हेतु 10,000 विवेकी कामगारों को प्रशिक्षत करने का लक्ष्य निश्चित किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त संदर्भित योजनाओं के अंतर्गत शिक्षुओं का प्रशिक्षण शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों की ओर से वृत्तिका में वृद्धि हेतु कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, विवेकी कामगारों/कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण की संशोधित योजना के अंतर्गत वृत्तिका की दरें 15 रुपये से बढ़ा कर 40 रुपये प्रतिदिन कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

नागर विमानन सुरक्षा बल

4009. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नागर विमानन सुरक्षा बल की स्थापना करने का है;

(ख) क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत कोई बम निरोधी दस्ता भी कार्यरत है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कर्मियों के रैंक संबंधी ढांचे का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विमानन सुरक्षा बल के गठन का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ख) जी, हां।

(ग) वी.डी.डी.एस. का सुरक्षा उपायुक्त (बीडीडीएस) पदनाम से एक अधिकारी प्रमुख होता है जिसके अधीन तकनीशियन और सहायक तकनीशियन होते हैं।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों में निवेश

4010. **श्री विजय एन पाटील**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विदेशों में संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु उद्यमियों को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशों में संयुक्त उद्यमों में निवेश हेतु तैयार किए गए दिशा–निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन देशों में संयुक्त उद्यम लगाने हेतु सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे संयुक्त उद्यमों हेतु सहायता प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) विदेशों में संयुक्त उद्यमों तथा सम्पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक कंपनियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश को सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अनुमति है। इन दिशा–निर्देशों (17.8.95 को संशोधित तथा अधिसूचित) के तहत विदेशों में संयुक्त उद्यम/सम्पूर्ण स्वामित्व वाली आनुषंगिक कंपनियों की स्थापना हेतु मंजूरी से संबंधित सभी आवेदन–पत्रों को भारतीय रिजर्व बैंक को कार्रवाई के लिए भेजा

जाता है। फास्ट ट्रैक (श्रेणी क) के अंतर्गत भारतीय इक्विटी का कुल मूल्य 4 मिलियन अमरीकी डालर है, बशर्ते कि निवेश की राशि पिछले तीन वर्षों में कंपनी की वार्षिक औसत निर्यात आयों के 25% तक हो तथा पांच वर्षों की अवधि के भीतर लाभांशों, रॉयल्टी आदि के रूप में निवेश की राशि पूर्णतः प्रत्यावर्तित की जाती है। सामान्य व्यवस्था (श्रेणी बी) के अंतर्गत मामले अर्थात् 4 मिलि. अमरीकी डालर से अधिक परन्तु अधिक से 15 मिलि. अमरीकी डालर तक के मामले अथवा फास्ट ट्रैक के अंतर्गत न आने वाले मामलों पर एक विशेष समिति के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम निर्णय की सूचना स्वतः श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनों के संबंध में 21 दिन के भीतर तथा गैर–स्वतः श्रेणी के अंतर्गत आने वाले आवेदनों के संबंध में 60 दिनों के भीतर दे दी जाएगी।

15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर तभी विचार किया जाएगा यदि 15 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक के अपेक्षित संसाधनों को जी.डी.आर. व्यवस्था के जरिए जुटाए जाते हैं। 50% तक जुटाए गए जी डी आर संसाधनों का विदेश में संयुक्त उद्यमों में इक्विटी के रूप में इस शर्त पर निवेश किया जा सकता है कि ऐसा करने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त कर ली जाए।

जी डी आर संसाधनों के बिना 15 मिली. अमरीकी डालर से अधिक निवेश के प्रस्तावों पर अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही विचार किया जाएगा जहां कंपनी का निर्यातों के संबंध में बहुत अच्छा रिकार्ड रहा हो। 15 मिलि. अमरीकी डालर से अधिक निवेश वाले सभी मामले भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जाएंगे और विशेष समिति की सिफारिशों के साथ वित्त मंत्रालय को भेजे जाएंगे।

(ग) और (घ) इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर भारत से विदेश में निवेश के लिए पारदर्शी नीति का एक उद्देश्य यह संकेत देना है कि सरकार के दृष्टिकोण में अब गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। और वह अब विनियामक अथवा नियंत्रक की जाए, सुविधा देने वाली हो गयी है। तदनुसार, ऐसे संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करने का सरकार का कोई विशेष विचार नहीं है और ऐसे उद्यमों की स्थापना करने हेतु अत्यधिक उपयुक्त देशों के चयन का कार्य भी उद्यमियों पर छोड़ दिया गया है जो उनकी कार्य नीति तथा वाणिज्यिक हित और व्यापार संबंधी अपेक्षाओं पर निर्भर करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रंजीत और जनपथ होटल

4011. **श्री मोहन रावले : क्या नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों तथा लोदी, रंजीत तथा जनपथ के पुनर्निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक उक्त परियोजना शुरू तथा पूरी की जाने की संभावना है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : (क) और (ख) लोदी, रणजीत और जनपथ होटलों का चरणबद्ध तरीके से पुनर्निर्माण करने के प्रस्ताव भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन वर्ग के विचाराधीन हैं।

(ग) विभिन्न अभिकरणों से आवश्यक स्पष्टीकरणों की शर्त पर, लोदी होटल परियोजना को वर्ष 1996–97 के दौरान कार्यान्वयन हेतु शुरू करने का प्रस्ताव है और इसे वर्ष 2000 तक पूरा किए जाने की संभावना है।

यूरिया आयात को गैर-सरणीबद्ध करना

4012. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री राजेश कुमार :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायन और उर्वरक मंत्रालय का यूरिया के आयात को गैर–सरणीबद्ध करने के संबंध में उनके मंत्रालय के साथ कोई मतभेद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा विवाद के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) से (ग) यूरिया के आयात से संबंधित कुछ पहलुओं पर विचार करने के लिए एक अंतःमंत्रालयी समूह का गठन किया गया है जिसमें वाणिज्य मंत्रालय, उर्वरक विभाग, आर्थिक कार्य विभाग तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार को इसकी सिफारिशें अभी नहीं मिली हैं।

कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय धनराशि

4013. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आज की तारीख तक कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आई.एफ.ए.डी.) को देश में, विशेष रूप से गुजरात में जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने हेतु कोई योजना लागू करने की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे प्रतिवर्ष कितने व्यक्तियों, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के कितने व्यक्तियों को लाभ मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (ग) इस समय अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता प्राप्त ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो गुजरात में कार्यान्वित की जा रही हो। तथापि, राष्ट्रीय महिला विकास तथा सामर्थदात्री परियोजना के नाम से एक ऐसी परियोजना अभी पाइप लाइन में है जो इस समय निर्माणावस्था में है। इस परियोजना के ब्यौरों को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। गुजरात के इस परियोजना के छः भागीदार राज्यों में से एक होने की संभावना है।

इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहायता प्राप्त निम्नलिखित परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में कार्यान्वयनाधीन हैं :

	परियोजना	ऋण राशि (मि. डालर में)	हस्ताक्षर किए जाने की तारीख
1.	उड़ीसा जनजाति विकास	12.2	4.2.88
2.	तमिलनाडु महिला विकास	17.0	30.5.89
3.	आन्ध्र प्रदेश जनजाति विकास	20.0	15.5.91
4.	महाराष्ट्र ग्रामीण ऋण	29.2	1.6.93
5.	आन्ध्र प्रदेश भागीदारी जनजाति विकास	26.71	13.5.94
6.	मेवात क्षेत्र विकास	15.00	29.5.95

[हिन्दी]

सड़क के किनारे स्थित विश्राम गृह

4014. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क के किनारे स्थित विश्राम गृहों के रख–रखाव के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को 80 प्रतिशत सहायता दी जाती है;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा बनाए जा रहे सड़क के किनारे स्थित विश्राम गृहों का पट्टा केन्द्रीय सरकार के नाम पर किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो किस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार जमीन को अपने नाम पंजीकृत करती है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) भारत सरकार, पर्यटन विभाग मार्गस्थ सुख–सुविधाओं और अन्य पर्यटक आधारिक संरचना अर्थात् पर्यटक परिसर, यात्री निवासों, स्थागत केन्द्रों आदि के निर्माण के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता मुहैया करता है। योजना के अनुसार राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे भूमि उपलब्ध करा कर उसे भारत सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करें।

कृषि क्षेत्र का विकास

4015. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**
श्री एन.जे. राठवा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में गहन कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व बैंक ने इस संबंध में क्या शर्तें रखी हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) विश्व बैंक ने अभी तक राजस्थान, तमिलनाडु और असम राज्यों में तीन राज्यस्तरीय कृषि विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

	परियोजनाएं	ऋण राशि (मि. डालर में)	हस्ताक्षर करने की तारीख
1.	राजस्थान कृषि विकास परियोजना	113.4	17.12.92
2.	तमिलनाडु कृषि विकास परियोजना	116.9	12.03.91
3.	असम ग्रामीण आधारभूत संरचना एवं कृषि सेवा परियोजना	126.0	6.6.95

महाराष्ट्र और गुजरात को अभी तक ऐसी कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है, परन्तु महाराष्ट्र के लिए एक कृषि विकास परियोजना, जिसे विश्व बैंक से सहायता मिलने की संभावना है, आजकल निर्माणाधीन है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त सभी परियोजनाएं मानक, निबंधनों एवं शर्तों के अधीन जिसमें 35 वर्ष की परिपक्वता अवधि, शून्य ब्याज, 0.5 प्रतिशत बचनबद्धता प्रभार और 0.75 प्रतिशत सेवा प्रभार शामिल हैं, विश्व बैंक की उदार ऋण प्रणाली के तहत अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्त पोषित हैं।

व्यापार मेला

4016. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आयोजित व्यापार मेलों में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितना कारोबार हुआ;

(ख) क्या लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का विचार व्यापार मेले का आयोजन प्रतिवर्ष करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन मेलों से 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान कितनी धनराशि अर्जित किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) : (क) दिल्ली में सरकारी तथा गैर–सरकारी दोनों प्रकार के विभिन्न संगठनों द्वारा व्यापार मेले आयोजित किए जाते हैं। ऐसे मेलों में किए गए व्यापार के आंकड़े संबंधित संगठनों द्वारा रखे जाते हैं। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा इस प्रकार के व्यापार के कोई समेकित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) इटपो जो व्यापार मेलों को आयोजित करने के लिए उत्तरदायी सरकारी क्षेत्र का एक नोडीय अभिकरण है, वह दिल्ली में वर्ष में निम्नलिखित मेले आयोजित करता है, जहां पर मुख्य रूप से सहभागिता लघु उद्योगों की होती है :

1. कंज्यूमेक्स
2. सजावट
3. शू फेयर/शू कंपोनेंट फेयर
4. इंडिया इंटर नेशनल ट्रेड फेयर
5. टैक्स इंडिया
6. नेशनल चिल्ड्रन फेयर

इसके अतिरिक्त, लघु/उद्योग सेवा संस्थान (विकास आयुक्त, लघु उद्योग, उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन) द्वारा लघु उद्योग इकाईयों की सहभागिता दिल्ली में चुनिंदा व्यापार मेलों में सामूहिक आधार पर की जाती है।

(घ) वर्ष 1995–96 तथा 1996–97 के दौरान दिल्ली में आयोजित मेलों के माध्यम से इटपो को क्रमशः 1138 लाख रु. और लगभग 1280 लाख रु. की आय होने की आशा है।

[अनुवाद]

सरकारी उपक्रमों को ऋण देने के लिए सरकार की गारंटी

4017. **श्री प्रमथेश मुखर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; जिनमें सरकार ने नकद ऋण सहायता देने और बैंकों द्वारा अन्य सहायता देने के लिए वित्तीय संस्थाओं को दी जाने वाली गारंटी का नवीकरण नहीं किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप कुछ सरकारी उपक्रम संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनहित में इस विषय की पुनरीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) से (घ) बैंकों द्वारा नगद ऋण और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को दी जाने वाली भारत सरकार की गारण्टी के नवीकरण संबंधी मामलों की जांच संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा की जाती है और यदि उनकी राय में भारत सरकार की गारण्टी का विस्तार अपेक्षित हो तो प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय (बजट प्रभाग) को अनुमोदन हेतु भेजा जाता है। गारण्टी के नवीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय (बजट प्रभाग) में लंबित नहीं है। वित्त मंत्रालय की सामान्य नीति यह है कि जिन मामलों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा भारत सरकार की गारण्टी के नवीकरण की सिफारिश की जाती है और जहां गारण्टीशुदा मूल वचनबद्धता में कोई वृद्धि नहीं की गई है, उनमें गारण्टी के नवीकरण की मंजूरी दे दी जाए।

[हिन्दी]

शहरी विकास हेतु बजट

4018. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कम निवेश का प्रावधान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयकर न्यायाधिकरण के पास लम्बित मामले

4019. **श्री वृशिण पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न आयकर न्यायाधिकरणों का विभिन्न खंडपीठों के समक्ष विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान खंड पाठवार तथा वर्षवार कितनी अपीलें दायर की गईं तथा इनमें से आज तक प्रत्यक्ष करों संबंधी कुल कितनी अपीलें लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की बहुत–सी अपीलें आयकर न्यायाधिकरण की खंडपीठों के पास आयकर न्यायाधिकरण के खंडपीठों की स्थापना नहीं किये जाने के कारण तथा आयकर न्यायाधिकरण के सदस्यों की रिक्तियों को नहीं भरने के कारण लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार खंडपीठों के पुनर्गठन तथा रिक्त

पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है और इन कामों में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ख) एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) आयकर अपील अधिकरण में नए मामलों का बड़ी संख्या में संस्थिन और अधिकरण में कई पदों का खाली होना, मामलों के बकाया होने के कारण हैं।

(घ) अधिकरण में सदस्यों के खाली पदों को भरने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं। अधिक सदस्यों को अकेले अपीलों की सुनवाई करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

विवरण

पीठ	वर्ष	संस्थिन	वर्ष के अंत में बकाया मामलों की स्थिति
1	2	3	4
बम्बई	1992–93	16.873	49,898
	1993–94	14,640	56,176
	1994–95	14,538	62,759
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	863	68,275
अहमदाबाद	1992–93	57,453	30,872
	1993–94	8,880	34,215
	1994–95	10,822	38,296
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	354	39,729
नागपुर	1992–93	1,683	3,212
	1993–94	2,209	3,138
	1994–95	1,716	2,955
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	45	2,395
पुणे	1992–93	2,331	8,943
	1993–94	1,989	9,475
	1994–95	1,831	9,607
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	136	9,459
मद्रास	1992–93	7,161	19,037
	1993–94	5,770	20,862
	1994–95	4,444	21,293
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	4,304	22,028
हैदराबाद	1992–93	3,463	9,988
	1993–94	3,247	10,063
	1994–95	2,900	8,913
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	239	7,973
कोचीन	1992–93	1,720	6,364
	1993–94	1,494	5,900
	1994–95	1,674	5,862
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	83	5,816
बंगलौर	1992–93	2,941	15,046
	1993–94	2,284	15,738
	1994–95	2,517	15,405
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	89	14,501
कलकत्ता	1992–93	5,669	14,059
	1993–94	4,712	14,560
	1994–95	4,637	15,891
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	194	15,938
पटना	1992–93	2,099	3,775
	1993–94	1,551	4,549
	1994–95	1,168	4,330
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	62	3,988

1	2	3	4
कटक	1992–93	693	2,518
	1993–94	315	2,397
	1994–95		
	1995–96 (1.11.95 की	376	2,656
	स्थिति के अनुसार)	13	2,771
गुवाहाटी	1992–93	662	2,407
	1993–94	819	2,875
	1994–95	537	3,273
	1995–96 (1.11.96 की स्थिति के अनुसार)	27	3,402
दिल्ली	1992–93	11,510	36,105
	1993–94	9,563	39,628
	1994–95	10272	43,234
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	660	44,496
इलाहाबाद	1992–93	3,772	11,157
	1993–94	2,808	12,132
	1994–95	2,681	13,189
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	175	13,907
इंदौर	1992–93	1,990	4,943
	1993–94	2,300	5,890
	1994–95	1,444	5,575
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	83	5,287
चंडीगढ़	1992–93	3,014	10,263
	1993–94	2,338	10,498
	1994–95	2,181	10,591
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	164	10,542
जयपुर	1992–93	2,807	7,490
	1993–94	2,764	8,153
	1994–95	3,773	10,151
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	220	11,031
जबलपुर	1992–93	1,181	2,873
	1993–94	851	3,308
	1994–95	724	3,737
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	35	4,073
अमृतसर	1992–93	2,177	6,995
	1993–94	1,800	7,048
	1994–95	1,745	6,938
	1995–96 (1.11.95 की स्थिति के अनुसार)	110	6,661

एक पीठ से दूसरी पीठ में स्थानांतरण को ध्यान में रखते हुए बकाया आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

हेरोइन जब्त किया जाना

4020. **कुमारी क्रिडा तोपनो** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा 1995–96 के दौरान 31 अक्तूबर, 1995 तक भारत–पाकिस्तान सीमा पर कितनी मात्रा में हेरोइन तथा अन्य स्वापक औषधियां जब्त की गईं;

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बल कार्मियों ने एक ही छापे में 100 करोड़ रुपए से अधिक की हेरोइन जब्त की थी;

(ग) क्या छापा दल के कार्मियों को कोई पुरस्कार दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उपलब्ध सूचना के आधार पर, सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा वर्ष 1995 (31 अक्तूबर, 1995 तक) के दौरान भारत–पाक सीमा पर जब्त की गई हेरोइन तथा अन्य स्वापक औषधियों की मात्रा नीचे दी गई है :

स्वापक औषध	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा. में)
हेरोइन	283.010
हशीश	905.100

(ख) 25 अक्तूबर, 1995 को भारत–पाक सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा 120 कि.ग्रा. हेरोइन जब्त की गई। स्वापक औषधों का सही मूल्यांकन, जो प्रायः अनिर्धारित क्षमता और मिश्रण के होते हैं तथा नष्ट किए जाने योग्य होते हैं, संभव नहीं है।

(ग) सीमा सुरक्षा बल से अभी तक कोई पुरस्कार प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का कार्य-निष्पादन

4021. **डा. आर. मल्लू :**
श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्य–निष्पादन की तिमाही आधार पर समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई.डी.बी.आई. की निगमित नीतियों का पर्याप्त निगरानी नहीं रखी जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) आई.डी.बी.आई. के वर्तमान प्रबंधन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) और **(ख) भारतीय औद्योगिक** विकास बैंक (आईडीबीआई) जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के निदेशक बोर्ड संस्थाओं के क्रियाकलापों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार एआईएफआई द्वारा स्वीकृतियों तथा संवितरणों की समग्र स्थिति की निगरानी करती है और ए आई एफ आई के बोर्ड में अपने नामित निदेशकों की नियुक्ति करती है। इसके अलावा, सामान्य नीति तथा ए आई एफ आई के सामान्य हित के मामलों पर ए आई एफ आई के मुख्य कार्यपालकों के साथ समय–समय पर आयोजित बैठकों में विचार–विमर्श किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक में एक वित्तीय संस्था प्रकोष्ठ है, जो, अन्य बातों के साथ–साथ, मौद्रिक एवं ऋण नीति के सहायक के रूप में ए.आई.एफ.आई. के कार्यों की व्यापक निगरानी एवं निरीक्षण करता है, ए.आई.एफ.आई. और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करता है तथा व्यापक नीतिगत क्षेत्रों में जहां कहीं सुधार/परिवर्तन की मांग की जाती है, वहां विचार–विमर्श के लिए ए.आई.एफ.आई तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच निश्चित अवधि पर सम्पर्क स्थापित करने की व्यवस्था करता है। आई.डी.बी.आई. को भी भारतीय रिजर्व बैंक में वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायाधिकरणों का गठन

4022. **श्री राजेश कुमार :**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय राजस्व न्यायाधिकरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अब तक राज्यवार कहां–कहां न्यायाधिकरण गठित किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : सीमा एवं उत्पाद राजस्व अपील अधिकरण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया। तथापि बम्बई उच्च न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिकाओं में अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई। बम्बई उच्च न्यायालय की टीका टिप्पणी और सर्वोच्च न्यायालय के विनिर्णय को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम को लागू नहीं किया गया और उसे निरसित करने एवं संविधान के अनुच्छेद 323ख के अधीन राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिकरण द्वारा उसे, प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख संविधान के अनुच्छेद 323ख की व्यवस्था पर लंबित एक अपील को ध्यान में रखते हुए बाद के प्रस्ताव को अभी आस्थगित कर लिया गया है।

[हिन्दी]

वाराणसी और लखनऊ विमानपत्तनों के लिए विदेशी सहायता

4023. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या **नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में "वाराणसी व लखनऊ विमानपत्तन विकास समिति" ने उपर्युक्त विमानपत्तनों के विकास के विदेशों से धनराशि जुटायी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) इस धनराशि से उपर्युक्त विमानपत्तनों पर किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वाराणसी और लखनऊ विमानपत्तनों के विकास हेतु विदेशों से निधि एकत्र करने के लिए ऐसी कोई विकास समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बेरोजगारी

4024. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर तकनीकी कला/वाणिज्य स्नातकों/अधिस्नातकों की बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1995 तक बकाया सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) वर्ष 1991–1992 के दौरान (श्रेणीवार शिक्षा के नवीनतम उपलब्ध आंकड़े अनुसार) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर, गैर–तकनीकी कला/वाणिज्य स्नातक एवं अधिस्नातक रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह अनिवार्य नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, निम्नानुसार थी।

हजार में

शिक्षा का स्तर	चालू रजिस्टर पर संख्या		
	31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति अनुसार	31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति अनुसार	31 दिसम्बर 1990 की स्थिति अनुसार
अधिस्नात्तक (मैट्रिक एवं इससे ऊपर के किन्तु स्नात्तक से कम)	17484.1	18627.3	19101.2
स्नात्तक (स्नात्तकोत्तर सहित)			
(i) कला	1567.0	1611.8	1596.2
(ii) वाणिज्य	656.6	668.6	668.9

बेरोजगारी में हुई वृद्धि को भारी वृद्धि नहीं कहा जा सकता

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आठवीं योजना की रोजगार नीति, 10 वर्षों में सन् 2002 तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति पाने के लक्ष्य हेतु एक मध्यावधि परिप्रेक्ष्य के भाग के रूप में तैयार की गई है। आठवीं याजना नीति में रोजगार संभाव्यता वाले गहन सैक्टरों, सब–सैक्टरों एवं गतिविधियों यथा कृषि, कृषि संबंधी तथा ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण अवसंरचना, लघु एवं विकेन्द्रीकृत विर्निमाण सैक्टर, अनौपचारिक शहरी सैक्टर एवं सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष औसतन 8.5 मिलियन रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन की परिकल्पना की गई है। पंजीकृत बेरोजगारों को भी इससे लाभ प्राप्त होने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के "शो रूम"

4025. **श्री दत्ता मेघे** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार विशेष रूप से गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के कितने शोरूम/विक्रय केन्द्र/मिलें हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार कितने शोरूमों/खुदरा विक्रय केन्द्रों/एन.टी.सी. मिलों को घाटा हुआ;

(ग) क्या घाटे में चलने वाले शोरूम/खुदरा बिक्री केन्द्रों अथवा एन.टी.सी. मिलों को बंद करने का उन्हें लाभप्रद बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) गुजरात तथा महाराष्ट्र सहित एन टी सी के राज्यवार शोरूम/बिक्री केन्द्रों तथा साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे उठाने वाले अथवा लाभ अर्जित करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण–I संलग्न है।

गुजरात तथा महाराष्ट्र सहित एन टी सी मिलों की राज्यवार संख्या तथा साथ ही लाभ अर्जित करने वाली अथवा घाटे उठाने वाली मिलों की संख्या के ब्यौरे भी संलग्न विवरण–II में हैं।

(ग) और (घ) जबकि इस समय किसी शोरूम अथवा खुदरा बिक्री केन्द्र को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है फिर भी जहां तक मिलों का संबंध है, सरकार ने एक संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ 18 एककों का विलय करने के द्वारा 36 गैर अर्थक्षम मिलों की 18 अर्थक्षम एककों में पुनर्संरचना शामिल है। संशोधित सर्वांगीण सुधार नीति को बी आई एफ आर के समक्ष कार्यान्वयन से पूर्व इसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

विवरण-I

1992-93 से 1994-95 तक लाभ/घाटे में चलने वाले एनटीसी के शोरूम के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992–93		1993–94		1994–95	
		लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	22	2	23	1	27	–

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	4	2	3	2	3	2
3.	बिहार	5	21	5	21	7	19
4.	गुजरात	8	1	8	1	8	1
5.	हरियाणा	7	1	7	1	5	3
6.	हिमाचल	1	1	–	2	2	–
7.	जम्मू व कश्मीर	4	–	4	–	4	–
8.	कर्नाटक	19	4	17	6	23	–
9.	केरल	17	1	15	3	18	–
10.	मध्य प्रदेश	12	–	12	–	12	–
11.	महाराष्ट्र	19	10	19	9	14	14
12.	मेघालय	1	–	1	–	1	–
13.	उड़ीसा	4	4	4	4	5	3
14.	पंजाब	6	–	5	1	4	2
15.	राजस्थान	8	2	5	5	10	–
16.	तमिलनाडु	54	16	14	55	34	30
17.	उत्तर प्रदेश	4	53	5	52	7	50
18.	पं. बंगाल	6	67	8	65	7	59
19.	दिल्ली	16	–	15	1	15	1
20.	चंडीगढ़	2	–	2	–	2	–
21.	दमन व दीप	1	–	1	–	1	–
22.	पांडिचेरी	1	–	1	–	1	–
	योग :	221	185	174	229	210	184

विवरण-II

1992-93 से 1994-95 तक लाभ/घाटे में चलने वाली एनटीसी मिलों के राज्य-वार ब्यौरे

		1992–93		1993–94		1994–95	
क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लाभ	हानि	लाभ	हानि	लाभ	हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	6	–	6	–	6
2.	असम	–	1	–	1	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	बिहार	–	2	–	2	–	2
4.	दिल्ली	–	1	–	1	–	1
5.	गुजरात	–	11	–	11	–	11
6.	कर्नाटक	–	4	–	4	–	4
7.	केरल	–	5	–	5	–	5
8.	मध्य प्रदेश	–	7	–	7	–	7
9.	महाराष्ट्र	–	35	2	33	1	34
10.	उड़ीसा	–	1	–	1	–	1
11.	पांडिचेरी	–	3	1	2	1	2
12.	पंजाब	–	4	–	4	–	4
13.	राजस्थान	–	4	–	4	–	4
14.	तमिलनाडु	2	11	8	5	4	9
15.	उत्तर प्रदेश	–	11	–	11	–	11
16.	पं. बंगाल	–	12	–	12	–	12
	योग :	2	118	11	109	6	114

प्राथमिकता वाले क्षेत्र को बैंक ऋण

4026. **श्री खेलन राम जांगड़े :**
श्री लक्ष्मण सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्र में वितरण हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा उसमें प्राप्त सफलता का श्रेणीवार, क्षेत्रवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा यह देखने के लिए कि ऋण प्राप्त करने वालों को अपना ऋण स्वीकृत कराने में कोई समस्या न हो, क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवी प्रसाद पाल) : (क) बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र और उसके उप क्षेत्रों को ऋण प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य और पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त लक्ष्यों की तुलना में राष्ट्रीयकृत बैंकों की उपलब्धि निम्नानुसार है :–

(प्रतिशत में)

क्षेत्र	लक्ष्य	के अंत की स्थिति के अनुसार उपलब्धि		
	(निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत)	मार्च 1993	मार्च 1994	मार्च 1995
कुल प्राथमिकता क्षेत्र (पीएस)	40	38.36	38.82	37.37
प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि	18	15.61	15.17	14.00
प्राथमिकता क्षेत्र में कमजोर वर्ग	10	9.79	9.68	8.55

(ख) मार्च, 1995 के अंत की स्थिति के अनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अ. जा./अ. ज. जा. को दी गई ऋण की राशि 63.44 लाख खातों में 3271.06 करोड़ रुपए थी।

(ग) प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अतिरिक्त, जिला परामर्शदात्री समिति और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति में बैंकों के कार्य–निष्पादन की आवधिक रूप से पुनरीक्षा भी की जाती है।

[अनुवाद]

इस्पात निर्यात संबंधी लाइसेंसों को रद्द करना

4027. **श्री तारा सिंह :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री चेतन पी. एस. चौहान :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को जारी किए गए 10 लाईसेंस रद्द कर दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इन निर्यातकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को भारतीय वस्तुओं की घटिया किस्म के संबंध में विदेशी क्रेताओं की काफी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) जी, हां।

(ख) जिन शर्तों के तहत ये लाईसेंस जारी किए गए थे उनमें से कुछ निश्चित शर्तों का उल्लंघन करने पर उन लाइसेंसों को दिनांक 28.9.1995 के निर्णयादेश द्वारा रद्द कर दिया गया है। जो उल्लंघन प्रमाणित हुए उनमें ये शामिल है : निर्यातित माल के विनिर्माण में प्रयुक्त विभिन्न निविष्टियों के लिए माडवैट के ऋण का अनधिकृत रूप से लाभ उठाना, उन उत्पादों के निर्यात के आधार पर हस्तान्तरणीयता प्राप्त करना जिनमें ऐसी निविष्टियों का प्रयोग किया गया है जिनमें ऐक्सिम नीति का उल्लंघन करते हुए माडवैट ऋण का दावा किया गया है और आयातित माल की खपत तथा प्रयोग का सही एवं उचित खाता रखने में असफल रहना।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ शिकायतें मिली हैं। अवमानक क्वालिटी के सम्बंध में विदेशी खरीदारों से मिली इस प्रकार की शिकायतों की जांच के लिए अहमदाबाद, बंबई, बंगलौर, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना तथा मद्रास में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के लिए क्षेत्रीय स्थायी समितियों का गठन किया गया है। ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत कार्यवाही भी की गई है और अनेक मामलों में आयातक–निर्यातक कोड संख्या का निरसन, वित्तीय जुर्माना जैसे दण्ड भी लगाए गए हैं।

गुजरात में श्रमिक

4028. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **श्रम मंत्री** 16 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1530 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (ख) से (घ) के संबंध में सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) (क) जी, हां।

(ख) डा. के. डी. जेस्वाणी के दिनांक 16.12.94 के अतारांकित प्रश्न सं. 1530 के उत्तर में दिये आश्वासन को पूरा करने वाले विवरण की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

श्रम मंत्रालय

प्रश्न सं. तिथि तथा सदस्य का नाम	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
डा. खुशीराम डुगरोमल जेस्वाणी द्वारा दिनांक 16.12.94 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या–1530	**गुजरात में श्रमिक** पूछा गया कि : (क) गुजरात में संगठित क्षेत्र में कितने श्रमिक हैं; (ख) क्या सरकार 1994–95 के दौरान इन श्रमिकों के कल्याण हेतु	(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही	(ख) जी, नहीं।	सूचना गुजरात सरकार से